# एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड

# विषय सूची

पृष्ठ संख्या


| | | |
|---|---|---|
| 1. | निदेशक मंडल | 1 |
| 2. | अध्यक्ष का संदेश | 2 |
| 3. | निदेशकों की रिपोर्ट | 6 |
| 4. | भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां | 49 |
| 5. | स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट | 50 |
| 6. | 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र | 79 |
| 7. | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष का लाभ और हानि खाता | 80 |
| 8. | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन की विवरणी | 81 |
| 9. | नकदी प्रवाह विवरणी | 82 |
| 10. | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के भाग के रुप में टिप्पणियां | 84 |

# निदेशक मंडल की सूची (29.12.2020)

| | |
|---|---|
| श्री राजीव बंसल | अध्यक्ष |
| श्री विनोद हेजमाड़ी | |
| श्री प्रांजोल चन्द्रा | |
| श्रीमती कुसुम लता शर्मा | |
| सुश्री मीनाक्षी मलिक | |
| श्री प्रेम सिंह नेगी | |

## मुख्य कार्यपालक अधिकारी

श्रीमती हरप्रीत ए. डी. सिंह

## मुख्य वित्तीय अधिकारी

श्री अम्बर कुमार मण्डल

## कम्पनी सचिव

श्रीमती मंजिरी एम. वझे

## सांविधिक लेखा परीक्षक

मैसर्स एस. के. कपूर एण्ड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट
16/275, जीवन विकास भवन
सिविल लाईंस
कानपुर–208 001

## पंजीकृत कार्यालय

एलाइंस भवन
अन्तरदेशीय, टर्मिनल–1
आई.जी.आई. एयरपोर्ट,
नई दिल्ली–110037.

# अध्यक्ष का भाषण

## प्रिय शेयर होल्डरों,

मुझे आपके समस्त कम्पनी की वित्तीय वर्ष 2019–20 की 37वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अपार हर्ष हो रहा है।

एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड (पूर्व में एयरलाइन एलाइड सर्विसेस लिमिटेड) देश की अग्रणी अंतरर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय एयरलाइन है, जो एअर इंडिया के नेटवर्क के साथ पूर्ण सांमजस्य में भारत में टायर II व III के शहरों हेतु सम्पर्क उपलब्ध करवाती है। कम्पनी अपने विमान बेड़े में अधिक विमानों को शामिल करके पैन इंडिया आधार पर अपने प्रचालनों के विस्तार की प्रक्रिया में है। यह विमान देश के अन्दर छोटे मार्गों के लिए सेवाएं उपलब्ध करवाएंगे और विदेशों के लिए भी प्रचालन करेंगे।

### अवलोकन–नागर विमानन उद्योग

भारत का नागर विमानन उद्योग पहले की अपेक्षा अब अधिक परिपक्व बाजार बन रहा प्रतीत होता है। चालू वर्ष में अनेक क्षेत्रीय हवाई अड्डों के आरंभ हो जाने से बड़ा परिवर्तन आया है जिससे देश भर में कनेक्टिविटी काफी बढ़ जाएगी इसके अलावा, नीतिगत परिवर्तनों के तहत घरेलू एयरलाइंस में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति प्रदान करने से बाजार परिदृश्य में परिवर्तन आया है। यात्री यातायात में भी लगातार तेजी से वृद्धि हो रही है, क्योंकि उपभोक्ता रेल से हवाई यात्रा में, विशेषतः टायर II और टायर III शहरों में, अधिक स्थानांतरित हो रहे हैं।

### हवाई यात्रा में वृद्धि

नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा जारी किए गए नवीनतम आंकड़ों से ज्ञात होता है कि घरेलू यात्री हवाई यातायात वर्ष 2018 में 139 मिलियन यात्रियों की तुलना में वर्ष 2019 में 3.74 प्रतिशत बढ़कर 144 मिलियन यात्री तक पहुंच गया।

हाल के वर्षों में यह साफ देखने में आया है कि यात्री कम बजट एयरलाइंस को प्राथमिकता दे रहे हैं अब स्थिति यह है कि (अगस्त, 2020) लो कॉस्ट कैरियर आकाश में लगभग 85 प्रतिशत की बाजार हिस्सेदारी के साथ हावी हैं।

### भारत तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार होगा

इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (आईएटीए) के अनुसार, वर्ष 2025 तक यूके से आगे बढ़कर, भारत तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने के लिए तैयार है। विदेशी निवेश के प्रवाह से पिछले सात वर्षों में उद्योग के विकास में गति आई है। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, अप्रैल 2000 से सितंबर 2017 के बीच हवाई परिवहन (एयर फ्रेट सहित) में एफडीआई प्रवाह 1.59 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा। मॉर्गन स्टेनली के अनुसार, देश में अगले दशक में एयरपोर्ट के क्षेत्र में 25 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश और 13% की यातायात वृद्धि होगी। इसके आंकलन के अनुसार देश में संयुक्त हवाई और रेल यात्रा में हवाई यात्रा का हिस्सा 2027 तक 15.2% हो जाएगा।

नागर विमानन क्षेत्र के लिए बड़े निवेश की योजना के मद्देनजर यह स्पष्ट है कि देश हवाई यात्रा के क्षेत्र में एक बड़े आकस्मिक परिवर्तन के लिए तैयार है। इसमें विस्तार के लिए बहुत संभावनाएं हैं क्योंकि हवाई परिवहन देश के अधिकांश लोगों की पहुंच से परे है। रेल यात्रा लगातार और अधिक महंगी हो गई है। इसके विपरीत, हवाई यात्रा गति के साथ आराम भी प्रदान करती है। अतः इसमें कोई संदेह नहीं है कि नागर विमानन को गुणवत्ता, लागत और यात्री रुचि पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, जो इसे 2025 तक तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने में सक्षम बनाएगा।

### ईंधन की कीमतें

एयरलाइनों की परिचालन लागत में ईंधन की कीमतें लगभग 30% से 40% होती है। वर्ष 2019 के शुरुआत में ईंधन की कीमतें बढ़ रही थीं, लेकिन बाद में एयरलाइंस को राहत देते हुए कम हो गई। भारतीय उपभोक्ता मूल्य पर काफी ध्यान देते हैं और एयरलाइनों द्वारा देखा गया है कि कीमतों में बढ़ोतरी से मांग में तत्काल गिरावट आती है। एयरलाइन को लागत में कटौती और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए यात्री सेवा में सुधार व प्रचालनों में बेहतर दक्षता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

संक्षेप में, भारतीय विमानन उद्योग अग्रसर होने की दिशा में एक बड़े कगार पर है। उम्मीद की जा सकती है कि नीतिगत वातावरण इसके विकास के लिए अनुकूल रहे ताकि उद्योग आने वाले सालों में अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त कर सके।

## नई नागर विमानन नीति–क्षेत्रीय सम्पर्क योजना

भारत सरकार द्वारा क्षेत्रीय सम्पर्क योजना ''उड़े देश का आम नागरिक'' (उड़ान) प्रारंभ की गई है जो 10 वर्षों तक चलेगी और मौजूदा हवाईअड्डों और हवाईपट्टियों को पुनःर्जीवित करने का कार्य करेगी। इस योजना के तहत बोली के प्रथम राउंड में सरकार द्वारा लगभग 128 क्षेत्रीय रूट दिए गए हैं।

क्षेत्रीय कनेक्टिविटी स्कीम (आरसीएस) के दूसरे, तीसरे और 3.1 दौर में, पहाड़ी और दूरदराज के इलाकों में उड़ान सेवाओं में वृद्धि के उद्देश्य से एयरलाइनों और हेलीकॉप्टर ऑपरेटरों को क्रमशः 325 मार्ग, 235 मार्ग और 44 मार्ग दिए गए हैं। इस योजना के तहत एयरलाइन ऑपरेटरों को आधी सीटें रियायती दरों पर देनी होंगी जिसमें सरकार द्वारा वायबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) या एयरलाइंस को सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

आरसीएस की शुरूआत के साथ, एलाइंस एअर के लिए असेवित और अल्पसेवित एयरपोर्टों के लिए कई नए मार्ग खुल गए हैं और इस बोली प्रक्रिया के क्रमशः 1, 2, 3 और 3.1 दौर में 17 मार्ग, 26 मार्ग, 40 मार्ग और 12 मार्ग आबंटित किए गए हैं। एलाइंस एअर ने सक्रिय रूप से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी स्कीम (आरसीएस) के चौथे दौर में भाग लिया था और इसका मार्ग आंबटन प्रतीक्षित है।

माननीय प्रधानमंत्री ने 27 अप्रैल, 2017 को शिमला–दिल्ली क्षेत्र की पहली 'यूडीएएन' उड़ान का शुभारंभ किया और एलाइंस एअर को लॉन्च वाहक होने का विशेषाधिकार प्राप्त हुआ। एलाइंस एअर द्वारा 31 मार्च, 2020 तक 61 मार्गों पर सेवाएं प्रारंभ की गई हैं और बोली लगाने के पहले दौर में दिए गए सभी मार्गों पर संचालन शुरू करने वाली पहली एयरलाइन बन गई है। भारत सरकार के सहयोग से फिक्की द्वारा आयोजित विंग्स इंडिया 2018 के तहत, एलाइंस एअर को **आरसीएस के तहत ''सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस और हेलीकॉप्टर''** का विजेता घोषित किया गया है।

चूंकि असेवित व अल्पसेवित मार्गों पर प्रचालन हेतु सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जा रहा है, इससे टायर 2/3 के शहरों को जोड़ने वाले क्षेत्रीय मार्गों पर प्रचालन में वृद्धि होगी। अपने युवा एटीआर विमान बेड़े की मदद से एलाइंस एअर क्षेत्रीय बाजार में महत्वपूर्ण स्थान ले सकती है। अतः कम्पनी की आरसीएस बिडिंग के अगले चरण में भी तत्परता से भाग लेने की योजना है।

## वर्ष के दौरान कम्पनी का निष्पादन

कंपनी ने वित्त वर्ष 2019–20 में 6,508.94 लाख रु. का पहला प्रचालन लाभ अर्जित किया। हालाँकि, वित्तीय वर्ष 2019–20 में इंड एएस 116 को अपनाने के कारण, कंपनी ने 23,810 लाख रु. के व्यय और वित्त शुल्क के 18,282 लाख रु. का अतिरिक्त बोझ उठाया। परिणामस्वरूप 20,100.06 लाख रु. (वित्त वर्ष 2018–19 29,232.34 लाख रु.) की शुद्ध हानि हुई। कुल राजस्व में 34,487.56 लाख रु. (41.23% वर्ष दर वर्ष) रुपये की वृद्धि हुई है और व्यय में 25,310.66 लाख रु. की वृद्धि हुई है। जिससे नुकसान (PAT) 9,132.29 लाख रु. है।

## मुख्य विशेषताएं हैं :

- वित्त वर्ष 2018–19 में प्रचालन से राजस्व 82,161 लाख रु. से बढ़कर वित्त वर्ष 2019–20 में 99,303 लाख रु. हो गया, जोकि पिछले वर्ष की तुलना में 21% की वृद्धि है।
- यात्री वहन में 0.0424 मिलियन की वृद्धि का शुद्ध प्रभाव के कारण यात्री राजस्व में 1,318,82 लाख रु. की वृद्धि हुई है जोकि पिछले वर्ष की तुलना में 2.65% की वृद्धि है।
- 2019–20 के दौरान क्रमशः नो शो और रद्दीकरण शुल्क और ईबीटी राजस्व 1,734.67 लाख रु. व 766.17 लाख रु. थे।
- चालू वर्ष में आरसीएस मार्गों में विस्तार के कारण आरसीएस, वीजीएफ और चार्टर राजस्व में 11,737.10 लाख रु. (12,460.11 लाख रु. से 24,197.22 लाख रु.) की वृद्धि हुई।
- इण्ड एएस 116 के प्रभाव के कारण लीज़ प्रभार में 21,224.95 लाख रु. से 27,141.02 लाख रु. की वृद्धि हुई।

- प्रस्थान में 5.33% की वृद्धि के कारण हैंडलिंग प्रभार में 220.78 लाख रु. की वृद्धि हुई।
- विदेशी पायलटों की संख्या में वृद्धि, विस्तार योजनाओं हेतु सभी विभागों में अतिरिक्त मानव शक्ति की भर्ती के कारण वेतन और भत्तों में लगभग 12.53% की वृद्धि हुई है।
- एटीएफ की लागत में औसत दर में 8.3% की कमी के कारण 1,018.82 लाख रु.(5%) की कमी हुई, हालांकि प्रचालन में 3.32% की वृद्धि हुई।
- अनुरक्षण प्रभार में सख्त प्रबंधन नियंत्रण के कारण 5,628.54 लाख रु. की कमी हुई (21,192.59 लाख रु. से 15,564.05 लाख रु.)
- लागत में सामान्य कमी मुख्य रूप से पुनर्वितरण शुल्क और विभिन्न लागत बचत उपायों और संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन के प्रावधानों में कमी के कारण है।

## भावी योजनाएं

सभी एयरलाइनों द्वारा क्षमता लगाए जाने व किरायों के किफायती होने के कारण भारत में विमानन बाजार में निरन्तर वृद्धि हो रही है। हालांकि बड़ी एयरलाइनों ने छोटे हवाई अड्डों में क्षमताएं तैनात करनी शुरू कर दी है तथापि टायर II व III के शहरों की वृद्धि अभी भी अप्रयुक्त है। एलाइंस एअर द्वारा जनवरी, 2003 से एटीआर विमानों का प्रचालन किया जा रहा है। टायर II व III के शहरों हेतु प्रचालन करने के अपने दशक से भी अधिक अवधि के अनुभव का कम्पनी लाभ उठाना चाहती है। कम्पनी के विमान बेड़े में 18 एटीआर 72–600 विमान शामिल हैं। वर्तमान बेड़े को 61 स्टेशनों के नेटवर्क पर दैनिक 105 उड़ानों हेतु तैनात किया गया है। वित्त वर्ष 2019–20 में, कम्पनी ने अपने नेटवर्क का विस्तार व पहुंच पड़ोसी देशों तक की है। साथ ही आने वाले वर्षों में बेड़े और उसके नेटवर्क को बढ़ाने की योजना है।

कंपनी ने वित्त वर्ष 2019–20 में प्रतिकूल वित्तीय मानकों के चलन को उलट कर 6,508.94 लाख रुपये का प्रचालन लाभ प्राप्त किया है। विमानन उद्योग में कोविड–19 महामारी के प्रभाव के कारण, वर्ष 2020–2021 सभी एयरलाइनों के लिए प्रतिकूल होने की उम्मीद है और हमारी एयरलाइन भी अपवाद नहीं होगी। हालांकि, लागत में कटौती और विभिन्न समझौतों पर फिर से बातचीत करने के लिए प्रबंधन द्वारा आवश्यक कदम उठाए गए हैं और हमें विश्वास है कि धीरे–धीरे और निश्चित रूप से एयरलाइन गति प्राप्त कर रही है और अप्रैल 2021 तक पूर्ण प्रचालन फिर से शुरू करने की उम्मीद है।

## धन्यवाद प्रस्ताव

मैं, एअर इंडिया लि. और नागर विमानन मंत्रालय द्वारा दिए गए सम्पूर्ण सहयोग के लिए उनको धन्यवाद देता हूं। मैं, बैंक तथा नियामक एजेंसियों सहित सभी अन्य प्राधिकरणों द्वारा दिए गए सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं तथा विश्वास दिलाता हूं कि हम प्रगति के पथ पर अपनी यात्रा जारी रखेंगे और कम्पनी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। मैं बोर्ड के अपने सभी सहयोगियों को उनके बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देता हूं।

मैं कम्पनी के सभी कर्मचारियों को, एलाइंस एअर को यात्रियों की पहली पसंद बनाने में उनके योगदान व सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं।

बोर्ड की ओर से, सदैव की भांति, मैं आपके सहयोग की अपेक्षा करता हूं।

हस्ता./–
**(राजीव बंसल)**
**अध्यक्ष**

## विज़न

प्रमुख अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रीय एयरलाइन होना, एअर इंडिया के नेटवर्क के साथ सम्पूर्ण तालमेल से भारत के टायर II व टायर III के शहरों के बीच सम्पर्क उपलब्ध करवाना व दक्षिण एशियाई शहरों को एलाइंस एअर नेटवर्क के साथ जोड़ना।

## लक्ष्य व उद्देश्य

प्रमुख अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रीय एयरलाइन

### ग्राहक

- सुरक्षित, विश्वसीय एवं समय पर सेवाएं प्रदान करना।
- ग्राहकों को सर्वोत्तम संतोषजनक सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रभावी कदम उठाना।
- एयरलाइन बाजार में नये यात्री बेस की संभावना खोजना।
- मुख्य अंतरदेशीय व अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों तक अबाध यात्रा हेतु मैट्रो शहरों व आगे वन–स्टॉप सम्पर्क उपलब्ध करवाना।

### प्रक्रियाएं

- सुरक्षा एवं कुशलता के मानकों में निरंतर सुधार करना।
- नए एवं आधुनिक विमान बेड़े का प्रचालन व अनुरक्षण।
- एअर इंडिया के मुख्य नेटवर्क के साथ संयोजन में सर्वोत्तम एवं संवर्धित कुशल नेटवर्क उपलब्ध करवाना।
- आर्थिक स्रोतों का सृजन।
- क्षेत्रीय शार्ट–हॉल एयरलाइन प्रचालक की छवि व प्रतिस्पर्धात्मक बाजार प्रतिष्ठा में वृद्धि

### मार्ग–नेटवर्क

- सघन रेल यातायात से प्रतिस्पर्धा
- मेट्रो व आगे तीव्र क्षेत्रीय सम्पर्क की अपेक्षाओं को पूरा करना
- वायु सम्पर्क से अछूते शहरों में सम्पर्क उपलब्ध करवाना।

### लोग

- अत्यधिक प्रेरित एवं व्यावसायिक टीम का निर्माण करना।
- पारदर्शिता एवं नैतिकता के उच्चतम स्तर को बनाए रखना।
- जिम्मेदार निगमित नागरिक बनना।

# निदेशकों की रिपोर्ट 2019–20

**सदस्य**
**एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड**

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एलाइंस एअर एविएशन लि. के लेखा परीक्षित, लेखा विवरण सहित 37वीं वार्षिक रिपोर्ट आपके निदेशक सहर्ष प्रस्तुत करते हैं।

## 1. वित्तीय एवं वास्तविक निष्पादन

गत वर्ष की तुलना में समीक्षाधीन वर्ष के दौरान वित्तीय एवं वास्तविक निष्पादन इस प्रकार हैं :–

### वित्तीय निष्पादन

(लाख रु. में)

| | **2019–20** | 2018–19 |
|---|---|---|
| प्रचालन राजस्व | **71,360.39** | 69,193.41 |
| निर्धारित राजस्व | **24,197.22** | 12,460.11 |
| गैर निर्धारित राजस्व | **3,745.26** | 507.67 |
| अन्य प्रचालन राजस्व | **18,812.52** | 1,466.64 |
| अन्य आय | | |
| कुल राजस्व | **1,18,115.39** | 83,627.83 |
| कुल व्यय | **1,38,178.04** | 1,12,867.37 |
| अन्य व्यापक आय | **(37.41)** | 7.20 |
| वर्ष के दौरान कर पूर्व निवल लाभ/(हानि) | **(20,100.06)** | (29,232.34) |
| वर्ष के लिए कर पश्चात निवल लाभ (हानि) | **(20,100.06)** | (29,232.34) |
| शेयर पूंजी | **40,225.00** | 40,225.00 |

### शेयर पूंजी

### प्राधिकृत शेयर पूंजी

31 मार्च, 2020 को कम्पनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 2000 करोड़ रु. थी जो 100/– रु. प्रति के 20 करोड़ इक्विटी शेयरों में विभाजित है।

### जारी, अभिदत्त और प्रदत्त शेयर पूंजी

31 मार्च, 2020 को कम्पनी की जारी, अभिदत्त और प्रदत्त शेयर पूंजी 402.25 करोड़ रु. थी जो 100/– रु. प्रति के 4 करोड़ दो लाख 25 हजार इक्विटी शेयरों में विभाजित है।

### कम्पनी के नाम में परिवर्तन

कंपनी का नाम एयरलाइन एलाइड सर्विसेस लिमिटेड से परिवर्तित कर एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड कर दिया गया है, जो 7 मार्च 2020 से प्रभावी है।

### शेयर पूंजी में परिवर्तन, यदि कोई हो।

वर्ष के दौरान कम्पनी की प्रदत्त शेयर पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं किया गया।

## व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन

वर्ष के दौरान कम्पनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई भी परिवर्तन नहीं आया है।

## लाभांश

कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 123 के अनुसार कम्पनी की संचित हानि को देखते हुए किसी लाभांश पर विचार नहीं किया गया है।

## दावे नहीं किए गए लाभांश को इन्वेस्टर एजूकेशन और प्रोटेक्शन फंड में अंतरित करना

कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 125 के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते चूंकि पिछले वर्षों में अप्रदत्त/अदावाकृत कोई भी लाभांश नहीं दिया गया।

## रिजर्व में स्थानांतरित राशि

संचित हानि को देखते हुए, वर्ष के दौरान कम्पनी के बोर्ड द्वारा रिजर्व में, कोई भी राशि स्थानांतरित ना करने का निर्णय लिया गया।

## मानव संसाधन

वर्ष के अन्त में कम्पनी में कर्मचारी क्षमता, कॉट्रैक्चूअल कर्मचारियों की संख्या 847 (668) थी, जिसमें मूल कम्पनी एअर इंडिया से प्रतिनियुक्ति पर आए 7 (8), एआईईएसएल से प्रतिनियुक्ति पर आए 21 (21) कर्मचारी शामिल नहीं हैं। कम्पनी के सभी कर्मचारी नियत अवधि संविदा के आधार पर कार्यरत हैं। 847 संविदात्मक कर्मचारियों में से 255 (30.11%) महिला कर्मचारी हैं। 31 मार्च, 2020 को कम्पनी में कैडर वार 203 पायलट, 171 केबिन कर्मी, और 473 अन्य वर्गों के कर्मचारी रहे।

31 मार्च, 2020 को कम्पनी में एटीआर–42 व एटीआर–72 बेड़े के 71 विदेशी पायलट हैं। कम्पनी का प्रयास है कि विमान बेड़े के अनुपात में कमांडरों की न्यूनतम आवश्यक क्षमता को बनाए रखने के लिए विदेशी पायलटों की संख्या न्यूनतम रखी जाए।

## आरक्षण नीति का कार्यान्वयन

वर्ष 1975 में जारी राष्ट्रपति के निर्देशों के अनुसार व वर्ष 1991 और 1996 में संशोधित निर्देशों के साथ आरक्षण नीति लागू की जा रही है।

## अनुसूचित जाति/अ.ज.जा./अ.पि.वर्ग – 31 मार्च, 2020 को कर्मचारियों की संख्या

| कर्मचारियों की कुल संख्या | अ.जा. के कर्मचारियों की कुल संख्या | अनुसूचित जाति के कर्मचारियों का प्रतिशत | अ.ज.जा कर्मचारियों की कुल संख्या | अ.ज.जा कर्मचारियों का प्रतिशत | अ.पि.वर्ग के कर्मचारियों की कुल संख्या | अ.पि.वर्ग के कर्मचारियों का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **847** | **108** | **12.75** | **28** | **3.31** | **146** | **17.24** |

## राजभाषा कार्यान्वयन– हिन्दी का प्रयोग

सरकार की राजभाषा नीति के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कम्पनी ने सभी स्तरों पर हिन्दी के प्रगामी प्रयोग में बढ़ोतरी में अहम् भूमिका निभाई है। अधिकारियों/कर्मचारियों को हिन्दी में अधिकाधिक काम करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। राजभाषा के उत्तरोतर विकास हेतु हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया गया जिसमें अधिकारियों/कर्मचारियों ने विविध प्रतियोगिताओं में उत्साहपूर्वक भाग लिया व समारोह आयोजित कर विजेताओं व प्रतिभागियों को पुरस्कार और सम्मान वितरित किए गए।

## राजकोष में अंशदान

कम्पनी द्वारा सरकार के राजकोष में बिक्री कर तथा विमानन टर्बाइन ईंधन पर लगाए जाने वाले अन्य करों के रूप में 1,710.99 लाख रुपए (2,094.80 लाख रुपए) का अंशदान दिया गया।

## सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का अनुपालन

कम्पनी, सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के कारण, नागरिकों को सूचना प्राप्त करने हेतु सूचना के अधिकारों के प्रावधानों का कम्पनी में अनुपालन, सफलतापूर्वक सुनिश्चित कर रही है।

आवेदनों और अपीलों के समय पर निपटान के लिए कम्पनी में सीपीआईओ (केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी) और अपीलीय प्राधिकारी हैं।

2019–20 की अवधि के दौरान 69 अनुरोध/अपील प्राप्त हुए। एलाइंस एअर से संबंधित सभी आरटीआई अनुरोध/अपील का 2019–20 के दौरान निपटान कर दिया गया है।

## सहायक कम्पनियों/संयुक्त उद्यमों/सम्बद्ध कम्पनियों से संबंधित सूचना

कम्पनी की कोई सहायक कम्पनी, संयुक्त उद्यम या सम्बद्ध कम्पनी नहीं है।

## महत्वपूर्ण परिवर्तन व प्रतिबद्धताएं

धारा 134 (3)(1) के प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च 2020 से बोर्ड की रिपोर्ट की तिथि के बीच कंपनी की वित्तीय स्थिति में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है जिसने इसे प्रभावित किया हो।

## प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

विस्तृत प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट का ब्यौरा अलग से दिया गया है।

## निदेशक मण्डल की बैठकों की संख्या

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 173 के अनुसार निदेशक मण्डल की (स्थगित व पुनःस्थगित बैठकों सहित) 5 बैठकें निम्नलिखित तिथियों को आयोजित की गई।

| क्र.सं. | बैठक की तिथि | बोर्ड स्ट्रैंथ | उपस्थित निदेशकों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | 26.06.2019 | 4 | 4 |
| 2 | 24.07.2019 | 4 | 4 |
| 3 | 14.11.2019 | 5 | 4 |
| 4 | 28.11.2019 | 5 | 4 |
| 5 | 02.03.2020 | 5 | 4 |

## निदेशकों का दायित्व संबंधी वक्तव्य

कम्पनी के निदेशक मंडल पुष्टि करते हैं:–

(क) वार्षिक लेखों को तैयार करते समय लागू लेखांकन मानकों का अनुसरण किया गया है तथा सामग्री विचलन के संबंध में समुचित स्पष्टीकरण दिया गया है।

(ख) निदेशकों द्वारा इस प्रकार की लेखा नीतियों का चयन तथा उन्हें संगत रूप से लागू किया गया है एवं वित्तीय वर्ष के अंत में कम्पनी के कार्यों की स्थिति एवं इस तिथि को समाप्त अवधि के लिए कम्पनी के लाभ व हानि को सही व निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करने के उद्देश्य से निदेशकों के निर्णय एवं आकलन उचित एवं विवेकपूर्ण हैं।

(ग) कंपनी की परिसम्पत्तियों को सुरक्षित रखने व फ्रॉड की रोकथाम व पता लगाने एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड बनाए रखने के लिए निदेशकों द्वारा उचित व पर्याप्त सावधानी बरती गई है।

(घ) निदेशकों द्वारा वार्षिक लेखे ''गोईंग कन्सर्न'' आधार पर तैयार किए हैं।

(ड.) कम्पनी के अनलिस्टिड होने के कारण धारा 134(3) का उपखण्ड (ड.) लागू नहीं।

(च) सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निदेशकों द्वारा समुचित प्रणाली बनाई गई है तथा इस प्रकार की प्रणाली समुचित है तथा प्रभाव पूर्ण ढ़ग से कार्य कर रही है।

## लेखा परीक्षा समिति

लेखा परीक्षा समिति में 3 निदेशक हैं कम्पनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति में, सरकारी निदेशकों द्वारा लेखा परीक्षा समिति की अध्यक्षता की जाती है। वर्ष 2019–20 के दौरान लेखा परीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य थे :

| निदेशकों के नाम | समिति में पद | निदेशकों की श्रेणी |
|---|---|---|
| श्री अंशुमाली रस्तोगी<br>(20.1.2020 से सदस्य नहीं रहे) | अध्यक्ष | सरकारी निदेशक |
| श्रीमती कुसुम लता शर्मा<br>(20.1.2020 को नियुक्ति) | अध्यक्ष | सरकारी निदेशक |
| श्री प्रांजोल चन्द्रा | सदस्य | सरकारी निदेशक |
| श्री विनोद एस. हेजमाड़ी | सदस्य | नामित निदेशक –एआई |
| श्री अश्वनी लोहानी<br>(14.02.2020 से सदस्य नहीं रहे) | स्थायी आमंत्रित | अध्यक्ष (एअर इंडिया से नामित) |
| श्री राजीव बंसल<br>(14.02.2020 को नियुक्ति) | स्थायी आमंत्रित | अध्यक्ष (एअर इंडिया से नामित) |

## लेखा परीक्षक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा **मैसर्स एस के कपूर एण्ड कम्पनी** को वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए कम्पनी का सांविधिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में उल्लेखित योग्यताएं या प्रतिकूल टिप्पणियां जिन पर प्रबंध वर्ग के उत्तर सहित स्पष्टीकरण/व्याख्या अपेक्षित है, की रिपोर्ट संलग्न हैं।

वित्तीय विवरणी पर नोट स्वतः स्पष्ट हैं, और इस पर और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

## भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी के लेखों पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) के तहत अपेक्षित, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं।

## सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 204 के अनुसार बोर्ड ने श्री उपेन्द्र शुक्ला, प्रैक्टिसिंग कम्पनी सचिव, मुम्बई को वित्तीय वर्ष 2019–20 की सचिवीय लेखा परीक्षा हेतु सचिवीय लेखा परीक्षक नियुक्त किया है।

31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सचिवीय लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट एवं प्रबंधन की टिप्पणियां इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं:

## सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट की टिप्पणियों पर प्रबंध मण्डल के उत्तर

### (क) स्वतंत्र निदेशक

(i) निम्नलिखित टिप्पणियों के आधार पर कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों के तहतः–

क) पब्लिक लिमिटेड कंपनी (एअर इंडिया लिमिटेड) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होने के कारण, कंपनी को स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की आवश्यकता नहीं है, अतः लेखा परीक्षा समिति का गठन स्वतंत्र निदेशकों के बिना किया जाता है। अतः अधिनियम की धारा 177 (2) के प्रावधानों के साथ पठित कम्पनी नियम 2014 के नियम 6 (बोर्ड की बैठकें और इसके अधिकार) जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ लेखा परीक्षा समिति के सदस्य के रूप में एक स्वतंत्र निदेशक की आवश्यकता होती है, का अनुपालन नहीं किया गया।

ख) धारा 178 के साथ पठित कम्पनी नियम (बोर्ड की बैठकें व शक्तियां) 2014 के नियम 6 के अनुसार, कम्पनी द्वारा पारिश्रमिक व नामांकन समिति का गठन नहीं किया गया है।

ग) अधिनियम की धारा 149 के अन्तर्गत अपेक्षित, कंपनी में 1 अप्रैल, 2019 से 19 जनवरी, 2020 तक एक महिला निदेशक नहीं है।

2) <u>निगमित प्रशासन पर दिशानिर्देशों के अन्तर्गत टिप्पणियां निम्नानुसार हैं:</u>

(i) डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 3.1 के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल को गठित नहीं किया गया है, अर्थात् क्रियाशील, नामांकित और स्वतंत्र निदेशकों का कोई अनुकूल संयोजन नहीं है और नामित निदेशकों की संख्या दो की निर्धारित सीमा से .अधिक है।

(ii) डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 3.1.1.4 के अनुसार कंपनी में 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 की अवधि के दौरान कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था।

(iii) चूंकि कंपनी में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था, इसलिए लेखा परीक्षा समिति का गठन लेखा परीक्षा अवधि के दौरान डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 4.1.1 और 4.1.2 के अनुसार नहीं हुआ।

(iv) डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 5.1 के अनुसार आवश्यक पारिश्रमिक समिति का गठन कम्पनी द्वारा नहीं किया गया।

**प्रबंधन की टिप्पणियां**

यह कथन सही है।

एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड (पूर्व में एयरलाइन एलाइड सर्विसेस लिमिटेड (एएएएल) एअर इंडिया लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है और एक असूचीबद्ध सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है। नागर विमानन मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 सितंबर 2017 की अधिसूचना सं. 1/22/2013–सीएल–v के अनुसार एक असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी, जो एक संयुक्त उद्यम भी है, पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी या एक डॉरमेंट कंपनी को स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।

इसके अलावा, कंपनी के संगम अनुच्छेद के अनुसार एअर इंडिया लिमिटेड, अनुच्छेद 117 के प्रावधानों के अनुसार, भारत सरकार के साथ परामर्श कर एअर इंडिया लिमिटेड के कंपनी के निदेशक मंडल का गठन कर इसे नियंत्रित करेगा जैसा कि कंपनी अधिनियम में प्रयुक्त एक्सप्रेशन के अर्थ में किया जाता है। तथापि, एएएएल के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नियुक्त नहीं थे। 20 जनवरी 2020 को निदेशक नागर विमानन मंत्रालय श्रीमती कुसुम लता शर्मा को कंपनी के बोर्ड में नियुक्त किया गया है और अधिनियम की धारा 149 के तहत आवश्यक रूप से एक महिला निदेशक की आवश्यकता का अनुपालन किया गया है।

चूंकि 2019–20 के दौरान भारत सरकार द्वारा कोई भी स्वतंत्र निदेशक नियुक्त नहीं किए गए थे व पूर्ण स्वामित्व की सहायक कम्पनी को प्रदत्त छूट के मद्देनजर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 (2), धारा 178 और खंड 3.1, 3.1.14, 4.1.1, 4.1.2 और 5.1 के प्रावधान के तहत डीपीई के दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा सका।

**(ख) बोर्ड/समिति बैठकें**

(i) डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 3.3 के अनुसार, बोर्ड की प्रति तिमाही एक व वार्षिक कम से कम चार बैठकें आयोजित की जानी आवश्यक हैं। इसके अलावा, किन्ही भी दो बैठकों के बीच का समय अंतराल तीन महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। यह देखा गया है कि कंपनी द्वारा तीन महीनों में बोर्ड की बैठक आयोजित नहीं की गई और 24.07.2019 और 14.11.2019 को आयोजित दो बोर्ड बैठकों के बीच अंतर तीन महीने से अधिक रहा।

(ii) इसके अलावा, डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 4.4 के अनुसार, ऑडिट कमेटी द्वारा वार्षिक चार बैठकें आयोजित करनी आवश्यक है और दो बैठकों के बीच चार महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। साथ ही, बैठक के कोरम के लिए न्यूनतम दो स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति अनिवार्य है। यह देखा गया है कि 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 की अवधि के दौरान लेखा परीक्षा समिति की केवल 3 बैठकें हुई। लेखा परीक्षा समिति की बैठकें स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति के बिना आयोजित की जाती हैं।

**प्रबंधन की टिप्पणियां**

यह कथन सही है।

वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान, 5 बोर्ड बैठकें और लेखा परीक्षा समिति की 3 बैठकें आयोजित की गई। कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, कंपनी को प्रति वर्ष निदेशक मंडल की कम से कम चार बैठकें इस प्रकार आयोजित करनी आवश्यक है कि बोर्ड की लगातार दो बैठकों के बीच एक सौ बीस दिनों से अधिक का समय अंतराल न हो। कंपनी को वर्ष के दौरान कम से कम लेखा परीक्षा समिति की 4 बैठकें आयोजित करना आवश्यक है। हम कंपनी अधिनियम का अनुपालन कर रहे हैं, तथापि, वर्ष के दौरान कम से कम 4 लेखा परीक्षा समिति की बैठकें आयोजित कर डीपीई दिशानिर्देशों के उपरोक्त प्रावधानों का भविष्य में अनुपालन करेंगे।

**(ग) तिमाही वित्तीय परिणाम**

(i) डीपीई दिशानिर्देशों के अनुबंध IV में निर्धारित न्यूनतम जानकारी को आम तौर पर बोर्ड के समक्ष रखा जाता है, जो तिमाही वित्तीय परिणामों को छोड़कर दिशानिर्देशों के खंड 3.3 के तहत आवश्यक है।

**प्रबंधन की टिप्पणियां**

बोर्ड को अपनी बैठकों में वित्तीय निष्पादन से अवगत कराया जाता है जो तिमाही आयोजित की जाती है, हालांकि कोई अलग एजेंडा आइटम नहीं रखा जाता है। भविष्य में इसके अनुपालन के लिए प्रबंधन आवश्यक कार्रवाई करेगा। विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के संबंध में, इससे संबंधित सूचना कंपनी के निदेशकों की रिपोर्ट के अंतर्गत आती है, जिसे बोर्ड के सामने रखा जाता है।

**ऋण, गारंटी व निवेश**

कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 186 के अन्तर्गत कम्पनी ने वर्ष के दौरान कोई गारन्टी व निवेश नहीं किया है। अतः अनुच्छेद 186 के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं हैं।

**ऊर्जा संरक्षण, तकनीक समावेशन तथा विदेशी मुद्रा आय व आउटगो**

**(क)** कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (3) (एम) के प्रावधानों के तहत, ऊर्जा संरक्षण तथा तकनीक समावेषन से संबंधित आवष्यक विवरण, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी की गतिविधियों की प्रकृति के मद्देनजर उपलब्ध नहीं करवाए गए।

**(ख)** विदेशी मुद्रा आय व आउटगो

| | विवरण | चालू वर्ष 19–20 (रु. लाख में) | गत वर्ष 18–19 (रु. लाख में) |
|---|---|---|---|
| क) | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान आयात (सीआईएफ) पर व्यय | | |
| | – विमान पूर्जे और औजार | **2,544.20** | 1,287.35 |
| | –पूंजीगत मदें–स्थल सहायता उपस्कर एयरफ्रेम रोटेबल एवं एरो इंजीनियरिंग रोटेबल | **70.22** | 254.08 |
| ख) | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान खपत पर व्यय | | |
| | – आयातित–पूर्जे और कंपोनेंट | **1,051.07** | 330.05 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | – स्वदेशी पूर्जे | **कोई नहीं** | कोई नहीं |
| ग) | विदेशी मुद्रा में आय<br>– इंटरलाइन राजस्व | **कोई नहीं** | कोई नहीं |
| घ) | विदेशी मुद्रा में व्यय | | |
| | – विमान लीज़ और अनुरक्षण प्रभार | **35,091.19** | 35,915.09 |
| | – भंडार और उपस्करों की खरीद | **2,614.42** | 1,541.43 |
| | – तकनीकी साहित्य | **190.65** | 137.32 |
| | – प्रशिक्षण और यात्रा | **20.80** | 128.97 |
| | – विधिक प्रभार | **कोई नहीं** | कोई नहीं |
| | – ईंधन एवं अवतरण/पार्किंग | **46.99** | कोई नहीं |

**जमा**

वर्ष के दौरान कोई जमा स्वीकार नहीं किया गया।

## महत्वपूर्ण व वस्तुगत आदेश

कम्पनी द्वारा भविष्य में किए जाने वाले प्रचालन व गोइंग कंसर्न पर प्रभाव डालने वाले कोई महत्वपूर्ण व वस्तुगत आदेश नियामकों या कोर्ट या ट्रिब्यूनल द्वारा जारी नहीं किए गए।

## निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के प्रावधान, कम्पनी द्वारा वर्ष के दौरान लाभ अर्जित न किए जाने के कारण, कम्पनी पर लागू नहीं है।

## कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 का अनुपालन

वर्ष 2019–2020 के दौरान कम्पनी में रिपोर्ट किए गए यौन उत्पीड़न के मामलों का ब्यौरा निम्नलिखित है।

i संबंधित वर्ष के दौरान यौन उत्पीड़न की शून्य शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

ii 90 दिनों से अधिक लम्बित मामलों की संख्या शून्य है।

iii यौन उत्पीड़न के संबंध में आयोजित कार्यशालाओं या जागरुकता कार्यक्रमों की संख्याः

सामान्यतः सामान्य जागरुकता कार्यक्रम आवधिक रुप से आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा, कार्यस्थल पर ''क्या करें और क्या ना करें,'' यौन उत्पीड़न संबंधी पोस्टर सभी कार्यस्थलों पर डिस्पले किए गए।

iv कम्पनी द्वारा किए गए सुधारात्मक उपायः

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 की अपेक्षाओं के अनुसार शिकायतों के निपटान व संगठन में जागरूकता लाने हेतु आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन किया गया है।

## निगमित प्रशासन

कम्पनी द्वारा बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के अलवा निगमित प्रशासन की आवश्यकताओं का अनुपालन किया जा रहा है।

निगमित प्रशासन रिपोर्ट, **अनुलग्नक–क** में संलग्न है।

## संबंधित पार्टियों के साथ कॉंट्रेक्ट या व्यवस्था का विवरण

वर्ष के दौरान किए गए सभी संबंधित पार्टी लेन–देन, आर्म लैंथ आधार पर व व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया के अनुसार थे। कम्पनी द्वारा प्रमोटरों, निदेशकों महत्वपूर्ण कार्मिकों या अन्य पद नामित व्यक्तियों के साथ कोई तात्विक रूप से महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेन–देन नहीं किया गया, जिसका कम्पनी के हित से कोई संभावित टकराव हो।

## जोखिम प्रबंधन

एएएएल का राजस्व, मूल कम्पनी एअर इंडिया से जुड़ा हुआ है व मूल कम्पनी में कैपिंग मॉनीटरिंग नीति, बैंक गारंटी नीति, वेब पोर्टल के साथ संलग्न रिस्क इंजन के माध्यम से जोखिम मॉनिटरिंग स्थापित कर, एजेंटों/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किए जाने वाले विक्रय के लिए समुचित जोखिम प्रबंधन नीति उपलब्ध हैं, 100 प्रतिशत सहायक कम्पनी होने के चलते एएएएल उच्च व्यवसाय जोखिम उन्मुख नहीं हैं।

कम्पनी के अस्तित्व पर जोखिम का खतरा न्यूनतम है, अतः कम्पनी की, जोखिम प्रावधान हेतु कोई नीति नहीं है।

## वार्षिक रिर्टन का सार

कम्पनी नियम 2014 के नियम 12 (1) (प्रबंधन एवं प्रशासन) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 92(3) के प्रावधानों के तहत वार्षिक रिर्टन का सार फार्म एमजीटी 9 में एअर इंडिया लि. की वेबसाइट www.airindia.in पर उपलब्ध है।

## स्वतंत्रता की घोषणा

एएएएल एअर इंडिया लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व की एक सहायक कंपनी है। कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 117, कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के निदेशकों की संख्या तीन से कम और बारह से अधिक नहीं होगी, जिनमें से सभी एअर इंडिया लिमिटेड द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, जो भारत सरकार के निर्देशों के तहत कार्य करेंगी।

## निदेशक एवं प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी (केएमपी)

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान कम्पनी के निदेशकों व महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिकों में निम्नानुसार परिवर्तन हुएः–

| क्र.सं. | नाम | पदनाम | नियुक्ति की तिथि | समापन की तिथि | समापन का तरीका |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री पंकज कुमार | क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, एआईएल | 30 अगस्त, 2018 | 30 अप्रैल, 2019 | निदेशक नहीं रहे |
| 2. | श्री प्रेम सिंह नेगी | क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, एआईएल | 07 अक्तूबर, 2019 | | |
| 3. | श्री कमल राउल | मुख्य वित्तीय अधिकारी, एएएएल | 01 नवम्बर, 2016 | 26 जुलाई, 2019 | मुख्य वित्तीय अधिकारी नहीं रहे |
| 4. | श्री अम्बर कुमार मण्डल | मुख्य वित्तीय अधिकारी, एएएएल | 26 जुलाई, 2019 | | |
| 5 | श्री अंशुमाली रस्तोगी | निदेशक (वित्त) नागर विमानन मंत्रालय | 12 मई, 2017 | 20 जनवरी, 2020 | निदेशक नहीं रहे |
| 6 | श्रीमती कुसुम लता शर्मा | निदेशक (वित्त) नागर विमानन मंत्रालय | 20 जनवरी, 2020 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. | श्री अश्वनी लोहानी | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एआईएल | 14 फरवरी, 2019 | 14 फरवरी, 2020 | निदेशक नहीं रहे |
| 8. | श्री राजीव बंसल | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एआईएल | 14 फरवरी, 2020 | | |

**निगमित कार्य मंत्रालय के 5 जून 2015 की अधिसूचना के अनुसार दी गई छूट के मुताबिक निम्नलिखित मामलों पर सूचना नहीं दी गयी है:**

i. बोर्ड, इसकी समितियों और व्यक्तियों का कार्य निष्पादन मूल्यांकन।

ii. निदेशकों के चयन, नियुक्ति और उनके पारिश्रमिक के लिए नीति।

iii. पारिश्रमिक नीति – कार्यपालक निदेशकों और गैर कार्यपालक निदेशकों को पारिश्रमिक।

**धन्यवाद प्रस्ताव**

कंपनी की सेवाओं का उपयोग करने के लिए बोर्ड, भारत और विदेशों में कंपनी के मूल्यवान ग्राहकों की ईमानदारी से सराहना करता है और उनके निरंतर समर्थन और विश्वास की अपेक्षा करता है।

बोर्ड, कंपनी के संचालन और विकास योजनाओं के लिए एअर इंडिया लिमिटेड, नागर विमानन मंत्रालय और भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से प्राप्त समर्थन और मार्गदर्शन के लिए कृतज्ञता अभिव्यक्त करता है। बोर्ड डीजीसीए, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, निगमित कार्य मंत्रालय, सांविधिक लेखा परीक्षकों, सचिवीय लेखा परीक्षक, आंतरिक लेखा परीक्षकों, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, अन्य सरकारी विभागों, एयरलाइंस एवं एजेंट का भी आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करता है।

कृते व निदेशक मण्डल की ओर से

हस्ता./–
**(राजीव बंसल)**
अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 24 दिसंबर, 2020

# प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

## वित्तीय निष्पादन का विश्लेषण

### राजस्व

❖ वर्ष 2019–20 के दौरान अर्जित 83,627.83 लाख रु. के राजस्व की तुलना में, वर्ष के दौरान अर्जित कुल राजस्व 1,18,115.39 लाख रु. रहा।

### व्यय

❖ गत वर्ष व्यय किए गए 1,12,867.37 लाख रु. की तुलना में, वर्ष के दौरान 1,38,178.04 लाख रु. का कुल व्यय किया गया।

## मानव संसाधन

### कर्मचारियों की संख्या

31 मार्च, 2020 को एएएएल में नियत अवधि रोजगार समझौता आधार पर तहत कर्मचारियों की संख्या 847 रही। इसके अतिरिक्त एअर इंडिया से प्रतिनियुक्ति पर 7 कर्मचारी और एआईईएसएल से 21 कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर हैं।

## विमान बेड़े की स्थिति

31 मार्च, 2020 को एएएएल के विमान बेड़े में विमानों की स्थिति इस प्रकार रही :–

| विमान | एमएसएन | टाइप |
|---|---|---|
| वीटी–एबीए* | 390 | एटीआर 42–320 |
| वीटी–एआईआई | 1197 | एटीआर– 72–212ए |
| वीटी–एआईटी | 1226 | एटीआर– 72–212ए |
| वीटी–एआईयू | 1246 | एटीआर– 72–212ए |
| वीटी–एआईवी | 1252 | एटीआर– 72–212ए |
| वीटी–एआईडब्ल्यू | 1272 | एटीआर– 72–212ए |
| वीटी–एआईएक्स | 1268 | एटीआर– 72–212ए |
| वीटी–एआईवाई | 1273 | एटीआर– 72–212ए |
| वीटी–एआईजैड | 1279 | एटीआर– 72–212ए |
| वीटी–आरकेसी | 1381 | एटीआर– 72–212ए |
| वीटी–आरकेडी | 1383 | एटीआर– 72–212ए |
| वीटी–आरकेई | 1421 | एटीआर– 72–212ए |
| वीटी–आरकेएफ | 1423 | एटीआर– 72–212ए |
| वीटी–आरकेजी | 1427 | एटीआर– 72–212ए |
| वीटी–आरकेएच | 1434 | एटीआर– 72–212ए |
| वीटी–आरकेजे | 1439 | एटीआर– 72–212ए |
| वीटी–आरकेके | 1445 | एटीआर– 72–212ए |
| वीटी–आरकेएल | 1456 | एटीआर– 72–212ए |
| वीटी–आरकेएम | 1463 | एटीआर– 72–212ए |

* वीटी–एबीए– लेसर के साथ समझौते के अनुसार, पट्टा अवधि 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाली थी। तदनुसार, 21 मार्च 2020 (दिल्ली/शिमला/दिल्ली और दिल्ली/कोलकाता) को अंतिम प्रचालन के बाद विमान को स्थायी रूप से ग्राउंड कर दिया गया था।

## तकनीकी विश्वसनीयता

वर्ष 2019–20 के दौरान विमानानुसार तकनीकी विश्वसनीयता इस प्रकार रही :

क) एटीआर 72–212ए (600) 99.05%

ख) एटीआर 42–320 98.28%

## विमान उपयोगिता

वर्ष 2019–20 के दौरान विमान उपयोग इस प्रकार रहा :

क) एटीआर 72–600 52333:22 बीएच

ख) एटीआर 42–320 1144:41 बीएच

## विपणन पहल

| | |
|---|---|
| 31 मार्च, 2020 तक प्रचालित उड़ानों की कुल संख्या | – 738 उड़ानें / साप्ताहिक |
| 31 मार्च, 2020 तक एटीआर 72–600 द्वारा प्रचालित उड़ानों की कुल संख्या | – 718 उड़ानें / साप्ताहिक |
| 31 मार्च, 2020 तक एटीआर 42–320 द्वारा प्रचालित उड़ानों की कुल संख्या | – 20 उड़ानें / साप्ताहिक |
| 31 मार्च, 2020 तक स्टेशनों की कुल संख्या | – 61 |

## नए उड़ान / सम्पर्क

क) वित्तीय वर्ष 2019–20 में आरंभ की गई नई उड़ानें

- 25 अप्रैल, 2019 – चेन्नै / कोयम्बटूर / चेन्नै – दैनिक
- 15 मई, 2019 –बैंगलूरू / जम्मू / पूना / जम्मू / बैंगलूरू –134567 दिन (आरसीएस–जम्मू / पूना / चण्डीगढ़)
- 05 जून, 2019 – कोलकाता / रांची / भुवनेश्वर / झारसुगुड़ा – दैनिक (आरसीएस)
- 05 जून, 2019 – झारसुगुड़ा / भुवनेश्वर / रांची / भुवनेश्वर / झारसुगुड़ा – दैनिक (आरसीएस)
- 05 जून, 2019 – झारसुगुड़ा / रायपुर / कोलकाता – दैनिक (आरसीएस)
- 07 जून, 2019 – विशाखापत्तनम / विजयवाड़ा / बैंगलूरू / मैसूर एवं वापसी – 13567 दिन (आरसीएस–बैंगलूरू / मैसूर / बैंगलूरू)
- 19 जुलाई, 2019 – हैदराबाद / मैसूर / हैदराबाद – दैनिक (आरसीएस)
- 19 जुलाई, 2019 – मैसूर / कोच्ची / मैसूर – दैनिक (आरसीएस)
- 19 जुलाई, 2019 – मैसूर / बैंगलूरू / मैसूर – दैनिक (आरसीएस)
- 19 जुलाई, 2019 – मैसूर / गोवा / मैसूर – दैनिक (आरसीएस)
- 27 अक्तूबर, 2019 – नासिक / पूना / नासिक – दैनिक (आरसीएस)
- 11 नवम्बर, 2019 – पहली अंतरराष्ट्रीय उड़ान – चेन्नै / जाफना / चेन्नै – 136 दिन (वीजीएफ)
- 16 नवम्बर, 2019 – चण्डीगढ़ / धर्मशाला / चण्डीगढ़ – 123456 (आरसीएस)
- 18 नवम्बर, 2019 – नासिक / अहमदाबाद / काण्डला / अहमदाबाद / नासिक – 123456 दिन (आरसीएस)
- 26 नवम्बर, 2019 – हैदराबाद / हुबली / हैदराबाद – दैनिक (आरसीएस)
- 07 दिसम्बर, 2019 – गुवाहाटी / दीमापुर / इम्फाल / दीमापुर / गुवाहाटी – 357 दिन (आरसीएस)
- 27 दिसम्बर, 2019 – बैंगलूरू / गुलबर्गा / बैंगलूरू – दैनिक (आरसीएस)

- 27 जनवरी, 2020 – कोलकाता/झारसुगुड़ा/कोलकाता – दैनिक (आरसीएस)
- 31 जनवरी, 2020 – भुवनेश्वर/वाराणसी/भुवनेश्वर – दैनिक (आरसीएस)

ख) आवृत्ति में वृद्धि

- 23 अप्रैल, 2019 – 9I 867/868 (हैदराबाद/पूना/हैदराबाद)–दैनिक प्रचालन आईएसओ 5/साप्ताहिक
- 28 जुलाई, 2019 – 9I 857/858 (दिल्ली/देहरादून/दिल्ली)– दैनिक प्रचालन
- 29 अगस्त, 2019 – 9I 831/832 (दिल्ली/चण्डीगढ़/दिल्ली)– प्रस्थान दिल्ली 1815 और प्रस्थान चण्डीगढ़ 1950
- 27 अक्तूबर, 2019 – 9I 625/626 (मुम्बई/भुज/मुम्बई)– दैनिक आईएसओ 4 उड़ान/साप्ताहिक
- 15 नवम्बर, 2019 – 9I 623/624 (मुम्बई/दीव/मुम्बई)– दैनिक आईएसओ 4 उड़ान/साप्ताहिक

## उत्तर–पूर्व प्रचालन

एलाइंस एअर, नागर विमानन मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन के तहत उत्तर पूर्वी क्षेत्र में एटीआर 42 प्रकार के विमानों के साथ उड़ानों का प्रचालन कर रही है। मार्ग समयावली उत्तर पूर्वी परिषद के परामर्श से तय की गयी है और विमान पूरी तरह से तैनात हैं। निम्नलिखित उड़ानों का प्रचालन किया जा रहा है:

1- कोलकाता/गुवाहाटी/तेजपुर/गुवाहाटी/कोलकाता – साप्ताहिक 3 उड़ानें
2- कोलकाता/गुवाहाटी/पासीघाट/गुवाहाटी/कोलकाता– साप्ताहिक 4 उड़ानें
3- कोलकाता/शिलॉग/कोलकाता – दैनिक (नई सीधी उड़ान 10 अगस्त, 2019 से प्रभावी)

10 अगस्त 2019 से प्रभावी, एलाइंस एअर ने कोलकाता/शिलांग /कोलकाता सेक्टरों में अपने उड़ान प्रचालन को वापस ले लिया क्योंकि इन क्षेत्रों को आरसीएस–उड़ान राउंड 3 में इंडिगो एयरलाइंस को दे दिया गया था। उत्तर पूर्व प्रचालन का पुनर्गठन 10 अगस्त 2019 से किया गया और निम्नलिखित उड़ानें प्रचालित की जा रही हैं:

कोलकाता/लीलाबाड़ी/कोलकाता – दैनिक
कोलकाता/गुवाहाटी/तेज़पुर/गुवाहाटी/कोलकाता– साप्ताहिक 3 उड़ानें
कोलकाता/गुवाहाटी/पासीघाट/गुवाहाटी/कोलकाता – साप्ताहिक 4 उड़ानें

07 दिसंबर 2019 से एलाइंस एअर ने गुवाहाटी/दीमापुर/इम्फाल/दीमापुर/गुवाहाटी सेक्टरों पर उड़ान शुरू की जो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना (आरसीएस) –उड़ान राउंड 3 योजना में दिए गए थे।

## क्षेत्रीय सम्पर्क योजना (आरसीएस)

एलाइंस एअर 27 अप्रैल, 2017 से शिमला/दिल्ली सेक्टर पर उड़ान प्रारंभ करने वाली पहली एयरलाइन थी, उड़ान को भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने फ्लैग ऑफ किया था।

भारत सरकार की क्षेत्रीय सम्पर्क योजना (आरसीएस)– उड़ान (UDAN) के प्रथम राउंड के तहत भारत सरकार द्वारा एलाइंस एअर को 17 रूट दिए गए थे। एलाइंस एअर ने आबंटित सभी उड़ानों को आरंभ कर दिया।

क्षेत्रीय सम्पर्क योजना (आरसीएस) उड़ान राउंड 2 में, एलाइंस एअर को 26 रूट प्रदान किए गए, जिसमें से 8 रूट में प्रचालन आरंभ किया जा चुका हैं। हालांकि, आरसीएस राउंड 2 के तहत कुछ मार्गों को शुरू नहीं किया गया है क्योंकि शोलापुर, दुमका और बोकारो में हवाई अड्डे प्रचालनात्मक नहीं हैं।

क्षेत्रीय सम्पर्क योजना (आरसीएस) उड़ान राउंड 3 में एलाइंस एअर को 40 रूट दिए गए हैं। हालांकि, आरसीएस राउंड 3 के तहत कुछ मार्गों पर प्रचालन आरंभ नहीं हुआ है क्योंकि कलाईकुंडा, कोटा, अमरावती, केशोड और राउरकेला में हवाई अड्डे प्रचालनात्मक नहीं हैं।

क्षेत्रीय सम्पर्क योजना (आरसीएस) उड़ान राउंड 3.1 में एलाइंस एअर को 12 रूट दिए गए हैं। तथापि, आरसीएस राउंड 3.1 के तहत कुछ मार्गों पर प्रचालन प्रारंभ नहीं हुआ है क्योंकि सिंधुदुर्ग, रत्नागिरि और हजारीबाग में हवाई अड्डे प्रचालनात्मक नहीं हैं। लखनऊ/गोरखपुर/ लखनऊ सेक्टरों में उड़ानें 01 नवंबर 2020 से शुरू होना प्रस्तावित है।

एलाइंस एअर ने आरसीएस– उड़ान के तीन राउंड में दिए गए 95 मार्गों में से 61 मार्गों को आरंभ किया है। शेष मार्गों पर उड़ानें शुरू करने हेतु सभी प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं, बशर्ते, एटीआर 72 प्रकार के विमानों के प्रचालन के लिए एयरपोर्ट प्रचालनात्मक हों।

## 2019–20 के लिए उपलब्धियां/महत्वपूर्ण बातें

- स्वतंत्र रूप से कॉल सेंटर की गतिविधियों की निगरानी के लिए नए अनुभाग ''केंद्रीय मॉनीटरिंग यूनिट'' का गठन किया गया।
- टेली–चेक–इन आरंभ किया गया।
- सभी मूल्य निर्धारण संबंधी कार्यों जैसे नया किराया शुरू करना, किराया में संशोधन, आरसीएस तिमाही किराए में संशोधन, मूल्य निर्धारण परिपत्रों को वितरित करना, एआई ई–कॉमर्स और डीजीएल मासिक को किराया शीट भेजना और मूल्य निर्धारण के मुद्दे के लिए एसेल्या के साथ समन्वय करना को संभालने के लिए स्वतंत्र रूप से नया अनुभाग ''मूल्य निर्धारण'' बनाया गया है।
- आंतरिक और बाह्य, ब्रांडिंग, मीडिया संबंधों, जनसंपर्क, विज्ञापन, इवेंट, प्रचार सामग्री, कंपनी की वेबसाइट और सामाजिक मीडिया उपस्थिति, कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी, क्राइसेस संप्रेषण और संगठन में आंतरिक संप्रेषण और विभिन्न संप्रेषण आवश्यकताओं और रणनीतियों का प्रबंधन करने हेतु नए निगमित संप्रेषण अनुभाग का गठन किया गया।
- एलाइंस एअर की सभी शिकायतों को संभालने के लिए एक नया अनुभाग ''कस्टमर केयर'' बनाया गया। जिसके तहत हम वेब आधारित शिकायतें, आरटीआई, वायु सेवा शिकायतें, व्यक्तिगत शिकायतें, कानूनी नोटिसों और कानूनी मामलों को संभालते हैं।
- डायनामिक इनवेंटरी प्रबंधन द्वारा राजस्व प्रबंधन (आरएम) टीम ने खराब मौसम, क्रू की कमी, तकनीकी व्यवधान आदि के बावजूद अधिकतम राजस्व अर्जन में सफलता हासिल की। परिणामस्वरूप पिछले साल की तुलना में उच्च पैक्स (3%) और उच्च राजस्व (1%) प्राप्त किया।
- जब भी सीजन / घटनाओं / त्योहारों के कारण, आरएम टीम द्वारा इनवेंटरी में आवश्यकतानुसार विशेष मार्क अप या ब्लैकआउट किए गए।
- 'बाय ऑन बोर्ड' भोजन की सुविधा आरंभ की गई।
- हमारी पहली अंतरराष्ट्रीय उड़ान चेन्नै/जाफना/चेन्नै मार्ग पर आरंभ की गई।
- कोविड–19 (लाइफलाइन उड़ान के तहत कार्गो राहत उड़ानें)।
- बिक्री हेतु बैठकें, कवरेज, ब्रांड दृश्यता, स्टेशन का दौरा और व्यापार के साथ नियमित रूप से जुड़ाव।
- वीडियो कॉन्फरेंस के माध्यम से अतिरिक्त बैठकें आयोजित की गई।

## पुरस्कार एवं यात्रा ट्रेड शो व्यापार भागीदारी

- विंग्स इंडिया अवार्ड्स और बीएम मुंजाल अवार्ड्स में भागीदारी/मीडिया इंटरैक्शन। जनसंपर्क से संबंधित बैठकों, सम्मेलनों, सेमिनारों और कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ समन्वय।

- एलाइंस एअर ने भारत सरकार की आरसीएस और उड़ान योजना के तहत सक्रिय भागीदारी के लिए विंग्स इंडिया 2020 का पुरस्कार जीता।

- अंतरराष्ट्रीय व्यापार ट्रेड शो जैसे **सैटे / ट्रैवल टेक्नोलॉजी समिट / ओटीएम / आईटीएम / विंग्स इंडिया** इवेंट्स में भाग लेने/ मीडिया इंटरेक्शन / प्रचार गतिविधियों / प्रचार सामग्री आबंटन से अनुकूल प्रचार, अच्छी कॉर्पोरेट छवि, सद्भावना और ब्रांड प्रचार प्राप्त हुआ।

## सीएसआर गतिविधियां

- सीड बॉल वर्कशॉप : एनजीओ द्वारा आयोजित वर्कशॉप के दौरान एलाइंस एअर के कर्मचारियों ने सीड बॉल बनाना सीखा और एनसीआर में लगाए जाने वाले सीड बॉल बनाकर 1 लाख सीड बॉल लगाने की पहल का हिस्सा बने।

- हरित सप्ताह : एलाइंस एअर ने 3 जून 2019 से 7 जून 2019 तक हरित सप्ताह मनाया। पर्यावरण विषय के साथ द्विभाषी बैनर, वृक्षारोपण, एलाइंस भवन के साइड यार्ड में 'ग्रीन ड्राइव', 'ईको–फ्रेंडली कैरिंग बैग प्रतियोगिता आयोजित की गई।

- एलाइंस एअर की ड्रीम फ्लाइट ': एलाइंस एअर ने 22 जनवरी 2020 को भुवनेश्वर में विशेष बच्चों के लिए 40 मिनट की ड्रीम फ्लाइट' का प्रचालन किया।

- नो प्लास्टिक अभियान : सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने पर प्रेस विज्ञप्ति/फ्लायर/सोशल मीडिया अभियान।

## अनुषंगी राजस्व

- राजस्व बढ़ाने के लिए, एलाइंस एअर में सहायक राजस्व समिति द्वारा हमारी ब्रांड छवि के अनुकूल व्यवहार्य और लाभदायक सहायक राजस्व विकल्पों का पता लगाया जा रहा है। समिति, एयरलाइन के प्रचालन ढांचे के अनुरूप हमारे उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग के माध्यम से सहायक राजस्व उत्पन्न करने के व्यवहार्य विकल्पों पर चर्चा करती है। निविदा दस्तावेजों को तैयार करने और जारी करने का उत्तरदायित्व समिति का है। सहायक राजस्व के प्रत्येक विकल्प के लिए आवश्यक विवरण, विनिर्देशों और अनिवार्य स्वीकृतियों के साथ अलग–अलग निविदा की आवश्यकता होती है, जिन्हें विभिन्न विभागों द्वारा सूचीबद्ध और फास्ट ट्रैक रखने की आवश्यकता होती है, सहायक राजस्व समिति में निम्नलिखित विभागों के प्रतिनिधित्व शामिल हैं: वित्त, सीएएम, एमएमडी, विपणन, निगमित संप्रेषण, खानपान, उड़ानगत सेवाएं और प्रचालन राजस्व उत्पन्न करने के लिए टेंडर करने हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी, एएएएल द्वारा चयनित अनुषंगी राजस्व विकल्पों के अनुसार:

  क. ओवरहेड पैनलों पर थर्ड पार्टी के विज्ञापन के साथ स्वयं चिपकने वाला स्टिकर

  ख. केबिन बल्कहेड्स पर थर्ड पार्टी के विज्ञापन के साथ स्वयं चिपकने वाला स्टिकर

  ग. ट्रे टेबल्स पर थर्ड पार्टी के विज्ञापन के साथ स्वयं चिपकने वाला स्टिकर

  घ. थर्ड पार्टी के विज्ञापन की उड़ान उद्घोषणा

  उपरोक्त विकल्पों के लिए निविदाएं तैयार की गई हैं और इन्हें मार्च 2020 में प्रकाशित किया जाना है, जिसे आगामी वर्ष में अधिक विकल्पों के साथ ध्यान में रखा जाएगा।

  - न्यूनतम प्रभार
  - तार के एक भाग के रूप में जीडीएस शुल्क प्रारंभ
  - अतिरिक्त सामान प्रभार पर कड़ाई
  - बाय ऑन बोर्ड भोजन सुविधा प्रारंभ
  - नया पीएसएस आरंभ होने पर सीट शुल्क/सुविधा शुल्क/टिकट रसीद प्रिंट के माध्यम से सहायक राजस्व शुरू करना

## भावी योजनाएं

- वेब चैक–इन प्रारंभ करना।
- अंतरर्देशीय से अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों को जोड़ने के लिए थ्रो किराए प्रारंभ करना।
- सभी समावेशी किराया शीट्स प्रारंभ करना।
- प्रतियोगी किराए का विश्लेषण करने के लिए मूल्य निर्धारण उपकरण सॉफ्टवेयर (जिसके आधार पर हम अपने किराए और इनवेंटरी को जोड़ सकते हैं)।
- नए पीएसएस प्रारंभ करने पर, नए कॉल सेंटर विक्रेता से सेवा लेना, जिसकी निगरानी सीएमयू अनुभाग द्वारा की जाएगी।
- मौजूदा कॉल सेंटर सेवाएं एआई कॉल सेंटर के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं, एएएएल ने कॉल सेंटर सेवाएं प्रदान करने के लिए एक नए विक्रेता का चयन किया है। वर्तमान में लागू शुल्क की तुलना में एफटीई शुल्क बहुत कम होगा।
- नए पीएसएस को प्रारंभ करना जो न केवल वितरण लागत को बचाने में मदद करेगा बल्कि बाजार को और गति देगा।
- हमारे अपने भुगतान गेटवे को प्रारंभ करना।
- अपनी खुद की वेबसाइट को प्रारंभ करना, निश्चित रूप से हमारे ग्राहकों के साथ बेहतर तरीके से जुड़ने में हमारी मदद करेगा।
- हमारे सभी कॉल सेंटर में मोबाइल वॉलेट के माध्यम से भुगतान स्वीकार किया जाएगा।
- अंतर्राष्ट्रीय 'उड़ान' (UDAN) में भागीदारी।
- चार्टर व्यवसाय पर ध्यान देना।

## मीडिया प्रबंधन (डिजिटल और पारंपरिक)

- **फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर** को इमेज, फ्लायर, बैनर, वीडियो, एनिमेशन, क्रिएटिव, प्रशंसापत्र, प्रभावशाली पोस्ट, लेख, क्यूरेट सामग्री के साथ आक्रामक रूप से लॉन्च किया गया। 2018 में एक नगण्य सोशल मीडिया उपस्थिति से हटकर, एलाइंस एअर का अब सोशल मीडिया हैंडल पर बहुत बड़ा प्रशंसक और फोलोअर बेस है।
- **खोज इंजन पर ऑरगेनिक सर्च परिणाम** एलाइंस एअर की वायरल सामग्री के लिए किसी भी आबंटित व्यय के बिना, सीधे लिंक दिखाते हैं और विभिन्न ऑडियेन्स समूहों को लक्षित करने की कंटेट रणनीति काफी हद तक सफल रही है। पसंद, टिप्पणी और शेयर के रूप में दर्शकों का जुड़ाव इसका प्रमाण है।
- **इन्फ्लुएंसर/सेलिब्रिटी/ मंत्रालय री–ट्वीट/ री–शेयर/ एलाइंस एअर की सामग्री की सोशल शेयरिंग।** माननीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी, श्री प्रहलाद जोशी, श्री एन.बीरेन सिंह, नागरिक विमानन मंत्रालय, एएआई, प्रमुख पत्रकार जैसे श्री रिफत जावेद, अभिनेत्री श्रीमती तारिका मेहता और कई अन्य जैसे माननीय मंत्रियों व अन्य ने एलाइंस एअर कंटेट को सोशल मीडिया पर सक्रिय रूप से शेयर किया है और जिससे ब्रांड पहचान और विश्वसनीयता प्राप्त हुई।
- अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/स्थानीय मीडिया जैसे सीएपीए, सप्ताह, आउटलुक, टाइम्स समूह, हिंदू आदि में प्रेस विज्ञप्ति/ मॉनिटरिंग/**उद्धरण** ।
- क्षेत्रीय थीम/क्षेत्रीय मीडिया रिलीज/क्षेत्रीय संबद्धता प्रचार सामग्री पर फोकस सहित नए स्टेशन लॉच/उद्घाटन।

- भर्ती **विज्ञापनों** के लिए वैश्विक/राष्ट्रीय/स्थानीय मीडिया में विज्ञापन, टेंडर नोटिस, लीजिंग, रोड शो/उपयुक्त मीडिया आउटलेट्स जैसे फ्लाइट इंटरनेशनल पत्रिका, फाइनेंशियल टाइम्स आदि के साथ प्रमोशन।
- प्रोएक्टिव पब्लिसिटी प्री–इम्पटिंग क्राइसिस और तदनुसार मीडिया संप्रेषण की योजना बनाने के परिणामस्वरूप अब तक एयरलाइन के बारे में मीडिया में नकारात्मक कवरेज नहीं हुई है।
- एविएशन टाइम्स, ट्रैवल ट्रेड इनसाइडर, बिजनेस स्टैंडर्ड जैसी अंतरराष्ट्रीय यात्रा पत्रिकाओं में एलाइंस एअर के सीईओ के लिए **कवर पेज प्रेस साक्षात्कार।**
- **पत्रकारों के टेस्टीमोनियल व कवरेज** चेन्नै में प्रमुख 5 मीडिया पत्रकारों (हिंदू, टाइम्स नेटवर्क, न्यू इंडियन एक्सप्रेस, डेली थांती, पीटीआई) ने एलाइंस एअर की पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान पर यात्रा की और एलाइंस एअर की एकल अंतरराष्ट्रीय पहल के बारे में अभूतपूर्व कवरेज दी।
- **केरल में बाढ़ की मीडिया कवरेज।**
- **चक्रवात फनी के दौरान सबसे पहले लैंडिंग का कवरेज**
- **विजाग गैस रिसाव की घटना के दौरान रासायनिक स्टेबलाइजर्स और एनडीआरएफ टीम के परिवहन का कवरेज**
- **रोड शो की मीडिया दृश्यता**
- **शुभ यात्राः** एयर इंडिया की इन–फ्लाइट पत्रिका शुभ यात्रा में एलाइंस एअर के नए मार्गों, सीएसआर गतिविधियों की उपलब्धियों पर लेख और फीचर
- **आवाहनः** त्रैमासिक पत्रिका आवाहन में कर्मचारी आंतरिक संप्रेषण/घटनाओं/ एलाइमेंट पर ध्यान केंद्रित करते हुए लेख व फीचर के परिणामस्वरूप कर्मचारियों के बीच सकारात्मक और सूचित कार्य संस्कृति का विकास और प्रेरणा।
- **वेबसाइट अपडेटः** एयर इंडिया वेबसाइट पर रंगीन बेस निर्धारित क्षेत्रीय मार्ग का नक्शा और शेड्यूल अपडेट किया गया।
- **वेबसाइट सामग्रीः** एलाइंस एअर वेबसाइट के लिए हीरो, बैनर और टिकर बैनर बनाए गए, वेब पेजों के लिए कंटेंट जॉच।
- **सामग्री और प्रचारः** क्षेत्रीय मार्गों के नक्शे और गंतव्य सूचियों के साथ पैम्पलेट/फ्लायर/ई–कार्ड।
- **गवर्नेंस में प्रौद्योगिकीः** एलाइंस एअर अपनी सर्वोत्तम पद्धति, केस स्टडीज, निहित ज्ञान, सफलता नवाचारों को साझा करने के लिए सीपीएसई के लिए एक पोर्टल के रूप में व्यापक मंच, समन्वय में शामिल हो गए।
- **सामग्री विश्लेषणः** ग्राहक प्रतिक्रिया सामग्री विश्लेषण और संरचना।
- **कॉफी टेबल बुकः** एलाइंस एअर चेन्नै–जाफना की पहली अंतरराष्ट्रीय उड़ान को एयरलाइन की एकल अंतर्राष्ट्रीय पहल के स्वर्णिम क्षणों को कैप्चर करते हुए एक उत्कृष्ट कॉफी टेबल बुक के रूप में तैयार किया गया।
- **आंतरिक संप्रेषण इवेंट्सः एलाइंस एअर रिकॉग्निशन अवार्ड्स**, हल्दी वाली होली, भारत के रंग, एलाइंस एअर के संग!, 'अपने सपनों की महिला बनें', स्वच्छता पखवाड़ा, रंगों वाली दिवाली! अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ध्यान सत्र।
- **कोविड 19 कम्युनिकेशनः** वीडियो, फ्लायर्स, बैनर व लाइफलाइन 'उड़ान' के तहत कॉम्बो कोरोना चुनौतियों का सामना करते हुए भारत भर में कार्गो उड़ानों की तस्वीरें सोशल मीडिया हैंडल, प्रेस और मीडिया प्लेटफॉर्म पर लॉन्च की गई। केबिन क्रू कोविड एबीसी, केबिन क्रू इंस्ट्रक्शन, विंग्स ऑफ पैशन, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन वीडियो, कार्गो ऑपरेशन्स क्रिएटिव्स, कोरोना के संबंध में क्या करना है और क्या नहीं करना है वीडियो, जागरूकता सावधानी व रोकथाम, मैसेज। लाइफलाइन 'उड़ान' UDAN के तहत कार्गो प्रचालन की प्रशंसा करते हुए किसी भी एयरलाइन का प्रथम रैंप एन्थम तैयार किया गया और माननीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर री–शेयर किया गया।

- **लॉकडाउन के पश्चात् उड़ान आरंभ संप्रेषण** : सुरक्षा पहले थीम, कड़े उपायों और यात्रा प्रक्रिया के एसओपी, भौतिक दूरी , टेली चेक–इन और आरोग्य सेतु चेकों से सामान सीमा, सैनिटाइजेशन, सुरक्षा किट का वितरण, टर्मिनल पर तापमान जाँच, हर कदम पर सोशल डिस्टेंसिंग, रिवर्स जोन बोर्डिंग प्रक्रिया, इन–फ्लाइट एहतियात क्रमिक और सामाजिक रूप से दूर सहित आगमन। सुरक्षा निगरानी वाले सामान के संग्रह और निकास के साथ सुनिश्चित करने वाली सामग्री।

## आरसीएस मार्गों के तहत उड़ान प्रचालन

एलाइंस एअर का मुख्य फोकस क्षेत्रीय कनेक्टिविटी है, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री द्वारा आरंभ की गई क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना ''उड़ान'' में प्रमुख प्रतिभागिता है।

एलाइंस एअर प्रतिदिन 104 उड़ानों का संचालन करती है, जिनमें से 47 आरसीएस रूट पर हैं।

क्षेत्रीय कनेक्टिविटी प्रदान करने के अलावा आरसीएस मार्ग पर प्रचालन करने की व्यावसायिक संभावना से महत्वपूर्ण लाभ यह है कि सब्सिडी दी जाती है और सरकार द्वारा 50% क्षमता पर वीजीएफ प्रदान किया जाता है। मार्गों पर प्रचालन करने का और लाभ है। 3 साल की विशिष्टता है यानि 3 साल की अवधि के लिए है कोई अन्य एयरलाइन आरसीएस सेक्टर पर एक वाणिज्यिक मार्ग संचालित नहीं कर सकती है।

| | कुल | % शेयर |
|---|---|---|
| वाणिज्यिक | 18,480 | 60% |
| आरसीएस | 9,451 | 31% |
| वीजीएफ | 2,718 | 9% |
| **सकल योग** | **30,649** | **100%** |

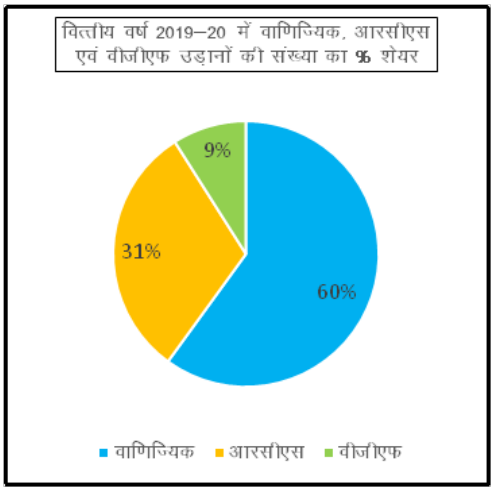


## प्रतिस्पर्धा में बढ़त बनाए रखने और राजस्व बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमः

- इनवेंटरी प्रबंधन सीजन/इवेंट/त्योहारों के आधार पर योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। आवश्यकतानुसार विशेष मार्क अप या ब्लैकआउट किए गए।
- बुकिंग कर्व को रोकने के लिए अग्रिम बिक्री पर ध्यान।
- चेन्नै–जाफना–चेन्नै मार्ग पर हमारी पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की शुरूआत।
- विक्रय बैठकें, कवरेज, ब्रांड दृश्यता, स्टेशन का दौरा और व्यापार के साथ नियमित रूप से जुड़ाव।

- सहायक राजस्व उत्पादन पर आक्रामक रूख, क्यूट शुल्क, वायर के एक भाग के रूप में जीडीएस शुल्क प्रारंभ करना अतिरिक्त सामान प्रभार, बाय ऑन बोर्ड ।
- वाईआर और वाईक्यू का परिचय, प्रतियोगिता से मिलान करने के लिए वाईक्यू और अन्य दंड का संशोधन।
- बिक्री को आगे बढ़ाने के लिए शुरू की गई विभिन्न प्रचार योजनाएँ – गणतंत्र दिवस की बिक्री /ट्रेन से नहीं प्लेन से/ स्वतंत्रता दिवस की बिक्री/नए सेक्टर परिचय किराया।

**वर्ष 2019–20 के दौरान किराए में वृद्धि**

- 01 फरवरी 2019 से वाईआर प्रारंभ आगे संशोधन और – 11 नवंबर 2019 और 29 अप्रैल 2020 तक प्रारंभ करना।
- 01 जून 2018 से दिल्ली/चेन्नै/मुम्बई वाईक्यू की शुरूआत ।
- 19 फरवरी 2019 (केवल एक्स–मुम्बई) से वाईक्यू का संशोधन
- 21 जनवरी 2020 से पैनेल्टी में संशोधन 2500 भारतीय रुपए से 3000 भारतीय रुपए में (परिवर्तन/रद्द/नो–शो)
- दक्षिण और पश्चिम सेक्टर (अप्रैल–मई और अक्टूबर–जनवरी) मध्य आरबीएस के किराए में 5 –10% तक की वृद्धि।
- उत्तर और पूर्व क्षेत्र (मई–जून और अक्टूबर–जनवरी) मध्य आरबीएस के किराए में 5 –10% तक की वृद्धि।
- कोविड–19 के वर्तमान परिदृश्य में – डीजीसीए द्वारा निर्देशित किराया स्तर बनाए रखना।
- बिजनेस क्लास किराया प्रारंभ ( चेन्नै एवं जाफना)।
- प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मूल्य निर्धारण ( चेन्नै एवं जाफना) प्रारंभ।

**पैक्स/कार्गो के लिए विभिन्न प्रचार योजनाएँ**

**क) पैक्स के लिए प्रचार योजनाएँ**

- **गणतंत्र दिवस बिक्रय!** देखो भारत @979 ''979 से शुरू होने वाले किराए पर पूरे भारत में उड़ान भरें''
- **एलाइंस एअर** – एयरलाइन जो प्रेम का उत्सव मनाती है! सेलिब्रिटी टेस्टिमोनियल होलीनेस दलाई लामा, एलाइंस एअर से यात्रा करने वाले बॉलीवुड और क्रिकेट हस्तियों द्वारा की गई प्रशंसा को एयरलाइन के सभी सोशल मीडिया हैंडल पर प्रबलता से पेश किया गया है। प्रसिद्ध पत्रकार श्री रिफत जावेद ने एलाइंस एअर की सराहनीय इफ्तार सेवा के बारे में ट्वीट किया, जिसे जनता के बीच अधिकतम पहुंच के लिए एक वीडियो और सोशल मीडिया अभियान में बदल दिया गया, सोशल मीडिया पर प्रसिद्ध टीवी अभिनेत्री सुश्री श्रद्धा मुसले (सीआईडी, डॉ. तारिका) का वीडियो साक्षात्कार जिसमें उन्होंने एक वीडियो के माध्यम से एयरलाइन के बारे में संदेश दिया।
- **विश्व पर्यटन दिवस अभियान!** यात्रा और पर्यटन को प्रोत्साहित करने वाले फ्लायर और बैनर के साथ सोशल मीडिया हैंडल पर।
- **ट्रेन से नहीं विमान से!** एलाइंस एअर एक प्रमुख क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन है, जो प्रतिस्पर्धी किरायों पर परिवहन के तेज मोड उपलब्ध कराने हेतु उच्च घनत्व ट्रेन यातायात के साथ प्रतिस्पर्धा करती है। यह महानगरों और उसके आगे के त्वरित कनेक्शन की क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करता है। यह उन शहरों के लिए भी कनेक्टिविटी प्रदान करता है जो अब तक हवाई सम्पर्क से जुड़े नहीं हैं। रेल/ट्रेन यात्रियों को उड़ान का अनुभव उपलब्ध करवाने हेतु ट्रेन के किराए से सस्ते हवाई टिकट को प्रमोट करने का एक अभियान।
- **स्वतंत्रता दिवस विक्रय कार्निवाल**! स्वतंत्र भारत की उड़ान सस्ती हवाई किराए के साथ घूमो भारत।

- **जाफना जाएंगे!** जाफना पर्यटन अभियान हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल पर जाफना में पर्यटन स्थलों और गतिविधियों के प्रछन्न राजस्व अवसरों को उजागर करता है। इस अभियान ने सोशल मीडिया पर बहुत से लाइक, कमेंट और सक्रिय जुड़ाव की शुरुआत की।

एलाइंस एअर द्वारा चेन्नै–जाफना की पहली अंतरराष्ट्रीय उड़ान को एयरलाइन के एकल अंतरराष्ट्रीय मंच के क्षणों को कैप्चर करते हुए एक **उत्कृष्ट कॉफी टेबल बुक** में बदल दिया गया था।

**ख**) कार्गो के लिए प्रचार योजनाएं

एलाइंस एअर ने वित्तीय वर्ष 19–20 के लिए 433 टन कार्गो का वहन किया, जबकि वित्त वर्ष 18–19 के दौरान 115 टन कार्गो पंजीकृत था। वित्तीय वर्ष 19–20 में कार्गो वहन में 276% की वृद्धि देखी गई।

पिछले वित्तीय वर्ष में पंजीकृत 27.33 लाख रुपए के मुकाबले, वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए कार्गो राजस्व बढ़कर लगभग 1.13 करोड़ रुपए हो गया, यानि कार्गो राजस्व में 296% वृद्धि देखी गई थी।

**अतिरिक्त सेवाओं/सुविधाओं सहित यात्री सुविधाएं और खाद्य सेवाएं।**

- **गो ग्रीन पहलः** भारत सरकार के **''गो ग्रीन''** आंदोलन के संदर्भ में, **एलाइंस एअर** ने कुछ कदम उठाए हैं:
- 1 अक्टूबर 2019 से सभी प्रचालनात्मक उड़ानों पर प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
- **प्रदूषण को कम करने के लिए, एलाइंस एअर ने सभी खानपान वस्तुओं की** पैकेजिंग के लिए कलिंग सेलो रैप के स्थान पर बटर पेपर के उपयोग की पहल की है।
- 200 मिलीलीटर प्लास्टिक की पानी की बोतलों के स्थान पर 200 मिलीलीटर पेपर कप का प्रयोग।
- **बाय ऑन बोर्ड (बी.ओ.बी.) पहलः** एलाइंस एअर ने कैफे कॉफी डे (सीसीडी) खानपान सेवाओं के साथ समझौता किया है। इस ऑन–बोर्ड बिक्री सेवा में 1 फरवरी 2020 से 23 मार्च 2020 तक धर्मशाला मार्ग (ट्रायल फेज) पर सेवा प्रदान की जाएगी। इससे हमें खानपान लागत कम करने में मदद मिलेगी और ग्राहक को विभिन्न विकल्प भी मिलेंगे।

**अपनाए गए विभिन्न किफायती उपायों विशिष्ट वस्तुओं/क्षेत्रों पर प्रकाश डालते हुए उपलब्धियां, बचाई गई राशि की मात्रा।**

- एएएएल नई पीएसएस में परिवर्तन की प्रक्रिया में है।
- कोविड–19 परिदृश्य के दौरान भोजन सेवा बंद कर दी गई।
- एयर इंडिया ने सितंबर 2019 से अपना स्वयं का भुगतान गेटवे शुरू किया, जिसके कारण हमारी और साथ ही एयर इंडिया की लागत में बचत हुई।

अतिरिक्त सेवाओं/सुविधाओं सहित यात्री की सुविधा और खाद्य सेवाएं।

**इंजीनियरिंग पहल**

**वर्ष 2019–20 की अवधि के दौरान अपनाए गए किफायती उपाय और उपलब्धियां:**

कोविड–19 के संकट के कारण, एएएएल ने विभिन्न लेसर और सर्विस प्रोवाइडर के साथ भुगतानों में डिस्काउंट/ भुगतान देरी से करने के लिए समझौते किए और भुगतान में 9.9 मिलियन अमरीकी डालर तक के समझौते हुए। सक्षम प्राधिकारी के उचित अनुमोदन के पश्चात् संबद्ध शर्तों (जैसे कि बकाया भुगतान का निपटान और समझौते की अवधि बढ़ाना) को पूरा करने पर ही लाभ प्राप्त होगा।

दो पुराने पीडब्ल्यू121 इंजनों के साथ एक नए पीडब्ल्यू127एम इंजन का विनियम यूएसडी 1.95 मिलियन की अतिरिक्त लागत के

साथ जिससे दो पुराने इंजनों के लिए यूएसडी 1,162,831 का अधिकतम पुनर्विक्रय मूल्य प्राप्त हुआ।

एटीआर 42–320 विमान के पुराने हिस्से जो एटीआर 72–600 विमान के साथ संगत हैं, उन्हें वीटी–एबीए और वीटी–एबीबी से हटा दिया जाएगा और कालान्तर में अनुमोदित शॉप से ऐसे हिस्सों का पुनः प्रमाणीकरण करने के बाद, भविष्य में एएएएल बेड़े पर प्रयोग हेतु फ्लोट में रखा जाएगा।

चूंकि, एएएएल के विमान बेड़े में एटीआर 42–320 विमान परिचालन में नहीं है, इसलिए एएएएल खुले बाजार में वीटी–एबीए एवं वीटी–एबीबी, एटीआर 42–320 के विशेष पूर्जों को बेचने की संभावना का पता लगा रहा है।

**विमान तथा पूर्जों व अन्य अधिशेष/अप्रचलित परिसम्पत्तियां, यदि कोई हो, का निपटान/वापसी**

दोनों वीटी–एबीए एवं वीटी–एबीबी, एटीआर 42–320 विमान लीज़कर्ता को रि–डिलीवर कर दिए गए हैं। तथापि, प्रचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एएएएल द्वारा लेसर से 1 यूएसडी लीज किराए की मामूली दर पर वीटी–एबीए, विमानों के लीज़ का विस्तार 31 मार्च 2019 तक करने का अनुरोध किया गया। समझौते अनुबंध के अनुसार, वीटी–एबीए की लीज़ समाप्ति के बाद, वीटी–एबीए और वीटी–एबीबी (ईएसएनः एसी 0096, ईएसएनः एसी0106, ईएसएनः एसी 0111 और ईएसएनः 121355) के सभी चार इंजन ''जैसी स्थिति में है'' की शर्तों के अनुसार वापस किए जाएंगें।

पुनर्वितरण निपटान के अनुसार, वीटी–एबीए और वीटी–एबीबी विमान के लेसर मैसर्स एसिया ऐरो हुल, का स्वामित्व एएएएल को स्थानांतरित करने के लिए सहमत हो गए। इसलिए, एमएमडी कोलकाता की प्रक्रियाओं के अनुसार विमान के हुल को नीलामी के माध्यम से निपटाया जाएगा।

इंजनों के पर्याप्त फ्लोट के लिए, दो पुराने पीडब्ल्यू121 इंजन ईएसएन 121261 और एटीआर 42–320 विमान के ईएसएन 121163 (वीटी–एबीओ पुराना) को मैसर्स पी एंड डब्ल्यूसी (एसईए) से वन पीडब्ल्यू127एम के साथ विनिमय किया गया है। इसलिए समझौते के अनुसार, इंजनों को मैसर्स पी एंड डब्ल्यूसी (एसईए) में भेजा जाना है।

**अन्य एयरलाइंस/संगठन को प्रदान की जाने वाली इंजीनियरिंग सेवाओं का विवरण और इंजीनियरिंग प्रशिक्षण कार्यक्रमः–**

एआईईएसएल और एएएएल के बीच 29 जुलाई, 2013 के हस्ताक्षरित एमओयू के अनुसार, सभी एएमई को एएएएल से हटा कर एआईईएसएल में स्थानांतरित कर दिया गया है। इसके बाद 1 जनवरी 2015 से एएएएल की सभी इंजीनियरिंग/रखरखाव/विमान संबंधित गतिविधियां एआईईएसएल द्वारा की जा रही हैं।

अतः एएएएल द्वारा अन्य एयरलाइनों/संगठनों को कोई इंजीनियरिंग सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई जा रही।

**2019–20 के बीच (क) उपस्कर व पूर्जे (ख) इनवेंटरी नियंत्रण (ग) पूंजीगत मदों के संबंध में आयात का सी आई एफ मूल्य (नई खरीद व मरम्मत नहीं की गई मदें)**

एअर इंडिया लिमिटेड, एमएमडी द्वारा रैमको प्रणाली से वर्तमान में नई खरीद, यदि कोई हो, नियंत्रित की जा रही है और एएएएल द्वारा पूर्जों/उपस्करों का केवल विनिमय नियंत्रित किया जा रहा है।

**विमान उपयोगिता, इंजीनियरों की उपलब्धता, नए मार्गों /सेवाओं, सुविधाओं के उपयोग आदि के संदर्भ में 2020–21 की योजना और बेड़े के विस्तार की योजना।**

दो नए एटीआर 72–600 विमानों के लिए निविदा जारी की गई थी और वित्तीय मूल्यांकन की प्रक्रिया जारी है।

**उड़ान सुरक्षा**

कम्पनी का अपना स्वतंत्र उड़ान सुरक्षा विभाग है जो डीजीसीए की आवश्यकताओं के अनुसार प्रोएक्टिव तरीके से काम करता है। उड़ान सुरक्षा विभाग प्रोएक्टिव कार्यों के तहत FOQA (उड़ान प्रचालन गुणवत्ता आश्वासन) जिसमें नियमित रूप से उड़ान डाटा की निरंतर मॉनिटरिंग आदि जैसे एसएसएफडीआर व सीवीआर तथा बेस स्टेशनों की आंतरिक सुरक्षा लेखा परीक्षा तथा एयरलाइन द्वारा प्रचालित लाइन स्टेशनों की सुरक्षा जांच जिसमें एयरफील्ड निरीक्षण, स्पॉट चैक, रैम्प जांच तथा कॉकपिट/केबिन निगरानी शामिल है, की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 में कुल 51 घटनाएं रिपोर्ट की गई। डीजीसीए प्रतिनिधियों सहित कम्पनी के स्थायी जॉच बोर्ड (पीआईबी) द्वारा 40 घटनाओं की जांच की गई तथा पीआईबी के पास जांच हेतु 10 मामले (जनवरी–मार्च' 2020) लंबित हैं।

वर्ष 2019–20 में शून्य गंभीर घटनाएं रिपोर्ट की गई। वर्ष 2019–20 में 19 बर्ड हिट की घटनाएं हुईं परिणामस्वरूप 02 घटनाओं में मैसूर एवं कोयम्बतूर में विमान रेडोम को क्षति पहुंची। संबंधित एरोड्रम अधिकारियों के साथ–साथ इन घटनाओं के बारे में डीजीसीए को सुधारात्मक उपायों के लिए सूचित किया गया।

विमान की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उड़ान सुरक्षा विभाग द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए :

- नए एटीआर 72–600 विमान बेड़े हेतु नए 3D प्रस्तुतिकरण सहित FOQA सॉफ्टवेयर ले लिया गया है।
- नियामक मानकों के अनुसार इंसीडेंट के रूप में वर्गीकृत उड़ान घटना की जांच पड़ताल निदेशक वायु संरक्षा (उ. क्षे.) डीजीसीए के कार्यालय के सहयोग से एयरलाइन के जांच बोर्ड (Investigation Board) द्वारा की जाती है।
- स्थायी जांच बोर्ड की सिफारिशों को संबंधित विभागों को अनुपालन हेतु भेजा जाता है।
- एटीआर 72–600 व एटीआर 42–320 विमान बेड़े की लोड और ट्रिम शीट के अनुसार उड़ान बेड़े की मॉनीटरिंग मासिक आधार पर की जा रही है।
- बेस स्टेशनों/लाइन स्टेशनों की रैम्प जांच/स्पॉट जांच यादृच्छिक रूप से की जाती है।
- बेस स्टेशनों/लाइन स्टेशनों की सुरक्षा जांच सुरक्षा लेखा परीक्षा योजना के अनुसार की जाती है।
- FOQA कार्यक्रम के अनुसार केबिन क्रू को सचेत/एडवाइज्ड किया जाता है।
- प्रत्येक विभाग के कार्मिक को एसएमएस/जोखिम विश्लेषण प्रशिक्षण दिया गया है।

## प्रशिक्षण

एएएएल ने वर्ष 2019–2020 में भारतीय वायु सेना के 6 पायलटों की भर्ती की है और उन्हें एटीआर 72–600 पर पीआईसी के रूप में अपग्रेड किया है। बोईंग बेड़े से दो वरिष्ठ फर्स्ट ऑफिसर शामिल हुए और उन्हें एटीआर 72–600 पर पीआईसी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। एटीआर बेड़े के लगभग 6 वरिष्ठ फर्स्ट ऑफिसर पीआईसी अपग्रेड प्रोग्राम के विभिन्न चरणों में हैं। भारतीय पायलटों के साथ हमारे बेड़े को बढ़ाने के लिए पीआईसी और फर्स्ट ऑफिसर की भर्ती चालू है।

## गोइंग कंर्सन

वर्ष 2019–20 में एएएएल को **6,508.94 लाख रुपये** का प्रचालन लाभ हुआ। वर्ष 2018–19 में (14,734.59 लाख रुपए) के प्रचालन लाभ की तुलना में 2019–20 में राजस्व **1,18,115.39 लाख रु.** रहा जबकि 2018–19 में यह 83,627.83 लाख रु. था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 41.24% की वृद्धि दर्शाता है। 2019–20 में कुल यात्री वहन **16,39,757** था, जबकि 2018–19 में वहन किए गए यात्रियों की संख्या 15,97,382 थी, परिणाम स्वरूप पिछले वर्ष की तुलना में 2.65% की वृद्धि। 2018–19 में 51758 घंटे की तुलना में 2019–20 में उड़ान के ब्लॉक घंटे **53476** हैं, जिसके परिणामस्वरूप 3.31% की वृद्धि हुई है।

इंड एएस 116 को अपनाने के कारण वर्ष 2019–20 के लिए लाभ और हानि के विवरण में अतिरिक्त प्रभाव इस प्रकार है:

| क्र.सं. | खाता शीर्ष पर प्रभाव | हानि में (वृद्धि)/कमी लाख रुपए में |
|---|---|---|
| i. | अधिक मूल्यह्रास | (22,666.95) |
| ii. | अधिक वित्तीय लागत | (7,371.18) |
| iii. | लीज. किराए में कमी | 25,997.12 |
| iv. | विनिमय लाभ/लीज़ देयताओं की बहाली के कारण हानि | (19,769.85) |
| v. | **हानि में निवल वृद्धि** | **(23,810.85)** |

USD मुद्रा में ROE की वृद्धि के कारण, विदेशी वैण्डर को व्यय पिछले वर्ष की तुलना में 9.40% बढ़ गया है।

वर्ष 2018–19 में (29,232.34 लाख रु.) की तुलना में, 2019–20 में दिखाए गए लाभ/ हानि (20,100.06 लाख रु.) कंपनी की प्रचालन क्षमता में वृद्धि को दर्शाता है।

एअर इंडिया लिमिटेड द्वारा अपने परिचालन और वित्तीय प्रदर्शन में सुधार के लिए अपनी समूह कंपनियों के लिए लागू टर्न एराउंड प्लान (टीएपी) तैयार किया गया है। भारत सरकार द्वारा एअर इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों के टर्न अराउंड हेतु फरवरी 2012 में टर्न एराउंड प्लान (टीएपी) को मंजूरी दे दी थी।

टीएपी के अनुपालन में, 2018–19 में 04 नए एटीआर–72–600 विमानों को शामिल करने के साथ इंडक्शन जारी रहा। वर्ष के अंत में बेड़े में 19 विमान (01 एटीआर–42 320 और 18 एटीआर–72 600) शामिल थे। एएएएल 15 विमानों को शामिल करने पर विचार कर रहा है, जिनमें से 02 एटीआर–42 320 के प्रतिस्थापन के लिए हैं। दो विमान एटीआर–72 600 हैं और एएएएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर दिए गए हैं। कोरोलरी के रूप में, वित्त वर्ष 2020–21 में पहले चरण में कम से कम 08 विमान शामिल करने हेतु आवश्यक अनुमोदन और प्रक्रियाएं की जा रही हैं। एएएएल को आबंटित आरसीएस मार्ग प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए इंडक्शन की आवश्यकता होती है।

2018–19 के दौरान 1.60 मिलियन यात्रियों के मुकाबले एएएएल ने 2019–20 के दौरान 1.64 मिलियन यात्रियों का वहन किया। वर्ष 2019–20 में यात्री कैरीज में 2.65% की वृद्धि देखी गई। इसी प्रकार, नेटवर्क का 55 गंतव्यों से 61 गंतव्यों तक विस्तार हुआ, प्रतिदिन 109 प्रस्थान से 126 प्रस्थान और प्रति सप्ताह 607 उड़ानें से प्रति सप्ताह 735 उड़ानें प्रचालित की जा रही है। वित्त वर्ष 2018–19 की तुलना में वित्त वर्ष 2019–20 में 3.32% की वृद्धि के साथ 51758 ब्लॉक घंटे से विमान उपयोग बढ़कर 53477 ब्लॉक घंटे हो गया है।

एलाइंस एअर द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 में अर्जित 99,302.87 करोड़ रुपए के प्रचालन राजस्व की तुलना में वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु प्रक्षिप्त राजस्व लगभग 85,000 करोड रुपए है। सिद्धान्तः यह वृद्धि एएसकेएम में वृद्धि के अलावा एटीआर 72–600 विमान के औसत दैनिक 8.78 घंटे से बढ़कर 9.20 घंटे दैनिक वृद्धि के फलस्वरूप एटीआर 72–600 विमान के प्रभावी उपयोग में वृद्धि के कारण है।

कंपनी द्वारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र जैसे असम में गुवाहाटी, लीलाबाड़ी, तेजपुर, मेघालय में शिलांग और अगाती और दीव हेतु वायबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) व्यवस्था के तहत एनईसी और एमएचए के अनुरोध पर प्रचालन जारी रखा गया। ये मार्ग परिचालनात्मक दृष्टि से लाभप्रद हैं।

कंपनी भारत सरकार की योजना 'उड़ान' में एक प्रमुख प्रतिभागी के रूप में उभरी है, जो गैर–सेवित/अल्पसेवित एयरपोर्टों के विकास के साथ विभिन्न टायर II और टायर III शहरों को जोड़ती है। टायर II और टायर III शहरों में वृद्धि अभी भी काफी हद तक अप्रयुक्त है और एलाइंस एअर के इन छोटे हवाई अड्डों पर प्रचालन के लिए उपयुक्त नवीन एटीआर 72–600 बेड़े के साथ सबसे बड़े खिलाड़ी के रूप में उभरने की संभावना है।

कंपनी ने भारत सरकार की 'उड़ान' योजना में प्रमुख संसाधनों का निवेश करने के लिए रणनीतिक योजना बनाई है। 'उड़ान' के तहत एयरलाइन का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा है, जिसमें कंपनी का प्रचालन सकारात्मक रहा है। कंपनी 31 मार्च 2019 तक 29 'उड़ान' मार्गों पर प्रचालन कर रही थी, जो वर्तमान में 31 मार्च 2020 को बढ़कर 61 मार्गों पर पहुंच गई है। एलाइंस एअर वित्त वर्ष 2019–20 से 10% की वृद्धि पर 58% उड़ान मार्गों पर प्रचालन कर रही है। कम्पनी द्वारा उड़ान–4 में सक्रिय रूप से भाग लिया गया व अंतिम आबंटन प्रतीक्षित है। कंपनी द्वारा कुल 95 उड़ान मार्ग हासिल किए गये। 'उड़ान' क्षेत्रों पर अधिक संसाधनों को तैनात करके एलाइंस एअर लाभप्रदता की ओर अग्रसर हो रही है।

कंपनी लगातार हानिप्रद मार्गों का मूल्यांकन भी कर रही है, और सोच विचार कर इन मार्गों से प्रचालन को उच्च राजस्व आय वाले मार्गों में स्थानांतरित कर दिया है। उल्लेखनीय है कि कंपनी ने उड़ान राउंड 3 और 3.1 में भाग लिया है व परिणामतः कम्पनी को 52 और मार्ग आवंटित किए गए हैं। ऐसे मार्गों पर कंपनी की कुल दावेदारी अब 95 पर है।

एयरलाइन यील्ड बढ़ा रही है और साल के अंत में औसत यील्ड 4,132 रु. प्रति यात्री था। इसके अलावा कंपनी ने लागत में कमी के लिए लागत बचत उपायों को लागू किया है।

विमान पट्टे पर लेना, आरक्षण प्रणाली, सूची प्रबंधन, एसएपी इत्यादि के लिए कॉर्पोरेट गारंटी प्रदान करने और कंपनी की प्रचालन और वित्तीय गतिविधियों में सुधार के लिए किए गए अन्य विभिन्न उपायों के लिए एअर इंडिया लिमिटेड के सहयोग से यह स्पष्ट है कि कंपनी ने वर्ष 2019–20 में प्रचालन लाभ अर्जित किया है व कंपनी की वित्तीय स्थिति में भविष्य में सुधार होने की अपेक्षा है।

एलाइंस एअर टर्नअराउंड की दहलीज पर है और अगले दशक में भारत में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी का नेतृत्व करने और एशिया का एक प्रमुख क्षेत्रीय वाहक बनने की ओर अग्रसर है। एलाइंस एअर ने इस वित्तीय वर्ष 2020–21 में प्रतिकूल वित्तीय मापदंडों की प्रवृत्ति को उलटने की योजना बनाई और इसके बाद लाभ को और मजबूत किया।

## जोखिम न्यूनीकरण नीति

कम्पनी द्वारा निरन्तर जोखिम धारणाओं को मॉनीटर किया जाता है तथा विविध क्षेत्रों के जोखिम को कम करने हेतु निवारक कार्रवाई की जाती है।

## आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

कम्पनी द्वारा विभिन्न प्रकार के आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य करने, जैसे कर अनुपालन, जोखिम मूल्यांकन और कमी, आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया को मजबूत करना इत्यादि करने हेतु वर्ष 2019–20 के लिए मैसर्स के.के. सोनी एण्ड कम्पनी को आंतरिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है।

अनुलग्नक–क

# निगमित प्रशासन पर रिपोर्ट

## 1. निदेशक मंडल

कम्पनी के संगम अनुच्छेद के अनुसार, कम्पनी में निदेशकों की संख्या 3 से कम और 12 से अधिक नहीं होगी।

### 31 मार्च, 2020 को निदेशक मंडल

| | |
|---|---|
| श्री राजीव बंसल | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक– एअर इंडिया लि.–अध्यक्ष |
| श्री प्रांजोल चन्द्रा | निदेशक, नागर विमानन मंत्रालय |
| श्रीमती कुसुम लता शर्मा | निदेशक (वित्त), नागर विमानन मंत्रालय |
| श्री विनोद हेजमाड़ी | निदेशक (वित्त) एअर इंडिया लि. |
| श्री प्रेम सिंह नेगी | क्षेत्रीय निदेशक–उत्तरी क्षेत्र, एअर इंडिया लि. |

वर्ष के दौरान बोर्ड की सभी बैठकों की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की गई। कंपनी की निष्पादन की सामयिक समीक्षा हेतु वर्ष के दौरान बोर्ड की 5 बैठकें आयोजित की गई, जिसमें VT-ABO विमान के 2 PW121 इंजनों का एक (1) PW127M इंजन से विनिमय, बोर्ड के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण नीति, एएएएल के वर्तमान 2 एटीआर 42-320 विमानों के स्थान पर 2 नए एटीआर 42-600 विमान, टीएपी के अनुसार विस्तार हेतु नए एटीआर–72 विमानों को बेड़े में शामिल करना, कम्पनी के नाम में बदलाव, कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुसार कम्पनी का ज्ञापन व संगम अनुच्छेद, MSME आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान हेतु TRED के साथ पंजीकरण, MSN 1197 (VT-AII) व 1226 (VT-AIT) विमान की लीज़ में संशोधन, विसल ब्लोअर नीति आदि।

## 2. बोर्ड प्रक्रिया

बोर्ड के निदेशक मण्डल की बैठकें आमतौर पर नई दिल्ली में एअर इंडिया मुख्यालय में आयोजित की जाती हैं। बैठकें अग्रिम रूप से शिड्यूल की जाती हैं। आवश्यकता/अत्यावश्यकता के मामले में प्रस्तावों को सर्कुलेशन द्वारा पारित किया जाता है। कम्पनी के प्रचालन निष्पादन की समीक्षा करने के लिए बोर्ड की एक तिमाही में कम से कम 01 बैठक की जाती है। बैठकों का एजेंडा संबंधित विभागों के अधिकारियों द्वारा तैयार किया जाता है और मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किया जाता है। बोर्ड के दस्तावेज निदेशकों को अग्रिम रूप में दिए जाते हैं। बोर्ड के सदस्यों की सभी जानकारियों तक पहुंच होती है और वे एजेंडे में चर्चा हेतु किसी भी मामले को शामिल करने की सलाह देने के लिए स्वतंत्र है। बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को आमंत्रित किया जाता है और अपेक्षित स्पष्टीकरण प्रदान किए जाते हैं। अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्टों को आवधिक तौर पर बोर्ड में रखा जाता है। कम्पनी के मामलों को बेहतर और ज्यादा ध्यान केन्द्रित करने हेतु, बोर्ड के कुछ मामलों को, इस उद्देश्य के लिए बनाए गए बोर्ड की समितियों को सौंपा जाता है।

बोर्ड की बैठकों, सामान्य वार्षिक बैठकों, निदेशकों की उपस्थिति, निदेशकों के निदेशक पद और समितियों में पोज़ीशन का ब्यौरा इस प्रकार है :

बोर्ड की बैठकें :

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान निम्नलिखित तिथि के अनुसार बोर्ड की बैठकें आयोजित की गईः

26 जून 2019 (157वीं बैठक)
24 जुलाई 2019 (158वीं बैठक)
14 नवम्बर 2019 (159वीं बैठक)
28 नवम्बर 2019 (160वीं बैठक)
02 मार्च 2020 (161वीं बैठक)

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान बोर्ड/शेयरधारकों की बैठकों में निदेशकों का उपस्थिति सहित विवरण।

| निदेशकों के नाम | शैक्षणिक योग्यता | 05 बोर्ड बैठकों में उपस्थिति | अन्य कंपनियों में निदेशक पद का विवरण | समितियों में सदस्यता |
|---|---|---|---|---|
| श्री अश्वनी लोहानी<br>अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक–एअर इंडिया लि.<br><br>अध्यक्ष<br>(14.02.2019 से नियुक्ति एवं 14.02.20 से निदेशक पद पर नहीं रहे) | मैकैनिकल इंजीनियर एवं फैलो ऑफ चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लॉजेस्टिक एण्ड ट्रांसपोर्ट | 4 | <u>अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक</u><br>एअर इंडिया लिमिटेड<br><u>पार्ट–टाइम अध्यक्ष</u> एअर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेस लि. (एआईएएसएल)<br>एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लि.(एआईईएसएल)<br>एअर इंडिया एक्सप्रैस लि. (एआईएक्सएल)<br>होटल कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (एचसीआई)<br>एअर इंडिया सैट्स एयरपोर्ट सर्विसेस प्रा. लि.<br>एअर इंडिया एसैटस होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल)<br><u>निदेशक</u><br>एअर मॉरिशस लिमिटेड<br>एअर मॉरिशस होल्डिंग लिमिटेड | <u>एआईएल सदस्य</u><br>नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति<br><u>एआईएएसएल</u><br><u>अध्यक्ष</u><br>कारपोरेट सोशल रिसपॉन्सिबिलीटी समिति_<br><br><u>सदस्य</u><br>लेखा परीक्षा समिति,<br><u>एचसीआई</u><br><u>सदस्य</u><br>लेखा परीक्षा समिति |
| श्री राजीव बंसल<br>अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक–एअर इंडिया लि.<br><br>अध्यक्ष<br>(14.02.2020 से नियुक्ति) | सिविल इंजीनियर, आईआईटी दिल्ली, फाईनेंस में डिप्लोमा, आईसीएफएआई हैदराबाद, ईएक्सई मास्टर्स इन इन्टेल बिजनेस आईआईएफटी, दिल्ली | 1 | <u>अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक</u><br>एअर इंडिया लिमिटेड<br><u>पार्ट–टाइम अध्यक्ष</u> एअर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेस लि. (एआईएएसएल)<br>एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लि. (एआईईएसएल)<br>एअर इंडिया एक्सप्रैस लि. (एआईएक्सएल)<br>होटल कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (एचसीआई)<br>एअर इंडिया सैट्स एयरपोर्ट सर्विसेस प्रा. लि.<br>एअर इंडिया एसैटस होल्डिंग लिमिटेड (एआईएचएल)<br><u>निदेशक</u><br>एअर मॉरिशस लिमिटेड<br>एअर मॉरिशस होल्डिंग लिमिटेड | <u>एआईएल सदस्य</u><br>नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति<br><u>एआईएएसएल</u><br><u>अध्यक्ष</u><br>कारपोरेट सोशल रिसपॉन्सिबिलीटी समिति_<br><br><u>सदस्य</u><br>लेखा परीक्षा समिति,<br><u>एचसीआई</u><br><u>सदस्य</u><br>लेखा परीक्षा समिति |

| निदेशकों के नाम | शैक्षणिक योग्यता | 05 बोर्ड बैठकों में उपस्थिति | अन्य कंपनियों में निदेशक पद का विवरण | समितियों में सदस्यता |
|---|---|---|---|---|
| श्री विनोद हेजमाड़ी<br><br>निदेशक– (वित्त) एअर इंडिया लि. | बी. कॉम, एसीए | 5 | निदेशक<br>एअर इंडिया लि.<br>एअर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेस लि. (एआईएएसएल)<br>एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लि. (एआईईएसएल)<br>एअर इंडिया एक्सप्रैस लि. (एआईएक्सएल)<br>होटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (एचसीएल)<br>एअर इंडिया सैट्स एयरपोर्ट सर्विसेस प्रा. लि.<br>एअर इंडिया एसैटस होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल) | एएएएल<br>अध्यक्ष<br>एचआर समिति<br>सदस्य<br>लेखा परीक्षा समिति<br>उड़ान संरक्षा समिति<br>एआईएक्सएल<br>अध्यक्ष<br>कारपोरेट सोशल रिसपॉन्सिबिलीटी समिति<br>सदस्य<br>लेखा एवं वित्त समिति<br>एचआर एवं नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति<br>एआईएल<br>सदस्य<br>एचआर समिति<br>कारपोरेट सोशल रिसपॉन्सिबिलीटी एवं स्थिरता विकास समिति, शेयर आबंटन समिति<br>चयन समिति<br>उड़ान संरक्षा समिति<br>एआईएएसएल<br>सदस्य<br>कारपोरेट सोशल रिसपॉन्सिबिलीटी समिति_<br>लेखा परीक्षा समिति,<br>एचसीआई<br>सदस्य<br>लेखा परीक्षा समिति<br>एआईईएसएल |

| निदेशकों के नाम | शैक्षणिक योग्यता | 05 बोर्ड बैठकों में उपस्थिति | अन्य कंपनियों में निदेशक पद का विवरण | समितियों में सदस्यता |
|---|---|---|---|---|
| | | | | सदस्य<br>लेखा परीक्षा समिति<br>एआईसैट्स<br>अध्यक्ष<br>कारपोरेट सोशल रिसपॉन्सिबिलीटी समिति |
| श्री अंशुमाली रस्तोगी,<br><br>निदेशक (वित्त), नागर विमानन मंत्रालय<br><br>(दिनांक 20.01.2020 से निदेशक पद पर नहीं रहे) | फैलो, इंस्टीटियूशन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर, लंदन चार्टर्ड इंजीनियर (मैकेनिकल इंजीनियरिंग), इंजीनियरिंग परिषद, लंदन के साथ पंजीकृत | 2 | निदेशक<br>एअर इंडिया एक्सप्रैस लि. (एआईएक्सएल)<br>एएआई कार्गो लॉजिस्टिक एवं एलाइड सर्विसेस कम्पनी लि. | एएएएल<br>अध्यक्ष<br>लेखा परीक्षा समिति<br>एआईएक्सएल<br>अध्यक्ष<br>लेखा परीक्षा समिति<br>सदस्य<br>सीएसआर समिति |
| श्रीमती कुसुम लता शर्मा<br>निदेशक (वित्त), नागर विमानन मंत्रालय<br>(20.01.2020 से निदेशक पद पर नियुक्ति) | एलएलएम | 1 | निदेशक<br>एअर इंडिया एक्सप्रैस लि. (एआईएक्सएल) | एएएएल<br>अध्यक्ष<br>लेखा परीक्षा समिति<br>सदस्य<br>एचआर समिति<br>एआईएक्सएल<br>अध्यक्ष<br>लेखा परीक्षा एवं वित्त समिति<br>सदस्य<br>सीएसआर समिति<br>एचआर, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति |
| श्री प्रांजोल चन्द्रा<br><br>निदेशक, नागर विमानन मंत्रालय<br><br>(दिनांक 31.08.18 से निदेशक पद पर नियुक्ति) | बी.ई. मैकेनिकल | 4 | निदेशक<br>एअर इंडिया एक्सप्रेस लि. (एआईएक्सएल) | एएएएल<br>अध्यक्ष<br>उड़ान संरक्षा समिति<br>सदस्य<br>लेखा परीक्षा समिति<br>एआईएक्सएल |

| निदेशकों के नाम | शैक्षणिक योग्यता | 05 बोर्ड बैठकों में उपस्थिति | अन्य कंपनियों में निदेशक पद का विवरण | समितियों में सदस्यता |
|---|---|---|---|---|
| | | | | सदस्य<br>लेखा परीक्षा एवं वित्त समिति<br>सीएसआर समिति<br>अध्यक्ष<br>एचआर, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति |
| श्री पंकज कुमार<br><br>का.नि., उत्तरी क्षेत्र<br>एअर इंडिया लिमिटेड<br><br>(दिनांक 30.04.19 से निदेशक पद पर नहीं रहे) | मार्केटिंग में एमबीए | 0 | – | – |
| श्री प्रेम सिंह नेगी<br><br>का.नि., उत्तरी क्षेत्र<br>एअर इंडिया लिमिटेड<br><br>(दिनांक 07.10.2019 से निदेशक पद पर नियुक्ति) | बीएससी / एमबीए (पीजीडीबीए) | 3 | – | – |

## 3 लेखा परीक्षा समिति

निगमित प्रशासन प्रक्रिया के भाग के रूप में व कम्पनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों और डीपीई के मार्गदर्शन के अनुपालन के तहत बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति का गठन किया गया है।

31 मार्च, 2020 को लेखा परीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य थे:

| | |
|---|---|
| श्री अंशुमाली रस्तोगी | अध्यक्ष (दिनांक 20.01.2020 से निदेशक पद पर नहीं रहे) |
| श्रीमती कुसम लता शर्मा | अध्यक्ष (20.01.2020 से नियुक्ति) |
| श्री प्रांजोल चन्द्रा | सदस्य |
| श्री विनोद हेजमाड़ी | सदस्य |
| श्री राजीव बंसल | स्थायी आमंत्रित |

**लेखा परीक्षा समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं :**

- नियुक्ति, पारिश्रमिक और कम्पनी के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की शर्तों के लिए सिफारिश करना।
- लेखा परीक्षकों की स्वतंत्रता और निष्पादन व लेखा परीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा व मॉनीटर करना।
- आंतरिक लेखा परीक्षा कार्यक्रम की समीक्षा करना और आंतरिक व बाह्य लेखा परीक्षकों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के

साथ–साथ यह तय करना कि आंतरिक लेखा परीक्षा का कार्य कम्पनी के व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप है या नहीं।

- लेखा परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व लेखा परीक्षक के साथ लेखा परीक्षा की प्रकृति और कार्य क्षेत्र के संबंध में चर्चा करना।
- वित्तीय विवरणी और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की जांच करना।
- सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा करना, प्रबंधन की प्रतिक्रिया और सांविधिक लेखा परीक्षकों की सिफारिशों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना।
- संबंधित पार्टियों के साथ कम्पनी के लेन–देन का अनुमोदन या तदन्तर कोई संशोधन करना।
- अन्तर कारपोरेट ऋण और निवेश की संवीक्षा।
- जहां कहीं भी आवश्यक हो कम्पनी के उपक्रमों या परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन करना।
- आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणाली का मूल्यांकन।
- पब्लिक ऑफर के माध्यम से एकत्र किए गए धन के अंतिम उपयोग की मॉनिटरिंग करना और संबंधित मामले।
- बोर्ड द्वारा वांछित अन्य मामलों पर विचार करना।

अन्य मुद्दों के साथ–साथ कम्पनी के वार्षिक लेखों को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व लेखा परीक्षा समिति की वर्ष के दौरान निम्नलिखित तिथियों पर तीन बैठकें आयोजित की गई।

24 जुलाई, 2019 (16वीं बैठक)
13 नवम्बर, 2019 (17वीं बैठक)
02 मार्च, 2020 (18वीं बैठक)

**बैठक में उपस्थित सदस्य**

| सदस्यों के नाम | बैठक में उपस्थिति की सं. |
|---|---|
| श्री अंशुमाली रस्तोगी | 1 |
| श्री प्रांजोल चन्द्रा | 2 |
| श्री विनोद हेजमाड़ी | 3 |
| श्रीमती कुसुम लता शर्मा | 1 |

**4. पिछले तीन वर्षों की वार्षिक सामान्य बैठक**

| | बैठक की तिथि एवं समय | स्थान |
|---|---|---|
| 34वीं वार्षिक सामान्य बैठक | 27 सितम्बर, 2017 को 1100 बजे | बोर्ड रूम, एयरलाइंस हाउस, 113 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड़, नई दिल्ली–110001 |
| 35वीं वार्षिक सामान्य बैठक | 26 दिसम्बर, 2018 को 1100 बजे | बोर्ड रूम, एयरलाइंस हाउस, 113 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड़, नई दिल्ली–110001 |

| | | |
|---|---|---|
| 36वीं वार्षिक सामान्य बैठक | 26 सितम्बर, 2019 को 1500 बजे | बोर्ड रूम, एयरलाइंस हाउस, 113 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड़, नई दिल्ली–110001 |
| असाधारण सामान्य बैठक | 11 फरवरी, 2020 को 1200 बजे | बोर्ड रूम, एयरलाइंस हाउस, 113 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड़, नई दिल्ली–110001 |

# आचार संहिता

## घोषणा

मैं यह घोषणा करता हूं कि बोर्ड के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों द्वारा 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशक मंडल द्वारा अपनाए गए आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की गई है।

हस्ता/–
**(सी.एस. सुब्बैया)**
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड

स्थानः दिल्ली
दिनांकः 20 अक्तूबर 2020

# सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट
## 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

**(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) तथा कंपनी (कार्मिकों की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसरण में)**

सेवा में,
सभी सदस्य
एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड
एलाइंस भवन, अन्तर्देशीय टर्मिनल–1,
आई.जी.आई एयरपोर्ट, नई दिल्ली–110037

मैंने एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड (सीआईएनः यू51101डीएल1983जीओआई016518) (इसके बाद 'कंपनी' के नाम से जानी जाएगी) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के पालन एवं उचित निगमित कार्यप्रणाली के अनुपालन की सचिवीय लेखापरीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार से की गई है जिससे मुझे निगमित कार्यों/सांविधिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने एवं उस पर अपनी राय व्यक्त करने हेतु एक उचित आधार मिला।

कम्पनी की लेखा बहियों, कागज़ातों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, फॉर्मों और फाइल किए गए रिटर्न तथा कंपनी द्वारा रखे जा रहे दूसरे रिकार्डों तथा साथ ही कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा सचिवीय लेखापरीक्षा के दौरान उपलब्ध कराई गई जानकारी मैं, एतदद्वारा रिपोर्ट करता हूं कि मेरे विचार में 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी ने एतद्धीन सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और कंपनी में समुचित बोर्ड प्रक्रिया है एवं अनुपालन प्रणाली उस सीमा तक स्थापित है जैसा कि निम्नलिखित रिपोर्ट में है :–

मैंने, निम्नलिखित के प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए मुझे उपलब्ध करवाए गए लेखाबहियों, कागज़ातों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, फार्मों, फाइल किए गए रिटर्न तथा एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड द्वारा रखे जा रहे अन्य रिकार्डों की जांच की :

(i) निम्नलिखित टिप्पणियों के आधार पर कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) एवं उसके अधीन बनाए गए नियमः

क) चूंकि कंपनी को स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए पब्लिक लिमिटेड कंपनी (एअर इंडिया लिमिटेड) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होने के कारण, लेखा परीक्षा समिति का गठन स्वतंत्र निदेशकों के बिना किया जाता है। अधिनियम की धारा 177 (2) के प्रावधानों व कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसके अधिकार) नियम, 2014 के नियम 6 का अनुपालन न करने पर, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ लेखा परीक्षा समिति के सदस्य के रूप में एक स्वतंत्र निदेशक की आवश्यकता होती है।

ख) अधिनियम की धारा 178 के साथ पठित कम्पनी नियम (बोर्ड की बैठकें व शक्तियां) 2014 के नियम 6 के अनुसार, कम्पनी द्वारा बोर्ड की पारिश्रमिक व नामांकन समिति का गठन नहीं किया गया है।

ग) कंपनी में 01 अप्रैल, 2019 से 19 जनवरी 2020 तक अधिनियम की धारा 149 के अन्तर्गत, आवश्यक एक महिला निदेशक नहीं है।

(ii) सुरक्षा संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 (एससीआरए) और इसके तहत बनाए गए नियम।

(iii) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और इसके अंतर्गत तैयार उपनियम।

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 और उसके अधीन तैयार नियम व विनियम के तहत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ओवरसीज़ प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार। (कंपनी के पास प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ओवरसीज प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधार नहीं है प्रबंधन द्वारा इसकी पुष्टि की गई है **(अतः कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।)**;

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम) के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देशः

क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों और टेकओवर का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम, 2011 **(कंपनी पर लागू नहीं होते हैं);**

ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2011 **(कंपनी पर लागू नहीं होते हैं);**

ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इश्यू और शेयर ट्रांसफर एजेंटों का रजिस्ट्रार) विनियम, 1993 कंपनी अधिनियम के बारे में और ग्राहक के साथ व्यापार **(कंपनी पर लागू नहीं होते हैं);**

घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं संबंधी मदें) विनियम, 2009 **(कंपनी पर लागू नहीं होते हैं);**

ड.) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) दिशानिर्देश, 1999 और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 **(कंपनी पर लागू नहीं होते हैं);**

च) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूति को जारी करना और सूचीकरण) विनियम, 2008 **(कंपनी पर लागू नहीं होते हैं);**

छ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करना) विनियम, 2009 **(कंपनी पर लागू नहीं होते हैं);**

ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति की पुनर्खरीद) विनियम, 1998 **(कंपनी पर लागू नहीं होते हैं);**

(vi) कंपनी में विशेष रूप से निम्नलिखित अधिनियम/गाइडलाइंस लागू होते हैं :–

- एयरक्राफ्ट एक्ट, 1934
- कैरिज बाई एयर एक्ट, 1972
- टोकियो कन्वेंशन एक्ट, 1975
- एंटी–हाईजैकिंग एक्ट, 1982
- सुप्ररेशन ऑफ अनलॉफुल एक्टस एगेन्स्ट सेफ्टी ऑफ सिविल एविएशन एक्ट 1982
- नागर विमानन महानिदेशक (डीजीसीए) द्वारा जारी नागर विमानन आवश्यकताएं

प्रबंधन द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण और प्रतिवेदन के आधार पर, मैं रिपोर्ट करता हूं कि नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने विमान अधिनियम, 1934 की धारा 4 के साथ पठित विमान नियम, 1937 के नियम 133ए के तहत नागर विमानन आवश्यकताओं को जारी किया है व डीजीसीए चेक सिस्टम के तहत कम्पनी द्वारा ऐसी आवश्यकताओं का अनुपालन करना आवश्यक है। कानून के व्यापक सिद्धांत विमान नियम, 1937 में निहित हैं व विस्तृत आवश्यकताओं और अनुपालन प्रक्रिया को निर्दिष्ट करने के लिए नागर विमानन आवश्यकताओं को जारी किया जाता है।

प्रबंधन द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण और प्रतिवेदन के अनुसार, नागर विमानन महानिदेशक द्वारा नियामक लेखा परीक्षा नीति व कार्यक्रम के संबंध में दिनांक 21.12.2011 के माध्यम से परिपत्र जारी किया गया है जिसके तहत संगठन की गतिविधियों में आंतरिक नियंत्रण का पता लगाने के उद्देश्य से नियामक लेखा परीक्षा की जाती हैं ताकि विनियामक आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। कंपनी द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि कंपनी की नियामक लेखा परीक्षा नागर विमानन महानिदेशक की लेखा परीक्षा टीम द्वारा डीजीसीए की नियामक लेखा परीक्षा नीति के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा प्रक्रिया व लेखा परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार किया जाता है। महानिदेशक द्वारा नामित संयुक्त नागर विमानन महानिदेशक सभी नियामक लेखा परीक्षा व जांच के लिए उत्तरदायी होगें और सामान्यतः संयोजक प्राधिकारी होगें।

विमान अधिनियम 1934 के अनुसार आरम्भिक प्रमाणन हेतु नियामक लेखा परीक्षा अनुमोदन प्राप्ति के लिए, अतिरिक्त अनुमोदन, रूटीन कॉनफॉरमेन्स तथा विशेष उद्देश्य लेखा परीक्षा हेतु की जाती है। नागर विमानन महानिदेशक या उनकी ओर से केन्द्र सरकार द्वारा विशेष रूप से अधिकार प्राप्त अधिकारी इस अधिनियम या उसके तहत तैयार नियमों में निर्धारित मामलों के संबंध में सुरक्षा ओवरसाइट कार्यों को देखते हैं।

मैं आगे यह रिपोर्ट करता हूं कि प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी, स्पष्टीकरण और प्रतिवेदन के आधार पर, कंपनी आमतौर पर उपरोक्त कानूनों के अनुपालन में नियमित है ऐसे विमानन कानूनों का कंपनी द्वारा अनुपालन नागर विमानन महानिदेशालय और अन्य नामित विशेषज्ञों/प्राधिकारियों द्वारा समीक्षा का विषय है, मैंने इस लेखा परीक्षा में उसकी समीक्षा नहीं की है।

मैंने निम्नलिखित लागू अनुच्छेदों के अनुपालन की भी जांच की है:

क) भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान द्वारा जारी निदेशक मण्डल की बैठकें (एसएस –1) और सामान्य बैठकें (एसएस –2) के संबंध में जारी सचिवीय मानक।

ख) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम, 2010 के लिए निगमित प्रशासन पर भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश।

मैं, निगमित प्रशासन पर उपरोक्त दिशानिर्देशों के आधार पर निम्नलिखित टिप्पणियां रिपोर्ट करता हूं:

(i) डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 3.1 के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल का गठन नहीं किया गया है, अर्थात् क्रियाशील, नामांकित और स्वतंत्र निदेशकों का कोई अनुकूल संयोजन नहीं है और नामित निदेशकों की संख्या 2 की निर्धारित सीमा से अधिक है।

(ii) डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 3.1.1.4 के अनुसार कंपनी में 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 की अवधि के दौरान कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था।

(iii) डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 3.3 के अनुसार, बोर्ड की प्रति तिमाही में कम से कम एक बैठक और वर्ष में कम से कम चार बैठकें आयोजित की जानी आवश्यक है। इसके अलावा, किन्हीं भी दो बैठकों के बीच का समय अंतराल तीन महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। यह देखा गया है कि कंपनी ने तीन महीनों में बोर्ड की बैठक नहीं की है और 24.07.2019 और 14.11.2019 को आयोजित दो बोर्ड बैठकों के बीच अंतर तीन महीने से अधिक है।

(iv) डीपीई दिशानिर्देशों के लिए अनुबंध IV में निर्धारित न्यूनतम जानकारी को दिशानिर्देशों के खंड 3.3 के तहत अपेक्षानुसार तिमाही वित्तीय परिणामों और विदेशी मुद्रा जोखिम और जोखिम को सीमित करने के लिए उठाए गए कदमों को छोड़कर आम तौर पर बोर्ड के समक्ष रखा जाता है।

(v) चूंकि कंपनी में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है, अतः लेखा परीक्षा अवधि के दौरान डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 4.1.1 और 4.1.2 के अनुसार लेखा परीक्षा समिति का गठन नहीं हुआ।

(vi) इसके अलावा डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 4.4 के अनुसार, ऑडिट कमेटी को एक वर्ष में चार बैठकें आयोजित करनी आवश्यक है और दो बैठकों के बीच चार महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, बैठक के कोरम के लिए न्यूनतम दो स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति अनिवार्य है। यह देखा गया है कि 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 महीनों के दौरान लेखा परीक्षा समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई। लेखा परीक्षा समिति की बैठकें स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति के बिना आयोजित की जाती हैं।

(vii) डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 5.1 के अनुसार कंपनी ने आवश्यक पारिश्रमिक समिति का गठन नहीं किया है।

मैं आगे यह भी रिपोर्ट करता हूं कि समीक्षा वर्ष के दौरान, मुझे दिए गए स्पष्टीकरण और प्रबंधन द्वारा दिए गए प्रतिवेदन के अनुसार, कंपनी द्वारा आम तौर पर उल्लिखित अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों और मानकों के प्रावधानों का पालन किया गया जो निम्नांकत टिप्पणियों के अधीन हैं।

मै आगे रिपोर्ट करता हूं कि:

- उपरोक्तानुसार कंपनी के निदेशक मंडल का विधिवत गठन नहीं किया गया है। समीक्षा अवधि के दौरान निदेशक मंडल के संयोजन में परिवर्तन, अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन में किया गया है।
- सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठकें आयोजित करने का पर्याप्त नोटिस दिया जाता है व कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत प्रस्ताव विधिवत रूप से निर्दिष्ट समय सीमा का अनुपालन करते हुए अग्रिम रूप से भेजे गए और बैठक में अर्थपूर्ण सहभागिता के लिए कार्यसूची पर और अधिक जानकारी एवं स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए एक प्रणाली बनाई गई है।
- बैठक के कार्यवृत्त विधिवत रूप से रिकार्ड किए गए व अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित और प्रबंधन द्वारा प्रतिवेदन के अनुसार बोर्ड के निर्णय एकमत थे।

मैं आगे रिपोर्ट करता हूं कि कंपनी द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी के आधार पर और प्रबंधन द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण व प्रतिवेदन के अनुसार मेरी राय में कम्पनी के आकार और प्रचालन की प्रकृति के अनुसार कंपनी में लागू सामान्य कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित करने व मॉनिटर करने के लिए पर्याप्त प्रणाली व प्रक्रियाएं तथा नियंत्रण मैकेनिज्म मौजूद हैं, तथापि निम्नलिखित कार्रवाई द्वारा अनुपालन प्रबंधन प्रणाली को और सशक्त किए जाने की आवश्यकता है:

क) एक वरिष्ठ कर्मचारी को अनुपालन अधिकारी के रूप में नामित करना;

ख) अनुपालन अधिकारी के साथ क्रियाशील इकाइयों के प्रभावी समन्वय को स्थापित करने और बनाए रखने के लिए;

ग) तिमाही अनुपालन रिपोर्ट बोर्ड को प्रस्तुत करना।

घ) अनुपालन चैक सूची बनाए रखना और गैर–अनुपालन का पता लगाने के लिए मैकेनिज्म स्थापित करना।

ड.) विभिन्न प्राधिकरणों से प्राप्त कम्पनी के विरूद्ध शिकायतों /कारण बताओ नोटिसों हेतु एक रजिस्टर रखना।

च) बोर्ड के सम्मुख कंपनी द्वारा दायर किए गए कानूनी मामलों और इनकी स्थिति के बारे में पूरा ब्यौरा रखना।

मैं आगे रिपोर्ट करता हूं कि कंपनी द्वारा लागू वित्तीय कानूनों जैसे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर कानूनों के अनुपालन की समीक्षा इस लेखापरीक्षा में नहीं की गई है क्योंकि उसकी समीक्षा सांविधिक वित्तीय लेखापरीक्षा एवं अन्य पदनामित व्यावसायिकों द्वारा की जाती है।

मैं, आगे रिपोर्ट करता हूं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, कम्पनी का नाम एयरलाइन एलाइड सर्विसेस लिमिटेड से एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड बदलने के सिवाय कंपनी ने उपरोक्त संदर्भित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशा–निर्देशों, मानकों इत्यादि के अनुपालन में, कंपनी के मामलों पर कोई विशेष प्रभाव डालने वाली घटनाएं/कार्रवाई नहीं हुई।

हस्ता./–
**(यू.सी. शुक्ला)**
कम्पनी सचिव
एफसीएसः 2727/सीपीः 1654

स्थान : मुम्बई
दिनांक : 5 नवंबर 2020

**नोटः यह रिपोर्ट हमारे समसंख्यक तारीख के पत्र के साथ पढ़ी जाए जो परिशिष्ट ''क'' के रूप में संलग्न की गई है तथा इस रिपोर्ट का अविभाज्य भाग है ।**

**परिशिष्ट क'**

सेवा में
सभी सदस्य
एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड
एलाइंस भवन, अन्तर्देशीय टर्मिनल–1,
आईजीआई एयरपोर्ट, नई दिल्ली–110037

मेरी, समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जाए :

1. सचिवीय रिकार्डों का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। मेरी जिम्मेदारी, मेरी लेखापरीक्षा पर आधारित सचिवीय रिकार्डों पर अपनी राय व्यक्त करना है ।

2. मैंने, सचिवीय रिकॉर्डों की विषयवस्तु की सत्यता के संबंध में औचित्यपूर्ण आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की उपयुक्त परंपरा और प्रक्रिया का अनुसरण किया है। सत्यापन टेस्ट चेक के आधार पर किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सचिवीय रिकार्डों में दर्शाए गए तथ्य सही है। मुझे विश्वास है कि जिस परंपरा और प्रक्रिया का मैंने अनुसरण किया है, मेरी राय को एक उचित आधार प्रदान करते हैं ।

3. मैंने कंपनी के वित्तीय रिकार्डों और लेखा बहियों की विशुद्धता और अनुकूलता का सत्यापन नहीं किया है ।

4. जहां कहीं आवश्यक हो, मैंने कानून, नियमों और विनियमों तथा घटनाओं की यथार्थता आदि के संबंध में प्रबंधन का रीप्रेजेन्टेशन प्राप्त किया है ।

5. कॉर्पोरेट और लागू अन्य कानून के प्रावधान, नियमों, विनियमों और मानकों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। मेरी जांच, टेस्ट चेक के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी ।

6. यह सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो भविष्य में कंपनी की सक्षमता का आश्वासन देती है और न ही प्रबंधन द्वारा किए जा रहे कंपनी के कार्यों की प्रभावोत्पादकता अथवा प्रभावकारिता का ।

हस्ता./–
**(यू.सी. शुक्ला)**
कम्पनी सचिव
एफसीएस नं.: 2727/सीपी: 1654

स्थान : मुम्बई
दिनांक : 5 नवंबर 2020

## वर्ष 2019–20 के लिए निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक
## फॉर्म संख्या एमजीटी 9–वार्षिक रिटर्न से उद्धरण

**31.03.2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष** का कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) तथा कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसरण में

### I. पंजीकरण तथा अन्य विवरण

| | | |
|---|---|---|
| 1 | सीआईएन | यू51101डीएल1983जीओआई016518 |
| 2 | पंजीकरण की तारीख | 13/09/1983 |
| 3 | कंपनी का नाम | एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड<br>(पूर्व में एयरलाइन एलाइड सर्विसेस लिमिटेड) |
| 4 | कंपनी की श्रेणी/उप–श्रेणी | सरकारी कम्पनी |
| 5 | पंजीकृत कार्यालय का पता तथा संपर्क विवरण | 'एलाइंस भवन' अन्तर्देशीय टर्मिनल,<br>आईजीआई एयरपोर्ट, टर्मिनल–1, नई दिल्ली–110037 |
| 6 | क्या कंपनी सूचीबद्ध है | जी, नहीं |
| 7 | पंजीकार एवं अंतरण एजेंट, यदि कोई है, का नाम, पता और संपर्क विवरण | लागू नहीं |

### II. कंपनी की मुख्य व्यावसायिक गतिविधियां (कंपनी के कुल टर्नओवर का 10% अथवा उससे अधिक योगदान करने वाली सभी व्यावसायिक गतिविधियों का उल्लेख करें)

| क्र. सं. | मुख्य उत्पाद/सेवा का नाम तथा विवरण | उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड | कंपनी के कुल टर्नओवर का % |
|---|---|---|---|
| | यात्री, भोजन तथा माल के वहन एवं किसी अन्य प्रयोजन के लिए विश्व के सभी देशों में अनुसूचित एवं गैर अनुसूचित अंतरराष्ट्रीय एवं अंतर्देशीय हवाई परिवहन सेवाओं की स्थापना, अनुरक्षण एवं प्रचालन करना। | 511 | 100 |

### III. होल्डिंग, सहायक तथा संबद्ध कंपनी का विवरण:

| क्र. सं. | कंपनी का नाम एवं पता | सीआईएन/जीआईएन | होल्डिंग/सहायक/संबंद्ध | शेयरों का % | लागू धारा |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | एअर इंडिया लिमिटेड<br>113, एयरलाइन्स हाउस,<br>गुरुद्वारा रकाबगंज रोड,<br>नई दिल्ली – 110 001. | यू62200डीएल2007जीओआई161431 | होल्डिंग | 100% | 2(46) |

## IV. शेयर धारिता का पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयरपूंजी का ब्यौरा):

| शेयर धारकों की श्रेणी | वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या (01.04.2019 को) | | | | वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या (31.03.2020 को) | | | | वर्ष के दौरान % परिवर्तन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | डिमैट | वास्तविक | वर्ष के दौरान | कुल शेयरों का % | डिमैट | वास्तविक | कुल | कुल शेयरों का % | |
| क. प्रवर्तक | | | | | | | | | |
| (1) भारतीय | | | | | | | | | |
| (क) वैयक्तिक/एचयूएफ | | | | | | | | | |
| (ख) केन्द्र सरकार | | | | | | | | | |
| (ग) राज्य सरकार | | | | | | | | | |
| (घ) निगमित निकाय | . | 40,225,000 | - | 100 | 40,224,993 | 7 | 40,225,000 | 100 | 0.00 |
| (ङ) बैंक/वित्तीय संस्था | | | | | | | | | |
| (च) अन्य कोई | | | | | | | | | |
| प्रवर्तक (क) की कुल शेयर धारिता | . | 40,225,000 | - | 100 | 40,224,993 | 7 | 40,225,000 | 100 | 0.00 |
| ख. सार्वजनिक शेयर धारिता | लागू नहीं | | | | | | | | |
| 1. संस्थाएं | | | | | | | | | |
| (क) म्युचुअल फंड/ यूटीआई | | | | | | | | | |
| (ख) बैंक/वित्तीय संस्था | | | | | | | | | |
| (ग) केन्द्र सरकार | | | | | | | | | |
| (घ) राज्य सरकार | | | | | | | | | |
| (ङ) वेंचर कैपिटल फंड | | | | | | | | | |
| (च) बीमा कंपनियां | | | | | | | | | |
| (छ) वित्तीय संस्थान | | | | | | | | | |
| (ज) विदेशी वेंचर कैपिटल फंड | | | | | | | | | |
| (झ) अन्य (स्पष्ट करें) विदेशी बैंक | | | | | | | | | |
| उप–जोड़ (ख) (1) | . | . | . | . | . | . | . | . | . |

### श्रेणीवार शेयर धारिता

| शेयर धारकों की श्रेणी | वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या (01.04.2019 को) | | | | वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या (31.03.2020 को) | | | | वर्ष के दौरान % परिवर्तन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | डिमैट | वास्तविक | कुल | कुल शेयरों का % | डिमैट | वास्तविक | कुल | कुल शेयरों का % | |
| 2. गैर–संस्थाएं | लागू नहीं | | | | | | | | |
| (क) निगमित निकाय (मार्केट मेकर + एलएलपी) | | | | | | | | | |
| i) भारतीय | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ii) विदेशी | | | | | | | | | |
| ख) वैयक्तिक | | | | | | | | | |
| i) 1 लाख रुपए तक अंकित शेयरपूंजी धारण करने वाल वैयक्तिक शेयर धारक | | | | | | | | | |
| ii) 1 लाख रुपए से अधिक अंकित शेयर पूंजी धारण करने वाले वैयक्तिक शेयर धारक | | | | | | | | | |
| ग) अन्य (स्पष्ट करें) | | | | | | | | | |
| i) अनिवासी भारतीय | | | | | | | | | |
| ii) अनिवासी भारतीय –गैर प्रत्यावर्तित | | | | | | | | | |
| iii) पदधारक | | | | | | | | | |
| iv) निदेशक | | | | | | | | | |
| v) हिंदु अविभाजित परिवार | | | | | | | | | |
| vi)विदेशी निगमित निकाय | | | | | | | | | |
| vi)विदेशी नागरिक | | | | | | | | | |
| vii) क्लीयरिंग सदस्य | | | | | | | | | |
| viii)न्यास | | | | | | | | | |
| ix) विदेशी निकाय –डीआर | | | | | | | | | |
| **उप–जोड़** (ख) (2):– | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| **कुल सार्वजनिक शेयर धारिता (ख) =** | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| ग. जीडीआर एवं एडीआर के लिए अभिरक्षक द्वारा धारित शेयर | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| कुल योग(क+ख+ग) | | **40,225,000** | **40,225,000** | **100** | **40,224,993** | **7** | **40,225,000** | **100** | **0.00** |

ख) प्रवर्तक की शेयरधारिता-

| क्र. सं. | शेयर धारक का नाम | वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या | | | वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या | | | वर्ष के दौरान शेयर धारिता में % परिवर्तन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | शेयरों की संख्या | कंपनी के कुल शेयरों का % | गिरवी रखे गए शेयर/ भारग्रस्त शेयरों का % | शेयरों की संख्या | कंपनी के कुल शेयरों का % | गिरवी रखे गए शेयर/ भारग्रस्त शेयरों का % | |
| 1 | अपने नामितियों सहित एअर इंडिया लिमिटेड | 40,225,000 | 100 | शून्य | 40,225,000 | 100 | शून्य | 0.00 |

ग) प्रवर्तक की शेयर धारिता में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन नहीं है, तो कृपया स्पष्ट करें) – कोई परिवर्तन नहीं

| क्र.सं. | विवरण | वर्ष के आरंभ में धारित शेयर | | वर्ष के अंत में संचित शेयर धारिता | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | शेयरों की संख्या | कंपनी के कुल शेयरों का % | शेयरों की संख्या | कंपनी के कुल शेयरों का % |
| | **वर्ष के आरंभ में** | | | | |
| | एअर इंडिया लिमिटेड | 40,225,000 | 100 | 40,225,000 | 100 |
| | **वर्ष के अंत में** | | | | |
| | एअर इंडिया लिमिटेड | 40,225,000 | 100 | 40,225,000 | 100 |

घ) पहले दस शेयर धारकों की शेयर धारिता का पैटर्न: (निदेशक, प्रवर्तक तथा जीडीआर एवं एडीआर के धारकों के अलावा):

| क्र.सं. | पहले 10 शेयर धारकों में से प्रत्येक के लिए | वर्ष के आरंभ में धारित शेयर | | वर्ष के अंत में संचित शेयर धारिता | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | शेयरों की संख्या | कंपनी के कुल शेयरों का % | शेयरों की संख्या | कंपनी के कुल शेयरों का % |
| 1 | लागू नहीं | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |

**ङ) निदेशकों तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयर धारिता:**

| क्र. सं. | प्रत्येक निदेशक तथा प्रत्येक मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयर धारिता | वर्ष के आरंभ में धारित शेयर | | वर्ष के अंत में संचित शेयर धारिता | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | शेयरों की संख्या | कंपनी के कुल शेयरों का % | शेयरों की संख्या | कंपनी के कुल शेयरों का % |
| 1 | श्री राजीव बंसल | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | श्री विनोद हेजमाड़ी | 1 | 0 | 1 | 0 |

V. ऋणग्रस्तता–ब्याज बकाया/अर्जित परंतु भुगतान के लिए देय नहीं सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता

(करोड़ रुपए में)

| | जमा को छोड़ कर रक्षित ऋण | अरक्षित ऋण | जमा | कुल ऋणग्रस्तता |
|---|---|---|---|---|
| | राशि भारतीय मुद्रा में | राशि भारतीय मुद्रा में | राशि भारतीय मुद्रा में | राशि भारतीय मुद्रा में |
| **वित्तीय वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता** | | | | |
| i) मूल राशि | - | 1633,35,64,375* | - | 1633,35,64,375 |
| ii) भुगतान न किया गया देय ब्याज | - | - | - | - |
| iii) प्रोद्भूत ब्याज परंतु देय नहीं | - | - | - | - |
| **कुल (i+ii+iii)** | - | **1633,35,64,375** | - | **1633,35,64,375** |
| **वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन** | | | | |
| *जोड़ | - | 56,97,31,523 | - | 56,97,31,523 |
| *कमी | - | - | - | - |
| **निवल परिवर्तन** | - | **56,97,31,523** | - | **56,97,31,523** |
| **वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता** | - | - | - | - |
| i) मूल राशि | - | 1545,70,40,556 | - | 1545,70,40,556 |
| ii) भुगतान न किया गया देय ब्याज | - | 144,62,55,343 | - | 144,62,55,343 |
| iii) प्रोद्भूत ब्याज परंतु देय नहीं | - | - | - | - |
| **कुल (i+ii+iii)** | - | **1690,32,95,898** | - | **1690,32,95,898** |

*** पूर्व आंकड़े इंड एएस के अनुसार पुनः दिए गए हैं। पूर्वावधि मदों को संगत गत वर्ष में लिया गया है।**

VI. निदेशकों तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्ण कालिक निदेशकों तथा/या प्रबंधक को दिया जाने वाला पारिश्रमिक :

(अंकों में)

| क्र. सं. | पारिश्रमिक का विवरण | प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधक का नाम | | | | | कुल राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 1 | सकल वेतन | - | - | - | - | - | - |
| | (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में शामिल प्रावधानों के अनुसार वेतन | - | - | - | - | - | - |
| | (ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अधीन अनुलब्धियों का मूल्य | - | - | - | - | - | - |
| | (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अधीन वेतन के बदले में लाभ | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | स्टॉक विकल्प | - | - | - | - | - | - |
| 3 | स्वेट इक्विटी | - | - | - | - | - | - |
| 4 | लाभ के प्रतिशत के रूप में कमीशन अन्य उल्लेख करें | - | - | - | - | - | - |
| 5 | अन्य (पीएफ, डीसीएस, हाउस पर्क्स टैक्स आदि) | - | - | - | - | - | - |
| | कुल (क) | - | - | - | - | - | - |
| | अधिनियम के अनुसार सीमा | - | - | - | - | - | - |

* कंपनी में कोई प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक नहीं हैं ।

ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक

| क्र.सं. | पारिश्रमिक का विवरण | निदेशकों के नाम | | | | | कुल राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | स्वतंत्र निदेशक | - | - | - | - | - | - |
| | बोर्ड समिति की बैठकों में उपस्थित रहने के लिए शुल्क | - | - | - | - | - | - |
| | कमीशन | - | - | - | - | - | - |
| | अन्य, कृपया स्पष्ट करें (बोर्ड उप–समिति की बैठकों में उपस्थित रहने के लिए शुल्क) | - | - | - | - | - | - |
| | कुल (1) | - | - | - | - | - | - |
| 2 | अन्य गैर अधिशासी निदेशक | - | - | - | - | - | - |
| | बोर्ड समिति की बैठकों में उपस्थित रहने के लिए शुल्क | - | - | - | - | - | - |
| | कमीशन | - | - | - | - | - | - |
| | अन्य, कृपया स्पष्ट करें | - | - | - | - | - | - |
| | कुल (2) | - | - | - | | - | - |
| | कुल (ख) = (1+ 2) | - | - | - | - | - | - |
| | कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक | - | - | - | - | - | - |
| | अधिनियम के अनुसार कुल मिला कर सीमा | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |

ग. प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/पूर्ण कालिक निदेशकों के अलावा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक

(आंकड़े रुपयों में)

| क्र.सं. | पारिश्रमिक का विवरण | मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | मुख्य कार्यपालक अधिकारी | कंपनी सचिव | मुख्य वित्तीय अधिकारी | कुल |
| 1 | सकल वेतन | *लागू नहीं | ** | **17,13,144.26** | - |

| क्र.सं. | पारिश्रमिक का विवरण | मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | मुख्य कार्यपालक अधिकारी | कंपनी सचिव | मुख्य वित्तीय अधिकारी | कुल |
| | (क) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 (1) में शामिल प्रावधानों के अनुसार वेतन | - | - | - | - |
| | (ख) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 (2) के अधीन अनुलब्धियों का मूल्य | - | - | - | - |
| | (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के अधीन वेतन के बदले में लाभ | - | - | - | - |
| 2 | स्टॉक विकल्प | - | - | - | - |
| 3 | स्वेट इक्विटी | - | - | - | - |
| 4 | कमीशन | - | - | - | - |
| | लाभ के % के रूप में | - | - | - | - |
| | अन्य स्पष्ट करें | - | - | - | - |
| 5 | अन्य (पीएफ, डीसीएस, हाउस पर्क्स टैक्स आदि) | - | - | - | - |
| | कुल | - | - | - | - |

*सरकारी कंपनियों के लिए लागू नहीं । केवल मुख्य वित्तीय अधिकारी और कम्पनी सचिव प्रबंधकीय कार्मिक हैं।

**वरि. प्रबंधक–निगमित कार्य, एअर इंडिया लिमिटेड के पद की ज़िम्मेदारियों के अलावा वे कंपनी सचिव का पद भी संभाल रहे हैं।

VII. दंड/सजा/अपराधों की कंपाउंडिंग

| प्रकार | कंपनी अधिनियम की धारा | संक्षिप्त विवरण | दंड/सजा/ लगाए गए कंपाउंडिंग जुर्माने का विवरण | प्राधिकरण [आरडी/ एनसीएलटी/ कोर्ट] | अपील, यदि की गई है (विवरण दें) |
|---|---|---|---|---|---|
| क. कंपनी– शून्य | | | | | |
| दंड | - | - | - | - | - |
| सजा | - | - | - | - | - |
| कंपाउंडिंग | - | - | - | - | - |
| ख. निदेशक– शून्य | | | | | |
| दंड | - | - | - | - | - |
| सजा | - | - | - | - | - |
| कंपाउंडिंग | - | - | - | - | - |
| ग. चूक करने वाले अन्य अधिकारी–शून्य | | | | | |
| दंड | - | - | - | - | - |
| सजा | - | - | - | - | - |
| कंपाउंडिंग | - | - | - | - | - |

**कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अन्तर्गत एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड के 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।**

कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) के अन्तर्गत विहित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणियों को तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक, अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर धारा 143 के अन्तर्गत इन वित्तीय विवरणियों पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। उनके द्वारा दिनांक 20 अक्तूबर, 2020 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार ऐसा किया हुआ कहा गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 143(6)(क) के तहत एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड की वर्ष 31 मार्च, 2020 की वित्तीय विवरणियों की संपूरक लेखा परीक्षा की है। संपूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों के आधार–पत्र के बिना स्वतंत्र रुप से की गई है व प्रमुख रुप से लेखा परीक्षकों व कम्पनी के कर्मचारियों की जांच व कुछ लेखा रिकार्डों के चयनात्मक परीक्षण तक सीमित है। मेरी संपूरक लेखा परीक्षा के आधार पर मैं, अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मदों पर प्रकाश डालना चाहूंगा, जो मेरी दृष्टि में आए हैं और मेरे विचार में संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट व वित्तीय विवरणियों की बेहतर समझ उपलब्ध करवाने में आवश्यक है।

मेरी संपूरक लेखा परीक्षा के आधार पर, मेरे ज्ञान में ऐसा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं आया है, जिसके कारण अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के तहत सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी या पूरक पर प्रकाश डालने की आवश्यकता होगी।

**कृते एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा**
**परीक्षक की ओर से**

**हस्ता/–**
**(रिना अकोईजाम)**
प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा
(अंतःसंरचना),
नई दिल्ली

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 23 दिसम्बर, 2020

# स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में
सदस्य
एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड

## इंड एएस वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट

### क्वालिफाइड मत

हमने, **मैसर्स एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड (''कम्पनी'')** के इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2020 तक की अवधि का तुलन–पत्र, लाभ–हानि खाते का विवरण, अन्य व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और समाप्त वर्ष की नकदी प्रवाह विवरणी, वित्तीय विवरणियों पर टिप्पणी तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश सहित और अन्य स्पष्टीकरण सूचना शामिल है।

हमारे मत में, और हमें उपलब्ध सूचना और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारी रिपोर्ट के क्वालिफाइड मत के लिए आधार अनुच्छेद में वर्णित मामले के प्रभावों को छोड़कर, उपरोक्त इंड एएस वित्तीय विवरणियां कंपनी अधिनियम 2013 (''अधिनियम'') कम्पनी की वास्तविक स्थिति 31 मार्च, 2020 को दी गई जानकारी तथा समाप्त वर्ष में हानि, अन्य व्यापक आय, इक्विटी और नकदी प्रवाह में परिवर्तन, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरुप वास्तविक तथा निष्पक्ष स्थिति प्रस्तुत करते हैं।

### क्वालिफाइड मत का आधार

निम्नलिखित के संबंध में ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

मामलेः –

क) वित्त वर्ष 2013–14 से वित्त वर्ष 2017–18 की अवधि के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ लंबित समाधान के संबंध में नोट सं. 38 पैरा (3) और (4) वित्तीय विवरणों पर लंबित समाधान के प्रभाव की वर्तमान में गणना नहीं की जा सकती।

हमने कम्पनी अधिनियम 2013 के अधिनियम की धारा 143 (10) में निर्धारित लेखाकंन मानकों के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा (एसएएस) पर मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा की है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट की इंड एएस वित्तीय विवरणों को लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 और नियमों के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी की गई आचार संहिता के अनुसार हम कंपनी से स्वतंत्र हैं व इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार हमारी अन्य नैतिक जिम्मेदारियां हमने पूरी कर दी हैं। हम मानते हैं कि हमारे द्वारा प्रदान किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य हमारे क्वालिफाइड मत के आधार पर पर्याप्त और उपयुक्त है।

### मामले का महत्व

निम्नलिखित नोट पर ध्यान आकृष्ट किया जाता हैः

**क)** नोट सं. 46 के अनुसार कंपनी के वित्तीय विवरण गोईंग कंर्सन आधार पर तैयार किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि निरंतर संचित हानि के बावजूद, कंपनी की नेटवर्थ पूरी तरह से समाप्त हो गई और गोईंग कंर्सन के रूप में कंपनी की जारी रखने की क्षमता अनिश्चित हो गई।

**ख)** हम वित्तीय विवरणों में नोट सं. 60 पर ध्यान आकर्षित करते हैं जो कोविड–19 महामारी के कारण कंपनी के प्रचालन और परिणाम पर प्रबंधन द्वारा मूल्यांकित अनिश्चितता के संभावित प्रभावों के बारे में बताते हैं।

उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारा मत परिवर्तित नहीं है।

## इंड एएस वित्तीय विवरण से इतर अन्य सूचना और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचना में निदेशकों की रिपोर्ट, प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट, निगमित प्रशासन पर रिपोर्ट शामिल है। इस लेखा परीक्षा की रिपोर्ट की तिथि तक हमें अन्य सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई।

वित्तीय विवरणों पर हमारे मत में अन्य जानकारी शामिल रही है और हम किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी यह है कि ऊपर बताई गई अन्य सूचनाएं जब उपलब्ध हो जाए तो, उनका पठन करें और ऐसा करते समय ध्यान दें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों के साथ महत्वपूर्ण रूप से असंगत है या लेखा परीक्षा में प्राप्त हमारी सूचना या अन्यथा महत्वपूर्ण रूप से गलत बयानी है। यदि अन्य सूचना पर किए गए कार्य के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य सूचना में कोई महत्वपूर्ण गलत बयानी है और हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। हमें इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

दूसरी रिपोर्ट पढ़ते समय यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें महत्वपूर्ण गलत बयानी है, तो हमें आवश्यकता पड़ने पर शासन–विधि को इस संबंध में सूचित करना होगा और आवश्यकता पड़ने पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए।

## इंड एएस वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंध वर्ग की जिम्मेदारी

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के तहत अधिसूचित लेखा मानकों सहित कम्पनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकदी प्रवाह की वास्तविक व स्पष्ट स्थिति दर्शाने वाले इंड एएस वित्तीय विवरणों को तैयार करने की जिम्मेदारी, कम्पनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 134 (5) में उल्लेखित मामलों के संदर्भ में, कम्पनी के निदेशक मंडल की है। जिम्मेदारी में कम्पनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा व अन्य अनियमिताएं व धोखाधड़ी की जांच व रोकथाम हेतु अधिनियम के प्रावधानों के तहत समुचित कार्यान्वयन और लेखा रिकार्ड का रख–रखाव रखना, समुचित लेखा नीतियों का चयन व लागू करना, यथोचित व विवेकपूर्ण निर्णय व आकलन करना शामिल है तथा लेखा रिकार्डों की सटीकता व पूर्णता सुनिश्चित करने हेतु लागू प्रभावी पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण डिजाइन, तैयार व लागू करना, जो ऐसे वित्तीय विवरणों को तैयार व प्रस्तुत करने में संगत हो, जो वास्तविक व स्पष्ट स्थिति दर्शाए व धोखाधड़ी व गलती के कारण होने वाली किसी भी व्यापक त्रुटि से रहित हो।

इंड एएस वित्तीय विवरणियों को तैयार करने में, गोईंग कंसर्न के रूप में कार्य जारी रखने की कम्पनी की क्षमता का आकलन करने, प्रकटन, जैसा लागू हो। गोईंग कंसर्न से संबंधित मामले तथा लेखांकन हेतु गोईंग कंसर्न आधार का प्रयोग प्रबंधन की जिम्मेदारी है, जब तक कि प्रबंधन कम्पनी को या तो लिक्विटेड करने या प्रचालन बंद करने की मंशा रखता हो और प्रबंधन के पास ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प मौजूद ना हो।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार हैं।

## इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणीयां समग्र रूप से महत्वपूर्ण गलतबयानी से मुक्त हैं और हमारा मत शामिल करते हुए लेखा परीक्षक रिपोर्ट जारी करना। तर्कसंगत आश्वासन उच्च स्तर के आश्वासन हैं, लेकिन यह इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि एसएएस के अनुसार की गई लेखा परीक्षा, सदैव, मौजूद होने पर महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता लगाएगी। धोखाधड़ी और त्रुटि से गलतबयानी हो सकती है और व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से महत्वपूर्ण हो सकती है यदि वे इन वित्तीय विवरणियों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित

कर सकें।

एसएएस के अनुसार लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, हम व्यावसायिक निर्णय लेते हैं और पूरी लेखा परीक्षा में व्यावसायिक संशय को बनाए रखते हैं। हम भीः

- वित्तीय विवरणियों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण महत्वपूर्ण गलतबयानी को पहचानें और आकलन करें और इन जोखिमों के प्रति प्रतिक्रियाशील लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन व निष्पादित करें, और हमारे मत को आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उचित लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त कर धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता नहीं करने का जोखिम, त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले से अधिक है, चूकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर गलती करना, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण को ओवरराइड करना शामिल हो सकता है।

- लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखा परीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण को समझना जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और क्या इस प्रकार के नियंत्रण को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है।

- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण का मूल्यांकन करना।

- प्रबंधन द्वारा लेखांकन के गोईंग कंसर्न आधार की उपयुक्तता पर और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर कि गोईंग कंसर्न के रूप में कम्पनी के जारी रहने में सार्थक संदेह उत्पन्न करने वाली घटनाएं या परिस्थितियों से संबंधित महत्वपूर्ण अनिश्चितता है, पर निष्कर्ष निकालना। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि महत्वपूर्ण अनिश्चितता है, तो उस स्थिति में हमें अपनी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणीयों से संबंधित प्रकटनों पर ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है, यदि इस प्रकार के प्रकटन अपर्याप्त हैं तो अपने मत को संशोधित करना। लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक हमारे निष्कर्ष, प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं तथापि भविष्य में घटित होने वाली घटनाएं या परिस्थितियों के कारण कंपनी गोईंग कंसर्न के रूप में कार्य जारी नहीं रख सकेगी।

- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करना और पता लगाना कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को निष्पक्ष प्रस्तुति करते हुए दर्शाते हैं

  अन्य मामलों में हम, लेखा परीक्षा को योजनाबद्ध कार्यक्षेत्र और समय और महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों के साथ, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों को शामिल करते हुए, जो हमारी लेखा परीक्षा के दौरान ज्ञात होती है, शासन से संपर्क करते हैं।

  हम शासन को स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करने संबंधी विवरणी उपलब्ध करवाते हैं और हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव डालने वाले सभी संबंधों व अन्य मामलों के संबंध में यथा लागू संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में उन्हें सूचित करते है।

## अन्य वैधानिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. कम्पनी अधिनियम 2013 की उपधारा (11) एवं धारा 143 के संदर्भ में केन्द्र सरकार, भारत द्वारा जारी कम्पनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश 2016 (आदेश) की अपेक्षानुसार आदेश के पैरा 3 और 4 में लागू सीमा तक उल्लिखित मामलों पर विवरण **अनुलग्नक ''क''** में दिया गया हैं।

2. कम्पनी के रिकार्ड और बहियों की इस जांच के आधार पर जो हमें उचित लगे और **अनुलग्नक 'ख'** में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देश/उपनिर्देशों में हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हम कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के तहत अपनी रिपोर्ट संलग्न कर रहे हैं।

3. अधिनियम की धारा 143 (3) की अपेक्षानुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

(क) हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक हों।

(ख) हमारे मतानुसार कंपनी ने विधि द्वारा अपेक्षित उचित खाता बहियां रखी हुई हैं, जैसा कि इन खाता बहियों की हमारी जांच से स्पष्ट होता है।

(ग) इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन–पत्र, लाभ–हानि खाता के साथ अन्य व्यापक आय और नकदी प्रवाह विवरण और इक्विटी में परिवर्तन का विवरण इस रिपोर्ट के साथ खाता की लेखा पुस्तकों के अनुरुप हैं।

(घ) हमारे मतानुसार उपरोक्त इंड एएस वित्तीय विवरणियां कम्पनी (भारतीय लेखा मानकों) नियम 2015 यथा संशोधित, के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित लेखा मानकों के अनुसार है।

(ड.) 31 मार्च, 2020 तक निदेशक मंडल से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड किए गए अनुसार, कोई भी निदेशक अधिनियम की धारा 164(2) के तहत 31 मार्च, 2020 को अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

(च) कंपनी की इंड एएस वित्तीय विवरणियों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता के संदर्भ में व इस प्रकार के नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावोत्पादकता के संबंध में, **अनुलग्न 'ग'** में हमारी अलग रिपोर्ट को देखें।

(छ) कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची v के खंड साथ पठित 197 के प्रावधान, जो प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित हैं। एमसीए अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 463(ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार एक सरकारी कंपनी होने के नाते कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(ज) हमारे मतानुसार व हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना व दिए गए स्पष्टीकरणों के संबंध में कम्पनी (लेखा परीक्षा व लेखा परीक्षक) नियम 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में।

1. कंपनी ने लंबित लिटिगेशन के मामले में वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव को नोट सं. 31 में प्रकट किया है।
2. कम्पनी ने डैरिवेटिव संविदा सहित, दीर्घावधि संविदा नहीं की जिनके लिए कोई महत्वपूर्ण पूर्वानुमानित हानि हो।
3. ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कम्पनी द्वारा इन्वेस्टर एजुकेशन व प्रोटेक्शन फंड में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक था।

**कृते व उनकी ओर से**
**एस. के. कपूर एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्याः 000745C

हस्ता./–
**(वी. बी. सिंह)**
भागीदार
सदस्यता संख्या–073124
यूडीआईएन .20073124एएएएडीएफ8843

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 20.10.2020

# स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का ''अनुलग्नक क''

**एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड** के सदस्यों को 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के कम्पनी के खातों पर हमारी समतिथि रिपोर्ट के संदर्भ में ''अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकता पर रिपोर्ट'' भाग के पैरा 1 के अन्तगर्त

1) **स्थिर परिसम्पत्तियों के संबंध में:**

- कंपनी ने पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड रखे हैं जिसमें परिमाणात्मक विवरण और स्थिर परिसम्पत्तियों की स्थिति शामिल है।
- जैसा कि हमें बताया गया है कि कंपनी द्विवार्षिक आधार पर स्थिर परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन करती है। वित्त वर्ष 2019–20 दिल्ली स्टेशन के लिए स्थिर परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन शुरू किया गया था, लेकिन कोविड–19 के लॉकडाउन और वैश्विक महामारी के कारण पूरा नहीं किया जा सका और हैदराबाद और कोलकाता स्टेशनों के लिए भौतिक सत्यापन अभी तक उल्लेखित कारणों के अनुसार आरंभ नहीं किया गया है। इसलिए यदि कोई विसंगति हो तो हम टिप्पणी नहीं कर सकते।
- प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे पास उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार, पर कंपनी की संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों में कोई स्थिर संपत्ति शामिल नहीं है और तदनुसार आदेश के पैरा 3(i)(ग) के तहत अपेक्षाएं, कंपनी पर लागू नहीं है।

2) **इनवेंटरी के संबंध में**

(क) हमें दी गई जानकारी के अनुसार, इनवेंटरी के भौतिक सत्यापन का कार्य द्विवार्षिक आधार पर किया जाता है। इनवेंटरी का भौतिक सत्यापन जो वित्त वर्ष 2019–20 में पूरा होने वाला था, कोविड–19 की वैश्विक महामारी के कारण पूरा नहीं हो सका।

(ख) उपरोक्त जानकारी के अनुसार, चूंकि इनवेंटरी का भौतिक सत्यापन वित्तीय वर्ष 2019–20 में पूरा नहीं हो सका है, इसलिए, यदि कोई विसंगति हो तो हम उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं।

3) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अन्तर्गत बनाए गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों, लिमिटेड लाइबिल्टी पार्टनरशिप या अन्य पार्टियों को कोई आरक्षित या अनारक्षित ऋण नहीं दिया है। तदनुसार, आदेश के खण्ड 3(iii)(क), (ख) और (ग) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं और इसलिए इस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है।

4) हमारे मत में और हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 185 और 186 के तहत कम्पनी ने किसी भी प्रकार का ऋण या निवेश या कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है अतः इस धारा के प्रावधान इस कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

5) कंपनी ने अधिनियम और कंपनियों (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 (यथा संशोधित) की धारा 73 से 76 के प्रावधान के अन्तर्गत किसी भी जमा को स्वीकार नहीं किया है। तदनुसार, खंड 3(v) आदेश के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

6) हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, केंद्र सरकार ने कंपनी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) के तहत लागत रिकॉर्ड का रखरखाव निर्धारित नहीं किया है। इस प्रकार, आदेश का पैराग्राफ 3 (vi) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

7) (क) हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार खातों और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी परीक्षा के आधार पर, भविष्य निधि, आयकर, सहित निर्विवाद वैधानिक देयताओं के संबंध में खाते की पुस्तकों में कटौती / अर्जित की गई राशि माल और सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेस और अन्य वस्तुगत सांविधिक देय कम्पनी द्वारा वर्ष के दौरान नियमित रूप से उपयुक्त प्राधिकरणों को जमा करवाए जा रहे हैं।

(ख) हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, भविष्य निधि, आयकर, माल और सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेस और अन्य सामग्री सांविधिक बकाया के संबंध में कोई भी अविवादित राशि 31 मार्च, 2020 को, देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए, पिछले वर्ष देय सेवा कर की राशि 311.30 लाख रु. को छोड़कर बकाया नहीं थी। (मामला मैसर्स गति लिमिटेड के साथ विवादित है):

(ग) हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना और उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार भविष्य निधि, माल और सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेस, उपकर और अन्य सामग्री सांविधानिक देय राशि का कोई बकाया नहीं है, जो किसी भी विवाद के कारण उपयुक्त अधिकारियों के पास जमा नहीं हुई हैं।

| क्र.स. | अध्यादेश का नाम | बकाया की प्रकृति | बकाया राशि (लाख रु. में) | राशि से संबंधित अवधि | फोरम जहां विवाद लम्बित है। |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | आयकर अधिनियम, 1961 | आयकर और ब्याज | 174.30 | मूल्यांकन वर्ष 2000–01 | आईटीएटी |
| 2 | आयकर अधिनियम, 1961 | आयकर और ब्याज | 140.40 | मूल्यांकन वर्ष 1997–98 | सीआईटी (अपील) |

8) हमारे मतानुसार और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वित्तीय संस्थान या बैंक से कोई ऋण नहीं लिया है। कंपनी के पास सरकार से कोई ऋण या उधार नहीं था और वर्ष के दौरान जारी किए गए कोई डिबेंचर नहीं थे या 31 मार्च 2020 तक बकाया नहीं थे।

9) कम्पनी ने प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफर या आगे के सार्वजनिक ऑफर या आवधिक ऋण से पैंसा नहीं जुटाया है। तदनुसार आदेश का खण्ड 3(ix) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

10) वित्तीय विवरणों के सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण को रिपोर्ट करने के लिए और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान किए गए ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या अधिकारियों द्वारा कंपनी पर कोई महत्वपूर्ण धोखाधड़ी रिपोर्ट नहीं की गई है।

11) दिनांक 5 जून, 2015 की एमसीए अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 463(ई) के संबंध में, प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित कंपनी अधिनियम 2013 के खंड v अनुच्छेद 197 के प्रावधान सरकारी कम्पनी होने के कारण कम्पनी पर लागू नहीं होते। अतः आदेश का खंड 3(xi) कंपनी पर लागू नहीं होता।

12) हमारे मतानुसार कम्पनी निधि कम्पनी नहीं है। इसलिए आदेश के खंड 3(xii) के प्रावधाान कम्पनी पर लागू नहीं होते।

13) हमारे मत में, संबंधित पार्टियों के साथ सभी लेन–देन में, कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 177 और 188 का अनुपालन किया गया और लागू लेखांकन मानकों में अपेक्षित इंड एएस वित्तीय विवरणियों (संदर्भ सं. (40)) में इसका विवरण दिया गया है।

14) हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने लेखा परीक्षा वर्ष के दौरान शेयरों का प्रैफरैन्श्यल या निजी तौर पर आबंटन या पूर्णतया या अंशतः परिवर्तनीय डिबैंचर का आबंटन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xiv) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

15) हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने लेखा परीक्षा वर्ष के दौरान निदेशकों या उनसे संबंधित व्यक्तियों के साथ कोई भी गैर–नकद लेन देन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xv) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

16) हमारे मत में, कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45IA) के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है।

तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xvi) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते।

**कृते व उनकी ओर से**
**एस. के. कपूर एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्याः 000745C

**हस्ता./–**
**(वी. बी. सिंह)**
भागीदार
सदस्यता संख्या–073124
यूडीआईएन .20073124एएएएडीएफ8843

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 20.10.2020

# स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक ''ख''

**मैसर्स एलाइंस एअर एविएशन लि.** के सदस्यों को कम्पनी के 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणीयों के लिए ''अन्य विधिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट खण्ड के तहत'' हमारी समतिथि की रिपोर्ट के पैरा 2 के संदर्भ में।

| क्र.सं. | कम्पनी अधिनियम 2013 के 143 (5) दिशा निर्देश | निर्देशों की अनुवर्ती कार्रवाई पर लेखा परीक्षकों का उत्तर | आर्थिक प्रभाव |
|---|---|---|---|
| 1. | क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को प्रोसेस करने के लिए प्रणाली है? यदि हाँ, तो वित्तीय निहितार्थ के साथ–साथ खातों की संपूर्णता पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन का प्रभाव। यदि कोई हो, तो बताएं। | कंपनी के पास आईटी प्रणाली यानी एसएपी (डाटा प्रोसेसिंग में सिस्टम एप्लिकेशन और उत्पाद) के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की प्रणाली है। तथापि कंपनी एआईएल के माध्यम से यात्री, कार्गो, सामान और अन्य राजस्व से संबंधित डाटा प्रोसेसिंग के लिए बाहरी एजेंसी की सेवाओं का लाभ उठा रही है क्योंकि एआईएल की प्रणाली का उपयोग बुकिंग आदि के लिए किया गया है, जो कंपनी के आईटी सिस्टम से बाहर है। उपलब्ध रिकॉर्ड और जानकारी के अनुसार इंडस्ट्री प्रैक्टिस के अनुसार, मूल कंपनी आउटसोर्स एजेंसी द्वारा प्रोसेस किए गए डाटा की संपूर्णता, प्रामाणिकता और सटीकता का पता लगाने के लिए सभी आवश्यक मानदंडों का अनुपालन कर रही है। | कोई नहीं |
| 2. | क्या ऋण के भुगतान में असमर्थता के कारण लेंडर द्वारा क्या वर्तमान ऋण मामलों का कोई पुनर्गठन/छूट/ब्याज राइट ऑफ करना/ऋण/ब्याज इत्यादि का कोई मामला है। यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव बताया जाए। | लागू नहीं<br>मूल कंपनी द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता को छोड़कर, कंपनी किसी भी बैंक, वित्तीय संस्थान या किसी अन्य ऋणदाता से कोई ऋण नहीं ले रही है। | कोई नहीं |
| 3. | क्या केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त धनराशि/प्राप्य की समुचित गणना/इसको निबंधन और शर्तों के अनुसार समुचित रूप से उपयोग किया गया है? विचलन मामलों की सूची बनाएं। | क्षेत्रीय सम्पर्क योजना (आरसीएस) और वाएबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) के तहत प्राप्त राशि/प्राप्य को छोड़कर, इस वर्ष के दौरान केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए कोई निधि प्राप्त/प्राप्य नहीं हुई है, जिसका लेखा–जोखा किताबों में समुचित रूप से रखा गया है। | कोई नहीं |

**कृते व उनकी ओर से**
**एस. के. कपूर एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्याः 000745C

**हस्ता./–**
**(वी. बी. सिंह)**
भागीदार
सदस्यता संख्या–073124
यूडीआईएन –.20073124एएएएडीएफ8843

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 20.10.2020

# एलाइंस एअर एविएशन लि. की इंड एएस वित्तीय विवरणियों पर हमारी रिपोर्ट में ''अन्य विधिक व नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट'' शीर्ष के तहत पैरा 2 (च) में संदर्भित अनुलग्नक''ग''

## कम्पनी अधिनियम 2013 (''अधिनियम'') के खंड (i) के अनुच्छेद 143 के उप खंड 3 के अधीन आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2020 के एलाइंस एअर एविएशन लि. (''कम्पनी'') के संदर्भ में इंड एएस वित्तीय विवरणियों के संदर्भ में आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा, समतिथि को समाप्त वर्ष के कम्पनी की इंड एएस वित्तीय विवरणियों पर हमारी लेखा परीक्षा के साथ की है।

### आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर प्रबंधन की जिम्मेदारी

कम्पनी का प्रबंधन आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के स्थापन व रख रखाव के लिए जिम्मेदार है। इस उत्तरदायित्व में समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिज़ाइन, कार्यान्वयन व अनुरक्षण शामिल है जो कम्पनी के व्यवसाय को दक्षतापूर्वक व व्यवस्थित ढंग से चलाना सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रुप से लागू थे। जिसमें कम्पनी की नीति का अनुपालन, परिसम्पत्तियों की सुरक्षा, फ्राड व त्रुटि की रोकथाम व पता लगाना, लेखा रिकार्डों की शुद्धता व पूर्णता व कम्पनी अधिनियम 2013 के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय सूचना को तैयार करना शामिल है।

### लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर, कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर संदर्भ में इंड एएस वित्तीय विवरणी कें संदर्भ में मत प्रकट करना हमारी जिम्मेदारी है। हमने अपनी लेखा परीक्षा, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर वित्तीय रिर्पोटिंग (गाइटेंस नोट) तथा भारत के इंस्टीटयूट ऑफ चार्टड एकांउडेंट द्वारा जारी व कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा के मानकों, के अनुसार, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा पर लागू की है और दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर लागू तथा दोनों भारत के इंस्टीटयूट ऑफ चार्टड एकांउडेंट द्वारा जारी। हमें नैतिक आवश्यकताओं के अनुपालन व लेखा परीक्षा की योजना व निष्पादन करने की आवश्यकता है ताकि इस संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त किया जा सके कि इंड एएस वित्तीय विवरणी के संदर्भ में समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित व रखे गए तथा क्या सभी महत्वपूर्ण दृष्टियों से ये नियंत्रण प्रभावी रुप से कार्य करते रहे।

हमारी लेखा परीक्षा के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग व उसकी प्रचालनात्मक प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, महत्वपूर्ण दोष मौजूद होने व जोखिम का आंकलन और जोखिम के मूल्यांकन के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की डिज़ाइन और प्रचालनात्मक प्रभावशीलता का परीक्षण और उनका मूल्यांकन करना है। चयनित प्रक्रियाएं, वित्तीय विवरणों के वस्तुगत गलत बयान से जोखिम के आकलन सहित, चाहे यह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुआ हो, लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं।

हमारा विश्वास है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारे क्वालिफाइड लेखा परीक्षा मत को आधार देने के लिए हमने पर्याप्त एवं उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रमाण प्राप्त किए हैं।

### इंड एएस वित्तीय विवरणी के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का आशय

इंड एएस वित्तीय विवरणी के संदर्भ में कम्पनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग व सामान्य स्वीकृत लेखा सिद्वान्तों के अनुसार बाहय उद्देश्यों हेतु तैयार इंड एएस वित्तीय विवरणियों की विश्वसनीयता हेतु उचित आश्वासन उपलब्ध करने हेतु डिजाइन की जाती है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में वे नीतियां व प्रक्रियाएं शामिल हैं जोः–

1. रिकार्ड के रखरखाव से संबंधित, जो उचित विवरणानुसार कम्पनी की परिसंपत्तियों के लेन–देन और प्रबंधन को सही और उचित रुप से दर्शाती है।

2. सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार, इंड एएस वित्तीय विवरणी तैयार करने हेतु आवश्यकतानुसार लेन–देन के उचित रिकार्ड हेतु आश्वासन प्रदान करना और कम्पनी की प्राप्तियों और व्यय केवल कम्पनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकृत किए जाने के अनुसार ही किए जाते हैं।

3. कम्पनी की परिसम्पत्तियों, जिसका कम्पनी की इंड एएस वित्तीय विवरणियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है, के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या रोकथाम या समय पर पता लगने संबंधी उचित आश्वासन देना।

## इंड एएस वित्तीय विवरणी के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमाएं

इंड एएस वित्तीय विवरणी के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, मिलीभगत या नियंत्रण पर प्रबंधन को अनुचित प्रत्यादिष्ट करने की संभावना सहित त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलतबयानी हो सकती है, जिसकी पहचान नहीं हो पाती है। साथ ही भविष्य के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन होते हैं कि शर्तों में परिवर्तन के कारण इंड एएस वित्तीय विवरणी के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकते हैं या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर खराब हो सकता है।

### क्वालिफाइड मत का आधार

हमारे मत में और हमें उपलब्ध सूचना और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों व हमारी लेखा परीक्षा के अनुसार 31 मार्च, 2020 तक निम्नलिखित महत्वपूर्ण कमियों की पहचान की गई।

- कम्पनी में इनवेंटरी प्रबंधन से संबंधित कार्यात्मक सॉफ्टवेयर व लेखांकन सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस को अभी तक लागू नहीं किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप मैनुअल रूप से लेखांकन प्रविष्टियां की जाती हैं। आउटसोर्स एजेंसी द्वारा संसाधित डेटा के सत्यापन की प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता है क्योंकि उनके द्वारा प्रदान किए गए डेटा पर महत्वपूर्ण रुप से निर्भर किया जाता है।

- कटौती, जमा और सांविधिक के बकाया समाधान हेतु आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

- कम्पनी में सामान्य आईटी नियंत्रणों की जांच व मूल्यांकन हेतु सूचना प्रणाली नहीं हैं जिससे आईटी प्रणाली से तैयार रिपोर्टों की पूर्णता, परिशुद्धता व विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है।

- कंपनी के पास मेकर चेकर कॉन्सेप्ट नहीं है /एसएपी लेखांकन में मेकर चेकर कॉन्सेप्ट का पालन नहीं किया जा रहा है, तथापि 'शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार वाउचर्स ऑथेंटिकेशन के जरिए इसका पालन किया जाता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में 'मैटीरियल वीकनेस' एक कमी या अनेक कमियों का संयोजन है व यथोचित संभावना है कि कम्पनी की वार्षिक इंड एएस वित्तीय विवरणियों की महत्वपूर्ण मिसस्टेटमेंट समय पर रोकी या पहचानी नहीं जा पाएगी।

### क्वालिफाइड मत

हमारे मतानुसार उपरोक्त ''क्वालिफाइड मत'' पैरा में उल्लिखित 'मैटीरियल वीकनेस के प्रभावों के अलावा कम्पनी में सभी महत्वपूर्ण विषयों हेतु वित्तीय रिपोर्टिंग पर समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है व वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस प्रकार के वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2020 तक प्रभावी रुप से कार्य कर रहे थे। जो आईसीएआई द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की

लेखा परीक्षा पर जारी गाइडेंस नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के घटकों को ध्यान में रखते हुए कम्पनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित हैं।

हमने पाई गई महत्वपूर्ण कमियों पर विचार किया है और उपरोक्तानुसार रिपोर्ट किया है।

हमारी संलग्न समतिथि रिपोर्ट के अनुसार

**कृते व उनकी ओर से**
**एस. के. कपूर एंड कम्पनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्याः 000745ब

**(वी. बी. सिंह)**
भागीदार
सदस्यता संख्या–073124
यूडीआईएन –.20073124एएएएडीएफ8843

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 20.10.2020

# वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड की वित्तीय विवरणियों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर प्रबंधन के उत्तर

| लेखा परीक्षा अवलोकन | प्रबंध मण्डल की टिप्पणियां |
|---|---|
| **इंड एएस वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट**<br><br>**क्वालिफाइड मत**<br><br>हमने, **मैसर्स एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड (''कम्पनी'')** के इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2020 तक की अवधि का तुलन–पत्र, लाभ–हानि खाते का विवरण, अन्य व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और समाप्त वर्ष की नकदी प्रवाह विवरणी, वित्तीय विवरणियों पर टिप्पणी तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश सहित और अन्य स्पष्टीकरण सूचना शामिल है।<br><br>हमारे मत में, और हमें उपलब्ध सूचना और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारी रिपोर्ट के क्वालिफाइड मत के लिए आधार अनुच्छेद में वर्णित मामले के प्रभावों को छोड़कर, उपरोक्त इंड एएस वित्तीय विवरणियां कंपनी अधिनियम 2013 (''अधिनियम'') कम्पनी की वास्तविक स्थिति 31 मार्च, 2020 को दी गई जानकारी तथा समाप्त वर्ष में हानि, अन्य व्यापक आय, इक्विटी और नकदी प्रवाह में परिवर्तन, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरुप वास्तविक तथा निष्पक्ष स्थिति प्रस्तुत करते हैं। | |
| **क्वालिफाइड मत का आधार**<br><br>क) वित्त वर्ष 2013–14 से वित्त वर्ष 2017–18 की अवधि के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ लंबित समाधान के संबंध में नोट सं. 38 पैरा (3) और (4) वित्तीय विवरणों पर लंबित समाधान के प्रभाव की वर्तमान में गणना नहीं की जा सकती। | समुचित प्रकटन लेखा नोट सं. 38 पैरा (3) एवं (4) में दिए गए हैं।<br><br>26.08.2013 को नागर विमानन मंत्रालय के तत्वाधान में मुख्यालय द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए जिसके तहत 31.03.2012 को एएआई के एअर इंडिया पर देयों का मंत्रालय द्वारा अधिनिर्णय किया गया।<br><br>वर्ष 2019–20 के दौरान वर्ष 2018–19 व 2019–20 के समाधान को अंतिम रुप दिया गया व पूर्ववर्ती वर्ष हेतु समाधान अगले वर्ष में पूर्ण कर लिया जाएगा। |

| | |
|---|---|
| हमने कम्पनी अधिनियम 2013 के अधिनियम की धारा 143 (10) में निर्धारित लेखाकंन मानकों के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा (एसएएस) पर मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा की है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट की इंड एएस वित्तीय विवरणों को लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 और नियमों के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी की गई आचार संहिता के अनुसार हम कंपनी से स्वतंत्र हैं व इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार हमारी अन्य नैतिक जिम्मेदारियां हमने पूरी कर दी हैं। हम मानते हैं कि हमारे द्वारा प्रदान किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य हमारे क्वालिफाइड मत के आधार पर पर्याप्त और उपयुक्त है। | |
| **मामले का महत्व**<br><br>**क)** नोट सं. 46 के अनुसार कंपनी के वित्तीय विवरण गोईंग कंर्सन आधार पर तैयार किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि निरंतर संचित हानि के बावजूद, कंपनी की नेटवर्थ पूरी तरह से समाप्त हो गई और गोईंग कंसर्न के रूप में कंपनी की जारी रखने की क्षमता अनिश्चित हो गई। | समुचित प्रकटन लेखा नोट सं. 46 में दिए गए हैं।<br><br>वर्ष 2019–20 में 118115.39 लाख रु. का राजस्व प्राप्त हुआ जो पिछले वर्ष की तुलना में 41.24% की वृद्धि को दर्शाता है।<br><br>एएएएल के आंकड़ों में वर्ष 2019–20 हेतु 6508.94 लाख रु. के प्रचालन लाभ को दर्शाया गया हैं<br><br>वर्ष 2019–20 में दर्शाया गया लाभ व हानि (20100.06 लाख रु.) इंड एएस 116 के प्रभाव स्वरूप है व 23810.05 लाख रु. है।<br><br>उपरोक्त तथ्यात्मक स्थिति आगामी वर्षों में सकारात्मक परिणाम देगी। |
| **ख)** हम वित्तीय विवरणों में नोट सं. 60 पर ध्यान आकर्षित करते हैं जो कोविड–19 महामारी के कारण कंपनी के प्रचालन और परिणाम पर प्रबंधन द्वारा मूल्यांकित अनिश्चितता के संभावित प्रभावों के बारे में बताते हैं।<br><br>उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारा मत परिवर्तित नहीं है। | यह कथन सही है। |
| कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचना में निदेशकों की रिपोर्ट, प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट, निगमित प्रशासन पर रिपोर्ट शामिल है। इस लेखा परीक्षा की रिपोर्ट की तिथि तक हमें अन्य सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। | |

| | |
|---|---|
| वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी यह है कि ऊपर बताई गई अन्य सूचनाएं जब उपलब्ध हो जाए तो, उनका पठन करें और ऐसा करते समय ध्यान दें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों के साथ महत्वपूर्ण रूप से असंगत है या लेखा परीक्षा में प्राप्त हमारी सूचना या अन्यथा महत्वपूर्ण रूप से गलत बयानी है। यदि अन्य सूचना पर किए गए कार्य के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य सूचना में कोई महत्वपूर्ण गलत बयानी है और हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। हमें इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।<br><br>दूसरी रिपोर्ट पढ़ते समय यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें महत्वपूर्ण गलत बयानी है, तो हमें आवश्यकता पड़ने पर शासन–विधि को इस संबंध में सूचित करना होगा और आवश्यकता पड़ने पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। | |
| कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के तहत अधिसूचित लेखा मानकों सहित कम्पनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकदी प्रवाह की वास्तविक व स्पष्ट स्थिति दर्शाने वाले इंड एएस वित्तीय विवरणों को तैयार करने की जिम्मेदारी, कम्पनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 134 (5) में उल्लेखित मामलों के संदर्भ में, कम्पनी के निदेशक मंडल की है। जिम्मेदारी में कम्पनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा व अन्य अनियमितताएं व धोखाधड़ी की जांच व रोकथाम हेतु अधिनियम के प्रावधानों के तहत समुचित कार्यान्वयन और लेखा रिकार्ड का रख–रखाव रखना, समुचित लेखा नीतियों का चयन व लागू करना, यथोचित व विवेकपूर्ण निर्णय व आकलन करना शामिल है तथा लेखा रिकार्डों की सटीकता व पूर्णता सुनिश्चित करने हेतु लागू प्रभावी पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण डिजाइन, तैयार व लागू करना, जो ऐसे वित्तीय विवरणों को तैयार व प्रस्तुत करने में संगत हो, जो वास्तविक व स्पष्ट स्थिति दर्शाए व धोखाधड़ी व गलती के कारण होने वाली किसी भी व्यापक त्रुटि से रहित हो। | |
| इंड एएस वित्तीय विवरणियों को तैयार करने में, गोईंग कंसर्न के रूप में कार्य जारी रखने की कम्पनी की क्षमता का आकलन करने, प्रकटन, जैसा लागू हो। गोईंग कंसर्न से संबंधित मामले तथा लेखांकन हेतु गोईंग कंसर्न आधार का प्रयोग प्रबंधन की जिम्मेदारी है, जब तक कि प्रबंधन कम्पनी को या तो लिक्विटेड करने या प्रचालन बंद करने की मंशा रखता हो और प्रबंधन के पास ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प मौजूद ना हो।<br><br>निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार हैं। | |

**इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी**

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणीयां समग्र रूप से महत्वपूर्ण गलतबयानी से मुक्त हैं और हमारा मत शामिल करते हुए लेखा परीक्षक रिपोर्ट जारी करना। तर्कसंगत आश्वासन उच्च स्तर के आश्वासन हैं, लेकिन यह इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि एसएएस के अनुसार की गई लेखा परीक्षा, सदैव, मौजूद होने पर महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता लगाएगी। धोखाधड़ी और त्रुटि से गलतबयानी हो सकती है और व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से महत्वपूर्ण हो सकती है यदि वे इन वित्तीय विवरणियों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकें।

एसएएस के अनुसार लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, हम व्यावसायिक निर्णय लेते हैं और पूरी लेखा परीक्षा में व्यावसायिक संशय को बनाए रखते हैं। हम भीः

- वित्तीय विवरणियों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण महत्वपूर्ण गलतबयानी को पहचानें और आकलन करें और इन जोखिमों के प्रति प्रतिक्रियाशील लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन व निष्पादित करें, और हमारे मत को आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उचित लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त कर धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता नहीं करने का जोखिम, त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले से अधिक है, चूकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर गलती करना, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण को ओवरराइड करना शामिल हो सकता है।

| | |
|---|---|
| • लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखा परीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण को समझना जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और क्या इस प्रकार के नियंत्रण को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है।<br>• उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण का मूल्यांकन करना।<br>• प्रबंधन द्वारा लेखांकन के गोईंग कंसर्न आधार की उपयुक्तता पर और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर कि गोईंग कंसर्न के रूप में कम्पनी के जारी रहने में सार्थक संदेह उत्पन्न करने वाली घटनाएं या परिस्थितियों से संबंधित महत्वपूर्ण अनिश्चितता है, पर निष्कर्ष निकालना। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि महत्वपूर्ण अनिश्चितता है, तो उस स्थिति में हमें अपनी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणीयों से संबंधित प्रकटनों पर ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है, यदि इस प्रकार के प्रकटन अपर्याप्त हैं तो अपने मत को संशोधित करना। लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक हमारे निष्कर्ष, प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं तथापि भविष्य में घटित होने वाली घटनाएं या परिस्थितियों के कारण कंपनी गोईंग कंसर्न के रूप में कार्य जारी नहीं रख सकेगी।<br>• प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करना और पता लगाना कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को निष्पक्ष प्रस्तुति करते हुए दर्शाते हैं<br><br>अन्य मामलों में हम, लेखा परीक्षा को योजनाबद्ध कार्यक्षेत्र और समय और महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों के साथ, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों को शामिल करते हुए, जो हमारी लेखा परीक्षा के दौरान ज्ञात होती है, शासन से संपर्क करते हैं। | |

| | |
|---|---|
| हम शासन को स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करने संबंधी विवरणी उपलब्ध करवाते हैं और हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव डालने वाले सभी संबंधों व अन्य मामलों के संबंध में यथा लागू संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में उन्हें सूचित करते हैं। | |
| **अन्य वैधानिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट**<br><br>1 कम्पनी अधिनियम 2013 की उपधारा (11) एवं धारा 143 के संदर्भ में केन्द्रीय भारत सरकार, द्वारा जारी कम्पनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश 2016 (आदेश) की अपेक्षानुसार आदेश के पैरा 3 और 4 में लागू सीमा तक उल्लिखित मामलों पर विवरण **अनुलग्नक ''क''** में दिया गया हैं। | |
| 2 कम्पनी के रिकार्ड और बहियों की इस जांच के आधार पर जो हमें उचित लगे और **अनुलग्नक 'ख'** में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देश/उपनिर्देशों में हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हम कम्पनी अधिनियम की धारा 143(5) के तहत अपनी रिपोर्ट संलग्न कर रहे हैं। | |

| | |
|---|---|
| 3 अधिनियम की धारा 143 (3) की अपेक्षानुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि :<br><br>(क) हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक हों।<br><br>(ख) हमारे मतानुसार कंपनी ने विधि द्वारा अपेक्षित उचित खाता बहियां रखी हुई हैं, जैसा कि इन खाता बहियां की हमारी जांच से स्पष्ट होता है।<br><br>(ग) इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन–पत्र, लाभ–हानि खाता के साथ अन्य व्यापक आय और नकदी प्रवाह विवरण और इक्विटी में परिवर्तन का विवरण इस रिपोर्ट के साथ खाता की लेखा पुस्तकों के अनुरुप हैं।<br><br>(घ) हमारे मतानुसार उपरोक्त इंड एएस वित्तीय विवरणियां कम्पनी ( भारतीय लेखा मानकों) नियम 2015 यथा संशोधित, के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित लेखा मानकों के अनुसार है।<br><br>(ड.) 31 मार्च, 2020 तक निदेशक मंडल से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड किए गए अनुसार, कोई भी निदेशक अधिनियम की धारा 164 (2) के तहत 31 मार्च, 2020 को अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।<br><br>(च) कंपनी की इंड एएस वित्तीय विवरणियों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता के संदर्भ में व इस प्रकार के नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावोत्पादकता के संबंध में, **अनुलग्न 'ख'** में हमारी अलग रिपोर्ट को देखें।<br><br>(छ) कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची V के खंड साथ पठित 197 के प्रावधान, जो प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित हैं। एमसीए अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 463 (ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार एक सरकारी कंपनी होने के नाते कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। | |

| | |
|---|---|
| (ज) हमारे मतानुसार व हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना व दिए गए स्पष्टीकरणों के संबंध में कम्पनी (लेखा परीक्षा व लेखा परीक्षक) नियम 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में। | |
| 1 कंपनी ने लंबित लिटिगेशन के मामले में वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव को नोट सं. 31 में प्रकट किया है। | |
| 2 कम्पनी ने डैरिवेटिव संविदा सहित, दीर्घावधि संविदा नहीं की जिनके लिए कोई महत्वपूर्ण पूर्वानुमानित हानि हो। | |
| 3 ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कम्पनी द्वारा इन्वेस्टर एजुकेशन व प्रोटेक्शन फंड में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक था। | |

# लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुलग्नक ''क' पर प्रबंधन के उत्तर

| लेखा परीक्षा अवलोकन | प्रबंध मण्डल की टिप्पणियां |
|---|---|
| **एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड के सदस्यों को 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के कम्पनी के खातों पर हमारी समतिथि रिपोर्ट के संदर्भ में ''अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकता पर रिपोर्ट'' भाग के पैरा 1 के अन्तगर्त** | |
| 1) **स्थिर परिसम्पत्तियों के संबंध में:**<br>• कंपनी ने पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड रखे हैं जिसमें परिमाणात्मक विवरण और स्थिर परिसम्पत्तियों की स्थिति शामिल है। | यह कथन सही है। |
| • जैसा कि हमें बताया गया है कि कंपनी द्विवार्षिक आधार पर स्थिर परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन करती है। वित्त वर्ष 2019–20 दिल्ली स्टेशन के लिए स्थिर परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन शुरू किया गया था, लेकिन कोविड–19 के लॉकडाउन और वैश्विक महामारी के कारण पूरा नहीं किया जा सका और हैदराबाद और कोलकाता स्टेशनों के लिए भौतिक सत्यापन अभी तक उल्लेखित कारणों के अनुसार आरंभ नहीं किया गया है। इसलिए यदि कोई विसंगति हो तो हम टिप्पणी नहीं कर सकते। | यह कथन सही है। |
| • प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे पास उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार, पर कंपनी की संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों में कोई स्थिर संपत्ति शामिल नहीं है और तदनुसार आदेश के पैरा 3 (i) (ग) के तहत अपेक्षाएं, कंपनी पर लागू नहीं है। | यह कथन सही है। |
| 2) **इनवेंटरी के संबंध में**<br>(क) हमें दी गई जानकारी के अनुसार, इनवेंटरी के भौतिक सत्यापन का कार्य द्विवार्षिक आधार पर किया जाता है। इनवेंटरी का भौतिक सत्यापन जो वित्त वर्ष 2019–20 में पूरा होने वाला था, कोविड–19 की वैश्विक महामारी के कारण पूरा नहीं हो सका। | यह कथन सही है। |
| (ख) उपरोक्त जानकारी के अनुसार, चूंकि इनवेंटरी का भौतिक सत्यापन वित्तीय वर्ष 2019–20 में पूरा नहीं हो सका है, इसलिए, यदि कोई विसंगति हो तो हम उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। | समुचित प्रकटन लेखा नोट सं. 35 (क) एवं 35 (ख) में दिए गए हैं। |
| 3) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अन्तर्गत बनाए गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों, लिमिटेड लाएबिलिटी पार्टनरशिप या अन्य पार्टियों को कोई आरक्षित या अनारक्षित ऋण नहीं दिया है। तदनुसार, आदेश के खण्ड 3 (iii) (क), (ख) और (ग) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं और इसलिए इस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है। | यह कथन सही है। |

| | |
|---|---|
| 4) हमारे मत में और हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 185 और 186 के तहत कम्पनी ने किसी भी प्रकार का ऋण या निवेश या कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है अतः इस धारा के प्रावधान इस कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। | यह कथन सही है। |
| 5) कंपनी ने अधिनियम और कंपनियों (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 की धारा 73 से 76 के प्रावधान के अन्तर्गत किसी भी जमा को स्वीकार नहीं किया है। तदनुसार, खंड 3(V) आदेश के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। | यह कथन सही है। |
| 6) हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, केंद्र सरकार ने कंपनी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) के तहत लागत रिकॉर्ड का रखरखाव निर्धारित नहीं किया है। इस प्रकार, आदेश का पैराग्राफ 3 (vi) कंपनी पर लागू नहीं होता है। | यह कथन सही है। |
| 7) (क) हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार खातों और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी परीक्षा के आधार पर, भविष्य निधि, आयकर, सहित निर्विवाद वैधानिक देयताओं के संबंध में खाते की पुस्तकों में कटौती / अर्जित की गई राशि माल और सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेस और अन्य वस्तुगत सांविधिक देय कम्पनी द्वारा वर्ष के दौरान नियमित रूप से उपयुक्त प्राधिकरणों को जमा करवाए जा रहे हैं। | यह कथन सही है। |
| (ख) हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, भविष्य निधि, आयकर, माल और सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेस और अन्य सामग्री सांविधिक बकाया के संबंध में कोई भी अविवादित राशि 31 मार्च, 2020 को, देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए, पिछले वर्ष देय सेवा कर की राशि 311.30 लाख रु. को छोड़कर बकाया नहीं थी। (मामला मैसर्स गति लिमिटेड के साथ विवादित है): | यह कथन सत्य है। मैसर्स गति लिमिटेड के साथ मामला विवादास्पद होने के कारण सेवा कर की राशि जमा नहीं करवाई गई है।<br>अंतिम निर्णय के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। |

<table>
<tr>
<td>(ग) हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना और उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार भविष्य निधि, माल और सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेस, उपकर और अन्य सामग्री सांविधानिक देय राशि का कोई बकाया नहीं है, जो किसी भी विवाद के कारण उपयुक्त अधिकारियों के पास जमा नहीं हुई हैं।
<table>
<tr><th>क्र.स.</th><th>अध्यादेश का नाम</th><th>बकाया की प्रकृति</th><th>बकाया राशि (लाख रु. में)</th><th>राशि से संबंधित अवधि</th><th>फोरम जहां विवाद लम्बित है।</th></tr>
<tr><td>1</td><td>आयकर अधिनियम, 1961</td><td>आयकर और ब्याज</td><td>174.30</td><td>मूल्यांकन वर्ष 2000–01</td><td>आईटीएटी</td></tr>
<tr><td>2</td><td>आयकर अधिनियम, 1961</td><td>आयकर और ब्याज</td><td>140.40</td><td>मूल्यांकन वर्ष 1997–98</td><td>सीआईटी (अपील)</td></tr>
</table>
</td>
<td>यह कथन सही है।</td>
</tr>
<tr>
<td>8) हमारे मतानुसार और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वित्तीय संस्थान या बैंक से कोई ऋण नहीं लिया है। कंपनी के पास सरकार से कोई ऋण या उधार नहीं था और वर्ष के दौरान जारी किए गए कोई डिबेंचर नहीं थे या 31 मार्च 2020 तक बकाया नहीं थे।</td>
<td>यह कथन सही है।</td>
</tr>
<tr>
<td>9) कम्पनी ने प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफर या आगे के सार्वजनिक ऑफर या आवधिक ऋण से पैंसा नहीं जुटाया है। तदनुसार आदेश का खण्ड 3 (ix) कंपनी पर लागू नहीं होता है।</td>
<td>यह कथन सही है।</td>
</tr>
<tr>
<td>10) वित्तीय विवरणों के सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण को रिपोर्ट करने के लिए और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान किए गए ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या अधिकारियों द्वारा कंपनी पर कोई महत्वपूर्ण धोखाधड़ी रिपोर्ट नहीं की गई है।</td>
<td>यह कथन सही है।</td>
</tr>
<tr>
<td>11) दिनांक 5 जून, 2015 की एमसीए अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 463(ई) के संबंध में, प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित कंपनी अधिनियम 2013 के खंड V अनुच्छेद 197 के प्रावधान सरकारी कम्पनी होने के कारण कम्पनी पर लागू नहीं होते। अतः आदेश का खंड 3(xi) कंपनी पर लागू नहीं होता।</td>
<td>यह कथन सही है।</td>
</tr>
<tr>
<td>12) हमारे मतानुसार कम्पनी निधि कम्पनी नहीं है। इसलिए आदेश के खंड 3(xii) के प्रावधाान कम्पनी पर लागू नहीं होते।</td>
<td>यह कथन सही है।</td>
</tr>
</table>

| | |
|---|---|
| 13) हमारे मत में, संबंधित पार्टियों के साथ सभी लेन–देन में, कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 177 और 188 का अनुपालन किया गया और लागू लेखांकन मानकों में अपेक्षित इंड एएस वित्तीय विवरणियों (संदर्भ सं. (40)) में इसका विवरण दिया गया है। | यह कथन सही है। |
| 14) हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने लेखा परीक्षा वर्ष के दौरान शेयरों का प्रैफरैन्श्यल या निजी तौर पर आबंटन या पूर्णतया या अंशतः परिवर्तनीय डिबैंचर का आबंटन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xiv) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। | यह कथन सही है। |
| 15) हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने लेखा परीक्षा वर्ष के दौरान निदेशकों या उनसे संबंधित व्यक्तियों के साथ कोई भी गैर–नकद लेन देन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xv) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। | यह कथन सही है। |
| 16) हमारे मत में, कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45IA) के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xvi) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते। | यह कथन सही है। |

# लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुलग्नक ''ख'' पर प्रबंधन के उत्तर

| क्र.सं. | कम्पनी अधिनियम 2013 के 143 (5) दिशा निर्देश | निर्देशों की अनुवर्ती कार्रवाई पर लेखा परीक्षकों का उत्तर | प्रबंधन के उत्तर | आर्थिक प्रभाव |
|---|---|---|---|---|
| 1. | क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को प्रोसेस करने के लिए प्रणाली है? यदि हाँ, तो वित्तीय निहितार्थ के साथ–साथ खातों की संपूर्णता पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन का प्रभाव। यदि कोई हो, तो बताएं। | कंपनी के पास आईटी प्रणाली यानी एसएपी (डाटा प्रोसेसिंग में सिस्टम एप्लिकेशन और उत्पाद) के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की प्रणाली है। तथापि कंपनी एआईएल के माध्यम से यात्री, कार्गो, सामान और अन्य राजस्व से संबंधित डाटा प्रोसेसिंग के लिए बाहरी एजेंसी की सेवाओं का लाभ उठा रही है क्योंकि एआईएल की प्रणाली का उपयोग बुकिंग आदि के लिए किया गया है, जो कंपनी के आईटी सिस्टम से बाहर है। उपलब्ध रिकॉर्ड और जानकारी के अनुसार इंडस्ट्री प्रैक्टिस के अनुसार, मूल कंपनी आउटसोर्स एजेंसी द्वारा प्रोसेस किए गए डाटा की संपूर्णता, प्रामाणिकता और सटीकता का पता लगाने के लिए सभी आवश्यक मानदंडों का अनुपालन कर रही है। | यह कथन सही है।<br><br>सभी लेखांकन प्रविष्टियां वित्तीय लेखांकन मॉड्यूल एसएपी के माध्यम से की जाती है। इनवेंटरी और राजस्व लेखांकन में एसएपी वित्तीय मॉड्यूल के साथ इंटरफेस है। | कोई नहीं |
| 2. | क्या ऋण के भुगतान में असमर्थता के कारण लेंडर द्वारा क्या वर्तमान ऋण मामलों का कोई पुनर्गठन/छूट/ब्याज राइट ऑफ करना/ऋण/ब्याज इत्यादि का कोई मामला है। यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव बताया जाए। | लागू नहीं<br><br>मूल कंपनी द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता को छोड़कर, कंपनी किसी भी बैंक, वित्तीय संस्थान या किसी अन्य ऋणदाता से कोई ऋण नहीं ले रही है। | यह कथन सही है। | कोई नहीं |

| क्र.सं. | कम्पनी अधिनियम 2013 के 143 (5) दिशा निर्देश | निर्देशों की अनुवर्ती कार्रवाई पर लेखा परीक्षकों का उत्तर | प्रबंधन के उत्तर | आर्थिक प्रभाव |
|---|---|---|---|---|
| 3. | क्या केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त धनराशि/प्राप्य की समुचित गणना/इसको निबंधन और शर्तों के अनुसार समुचित रूप से उपयोग किया गया है? विचलन मामलों की सूची बनाएं। | क्षेत्रीय सम्पर्क योजना (आरसीएस) और वाएबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) के तहत प्राप्त राशि/प्राप्य को छोड़कर, इस वर्ष के दौरान केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए कोई निधि प्राप्त/प्राप्य नहीं हुई है, जिसका लेखा–जोखा किताबों में समुचित रूप से रखा गया है। | यह कथन सही है। | कोई नहीं |

# लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुलग्नक ''ग'' पर प्रबंधन के उत्तर

| लेखा परीक्षा अवलोकन | प्रबंध मण्डल की टिप्पणियां |
|---|---|
| एलाइंस एअर एविएशन लि. की इंड एएस वित्तीय विवरणियों पर हमारी रिपोर्ट में ''अन्य विधिक व वियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट'' शीर्ष के तहत पैरा 2 (च) में संदर्भित अनुलग्नक ''ग''<br><br>कम्पनी अधिनियम 2013 (''अधिनियम'') के खंड (i) के अनुच्छेद 143 के उप खंड 3 के अधीन आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट<br><br>हमने 31 मार्च, 2020 के एलाइंस एअर एविएशन लि. (''कम्पनी'') के संदर्भ में इंड एएस वित्तीय विवरणियों के संदर्भ में आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा, समतिथि को समाप्त वर्ष के कम्पनी की इंड एएस वित्तीय विवरणियों पर हमारी लेखा परीक्षा के साथ की है। | |
| **आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर प्रबंधन की जिम्मेदारी**<br><br>कम्पनी का प्रबंधन आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के स्थापन व रख रखाव के लिए जिम्मेदार है। इस उत्तरदायित्व में समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिज़ाइन, कार्यान्वयन व अनुरक्षण शामिल है जो कम्पनी के व्यवसाय को दक्षतापूर्वक व व्यवस्थित ढंग से चलाना सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रुप से लागू थे। जिसमें कम्पनी की नीति का अनुपालन, परिसम्पत्तियों की सुरक्षा, फ्राड व त्रुटि की रोकथाम व पता लगाना, लेखा रिकार्डों की शुद्धता व पूर्णता व कम्पनी अधिनियम 2013 के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय सूचना को तैयार करना शामिल है। | यह कथन सही है। |
| **लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी**<br><br>हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर, कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर संदर्भ में इंड एएस वित्तीय विवरणी के संदर्भ में मत प्रकट करना हमारी जिम्मेदारी है। हमने अपनी लेखा परीक्षा, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर वित्तीय रिर्पोटिंग (गाइडेंस नोट) तथा भारत के इंस्टीटयूट ऑफ चार्टड एकांउटेंट द्वारा जारी व कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा के मानकों, के अनुसार, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा पर लागू की है और दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर लागू तथा दोनों भारत के इंस्टीटयूट ऑफ चार्टड एकांउटेंट द्वारा जारी। हमें नैतिक आवश्यकताओं के अनुपालन व लेखा परीक्षा की योजना व निष्पादन करने की आवश्यकता है ताकि इस संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त किया जा सके कि इंड एएस वित्तीय विवरणी के संदर्भ में समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित व रखे गए तथा क्या सभी महत्वपूर्ण दृष्टियों से ये नियंत्रण प्रभावी रुप से कार्य करते रहे। | |

| लेखा परीक्षा अवलोकन | प्रबंध मण्डल की टिप्पणियां |
|---|---|
| हमारी लेखा परीक्षा के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग व उसकी प्रचालनात्मक प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, महत्वपूर्ण दोष मौजूद होने व जोखिम का आंकलन और जोखिम के मूल्यांकन के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की डिज़ाइन और प्रचालनात्मक प्रभावशीलता का परीक्षण और उनका मूल्यांकन करना है। चयनित प्रक्रियाएं, वित्तीय विवरणों के वस्तुगत गलत बयान से जोखिम के आकलन सहित, चाहे यह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुआ हो, लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं।<br><br>हमारा विश्वास है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारे क्वालिफाइड लेखा परीक्षा मत को आधार देने के लिए हमने पर्याप्त एवं उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रमाण प्राप्त किए हैं। | |
| **इंड एएस वित्तीय विवरणी के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का आशय**<br><br>इंड एएस वित्तीय विवरणी के संदर्भ में कम्पनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग व सामान्य स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार बाहय उद्देश्यों हेतु तैयार इंड एएस वित्तीय विवरणियों की विश्वसनीयता हेतु उचित आश्वासन उपलब्ध करने हेतु डिजाइन की जाती है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में वे नीतियां व प्रक्रियाएं शामिल हैं जो–: | यह कथन सही है। |
| 1. रिकार्ड के रखरखाव से संबंधित, जो उचित विवरणानुसार कम्पनी की परिसंपत्तियों के लेन–देन और प्रबंधन को सही और उचित रुप से दर्शाती है। | यह कथन सही है। |
| 2. सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार, इंड एएस वित्तीय विवरणी तैयार करने हेतु आवश्यकतानुसार लेन–देन के उचित रिकार्ड हेतु आश्वासन प्रदान करना और कम्पनी की प्राप्तियों और व्यय केवल कम्पनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकृत किए जाने के अनुसार ही किए जाते हैं। | |

| लेखा परीक्षा अवलोकन | प्रबंध मण्डल की टिप्पणियां |
|---|---|
| 3. कम्पनी की परिसम्पत्तियों, जिसका कम्पनी की इंड एएस वित्तीय विवरणियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है, के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या रोकथाम या समय पर पता लगने संबंधी उचित आश्वासन देना। | यह कथन सही है। |
| **इंड एएस वित्तीय विवरणी के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमाएं**<br><br>इंड एएस वित्तीय विवरणी के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, मिलीभगत या नियंत्रण पर प्रबंधन को अनुचित प्रत्यादिष्ट करने की संभावना सहित त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलतबयानी हो सकती है, जिसकी पहचान नहीं हो पाती है। साथ ही भविष्य के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन होते हैं कि शर्तों में परिवर्तन के कारण इंड एएस वित्तीय विवरणी के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकते हैं या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर खराब हो सकता है। | |
| **क्वालिफाइड मत का आधार**<br><br>हमारे मत में और हमें उपलब्ध सूचना और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों व हमारी लेखा परीक्षा के अनुसार 31 मार्च, 2020 तक निम्नलिखित महत्वपूर्ण कमियों की पहचान की गई। | |
| • कम्पनी में इनवेंटरी प्रबंधन से संबंधित कार्यात्मक सॉफ्टवेयर व लेखांकन सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस को अभी तक लागू नहीं किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप मैनुअल रूप से लेखांकन प्रविष्टियां की जाती हैं। आउटसोर्स एजेंसी द्वारा संसाधित डेटा के सत्यापन की प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता है क्योंकि उनके द्वारा प्रदान किए गए डेटा पर महत्वपूर्ण रुप से निर्भर किया जाता है। | लेखांकन व न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप सुनिश्चित करने हेतु रैमको प्रणाली को सैप वित्त मॉड्यूल के साथ इंटरफेस कर दिया गया है। |
| • कटौती, जमा और सांविधिक के बकाया समाधान हेतु आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। | एसएपी के मासिक क्लोज़र से सांविधिक बकाया की कटौती, जमा और सामंजस्य सुदृढ़ होगा। |
| • कम्पनी में सामान्य आईटी नियंत्रणों की जांच व मूल्यांकन हेतु सूचना प्रणाली नहीं हैं जिससे आईटी प्रणाली से तैयार रिपोर्टों की पूर्णता, परिशुद्धता व विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है। | एएएसएल का क्रियाशील आईटी विभाग आईबीएम (एसएपी मॉड्यूल एजेंसी) के साथ समन्वय में नियंत्रण और सटीकता और आईटी प्रणाली से उत्पन्न होने वाली रिपोर्ट की विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है। |

| लेखा परीक्षा अवलोकन | प्रबंध मण्डल की टिप्पणियां |
|---|---|
| • कंपनी के पास मेकर चेकर कॉन्सेप्ट नहीं है /एसएपी लेखांकन में मेकर चेकर कॉन्सेप्ट का पालन नहीं किया जा रहा है, तथापि शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार वाउचर्स ऑथेंटिकेशन के जरिए इसका पालन किया जाता है। | संगठन में सभी विभागों के लिए पदनामों की संशोधित मैपिंग के आधार पर वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन को हाल ही में बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है। कंपनी एसएपी में मेकर–चेकर अवधारणा के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है। प्रविष्टियों के प्रसंस्करण और लेखांकन में नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए पूरक नियंत्रण का प्रयोग किया गया है। |
| वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में 'मटीरियल वीकनेस' एक कमी या अनेक कमियों का संयोजन है व यथोचित संभावना है कि कम्पनी की वार्षिक इंड एएस वित्तीय विवरणियों की महत्वपूर्ण मिसस्टेटमेंट समय पर रोकी या पहचानी नहीं जा पाएगी। | |
| **क्वालिफाइड मत**<br><br>हमारे मतानुसार उपरोक्त ''क्वालिफाइड मत'' पैरा में उल्लिखित 'मल्टीरियल वीकनेस के प्रभावों के अलावा कम्पनी में सभी महत्वपूर्ण विषयों हेतु वित्तीय रिपोर्टिंग पर समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है व वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस प्रकार के वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2020 तक प्रभावी रुप से कार्य कर रहे थे। जो आईसीएआई द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर जारी गाइडेंस नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के घटकों को ध्यान में रखते हुए कम्पनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित हैं।<br><br>हमने पाई गई महत्वर्पूर्ण कमियों पर विचार किया है और उपरोक्तानुसार रिपोर्ट किया है। | |

## 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र

(आंकड़े रुपये में)

| विवरण | | | नोट सं. | 31 मार्च, 2020 को | 31 मार्च, 2019 को |
|---|---|---|---|---|---|
| | परिसम्पत्तियां | | | | |
| 1 | | गैर–चालू परिसम्पत्तियां | | | |
| | (i) | सम्पत्ति, संयत्रं और उपस्कर | 2(क) | **9,12,34,059** | 9,74,38,513 |
| | (ii) | राइट ऑफ यूज़ परिसम्पत्तियां | 2(ख) | **19,05,33,31,825** | - |
| | (iii) | वित्तीय परिसम्पत्तियां | | | |
| | | क) व्यापार प्राप्य | | **-** | - |
| | | ख) अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां | 3 | **81,53,20,710** | 1,09,37,74,522 |
| | (iv) | आयकर परिसम्पत्तियां (निवल) | 4 | **39,72,76,396** | 18,90,51,455 |
| | (v) | आस्थिगित कर परिसम्पत्तियां (निवल) | | **-** | - |
| | (vi) | अन्य गैर चालू परिसम्पत्तियां | 5 | **2,47,06,03,621** | 1,81,42,72,477 |
| 2 | | चालू परिसम्पत्तियां | | | |
| | (i) | इनवेटंरी | 6 | **29,69,66,384** | 21,51,81,210 |
| | (ii) | वित्तीय परिसम्पत्तियां | | | |
| | | क) व्यापार प्राप्य | 7 | **78,75,54,895** | 98,68,53,534 |
| | | ख) नकद और नकद समकक्ष | 8 | **30,77,48,574** | 3,84,84,203 |
| | | ग) बैंक शेष उपरोक्त (ख) के अलावा | 9 | **1,43,55,707** | 21,98,24,920 |
| | | घ) ऋण | 10 | **44,39,58,607** | 17,53,79,282 |
| | | च) अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां | 11 | **18,92,14,517** | 13,82,57,454 |
| | (iii) | अन्य चालूपरिसम्पत्तियां | 12 | **80,44,16,426** | 39,78,26,848 |
| | | कुल परिसम्पत्तियां | | **25,67,19,81,721** | 5,36,63,44,418 |
| | इक्विटी और देयताएं | | | | |
| 1 | | इक्विटी | | | |
| | | क) इक्विटी शेयरपूंजी | 13 | **4,02,25,00,000** | 4,02,25,00,000 |
| | | ख) अन्य इक्विटी | 14 | **(26,58,90,35,050)** | (23,98,52,86,557) |
| 2 | | देयताएं | | | |
| | (i) | गैर चालू देयताएं | | | |
| | | क) वित्तीय देयताएं | | | |
| | | i) उधार | | **-** | - |
| | | ii) लीज़ देयताएं | 15 | **21,65,11,77,572** | - |
| | | iii) अन्य वित्तीय देयताएं | | **-** | - |
| | | ख) प्रावधान | 16 | **58,74,87,267** | 22,80,75,580 |
| | | ग) अन्य गैर चालू देयताएं | | **-** | - |
| | (ii) | चालू देयताएं | | | |
| | | क) वित्तीय देयताएं | | | |
| | | i) उधार | 17 | **16,90,22,63,593** | 16,33,35,64,375 |
| | | ii) लीज़ देयताएं | 15 | **3,45,12,311** | - |
| | | iii) व्यापार देयताएं | 18 | **8,09,37,23,252** | 5,71,55,76,464 |
| | | iv) अन्य वित्तीय देयताएं | 19 | **50,39,15,304** | 2,65,51,27,726 |
| | | ख) प्रावधान | 20 | **21,16,769** | 21,81,115 |
| | | ग) अन्य चालू देयताएं | 21 | **46,33,20,703** | 39,46,05,715 |
| | | कुल इक्विटी एवं देयताएं | | **25,67,19,81,721** | 5,36,63,44,418 |
| **नोट सं. 1 की महत्वपूर्ण लेखा नीतियां व अन्य विवरणात्मक नोट इंड एएस वित्तीय विवरणियों का अविभाज्य भागहैं।** | | | | | |

यह हमारी सम तिथि की अलग रिपोर्ट में उल्लेखित के अनुसार है।

कृते एस. के. कपूर एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
**फर्म पंजीकरण सं एफआरएन नं. 000745सी**
हस्ता/–
**वी.बी. सिंह**
पार्टनर
सदस्यता सं.: 073124
**यूडीआईएनः 20073124एएएएडीएफ8843**

स्थान :नई दिल्ली
दिनांक : 20/10/2020

एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड के निदेशक मण्डल के लिए तथा उनकी ओर से

हस्ता/–
**राजीव बंसल**
अध्यक्ष
डीआईएन सं. 00245460

हस्ता/–
**विनोद हेजमाड़ी**
निदेशक
डीआईएन सं. 07346490

हस्ता/–
**सी. एस सुब्बैया**
मुख्य कार्यपालक अधिकारी,

हस्ता/–
**मंजिरी एम. वझे**
कम्पनी सचिव
सदस्यता सं.: एसीएस16028

हस्ता/–
**अम्बर कुमार मंडल**
मुख्य वित्तीय अधिकारी

स्थान :नई दिल्ली
दिनांक : 20/10/2020

# 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ–हानि विवरणी

(आंकड़े रुपये में)

| विवरण | | नोट सं. | 2019–20 की अवधि हेतु राशि | 2018–19 की अवधि हेतु राशि |
|---|---|---|---|---|
| I | राजस्व | | | |
| 1 | प्रचालन से | 22 | | |
| | i) अनुसूचित यातायात सेवाएं | | **7,13,60,39,268** | 6,91,93,41,032 |
| | ii) गैर अनुसूचित यातायात सेवाएं | | **2,41,97,21,574** | 1,24,60,11,317 |
| | iii) अन्य प्रचालन राजस्व | | **37,45,26,556** | 5,07,66,565 |
| 2 | अन्य आय | 23 | **1,88,12,51,753** | 14,66,63,927 |
| II | **कुल राजस्व (12)** | | **11,81,15,39,151** | 8,36,27,82,841 |
| III | व्यय | | | |
| | विमान ईंधन एवं तेल | | **1,96,32,37,141** | 2,06,51,19,161 |
| | अन्य प्रचालन व्यय | 24 | **3,29,11,27,333** | 5,63,20,02,391 |
| | स्टाक इन ट्रेड की खरीद | | **-** | - |
| | तैयारमाल की इनवेंटरी में, कार्य प्रगति पर और स्टॉक इन ट्रेड में परिवर्तन | | **-** | - |
| | कर्मचारी लाभ व्यय | 25 | **1,65,83,58,342** | 1,47,37,50,351 |
| | वित्तीय लागत | 26 | **4,54,21,51,356** | 1,59,64,39,414 |
| | मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय | 2 क & 2 ख | **2,28,78,93,662** | 1,57,03,845 |
| | अन्य व्यय | 27 | **7,50,35,815** | 50,37,22,074 |
| IV | **कुल व्यय** | | **13,81,78,03,648** | 11,28,67,37,236 |
| V | **असाधारण मदों पूर्व (हानि) और कर (II-IV)** | | **(2,00,62,64,497)** | (2,92,39,54,394) |
| VI | **असाधारण मदें** | 28 | **-** | - |
| VII | कर से पूर्व लाभ (VII-VIII) | | **(2,00,62,64,497)** | (2,92,39,54,394) |
| VIII | **कर व्ययः** | | | |
| क | चालू कर | | **-** | - |
| ख | आस्थगित कर | | **-** | - |
| IX | **वर्ष के लिए कर के पश्चात (हानि) (VII-VIII)** | | **(2,00,62,64,497)** | (2,92,39,54,394) |
| X | **अन्य व्यापक आय** | | | |
| | मदें जो लाभ एवं हानि खातो में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा | | | |
| | पारिभाषित लाभ योजना का पुनः मापन | | **(37,41,023)** | 7,20,115 |
| XI | **कुल व्यापक आय** | | **(2,01,00,05,520)** | (2,92,32,34,279) |
| XII | **प्रति इक्विटी शेयर आय** | 29 | | |
| | (1) मूल | | **(49.88)** | (72.69) |
| | (2) डायल्यूटिड | | **(49.88)** | (72.69) |
| **नोट सं. 1 की महत्वपूर्ण लेखा नीतियां व अन्य विवरणात्मक नोट इंड एएस वित्तीय विवरणियों का अविभाज्य भाग हैं।** | | | | |

यह हमारी सम तिथि की अलग रिपोर्ट में उल्लेखित के अनुसार है।

कृते एस. के. कपूर एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
**फर्म पंजीकरण सं एफआरएन नं. 000745सी**
हस्ता/–
**वी.बी. सिंह**
पार्टनर
सदस्यता सं.: 073124
**यूडीआईएनः 20073124एएएएडीएफ8843**

स्थान :नई दिल्ली
दिनांक : 20/10/2020

एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड के निदेशक मण्डल के लिए तथा उनकी ओर से

हस्ता/–
**राजीव बंसल**
अध्यक्ष
डीआईएन सं. 00245460

हस्ता/–
**विनोद हेजमाड़ी**
निदेशक
डीआईएन सं. 07346490

हस्ता/–
**सी. एस सुब्बैया**
मुख्य कार्यपालक अधिकारी,

हस्ता/–
**मंजिरी एम. वझे**
कम्पनी सचिव
सदस्यता सं.: एसीएस16028

हस्ता/–
**अम्बर कुमार मंडल**
मुख्य वित्तीय अधिकारी

स्थान :नई दिल्ली
दिनांक : 20/10/2020

# 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन की विवरणी

(आंकड़े रुपये में)

| क) इक्विटी शेयर पूंजी | 31.03.2020 को | | 31.03.2019 को | |
|---|---|---|---|---|
| | शेयरों की सं. | राशि | शेयरों की सं. | राशि |
| रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में शेष | **4,02,25,000** | **4,02,25,00,000.00** | 4,02,25,000 | 4,02,25,00,000.00 |
| वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन | | | | |
| जोड़करः | **0** | **-** | 0 | - |
| घटाकरः | **0** | **-** | 0 | - |
| रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष | **4,02,25,000** | **4,02,25,00,000.00** | **4,02,25,000** | **4,02,25,00,000.00** |

(आंकड़े रुपये में)

| विवरण | प्रतिधारित आय | अन्य व्यापक आय | कुल |
|---|---|---|---|
| 1.04.2019 को शेष | (24,00,36,02,723) | 1,83,16,166 | (23,98,52,86,557) |
| इंड एएस 116 लीज़ का प्रभाव | (59,37,42,973) | - | (59,37,42,973) |
| पूर्वावधि समायोजन | - | - | - |
| **01.04.2019 को पुनः घोषित शेष** | **(24,59,73,45,697)** | **1,83,16,166** | **(24,57,90,29,531)** |
| वर्ष के लिए लाभ | (2,00,62,64,497) | - | (2,00,62,64,497) |
| छुट्टी नगदीकरण हेतु ओसीआई के प्रारंभिक शेष का समायोजन | 1,10,31,486 | (1,10,31,486.00) | - |
| वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय | - | (37,41,023) | (37,41,023) |
| **वर्ष के लिए अन्य आय व्यापक आय** | | | **(26,58,90,35,050)** |
| **31.03.2020 को शेष** | **(26,59,25,78,707)** | **35,43,657** | **(26,58,90,35,050)** |
| 01.04.2018 को शेष | (21,07,88,22,929) | 1,75,96,051 | (21,06,12,26,878) |
| इंड एएस 115 का प्रभाव–यात्रियों से कान्ट्रेक्ट से राजस्व | - | - | - |
| **01.04.2018 को पुनः घोषित शेष** | **(21,07,88,22,929)** | **1,75,96,051** | **(21,06,12,26,878)** |
| वर्ष के लिए लाभ हानि | (2,92,39,54,394) | - | (2,92,39,54,394) |
| आरक्षित से स्थानांतरण | (8,25,400) | - | (8,25,400) |
| वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय | - | 7,20,115 | 7,20,115 |
| **वर्ष के लिए अन्य कुल आय व्यापक आय** | | | **(23,98,52,86,557)** |
| **31.03.2019 को शेष** | **(24,00,36,02,723)** | **1,83,16,166** | **(23,98,52,86,557)** |

यह हमारी सम तिथि की अलग रिपोर्ट में उल्लेखित के अनुसार है।

**कृते एस. के. कपूर एंड कम्पनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
**फर्म पंजीकरण सं एफआरएन नं. 000745सी**
हस्ता/–
**वी.बी. सिंह**
पार्टनर
सदस्यता सं.: 073124
**यूडीआईएनः 20073124एएएएडीएफ8843**

स्थान :नई दिल्ली
दिनांक : 20/10/2020

**एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड के निदेशक मण्डल के लिए तथा उनकी ओर से**

हस्ता/–
**राजीव बंसल**
अध्यक्ष
डीआईएन सं. 00245460

हस्ता/–
**विनोद हेजमाड़ी**
निदेशक
डीआईएन सं. 07346490

हस्ता/–
**सी. एस सुब्बैया**
मुख्य कार्यपालक अधिकारी,

हस्ता/–
**मंजिरी एम. वझे**
कम्पनी सचिव
सदस्यता सं.: एसीएस16028

हस्ता/–
**अम्बर कुमार मंडल**
मुख्य वित्तीय अधिकारी

स्थान :नई दिल्ली
दिनांक : 20/10/2020

## 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरणी

(आंकड़े रुपये में)

| विवरण | 2019-2020 | | 2018-2019 | |
|---|---|---|---|---|
| I प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह | | | | |
| लाभ–हानि खाते के अनुसार कर से पूर्व लाभ/(हानि) | | **(2,01,00,05,520)** | | (2,92,32,34,279) |
| जमाः–निम्नलिखित के लिए समायोजन | | | | |
| 1 मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय | **2,28,78,93,662** | | 1,57,03,845 | |
| 2 प्रावधान/गैर दावा देयताएं–रिटन बैक | **(1,80,09,97,551)** | | (5,29,63,148) | |
| 3 बट्टे खाते प्रावधान | **2,36,83,327** | | 8,03,66,628 | |
| 4 इंड एएस 116 के अनुसार ब्याज वित्तीय लागत व लीज़ पर विनिमय अंतर | **2,71,41,02,306** | | - | |
| 5 ब्याज और वित्तीय लागत | **1,82,80,49,050** | | 1,60,98,12,520 | |
| 6 आरक्षित से स्थानांतरण | | | (8,25,400) | |
| 7 अर्जित ब्याज | **(8,02,54,203)** | | (9,37,00,779) | |
| 8 हिस्से पूर्जों के अप्रचलन के लिए प्रावधान | **5,77,24,010** | | (1,99,43,630) | |
| | | **5,03,02,00,601** | | 1,53,84,50,036 |
| कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व प्रचालन लाभ/(हानि) | | **3,02,01,95,082** | | (1,38,47,84,244) |
| जमाः प्रचालन परिसम्पत्तियों में (वृद्धि)/कमी के लिए समायोजन | | | | |
| अन्य बैंक शेष | **20,54,69,213** | | (20,71,68,224) | |
| अन्य गैर चालू परिसम्पत्तियां | **(1,07,52,02,934)** | | 22,29,01,278 | |
| इनवेंटरी | **(13,95,09,184)** | | 15,44,27,787 | |
| व्यापार प्राप्य | **17,56,15,312** | | (15,22,28,084) | |
| ऋण | **(26,85,79,325)** | | (7,17,69,474) | |
| अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां | **(5,09,57,062)** | | 55,17,53,725 | |
| अन्य चालू परिसम्पत्तियां | **(40,65,89,578)** | | (37,65,04,055) | |
| | | **(1,55,97,53,559)** | | 12,14,12,953 |
| जमाः प्रचालन देयताओं में वृद्धि/(कमी) के लिए समायोजन | | | | |
| व्यापार देय | **2,37,81,46,788** | | 2,56,93,60,907 | |
| अन्य चालू देयताएं | **6,87,14,988** | | 12,86,59,167 | |
| लघु अवधि ऋण | **56,86,99,218** | | 90,06,22,610 | |
| लघु अवधि प्रावधान | **(64,346)** | | (11,21,05,015) | |
| अन्य वित्तीय देयताएं | **6,86,56,917** | | (97,55,34,808) | |
| देय लीज़ देयताएं | **-** | | (27,52,48,611) | |

## 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरणी

(आंकड़े रुपये में)

| विवरण | | 2019-2020 | | 2018-2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | दीर्घावधि प्रावधान | **1,69,87,471** | **3,10,11,41,037** | 18,00,21,532 | 2,41,57,75,782 |
| | **प्रचालन से प्राप्त नकद** | | **4,56,15,82,560** | | 1,15,24,04,492 |
| | घटाकर: टीडीएस सहित अदा किया गया कर | | **(20,82,24,941)** | | (1,83,59,442) |
| | **कर पश्चात (क) प्रचालन गतिविधियों से कैश फ्लो** | | **4,35,33,57,619** | | 1,13,40,45,050 |
| ख | **निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह** | | | | |
| | क) स्थिर परिसम्पत्तियों की खरीद | **(1,50,40,463)** | | (3,57,06,682) | |
| | ख) लीन अधीन एफडीआर से प्राप्ति | **27,84,53,812** | | 18,65,19,633 | |
| | ग) ब्याज आय | **8,02,54,203** | **34,36,67,551** | 9,37,00,779 | 24,45,13,729 |
| | घ) स्थायी परिसम्पत्तियों की बिक्री | | | | |
| | **निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह (ख)** | | **34,36,67,551** | | 24,45,13,729 |
| ग | **वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह** | | | | |
| | क) चालू देयता का इक्विटी में रुपांतरण | **-** | | - | |
| | ख) लीज़ भुगतान | **(2,59,97,11,752)** | | - | |
| | ग) ब्याज भुगतान | **(1,82,80,49,050)** | **(4,42,77,60,799)** | (1,60,98,12,520) | (1,60,98,12,520) |
| | **वित्तीय गतिविधि (ग) से प्रयुक्त नकद** | | **(4,42,77,60,799)** | | (1,60,98,12,520) |
| | **नकद और नकद समकक्ष में निवल वृद्धि (क+ख+ग)** | | **26,92,64,371** | | (23,12,53,741) |
| | **वर्ष के आरंभ में नकद और नकद समकक्ष** | | **3,84,84,203** | | 26,97,37,944 |
| | **वर्ष के अंत में नकद और नकद समकक्ष (घ+ङ)** | | **30,77,48,574** | | 3,84,84,203 |

टिप्पणी: उपर्युक्त नकदी प्रवाह विवरणी आईसीएआई द्वारा ''नकदी प्रवाह विवरणी'' पर इंड एएस–7 के अनुरुप अप्रत्यक्ष पद्धति के तहत तैयार की गई है।

पिछले वर्ष के आकड़े पुनःवर्गीकृत/पुनःव्यवस्थित किए गए हैं।

| विवरण | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|
| नगद और नगद समकक्ष | | |
| बैंक में शेष | | |
| चालू खाते में | **307,469,881** | 38,484,012 |
| हाथ में रोकड़ | **278,693** | 191 |
| **अंत शेष** | **307,748,574** | **38,484,203** |

**यह हमारी सम तिथि की अलग रिपोर्ट में उल्लेखित के अनुसार है।**

**कृते एस. के. कपूर एंड कम्पनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
**फर्म पंजीकरण सं एफआरएन नं. 000745सी**
हस्ता/–
**वी.बी. सिंह**
पार्टनर
सदस्यता सं.: 073124
**यूडीआईएनः 20073124एएएएडीएफ8843**

स्थान :नई दिल्ली
दिनांक : 20/10/2020

**एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड के निदेशक मण्डल के लिए तथा उनकी ओर से**

हस्ता/–
**राजीव बंसल**
अध्यक्ष
डीआईएन सं. 00245460

हस्ता/–
**विनोद हेजमाड़ी**
निदेशक
डीआईएन सं. 07346490

हस्ता/–
**सी. एस सुब्बैया**
मुख्य कार्यपालक अधिकारी,

हस्ता/–
**मंजिरी एम. वझे**
कम्पनी सचिव
सदस्यता सं.: एसीएस16028

हस्ता/–
**अम्बर कुमार मंडल**
मुख्य वित्तीय अधिकारी

स्थान :नई दिल्ली
दिनांक : 20/10/2020

# एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड के 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के इंड एएस वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में लेखांकन नीतियां

## नोट सं. 1 महत्वपूर्ण नीतियों का सारांश

इस नोट में, इन वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय अपनाई गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों की सूची दी गई है। यह नीतियां प्रस्तुत सभी वर्षों में निरन्तर लागू की गई है, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो। यह वित्तीय विवरण एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड के लिए है। जब तक अन्यथा न कहा गया हो लेखों के सभी आकड़े (रु.) में 2 दशमलव तक राउंड ऑफ किए गए हैं, लेखा नोट को छोड़कर जो लाख रु. में हैं।

### 1. कंपनी सूचना/ओवरव्यू

**पृष्ठभूमिः**

एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड पूर्व में (एयरलाइन एलाइड सर्विसेस लिमिटेड) कंपनी अधिनियम, 1956 अब पूर्व कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत भारत सरकार की कंपनी एअर इंडिया लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व की सहायक कंपनी है। कम्पनी वायु परिवहन के व्यवासय में है जिसमें मुख्य रूप से यात्री और कार्गो सेवाएं और अन्य संबंधित सेवाएं सम्मिलित हैं। कंपनी मुख्य रूप से भारत में टायर–2 और टायर–3 शहरों के बीच प्रचालन करती है। वर्ष के अंत में, कंपनी के विमान बेड़े में, 18 एटीआर 72–600 विमान और 1 एटीआर– 42–320 विमान हैं। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय एलाइंस भवन, अंतरदेशीय टर्मिनल–1, आईजीआई एयरपोर्ट नई दिल्ली – 110037 पर स्थित है।

### 2. वित्तीय विवरणों को तैयार करने का आधार

**(i) अनुपालन संबंधी कथन**

कंपनी के वित्तीय विवरण अधिनियम 2013 की धारा 133 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों इंड एएस व निगमित कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 16 फरवरी, 2015 को जारी अधिसूचना के तहत जारी नियमों के साथ पठित के अनुसार व कंपनी अधिसूचना (इंड एएस) नियम, 2015 के साथ लागू कानूनों के तहत संशोधनों व जारी अधिनियम सहित तथा भारत में सामान्यतः स्वीकार्य अन्य लेखांकन सिद्धांत व अधिनियम के संगत प्रावधान के अनुसार तैयार किए गए हैं। वित्तीय विवरणियों गोइंग कंर्सन आधार पर लेखांकन की अक्रूअल प्रणाली आधार पर तैयार की जाती है।

**(ii) मापन के आधार**

कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देयताओं जिन्हें प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में उचित मूल्य अथवा परिशोधित लागत पर आंका जाता है, को छोड़कर, वित्तीय विवरण प्रोद्भूत आधार पर मूल लागत रीतियों के तहत तैयार किए गए हैं।

**(iii) जारी मानक–परन्तु अभी प्रभावी नहीं**

निगमित कार्य मंत्रालय (एमसीए) वर्तमान मानकों हेतु नए मानक या संशोधनों को अधिसूचित करता है। 01 अप्रैल, 2020 से लागू ऐसी कोई अधिसूचना नहीं है।

**(iv) 01 अप्रैल 2019 से प्रारंभ अपनी वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए कम्पनी द्वारा पहली बार निम्नलिखित मानकों और संशोधनों को लागू किया गया हैः**

क) इंड एएस 116 लीज़

ख) इंड एएस 19 में संशोधन– कर्मचारी लाभ

ग) इंड एएस 109 में संशोधन वित्तीय इंस्ट्रूमेंट

घ) अनुलग्नक–ग, इंड एएस 12 हेतु कर व्यवहार पर अनिश्चितता, आय कर

इंड एएस 116 को अपनाने के पश्चात कम्पनी को अपनी लेखांकन नीतियों में परिवर्तन कर कुछ करना पड़ा। यह इंड एएस वित्तीय विवरणियों के नोट 51 में प्रकटित किया गया है।

उपरोक्त उल्लेखित अन्य संशोधनों का, पूर्वावधि में लागू मानकों के अनुसार मान्य राशि पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा और वर्तमान या भविष्य में भी इसका कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।

### (v) महत्वपूर्ण लेखांकन अनुमान/निर्णय

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंध वर्ग ने निर्णय, आकलन तथा पूर्वानुमान का उपयोग किया है जिससे लेखांकन नीतियां तथा परिसंपत्तियों, देयताओं, आय व व्यय की रिपोर्ट की गई राशियां प्रभावित हुईं हैं। तथापि वास्तविक परिणाम इन आकलनों से भिन्न हो सकते हैं।

आकलनों तथा अंतर्निहित पूर्वधारणाओं की सतत आधार पर समीक्षा की जाती है। जहां आवश्यक हो लेखांकन आकलनों में संशोधन को प्रत्याशित रूप से मान्य किया जाता है।

आकलनों तथा निर्णयों के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों (संबंधित लेखांकन नीतियों में उल्लेखानुसार) जिनका वित्तीय विवरणों पर सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, निम्नानुसार है :

क) परिसंपत्तियों की क्षति

ख) संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरणों के उपयोगी जीवन तथा शेष मूल्य का मापन तथा लागत के किन घटकों को पूंजीबद्ध किया जा सकता है, इसका मूल्यांकन।

ग) निवेश संपत्ति के रूप में संपत्ति के वर्गीकरण का आधार।

घ) विक्रय के लिए रखी गैर चालू परिसंपत्तियों के वर्गीकरण का आधार।

ड.) पुनः डिलीवरी की लागत का आंकलन।

च) आस्थगित कर परिसंपत्तियों की पहचान व वसूली की संभावना के आधार पर न्यूनतम वैकल्पिक कर क्रेडिट पात्रता।

छ) परिभाषित लाभ दायित्वों की पहचान एवं मापन।

ज) लीज़ वर्गीकरण निश्चित करने के लिए अपेक्षित निर्णय।

झ) उचित मूल्यों तथा प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल) का मापन।

ट) कराधान विवादों तथा कानूनी दावों के निपटान के लिए आर्थिक लाभों को समाहित करने वाले संसाधनों का आउटफलो अपेक्षित होगा, इसकी संभावना निश्चित करने के लिए निर्णय लेना अपेक्षित होता है।

ठ) वित्तीय परिसम्पत्तियों और देयताओं का उचित मूल्य मापन।

## 3. महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

नीचे दी गई लेखांकन नीतियां, इन वित्तीय विवरणों में दर्शायी गई सभी अवधियों पर समान रूप से लागू की गई है।

### I. प्रचालन चक्र तथा चालू व गैर चालू वर्गीकरण

#### चालू व गैर चालू वर्गीकरण

वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों तथा देयताओं का प्रस्तुतीकरण कंपनी अधिनियम 2013 के तहत उपलब्ध चालू/

गैर चालू वर्गीकरण के आधार पर किया गया है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों व देयताओं को गैर चालू परिसंपत्तियों व देयताओं में वर्गीकृत किया जाता है।

**प्रचालन चक्र**

कंपनी सेवा क्षेत्र में है, कंपनी का कोई विशेष प्रचालन साइकल नहीं है तथापि कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III के प्रावधानों के अनुसार 12 माह की अवधि को ''प्रचालन साइकल'' के रूप में अपनाया गया है।

## II संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण

### क. प्रारंभिक पहचान व मापन

क) संपत्ति, संयंत्र व उपकरण की कीमत को परिसम्पत्ति के रुप में मान्य किया जाता है, यदि

(i) संभावना है कि, भविष्य में मद से संबंधित आर्थिक लागत ईकाई को प्राप्त हों, व

(ii) मद की लागत विश्वसनीय रुप से मापी जा सके।

ख) परिसम्पत्ति के रुप में मान्यता हेतु योग्य होने के लिए सम्पत्ति, संयत्र, संरचना व उपकरण की मद को लागत पर मापना होगा।

सम्पत्ति, संयत्र व उपकरण की मद की लागत में निम्न शामिल हैं:

(i) व्यापार छूट व रिबेट घटाने के बाद, आयात शुल्क व गैर–धन वापसी योग्य क्रय कर सहित, उसका क्रय मूल्य

(ii) परिसम्पत्ति के अधिग्रहण व उसे लोकेशन तक लाने में लगी अनुषंगिक लागत व प्रबंधन द्वारा अभिप्रेत प्रकार के प्रचालन करने में आवश्यक रुप से सक्षम होना और जहां लागू हो, लिए गए ऋण पर ब्याज, व इसके अभिप्रेत प्रयोग हेतु संबंधित परिसम्पत्ति को कार्य करने लायक स्थिति तक लाने की तिथि तक।

ग) यदि किसी सम्पत्ति, संयत्र व उपकरण की मदों के महत्वपूर्ण भागों का उपयोगी जीवन भिन्न–भिन्न है, तो उनकी गणना अलग सम्पत्ति, संयत्र व उपकरण के अलग घटक के रुप में की जाती है।

### ख. अगामी मान्यता व मापन

अगामी लागत, परिसम्पत्ति की कैरिंग राशि में शामिल होती है या अलग परिसम्पत्ति के रुप में मान्य की जाती है, जैसा समुचित हो, जब इस बात की संभावना हो कि भविष्य में व्यय से संबंधित आर्थिक लाभ कम्पनी को प्राप्त होंगे व मद की लागत का मापन विश्वसनीय रुप से किया जा सके। अन्य सभी मरम्मत व अनुरक्षण को खर्च किए जाने के समय लाभ व हानि विवरणियों में प्रकाशित किया जाता है।

कम्पनी द्वारा इंड एएस 16 ''सम्पत्ति, संयत्र व उपकरण'' के अनुसार कॉस्ट मॉडल अपनाया गया है व संपत्ति, संयत्र व उपकरण का मापन लागत आधार पर, संचित मूल्यह्रास व संचित क्षति हानि, यदि कोई हो, को घटाकर किया जाता है।

### ग. मूल्यह्रास/परिशोधन

क) मूल लागत के 5% मूल्य को शेष रखते हुए, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II (अन्यथा उल्लेख होने की स्थितियों को छोड़कर) में दिए गए प्रावधान के अनुसार परिसंपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण के उपयोगी जीवन के आधार पर स्ट्रेट लाइन विधि से मूल्यह्रास निर्धारित किया जाता है। प्रबंध वर्ग द्वारा प्रत्येक वर्ष के अंत में मूल्यह्रास विधि, उपयोगी जीवन तथा शेष मूल्य की समीक्षा की जाती है।

ख) किसी संपत्ति, संयत्र तथा उपकरण के जीवन के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II में

प्रावधान नहीं किया गया है, तो मूल लागत के 5% मूल्य को शेष रखते हुए उनका निर्धारण तकनीकी रूप से क्वालीफाइड व्यक्तियों द्वारा किया जाता है तथा उसे निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता है, उनका विवरण निम्नानुसार है:

1. **रोटेबल्स :**

विमानों के विमान रोटेबल्स को खरीद के संगत वर्ष से, संबंधित विमान बेड़े के, औसतन शेष उपयोगी जीवन के आधार पर मूल्यह्रासित किया जाता है।

2. **स्थल सहायता उपस्कर (जीएसई)**

लीज़ पर लिए गए सीआरजे एवं एटीआर विमानों के स्थल सहायता उपकरणों (जीएसई) पर मूल्यह्रास, का प्रावधान, प्रयोग की तिथि से, कुल विमान लीज़ माह की तुलना में, विमान द्वारा पूर्ण किए गए लीज़ माह पर आधारित होती है।

ग) इंजन तथा एयरफ्रेम से संबंधित प्रमुख ओवरहॉल लागतों को अलग घटक के रूप में दर्शाया जाता है तथा प्रमुख ओवरहॉल के बीच प्रत्याशित जीवन पर मूल्यह्रासित किया जाता है।

घ) आधुनिकीकरण/परिवर्तन पर प्रमुख संशोधनों/साज–सज्जा पर, लगाई गई लागत को उपयोगी जीवन पर मूल्यह्रासित किया जाता है।

च) अवधि के दौरान खरीदी गई/बेची गई परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास की गणना प्रोराटा आधार पर की जाती है।

मूल्यह्रास को निम्न उपयोगी जीवन आधार पर प्रभारित किया गया है।

| परिसम्पत्तियों का विवरण | उपयोगी जीवन |
|---|---|
| संयत्र व उपकरण | 5 वर्ष |
| फर्नीचर व फिक्चर | 10 वर्ष |
| वाहन | 8 वर्ष |
| डाटा प्रोसेसिंग उपकरण | 3 वर्ष |
| स्थल सहायता उपकरण (एटीआर) | उपरोक्त पॉलिसी II ख (2) के अनुसार |
| चिकित्सा उपकरण | 15 वर्ष |
| एयरफ्रेम रोटेबल | लीज़ अवधि पर आधारित |
| एयरो इंजन रोटेबल | लीज़ अवधि पर आधारित |

**घ. अमान्यकरण**

संपति, संयत्र व उपकरण की कोई मद व प्रारंभ में मान्य किसी महत्वपूर्ण भाग को निपटान के समय या उसके उपयोग या निपटान से, भविष्य में कोई आर्थिक लाभ न होने की स्थिति में– अमान्य किया जाता है। संपत्ति, संयत्र या उपकरण के (संपत्ति, संयत्र व उपकरण के निवल निपटान प्राप्तियों व फेयर वेल्यू व संपत्ति, संयत्र व उपकरण की कैंरिग राशि के अंतर पर गणना की जाती है) को अमान्य किए जाने से होने वाले लाभ या हानि को, संपत्ति व उपकरण के अमान्य किए जाने पर लाभ व हानि विवरणी में शामिल किया जाता है। भिन्न घटक के रूप में गणना किए गए घटक की कैरिंग राशि को बदलने या संपत्ति, संयत्र व उपकरण, जिससे घटक संबंधित है के अमान्य होने पर अमान्य किया जाता है।

**ड. परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन**

परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन क्रमिक आधार पर किया ताकि प्रत्येक परिसंपत्तियों का सत्यापन दो वर्ष में एक बार हो सके तथा सत्यापन के समय पाई गई विसंगति को रिपोर्ट प्रस्तुत करने व उसे अंतिम रूप देने के वर्ष में समायोजित कर दिया जाता है।

## III. विक्रय के लिए अभिनिर्धारित गैर–चालू परिसंपत्तियां

परिसंपत्तियों को विक्रय के लिए अभिनिर्धारित श्रेणी में तब रखा जाता है जब उनके निरंतर उपयोग के बजाय उनकी

वर्तमान स्थिति में उनका विक्रय करने से प्रमुख रूप से उनका मूल्य बढ़ने की बहुत अधिक संभावना रहती है। ऐसी परिसंपत्तियों का निवल बही मूल्य, स्थिर परिसंपत्तियों से ''विक्रय के लिए अभिनिर्धारित'' परिसंपत्तियों में अंतरित कर दिया जाता है तथा इनका निवल मूल्य इनके स्वीकृत मूल्य या उचित मूल्य में से विक्रय की लागत घटाकर अंकित किया जाता है। परिसम्पतियों के विक्रय के लिए अभिनिर्धारण श्रेणी में स्थानांतरित किए जाने पर, मूल्यह्रास प्रदान नहीं किया जाता।

क्षति हानि को, परिसंपत्ति की किसी आरंभिक या तदन्तर विक्रय कीमत घटाकर उचित मूल्य पर, राइट–डाउन हेतु, मान्य किया जाता है। लाभ को उचित मूल्य में, परिसंपत्ति के विक्रय की कीमत घटाकर, परंतु पूर्व में मान्य किए गए किसी संचित क्षति हानि से अधिक नहीं, किसी पूर्ववर्ती वृद्धि हेतु मान्य किया जाता है।

## IV. अमूर्त परिसंपत्तियां

### क. आरंभिक मान्यता व मापन

अमूर्त परिसंपत्तियों का अधिग्रहण व उन्हें मान्य तभी किया जाता है जब इस बात की संभावना हो कि भविष्य में परिसंपत्ति से संबंधित अपेक्षित आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त हों और परिसंपत्ति की कीमत विश्वसनीय रूप से मापी जा सके।

अमूर्त परिसंपत्तियां अर्जन लागत पर रिकार्ड की जाती हैं जिसमें अर्जन तथा स्थापना से संबंधित आनुषंगिक लागत सम्मिलित होती हैं।

अमूर्त परिसंपत्ति की कीमत में उसका क्रय मूल्य, आयात शुल्क व गैर धन वापसी क्रय कर सहित, व्यापार छूट व रिबेट घटाकर व परिसंपत्ति के अभिप्रेत प्रयोग हेतु उसे तैयार करने में हुए सीधे व्यय, शामिल है।

### ख. आगामी लागत व मापन

आगामी लागत को पूंजीकृत किया जाता है जब वह भविष्य में विशिष्ट परिसंपत्ति जिससे वह संबंधित है, के आर्थिक लाभ में वृद्धि करें। अमूर्त परिसंपत्तियों पर अन्य सभी व्ययों को स्टैंडअलोन लाभ व हानि विवरणी में, व्यय करने के समय, मान्य किया जाता है।

### ग. परिशोधन

जिन अमूर्त परिसंपत्तियों का निश्चित उपयोगी जीवन है, उन्हें स्ट्रेट लाइन विधि पर, अनुमानित उपयोगी जीवन पर परिशोधन किया जाता है व प्रबंधन द्वारा प्रत्येक वर्ष इसकी समीक्षा की जाती है।

क) यात्री सेवा प्रणाली सॉफ्टवेयर, 10 वर्ष से अधिक, और

ख) अन्य सॉफ्टवेयर/वेबसाइट, 5 वर्ष से अधिक

निश्चित उपयोगी जीवन वाली अमूर्त परिसंपत्तियों की रेजीडयूल वेल्यू को शून्य माना जाता है।

### घ. अमान्यकरण

अमूर्त परिसंपत्तियों को अमान्य किया जाए :

क) निपटान पर, या

ख) जब उसके प्रयोग या निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित न हों।

अमूर्त परिसंपत्तियों को अमान्य करने से हुए लाभ या हानि को अमूर्त परिसंपत्ति की निवल निपटान प्राप्ति व कैरिंग राशि के अन्तर के रूप में मापा जाता है व परिसंपत्ति के अमान्य होने पर लाभ व हानि विवरणी में मान्य किया जाता है।

## V. लीज़

### क. ट्रांजिशन प्रावधानः

कंपनी द्वारा 01 अप्रैल, 2019 से इंड एएस 116 लीज़ अपनाया गया। इंड एएस 116 में पट्टेदारों हेतु एकल ऑन–तुलन पत्र मॉडल शुरू किया गया। परिणामतः पट्टेदार के रूप में कंपनी ने निहित परिसंपत्तियों के प्रयोग के अधिकार को दर्शाते हुए व लीज़ देयताएं, लीज़ भुगतान के कर्तव्य को दर्शाते हुए राइट ऑफ यूज परिसंपत्तियों को मान्य किया।

आंरभिक लागू करण पर, कंपनी ने तुलनात्मक सूचना पुनः उल्लेख किए बिना, 01 अप्रैल 2019 प्रारंभिक शेष में समायोजन करते हुए प्रारंभ में नए मानक लागू करने के संचयी प्रभाव को मान्य करते हुए संशोधित पूर्व प्रभावी दृष्टिकोण अपनाने का चयन किया।

कंपनी ने लीज़ के रूप में पहले से पहचाने गए अनुबंधों पर ही इंड एएस 116 लागू किया। इंड एएस 17 के तहत जो अनुबंध, लीज़ के रूप में नहीं पहचाने गए उनका पुनःमूल्यांकन/विचार नहीं किया गया। अतः इंड एएस 116 के तहत लीज़ की परिभाषा केवल 01 अप्रैल, 2019 को या उसके बाद किए गए या परिवर्तित अनुबंधों पर ही लागू की गई है।

**ख. प्रयुक्त व्यवहारिक उपायः**

कंपनी द्वारा प्रारंभिक आवेदन पर इंड एएस 116 लागू करण के समय निम्नलिखित अन्य व्यवहारिक उपाय लागू किए गएः

**क.** समान परिसंपत्तियों के समान आर्थिक वातावरण में, अंतिम तिथि को समान परिस्थितियों में, लीज़ के पोर्टफोलियों के लिए एकल औसत छूट दर का प्रयोग।

**ख.** लीज़ देयता को आंरभ में भविष्य में लीज़ भुगतान के वर्तमान मूल्य पर परिशोधित लागत पर मापा जाता है। स्वैप दरों के औसत का उपयोग करते हुए, जो कंपनी का संवृद्ध उधार दर है, लीज़ भुगतान पर छूट दी जाती है।

**ग.** लीज़ हेतु राइट ऑफ यूज परिसंपत्तियों व लीज़ देयताओं को जिनकी लीज़ अवधि आरंभिक लागू (यदि 1 अप्रैल, 2019) से 12 माह है परिसंपत्तियों की श्रेणी व लीज़ दर लीज़ आधार पर न्यून मूल्य परिसंपत्ति की लीज़, मान्य नहीं करना।

**ग. पट्टाकर्ता के रूप में:**

कंपनी अनुबंध के प्रांरभ में ही निर्धारण करती है कि क्या अनुबंध में कोई लीज़ है। अनुबंध या अनुबंध में लीज़ सम्मिलित होती है, यदि अनुबंध में प्रतिफल के बदले कुछ समय तक पहचानी गई परिसंपत्ति के प्रयोग को नियंत्रण का अधिकार सौंपा जाता है। अनुबंध में पहचानी गई परिसंपत्ति के प्रयोग पर नियंत्रण के अधिकार का पता लगाने के लिए, कंपनी निर्धारित करती है कि क्याः

अनुबंध में पहचानी गई परिसंपत्ति का प्रयोग शामिल है, और लीज़ अवधि के दौरान परिसंपति के प्रयोग से वस्तुतः सभी आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे, और

कंपनी को परिसंपत्ति के प्रयोग पर निर्देश देने का अधिकार है।

**1) राइट ऑफ यूज परिसंपत्तियां**

**क) प्रारंभिक मान्यता व मापनः**

प्रारंभिक तिथि को, राइट ऑफ यूज परिसंपत्तियों (आरओयू परिसंपत्ति) का मापन, लागत पर किया जाता है। लागत में निम्न शामिल हैं –

क) लीज़ देयता के बराबर राशि

ख) प्रारंभिक तिथि से पहले किया गया लीज़ भुगतान

ग) कोई सीधी लागत

घ) रि–डिलीवरी कर्तव्यों के संबंध में किए जाने वाले व्यय की लागत का अनुमान

ड.) घटाकर, लीज़ की शर्तों में उपकरण उत्पादक से प्राप्त कोई प्रोत्साहन

**ख) आगामी मापन**

प्रारंभिक तिथि के पश्चात आरओयू परिसंपत्तियों को संपत्ति, संयत्र व उपकरण हेतु लेखांकन नीति के अनुसार मापा जाता है यानि आरओयू को लागत, संचित मूल्यह्रास व संचित क्षति हानि घटाकर, लागत पर मापा जाता है।

लीज़ संशोधनों के कारण लीज़ देयताओं में किसी पुनः मापन प्रभाव को दर्शानें हेतु आरओयू परिसंपत्तियों को तद्नुसार समायोजित किया जाता है।

खंड सं. VII में उल्लेखित नीति के अनुसार आरओयू परिसंपत्तियां क्षति अधीन होगी।

**2) लीज़ देयताएं :**

**क) प्रारंभिक मान्यता व मापन**

आंरभिक तिथि को कंपनी लीज़ भुगतान, जो उस तिथि तक अदा नहीं किए गए को, वर्तमान मूल्य पर मापती है। लीज़ देयताओं में निम्न सम्मिलित हैं –

क) लीज़ किराए

ख) लीज़ समाप्ति हेतु पैनल्टी का भुगतान यदि लीज़ टर्म में, कंपनी द्वारा समाप्ति के विकल्प का प्रयोग प्रकट हो।

ग) घटाकर, प्राप्त प्रोत्साहन

लीज़ भुगतान को लीज़ में शामिल ब्याज दर यदि तत्परता से प्रयोग कर निर्धारित किया जा सके का प्रयोग कर डिस्कांउट किया जाता है। यदि वह दर तत्परता से निर्धारित नहीं की जा सके तो कंपनी द्वारा इन्क्रीमेंटल उधार दर का प्रयोग किया जाता है।

इन्क्रीमेंटल उधार दर वह ब्याज दर है जो कंपनी द्वारा समान अवधि, समान सुरक्षा पर, समान आर्थिक वातावरण में आरओयू परिसंपत्तियों को समान मूल्य की परिसंपत्ति प्राप्त करने के लिए निधि उधार लेने के लिए अदा की जाएगी।

**ख) आगामी मापन**

प्रारंभिक तिथि के पश्चात्, लीज़ देयता की राशि में ब्याज की संवृद्धि दर्शानें हेतु वृद्धि कर दी जाती है व भुगतान की गई लीज़ पर घटा दी जाती है। साथ ही, लीज़ में कोई संशोधन होने की स्थिति में, जिसमें लीज़ अवधि, लीज़ भुगतान शामिल हैं या आधार भूत परिसंपत्ति की खरीद के विकल्प का निर्धारण होने पर लीज़ देयताओं की कैरिंग राशि का पुनः मापन किया जाता है।

**3. लीज़ अवधि**

प्रारंभिक तिथि को कंपनी लीज़ अवधि का निर्धारण करती है जिसमें, आरंभिक लीज़ की गैर–रद्द किए जाने योग्य अवधि, जिनके लिए परिसंपत्ति का उपयोग किया जाना अपेक्षित है, लीज़ को बढ़ाने या समाप्त करने के विकल्प सहित कवर की जाने वाली अवधि, यदि कंपनी यथोचित रूप से प्रारंभिक तिथि को बढ़ाने या समाप्त करने के विकल्प का प्रयोग करने के लिए आश्वस्त हो, शामिल हैं।

**4. मूल्यह्रास**

आरओयू के रूप में रखी गई परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास को स्ट्रेट लाइन आधार पर आरओयू परिसंपत्तियों की आरंभिक तिथि से लेकर उपयोगी जीवन के अंत में शीघ्रातिशीघ्र या लीज़ अवधि की समाप्ति पर, लाभ व हानि विवरणी में प्रभारित किया जाता है।

**5. अन्य लीज़**

इंड एएस 116 की परिधि से बाहर अन्य किसी लीज़ से संबंधित लीज़ भुगतान लघु अवधि लीज़ (12 माह या उससे कम अवधि की लीज़) या न्यून मूल्य लीज। इन लघु अवधि या न्यून मूल्य लीज़ हेतु कंपनी लीज़ की शर्तों पर, लीज़ भुगतान को स्ट्रेट लाइन आधार पर प्रचालन व्यय के रुप में मान्य करती है।

## VI. इनवेंटरी :

**क. इनवेंटरी**

1) इनवेंटरी में मुख्य रूप से भंडार एवं पूर्जे तथा खुले उपकरण (संपत्ति, संपदा तथा उपकरण के मानदंडों को पूरा करने के अतिरिक्त) व एटीएफ आते हैं।

2) विस्तार योग्य/उपयोग योग्य कलपूर्जों को प्रारंभिक जारी करने के समय पर प्रभारित किया जाता है। इसमें वे कलपूर्जे सम्मिलित नहीं हैं जो मरम्मत योग्य कलपूर्जों की मरम्मत के लिए होते हैं और जिन्हें रिपेयर वर्क के पूरा हो जाने के बाद वर्क आर्डर समाप्त हो जाने पर प्रभारित किया जाता है।_

**ख. इनवेंटरी का मूल्यांकन**

1) इनवेंटरी को न्यूनतम लागत तथा नेट रीलाइजेबल वैल्यू (एनआरवी) पर दर्शाया जाता है। सेवाएं प्रदान करने में, उपयोग में लाए गए भंडार एवं पूर्जे, खुले उपकरणों तथा ईंधन के लिए एनआरवी को लागत से नीचे नहीं दिखाया जाता, केवल ऐसे मामलों को छोड़कर जहां ऐसी मदों की कीमत में कमी आ जाती है तथा यह अनुमान लगाया जाता है कि सेवा प्रदान करने की लागत उसके विक्रय मूल्य से अधिक होगी।

2) इनवेंटरी की लागत में गैर वापसी रियायत तथा छूट को घटाकर आने वाली लागत तथा इनवेंटरी को वर्तमान स्थान तथा स्थिति में लगने वाली सभी लागत सम्मिलित है तथा इसका निर्धारण भारित औसत आधार पर किया जाता है।

**ग. इन्वेंटरी के मूल्य में कमी**

1) विमान भंडार और हिस्से–पूर्जों के लिए अप्रचलन की व्यवस्था निम्नानुसार है:–

i. नीचे दिए गए (ii) एवं (iii) को छोड़कर पांच वर्ष से अधिक समय के लिए (5 प्रतिशत की वसूली योग्य की राशि के बराबर) अचल रहने वाली इनवेंटरी हेतु प्रावधान किया जाता है तथा इसको इनवेंटरी के मूल्य से हटा दिया जाता है।

ii. फेज़ आउट किए गए विमान बेड़े की इनवेंटरी को अनुमानित विक्रय मूल्य पर दर्शाया जाता है जब तक कि उसका उपयोग किसी अन्य विमान में न किया जा सके।

iii. विशेष रूप से ड्राई/वेट लीज़ पर लिए गए विमानों से संबंधित इनवेंटरीज का प्रावधान, वर्ष के अंत में कुल लीज़ अवधि की तुलना में पूरी की गई लीज़ अवधि के आधार पर किया जाता है।

2) गैर–वैमानिकी भंडार और हिस्से–पूर्जों की पांच वर्षों से अधिक समय तक अचल रहने वाली इनवेंटरी के लिए पूर्ण अप्रचलन प्रावधान किए जाते हैं।

3) स्क्रैप किए गए विमानों के कैनिब्लाइजेशन से प्राप्त पूर्जों को एक रूपए मूल्य पर लेखांकित किया जाता है।

## VII. गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर कंपनी द्वारा गैर वित्तीय परिसंपत्तियों की अग्रेषित राशि की क्षति के कोई संकेत होने का निर्धारण किया जाता है। इस प्रकार का कोई संकेत होने की स्थिति में परिसम्पत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाकर इंड एएस–36 के अनुसार क्षतिपूर्ति के लिए प्रावधान किए जाते हैं।

**क्षति परीक्षण**

क्षति परीक्षण हेतु, परिसम्पत्तियों को परिसम्पत्तियों के सबसे छोटे समूह में रखा जाता है जो निरन्तर प्रयोग से नकद इनफ्लो उत्पन्न करते हैं, जो अन्य परिसम्पत्तियों के नकद इनफ्लो से या नकद उत्पन्न करने वाले यूनिट (सीजीयू) से व्यापक रुप से स्वतंत्र हैं।

किसी परिसम्पत्ति या सीजीयू की वसूली योग्य राशि, उसके प्रयोग मूल्य से अधिक व उसके उचित मूल्य से विक्रय कीमत घटाकर प्रयोग मूल्य भविष्य के अनुमानित नकद इनफ्लो, छूट, दर का प्रयोग कर वर्तमान मूल्य पर डिस्काउंटिड, जो धन के समय मूल्य के वर्तमान बाजार आकलन और परिसम्पत्ति या सीजीयू से संबंधित विशेष जोखिम को दर्शाता है, पर आधारित है।

**क्षति हानि की पहचान**

क्षति हानि को इस स्थिति में मान्य किया जाता है जब किसी परिसंपत्ति या सीजीयू की कैरिंग राशि उसके अनुमानित वसूली योग्य राशि से अधिक हो। क्षति हानि को लाभ व हानि विवरणी में मान्य किया जाता है।

### क्षति हानि का निरसन

अनुमानित प्रयोग में परिवर्तन होने पर वसूली योग्य राशि का निर्धारण करने हेतु क्षति हानि का निरसन होता है। इस प्रकार के निरसन उसी सीमा तक किए जाते हैं जिस सीमा तक परिसंपत्ति की कैरिंग राशि निर्धारित कैरिंग राशि से मूल्यह्रास या परिशोधन का निवल से अधिक न हो यदि कोई क्षति हानि मान्य नहीं की गई है।
किसी परिसंपत्ति हेतु किसी क्षति हानि के निरसन को तुंरत लाभ व हानि विवरणी में मान्य किया जाए।

## VIII. सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदान को अनुदान प्राप्त होने के तथा सभी संलग्न शर्तों के अनुपालन के युक्तिसंगत आश्वासन के पश्चात मान्य किया जाता है।
सरकारी अनुदान को लाभ एवं हानि के रूप में उस अवधि में जिसमें कंपनी द्वारा संगत लागतों को व्यय के रूप में मान्य किया जाता है व जिसकी क्षतिपूर्ति अनुदान द्वारा की जाती है व व्यवस्थित आधार पर मान्य किया जाना चाहिए। सरकारी अनुदान, जो व्यय या पिछली अवधि में हुई हानि की क्षतिपूर्ति के लिए प्राप्य होता है उसकी उस अवधि को लाभ व हानि में मान्य किया जाता है जिसमें वह प्राप्य होता है।
परिसंपत्तियों से संबंधित सरकारी अनुदान को तुलन पत्र में आस्थगित आय के रूप में दर्शाया जाता है तथा उसकी पहचान संबंधित परिसंपत्तियों की प्रत्याशित उपयोगी आयु में व्यवस्थित आधार पर लाभ व हानि में की जाती है।

## IX. राजस्व निर्धारण

### क. प्रचालन से राजस्व

राजस्व को उस सीमा तक मान्य किया जाता है कि आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त हो और राजस्व का मापन विश्वसनीय रूप से हो सके।
इंड एएस 115 के तहत स्वीकृत वस्तुओं या सेवाओं के अधिकार को ग्राहक को सौंपे जाने पर, राजस्व के रूप में मान्य किया जाता है। राजस्व का मापन छूट को छोड़कर इन्सेन्टिव, थर्ड पार्टी की ओर से एकत्रित राशि या अन्य समान मदों, जो ग्राहकों के साथ किए गए अनुबंध में निर्दिष्ट की गई हैं प्राप्त या प्राप्ति योग्य प्रतिफल के उचित मूल्य पर किया जाता है।

**ख.** विभिन्न स्रोतों से प्राप्त राजस्व को निम्नानुसार मान्य किया जाता है।

#### क) यात्री, कार्गो तथा डाक राजस्व

यात्री, कार्गो व डाक राजस्व को प्रारंभिक चरण में जब यातायात सेवा, यात्रा किए जाने के आधार पर उपलब्ध करवाई जाती है, यात्री को दी गई छूट, थर्ड पार्टी की और से एकत्रित राशि, लागू कर व एयरपोर्ट कर जैसे यात्री सेवा शुल्क, प्रयोक्ता विकास शुल्क इत्यादि यदि कोई हो, मान्य किया जाता है।

#### ख) ब्लॉकड स्पेस व्यवस्था/कोड शेयर

ब्लॉकड स्पेस व्यवस्था/कोड शेयर राजस्व/व्यय को वास्तविक आधार पर कोड शेयर भागीदारों से प्राप्त अपलिफ्ट डेटा के आधार पर मान्य किया जाता है। जहाँ भी कोड शेयर भागीदारों से विवरण उपलब्ध नहीं हैं, राजस्व/व्यय को दस्तावेजों/प्राप्त सूचनाओं के आधार पर बुक किया जाता है तथा समायोजनों को, यदि कोई हो, इस प्रकार की सूचना की उपलब्धता के समय किया जाता है।

#### ग) वाइबिलिटी गेप फंडिंग (VGF) व क्षेत्रीय संपर्क योजना (RCS)

वाइबिलिटी गेप फंडिंग (VGF) व क्षेत्रीय संपर्क योजना (RCS) की गणना प्रोद्भूत आधार पर राजस्व व प्रचालन लागत के अंतर के आधार पर की जाती है व इसे प्रचालन आय माना जाता है।

#### घ) अन्य प्रचालन राजस्व

वस्तुएं डिलीवर करने या सेवाएं प्रदान करने पर ही अन्य प्रचालन राजस्व को मान्य किया जाता है।

ड.) **अन्य राजस्वः**

i) ब्याज से होने वाली आय को समय अनुपात आधार पर प्रभावी ब्याज प्रणाली का उपयोग करते हुए मान्य किया जाता है। किराए से होने वाली आय को समय अनुपात आधार पर मान्य किया जाता है।

ii) बीमा कंपनियों से प्राप्य दावों को बीमा कंपनियों द्वारा उनकी स्वीकृति पर ही लेखों में दर्ज किया जाता है।

iii) वैंडरों से प्राप्त वारंटी दावे/क्रेडिट नोट को क्रेडिट नोट के दावों/प्राप्ति की स्वीकृति पर मान्य किया जाता है।

iv) अन्य मदें:

स्क्रैप विक्रय, चिकित्सा, शैक्षिक तथा अन्य बिना वेतन अवकाश का उपयोग करने हेतु कर्मचारी से प्रतिपूर्ति, आपूर्तिकर्ताओं से ब्याज के दावों, अन्य स्टाफ दावों तथा लॉस्ट बैगेज दावों की गणना नकद आधार पर की जाती है।

## X. निर्माता ऋण (नकद एवं गैर नकद प्रोत्साहन)

निर्माता/लैसर ऋण हकदारी की गणना प्रोद्भूत आधार पर की जाती है तथा 'अग्रिम' में कॉन्ट्रा डेबिट कर इसे ''आकस्मिक राजस्व'' में क्रेडिट किया जाता है। जब इस क्रेडिट हकदारी का उपयोग किया जाता है तब ''अग्रिम'' को किसी परिसंपत्ति की खरीद अथवा किसी व्यय के लिए देयता में समायोजित किया जाता है।

## XI. ऋण लागत

- परिसंपत्तियों की लागत के भाग के रूप में चालू पूंजीगत कार्य सहित, अर्हक परिसंपत्तियों के अर्जन, निर्माण के लिए प्रत्यक्ष रूप से लगाई गई ऋण लागत को परिसंपत्तियों के व्यावसायिक प्रयोग के आरंभ होने की तिथि तक पूंजीकृत किया जाता है।
- क्वालिंगफाइंग परिसंपत्ति वह है जो अपेक्षित प्रयोग हेतु तैयार होने में पर्याप्त समय आवश्यक रूप से लेती है।
- 10.0 मिलियन रुपए से अधिक मूल्य की अर्हक परिसंपत्तियों के अर्जन के लिए उपयोग की गई ऋण की निधियों अथवा दीर्घकालिक ऋणों की प्राप्ति के पूर्वानुमान में अन्य अस्थायी ऋणों पर लगाया गया ब्याज, उस अर्जन के समय के बकाया ऋणों पर भारित औसत ऋण दर पर पूंजीकृत किया जाता है।
- अन्य उधार लागत को उस विधि में व्यय के रूप में मान्य किया जाता है, जिस अवधि में वे खर्च किए गए। उधार लागत में उस सीमा तक विनिमय अंतर शामिल है, जिस सीमा तक वे उधार लागत में समायोजित माने जाते हैं।

## XII. फंक्शनल मुद्रा और प्रीजेन्टेशन मुद्रा

कंपनी के वित्तीय विवरणों में शामिल मदों का मापन ईकाई के कार्य मुख्य अर्थिक वातावरण की मुद्रा (फंक्शनल करेंसी) में किया जाता है। वित्तीय विवरणियां भारतीय रू. मुद्रा (आईएनआर) में जो कंपनी की फंक्शनल व प्रीजेन्टेशन मुद्रा है में प्रस्तुत की जाती है।

## XIII. विदेशी मुद्रा लेन–देन

क) **विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदें**

i) विदेशी स्टेशनों से संबंधित विदेशी मुद्रा राजस्व तथा व्यय लेन–देनों को निर्धारित मासिक दरों (प्रकाशित आयटा दरों पर आधारित) पर रिकार्ड किया जाता है। परिवहन के लिए एयरलाइनों के साथ इंटरलाइन

समझौता, संबंधित माह के लिए आयटा द्वारा प्रकाशित विनिमय दर पर किया जाता है।

ii) विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों को भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर्स एसोसिएशन (एफईडीएआई) द्वारा परिचालित विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है। विदेशी मुद्रा लेन–देनों की प्राप्ति/निपटारे के कारण होने वाले लाभ/(हानि) और मौद्रिक विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों और देयताओं के परिवर्तन को लाभ–हानि विवरणी में दर्शाया जाता है।

ख) देयता तथा ऋणों व अग्रिमों जिनके लिए संदेहास्पद प्रावधान किए जाते हैं, वर्ष के अंत में उनके संबंध में किसी भी विनिमय परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाता है क्योंकि उनके प्राप्त होने की संभावना नहीं होती।

## XIV. कर्मचारी लाभः

### क) लघु अवधि कर्मचारी लाभ

कर्मचारी लाभ देयतायें जैसे वेतन व बोनस इत्यादि जो रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर, जिसके भीतर कर्मचारी ने अपनी संबोधित सेवाएं दी, 12 माह के भीतर पूर्णतः निपटाए जाने अपेक्षित है, को रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर कर्मचारी सेवाओं में मान्य किया जाता है और देयताओं के भुगतान पर अदा की जाने वाली अपेक्षित गैर छूट प्राप्त राशि पर मापा जाता है।

### ख) रोजगार समाप्ति के पश्चात लाभ योजना

कर्मचारियों को दिए जाने वाले सेवानिवृत्ति लाभ में निश्चित अंशदान योजना व निश्चित लाभ योजना शामिल हैं।

**क) निश्चित लाभ योजना**– पोस्ट इम्प्लाई कम्पनी लाभ योजना है जिसके तहत एक ईकाई दूसरी ईकाई (फंड) में नियत अंशदान करती है और चालू और पूर्वावधि में कर्मचारी सेवाओं से संबंधित लाभ हेतु सभी कर्मचारियों को अदा करने हेतु निधि के पास पर्याप्त परिसम्पत्ति न होने पर आगे अंशदान हेतु विधिक या रचनात्मक से उत्तरदायी नहीं है। परिभाषित अंशदान योजना में अंशदान के दायित्व को कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवा के वर्ष में लाभ व हानि विवरणी भी कर्मचारी लाभ व्यय के तहत मान्य किया जाता है। पूर्वप्रदत्त अंशदान को परिसम्पत्ति के रुप में नकद रीफंड या भविष्य में होने वाले भुगतान में कमी होने पर मान्य किया जाता है।

**ख) परिभाषित लाभ योजना, परिभाषित अंशदान योजना से अलग एक पोस्ट कर्मचारी लाभ योजना है।**

ग्रेच्यूटी व भविष्य निधि योजना के लिए भविष्य निधि अंशदान पर ब्याज देयता तक कंपनी की देयता है और परिभाषित लाभ योजना के श्रेणी में आते हैं। कंपनी भविष्य निधि में, पूर्व निर्धारण दर पर, नियत अंशदान एक भिन्न ट्रस्ट को अदा करती है जो निधि को अनुमत सिक्यूरिटीज़ में निवेश करती है। वर्ष के लिए अंशदान को व्यय के रूप में मान्य किया जाता है और लाभ और हानि विवरणी में प्रभारित किया जाता है। कंपनी का दायित्व है कि वह नियत अंशदान करें व सदस्य हेतु भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम रिटर्न दर सुनिश्चित करें।

कंपनी ग्रेच्यूटी के लिए उत्तरदायी है। योजना के तहत सेवा निवृत्त, रोजगार पर रहते हुए मृत्यु होने या रोजगार की टर्मिनेशन, कर्मचारी के संबंधित वेतन व सेवा कार्यकाल के आधार पर एक मुश्त राशि का भुगतान निहित कर्मचारी को किया जाता है। कंपनी की ग्रेच्यूटी योजना अनफंडिड है।

### (ग) अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

छुट्टी नकदीकरण के रूप में होने वाले लाभ को अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ के रूप में दिखाया जाता है। छुट्टी नकदीकरण के संबंध में कंपनी का कुल दायित्व भविष्य में उस लाभ राशि की व्यवस्था करना है जिसे कर्मचारी ने वर्तमान तथा पूर्व के वर्षों में अपनी सेवा के बदले अर्जित किया है। इस लाभ को वर्तमान मूल्य निर्धारित करने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस दायित्व को अनुमानित यूनिट क्रेडिट प्रणाली का

उपयोग करके एक वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर मापा जाता है। पुनर्मूल्यांकन को लाभ प्राप्त होने के वर्ष में लाभ–हानि विवरणी में मान्य किया जाता है।

## XV. आयकर

आयकर व्यय में अस्थगित कर शामिल हैं। चालू कर व्यय को अन्य व्यापक आय या इक्विटी में सीधे मान्य मदों को छोड़कर, लाभ या हानि खाते में मान्य किया जाता है। उस स्थिति में इसे ओसीआई या इक्विटी में मान्य किया जाता है।

चालू कर वर्ष के दौरान कर योग्य आय, अधिनियमित या विशेष रूप से अधिनियमित कर दरों का प्रयोग कर व पिछले वर्ष के संबंध में देय कर में किसी समायोजन पर देय, अपेक्षित कर है।

आस्थगित कर को तुलन पत्र विधि का प्रयोग कर, वित्तीय रिपोर्टिंग के उद्देश्य हेतु व कराधान उद्देश्य हेतु प्रयुक्त राशि, परिसंपत्तियों व देयताओं की कैरिंग राशि के अस्थायी अंतर हेतु प्रावधान करते हुए मान्य किया जाता है। रिपोर्टिंग तिथि को अधिनियमित या विशेष रूप से अधिनियमित कानूनों पर आधारित रिवर्स होने पर अस्थायी अंतर पर लागू होना अपेक्षित है। यदि वर्तमान कर देयताओं तथा परिसंपत्तियों को ऑफसेट करने का कानूनी रूप से लागू करने का अधिकार हो तो, आस्थगित कर संपत्तियां तथा देयताएं ऑफसेट होगी तथा यह उसी कर प्राधिकरण द्वारा लगाए गए आय करों से संबंधित है। परंतु वे मौजूदा कर देयताओं तथा परिसंपत्तियों का निवल आधार पर निपटान करना चाहते हैं अन्यथा कर परिसंपत्तियां तथा देयताएं एक साथ वसूली जाएंगी।

आस्थगित कर को लाभ या हानि के रूप में मान्य किया जाता है, उस सीमा तक के अलावा जब वह ओसीआई या इक्विटी में सीधे मान्य की गई मदों से संबंधित हो, इस मामले में इसे ओसीआई या इक्विटी में मान्य किया जाता है।

आस्थगित कर परिसंपत्ति को उस सीमा तक मान्य किया जाता है, कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके एवज में अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सके। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की समीक्षा, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को की जाती है और इस सीमा तक कम की जाती है कि इस बात की संभावना नहीं है कि संबंधित कर लाभ प्राप्त होगा।

## XVI. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक परिसंपत्तियां

क) गणना में बहुत अधिक मात्रा में अनुमान वाले प्रावधान तब पहचाने जाते हैं जब पूर्व घटना के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान दायित्व (कानूनी अथवा रचनात्मक) होता है तथा यह संभावना होती है कि दायित्व का निपटान करने के लिए आर्थिक लाभ को मूर्त रूप देते हुए संसाधनों का आउटफ्लो आवश्यक होगा। यदि धन के समय मूल्य का प्रभाव महत्त्वपूर्ण है, तो प्रावधानों को वर्तमान पूर्व कर दर का उपयोग करके छूट दी जाती है जो उचित होने पर देयता के विशिष्ट जोखिमों को दर्शाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर इन अनुमानों की समीक्षा की जाती है तथा उन्हें वर्तमान सर्वोत्तम अनुमान को दर्शाने हेतु समायोजित किया जाता है। प्रावधान से संबंधित व्यय को लाभ तथा हानि विवरणी में दर्शाया जाता है।

ख) पूर्व घटनाओं से उद्भूत होने वाली संभावित देयताओं के संबंध में प्रत्येक नोट के माध्यम से प्रासंगिक देयताओं को दर्शाया जाता है किंतु उनकी उपस्थिति की पुष्टि, भविष्य की एक या अधिक अनिश्चित घटनाओं (जो कंपनी के पूर्णतया नियंत्रण में नहीं होती) के होने या न होने से होती है।

ग) आकस्मिक परिसंपत्तियां संभावित परिसंपत्तियां हैं जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती हैं और जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटने या न घटने से होगी जो कंपनी के नियंत्रण में पूरी तरह से नहीं है।

आकस्मिक परिसंपत्तियों को उद्घाटित किया जाता है, जहां आर्थिक लाभों का प्राप्त होना संभावित है।

**प्रावधान में परिवर्तन**

प्रत्येक समीक्षाधीन अवधि के अंत में प्रावधानों की समीक्षा की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमान को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है। यदि इस बात की संभावना न हो कि दायित्व का निपटान करने के लिए, आर्थिक लाभ को मूर्त रूप देते हुए संसाधनों का आउटफ्लों आवश्यक होगा तो प्रावधान को उलट दिया जाता है।

जब छूट का उपयोग किया जाता है, तो समय की अवधि को दर्शाने के लिए प्रत्येक अवधि में प्रावधान की कैरिंग राशि बढ़ जाती है। इस वृद्धि को वित्त लागत के रूप में मान्यता प्राप्त है।

## XVII. नकद एवं नकद समकक्ष

नकद एवं नकद समकक्ष में, बैंक और हाथ में नकद राशि तथा तीन माह या इससे कम अवधि की मूल परिपक्वता वाले अल्पावधि जमा सम्मलित हैं जो मूल्य में परिवर्तन के मामूली जोखिम् की शर्त के अधीन हैं।?

## XVIII. प्रति शेयर आय

कंपनी अपने इक्विटी शेयरों के लिए मूल एवं डायल्यूटिड आय/(हानि) प्रति शेयर (ईपीएस) का डाटा प्रस्तुत करती है। प्रति शेयर मूल आय की गणना इक्विटी शेयर धारकों को देय कर पश्चात निवल लाभ को वर्ष के दौरान बकाया शेयरों की भारित शेयर संख्या से भाग देकर की जाती है। प्रति इक्विटी शेयर डायल्यूटिड आय की गणना वर्ष के दौरान कर पश्चात् समायोजित निवल लाभ को इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या एवं डायल्यूटिव संभाव्य इक्विटी शेयरों के कुल योग से भाग देकर की जाती है।

## XIX. उचित मूल्य मापन

कंपनी वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट्स को प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि को उचित मूल्य पर मापती है।
उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने से प्राप्त होगा या खरीद की तारीख पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता को हस्तांतरित करने के लिए भुगतान किया जाता है। भले ही वह मूल्य प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन योग्य या किसी अन्य मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करके अनुमानित किया गया हो।

इसके अतिरिक्त, वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए, उचित मूल्य माप को स्तर 1, 2 या 3 में, उस डिग्री के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जिस पर उचित मूल्य मापदण्ड के लिए इनपुट अवलोकनीय हैं और इसकी संपूर्णता में उचित मूल्य माप के लिए इनपुट महत्वपूर्ण हैं, जो इस प्रकार वर्णित हैं:

स्तर 1: इनपुट समान परिसंपत्तियों या देयताओं हेतु उद्धत कीमतें (असमायोजित) निष्क्रिय बाजार हैं, जिन्हें इकाई माप तिथि पर एक्सेस कर सकती है।

स्तर 2: इनपुट्स लेवल 1 में शामिल अन्य उद्धृत मूल्य इनपुट हैं, से इतर, जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परिसंपत्ति के लिए पालनीय हैं, और

स्तर 3: परिसंपत्ति या देयता के लिए इनपुट अपालनीय इनपुट हैं

वे परिसंपत्तियां और देयताएं जिनकी पहचान तुलन पत्र में आवर्ती आधार पर की जाती है, उनके लिए कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्गीकरण का पुनः आकलन (न्यूनतम स्तर इनपुट, जोकि समग्र रूप से उचित मूल्य मापन के लिए महत्त्वपूर्ण होती है, के आधार पर) करके निर्धारित करती है कि उनका स्थानांतरण पदानुक्रम में दिए गए स्तरों के बीच हुआ हैं अथवा नहीं।

उचित मूल्य प्रकटनों के उद्देश्य के लिए कंपनी ने परिसम्पत्ति और देयता की प्रकृति, विशेषता व जोखिमों तथा उपरोक्त वर्णन के अनुसार उचित मूल्य अनुक्रम के स्तर के आधार पर परिसम्पत्तियों और देयताओं की श्रेणियां निर्धारित की हैं।

उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने से प्राप्त होगा या खरीद की तारीख पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता को हस्तांतरित करने के लिए भुगतान किया जाता है।

उचित मूल्य माप इस अनुमान पर आधारित है कि परिसंपत्ति को बेचने या देयता को स्थानांतरित करने के लिए लेनदेन होता है याः

– संपत्ति या देयता के लिए प्रमुख बाजार में या

– एक प्रमुख बाजार की अनुपस्थिति में परिसंपत्ति या देयता के लिए सबसे लाभप्रद बाजार में

प्रमुख या सबसे लाभप्रद बाजार कंपनी को/द्वारा सुलभ होना चाहिए।

## XX. वित्तीय उपकरण

कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिससे एक एन्टिटी की वित्तीय परिसम्पत्ति तथा दूसरी एन्टिटी की वित्तीय देयता अथवा एक्विटी इन्स्ट्रूमेंट की उत्पत्ति होती है, वित्तीय उपकरण होता है।

### क. वित्तीय परिसम्पत्तियां

#### (i) वर्गीकरण

कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों को, परवर्ती रूप से परिशोधित लागत, अन्य व्यापक आय के माध्यम से, उचित मूल्य या लाभ–हानि विवरणी के माध्यम से उचित मूल्य अथवा वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय परिसंपत्ति के संविदात्मक नगदी प्रवाह की विशेषताओं के संचालन हेतु इसके बिज़नेस मॉडल के आधार पर उनका वर्गीकरण करती है।

#### (ii) आरंभिक पहचान एवं मापन

समस्त वित्तीय परिसंपत्तियों की पहचान आरंभ में उचित मूल्य प्लस, जहां वित्तीय परिसंपत्तियां यदि लाभ एवं हानि विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज न की गई हों तो, ट्रांज़ैक्शन लागतें जो वित्तीय परिसंपत्ति के अर्जन में देय हैं, पर की जाती है।

#### (iii) परवर्ती मापन

परवर्ती मापन के उद्देश्य के लिए वित्तीय परिसंपत्तियां निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत की गई हैं:

**क. परिशोधित लागत पर वहन की गई वित्तीय परिसंपत्तियां :**

डेरिवेटिव और विशेष निवेशों को छोड़कर कोई वित्तीय परिसंपत्ति, यदि वह एक ऐसे बिज़नेस मॉडल में रखी गई हो, जिसका उद्देश्य, किसी परिसंपत्ति को संविदात्मक नकदी प्रवाह को वसूल करने के लिए, उस परिसंपत्ति को धारण (होल्ड) करना हो और वित्तीय परिसंपत्ति की संविदा शर्त में एकमात्र रूप से, मूल राशि और बकाया मूल राशि पर ब्याज के भुगतान के नकदी प्रवाह की विशेष तिथियों का वर्णन हो, बाद में परिशोधित लागत पर मापी जाती है।

**ख. अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां:**

विशेष निवेश वाली कोई वित्तीय परिसंपत्ति, यदि वह एक ऐसे बिज़नेस मॉडल में रखी गई हो, जिसका उद्देश्य संविदात्मक नगदी प्रवाह को वसूलने एवं वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचने जैसे दोनों कार्यों द्वारा प्राप्त किया जाता है तथा वित्तीय परिसंपत्ति की संविदा शर्त में एक मात्र रूप से मूल राशि और बकाया मूल राशि पर ब्याज के भुगतान के नगदी प्रवाह की विशेष तिथियों का वर्णन हो, बाद में अन्य व्यापक आय के माध्यम से बाद में उचित मूल्य पर मापी जाती है। कंपनी ने अपने निवेशों के लिए अप्रतिसंहरणीय चुनाव किया है जिन्हें इसके बिज़नेस मॉडल के आधार पर अन्य व्यापक आय में उचित मूल्य में परवर्ती बदलाव प्रस्तुत करने के लिए इक्विटी इन्स्ट्रूमेंट्स के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

**ग. लाभ एवं हानि विवरणी के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां:** डेरिवेटिव्स वाली कोई वित्तीय परिसंपत्ति जो उपर्युक्त में से किसी भी श्रेणी में वर्गीकृत नहीं की गई है वह बाद में लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी जाती है।

#### (iv) मान्यता समापन

किसी वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता मुख्यतः तब समाप्त की जाती है जब इस परिसंपत्ति से नगदी प्रवाह प्राप्ति के अधिकार समाप्त हो जाते हैं अथवा कंपनी ने परिसंपत्ति से नगदी प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकार हस्तांतरित कर दिए हों। जिसमें कंपनी न तो स्वामित्व के सभी जोखिमों और रिवार्ड को न तो

हस्तांतरित करती है और न ही उसे बनाए रखती है। यह वित्तीय परिसंपत्ति के नियंत्रण को बनाए नहीं रखती है।

कोई लाभ या हानि, लाभ और हानि विवरणी में मान्यता प्राप्त है।

### (v) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों, जिसमें व्यापार प्राप्य अथवा कॉन्ट्रैक्ट राजस्व और समस्त लीज़ प्राप्य इत्यादि सम्मिलित हैं, पर क्षति हानि के मापन एवं पहचान हेतु प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल के आधार पर क्षति का निर्धारण करती है।

अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए, अपेक्षित क्रेडिट हानि को 12 महीने की ईसीएल के बराबर राशि पर मापा जाता है, जब तक कि प्रारंभिक मान्यता से क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है, उस स्थिति में उन वित्तीय परिसंपत्तियों को जीवनकाल ईसीएल में मापा जाता है। ईसीएल मॉडल का उपयोग करके नुकसान भत्ते में परिवर्तन (वृद्धिशील या उलट), लाभ और हानि में, क्षति लाभ या हानि के रूप में पहचाने जाते हैं।

### (vi) बट्टे खाते में डालना

किसी वित्तीय परिसंपत्ति की सकल वहन राशि तब बट्टे खाते में (आंशिक रूप से अथवा पूर्णतः) उस मात्रा में डाल दी जाती है जब उसकी वसूली की वास्तविक संभावना न हो। सामान्यत यह ऐसा मामला होता है जब कंपनी यह निर्धारित करती है कि प्रतिपक्ष के पास ऐसी परिसंपत्तियां अथवा आय के साधन नहीं हैं जो बट्टे खाते में डाले जाने के अधीन राशि को चुकाने के लिए पर्याप्त नकदी प्रवाह सृजित कर सकें। तथापि, जो वित्तीय परिसंपत्तियां बट्टे खाते में डाल दी गई हैं वे अब भी देय राशि की वसूली के लिए कंपनी की प्रक्रियाओं के अनुपालन हेतु बाध्यकरण गतिविधियों के अधीन हैं।

## ग. वित्तीय देयताएं

### (i) आरंभिक मान्यता एवं मापन

समस्त वित्तीय देयताओं की मान्यता आरंभ में, ऋणों, उधारियों और देयों के संबंध में, उचित मूल्य पर और प्रत्यक्ष रूप से देय निवल ट्रांजैक्शन लागतों पर की जाती है। कंपनी की वित्तीय देयताओं में ट्रेड और अन्य देय तथा बैंक ओवरड्राफ्ट सहित ऋण एवं उधारियों और डेरिवेटिव वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट्स सम्मिलित हैं।

### (ii) वर्गीकरण

कंपनी, समस्त वित्तीय देयताओं को, लाभ एवं हानि विवरणी के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताओं को छोड़कर, परवर्ती रूप से परिशोधित लागत पर किए गए मापन के अनुसार वर्गीकृत करती है। डेरिवेटिव्स सहित ऐसी देयताएं, परवर्ती रूप से उचित मूल्य पर मापी जाएंगी और किसी भी ब्याज व्यय सहित शुद्ध लाभ और हानि, लाभ और हानि विवरणी में मान्यता प्राप्त हैं।

वित्तीय देयता को एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि इसे ट्रेडिंग हेतु रोकी गई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, या यह एक डेरीवेटिव है या इसे प्रारंभिक मान्यता पर इस तरह नामित किया गया है।

### (iii) परवर्ती मापन

वित्तीय देयताओं का मापन, नीचे किए गए वर्णन के अनुसार, उनके वर्गीकरण पर निर्भर करता है।

#### क) परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं

आरंभिक मान्यता के पश्चात, ब्याज वाले ऋण एवं उधारियां, प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) विधि का उपयोग करते हुए, परिशोधित लागत पर मापी जाती हैं। लाभ एवं हानियों को लाभ एवं हानि विवरणी में मान्य किया जाता है जब देयताओं को ईआईआर परिशोधित प्रक्रिया के माध्यम से डि–रिकॉग्नाइज्ड किया जाता है।

परिशोधन लागत की गणना, अर्जन पर किसी छूट या प्रीमियम और फीस अथवा लागत जो कि ईआईआर का अभिन्न भाग होते हैं, को ध्यान में रखकर की जाती है। ईआईआर परिशोधन को, लाभ एवं हानि विवरणी में, वित्तीय लागतों के रूप में सम्मिलित किया जाता है।

#### ख) लाभ एवं हानि विवरणी के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएं

लाभ एवं हानि विवरणी के माध्यम से, उचित मूल्य पर, वित्तीय देयताओं में ट्रेडिंग संबंधी व वित्तीय देयताएं और लाभ एवं हानि विवरणी के माध्यम से उचित मूल्य के अनुसार आरंभिक पहचान पर विनिर्दिष्ट वित्तीय देयताएं सम्मिलित हैं। वित्तीय देयताओं को तब ''ट्रेडिंग हेतु'' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब यदि उनका नजदीकी कालावधि में पुनः क्रय करने के उद्देश्य के लिए वहन किया गया हो। इस श्रेणी में, कंपनी द्वारा अपनाए गए डेरिवेटिव फाइनेंशियल इन्स्ट्रूमेंट सम्मिलित हैं, जो इंड एएस 109 द्वारा परिभाषित हेज़ रिलेशनशिप्स में हेजिंग इन्स्ट्रूमेंट्स के रूप में विनिर्दिष्ट नहीं हैं। अलग किए गए एम्बेडेड डेरिवेटिव्स भी तब तक ''ट्रेडिंग हेतु'' के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं जब तक कि उन्हें प्रभावी हेज़िग इन्स्ट्रूमेंट के रूप में विनिर्दिष्ट नहीं कर दिया जाता। हेल्ड फॉर ट्रेडिंग संबंधी देयताओं पर लाभ एवं हानियों की पहचान लाभ एवं हानि विवरणी में की जाती है।

### (iv) मान्यता समापन

कोई भी वित्तीय देयताएं तब डी–रिकॉग्नाइज्ड हो जाती है, जब उस देयता के तहत बाध्यता का निर्वहन कर दिया गया हो अथवा उसे रद्द कर दिया गया हो अथवा उसकी अवधि समाप्त हो गई हो। कंपनी शर्तों को संशोधित करने पर और संशोधित शर्तों के तहत नकदी प्रवाह काफी हद तक अलग होने पर वित्तीय देयता को डी रिकॉग्नाइज़ड कर देती है। इस मामले में, संशोधित मूल्य के आधार पर एक नया वित्तीय दायित्व उचित मूल्य पर मान्यता प्राप्त है। समाप्त हुई वित्तीय देयताएं की कैरिंग राशि और संशोधित शर्तों के साथ नई वित्तीय देयता के बीच का अंतर लाभ और हानि के विवरणी में मान्यता प्राप्त है।

### (v) वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट्स की ऑफसेटिंग

वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देयताएं ऑफसेट की जाती हैं और यदि पहचान की गई राशि को ऑफसेट करने का कोई चालू प्रवर्तनीय कानून अधिकार है, तो परिसंपत्ति के नकदीकरण और देयताओं को साथ–साथ बेचने की निवल आधार पर की गई मंशा हो तो, निवल राशि का उल्लेख तुलन पत्र में किया जाता है।

## XXI. मैटीरियलिटी थ्रेश होल्ड सीमाएं_

कंपनी ने व्ययों/आयों के वर्गीकरण और प्रकटन में निम्नानुसार मैटीरियलिटी थ्रेश होल्ड सीमाओं को अपनाया हैं:

| थ्रेश होल्ड मदें | यूनिट | थ्रेश होल्ड मूल्य |
|---|---|---|
| पूर्वावधि व्यय/राजस्व | लाख रु. | 10.00 |
| पूर्वप्रदत्त व्यय | लाख रु. | 0.10 |
| विदेशी स्टेशन | लाख रु. | 00.50 |
| घरेलू स्टेशन | लाख रु. | 00.10 |
| आकस्मिक देयता एवं पूंजीगत प्रतिबद्धताएं | लाख रु. | 1.00 |
| वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट्स का उचित मूल्यांकन | लाख रु. | 50.00 |

**कृते एस. के. कपूर एंड कम्पनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
**फर्म पंजीकरण सं एफआरएन नं. 000745सी**
हस्ता/–
**वी.बी. सिंह**
पार्टनर
सदस्यता सं.: 073124
**यूडीआईएनः 20073124एएएएडीएफ8843**

स्थान :नई दिल्ली
दिनांक : 20/10/2020

**एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड के निदेशक मण्डल के लिए तथा उनकी ओर से**

हस्ता/–
**राजीव बंसल**
अध्यक्ष
डीआईएन सं. 00245460

हस्ता/–
**विनोद हेजमाड़ी**
निदेशक
डीआईएन सं. 07346490

हस्ता/–
**सी. एस सुब्बैया**
मुख्य कार्यपालक अधिकारी,

हस्ता/–
**मंजिरी एम. वझे**
कम्पनी सचिव
सदस्यता सं.: एसीएस16028

हस्ता/–
**अम्बर कुमार मंडल**
मुख्य वित्तीय अधिकारी

स्थान :नई दिल्ली
दिनांक : 20/10/2020

## वित्तीय वर्ष 2019–20 संयत्र, परिसम्पत्ति व उपस्कर

### नोट–2(क)

(राशि रु. में)

| परिसम्पत्तियों का विवरण | अनुसूची II के अनुसार उपयोगी जीवन | 31.3.2019 को सकल ब्लॉक | 2019–20 के दौरान जोड़े गए | 2019–20 के दौरान बेचे / डिस्कार्ड किए गए | 31.3.2020 को सकल ब्लॉक | 01.04.2019 को संचित मूल्यह्रास | 2019–20 वर्ष के लिए मूल्यह्रास | वर्ष के दौरान किए गए समायोजन | 31.3.2020 को संचित मूल्यह्रास | 31.3.2020 को सकल ब्लॉक | 31.3.2019 को सकल ब्लॉक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| संयत्र और उपस्कर | 5 वर्ष | 9,256,975 | 1,063,136 | | 10,320,111 | 2,452,658 | 1,791,213 | 18,615 | 4,243,871 | 6,057,625 | 6,785,702 |
| फर्नीचर एवं फिक्सचर | 10 वर्ष | 6,515,368 | 1,115,389 | | 7,630,757 | 2,235,626 | 532,143 | (36,709) | 2,767,768 | 4,899,698 | 4,316,454 |
| वाहन | 8 वर्ष | 3,665,252 | - | 858,937 | 2,806,315 | 2,324,388 | 214,247 | | 1,679,698 | 1,126,617 | 1,340,813 |
| डाटा प्रौसेसिंग उपस्कर | 3 वर्ष | 15,079,891 | 5,839,921 | | 20,919,812 | 6,692,519 | 5,259,057 | | 11,951,576 | 8,968,236 | 8,387,420 |
| स्थल सहायता उपस्कर (एटीआर) | (पॉलिसी के अनुसार) | 8,174,949 | - | | 8,174,949 | 8,174,949 | - | | 8,174,949 | - | - |
| | . | - | | | - | - | | | - | - | - |
| एयरफ्रेम रोटेबल | लीज अवधि पर आधारित | 158,234,285 | 7,022,018 | | 165,256,302 | 82,804,728 | 13,301,866 | | 96,106,595 | 69,149,708 | 75,429,556 |
| एयरो इंजन रोटेबल | लीज अवधि पर आधारित | 1,464,133 | - | | 1,464,133 | 285,565 | 146,392 | | 431,957 | 1,032,176 | 1,178,568 |
| **31.03.2020 को कुल** | | **202,390,852** | **15,040,463** | **858,937** | **216,572,379** | **104,970,433** | **21,244,918** | **(18,094)** | **125,356,413** | **91,234,059** | **97,438,513** |
| **31.03.2019 को कुल** | | **166,684,169** | **35,706,682** | **-** | **202,390,852** | **89,248,494** | **15,703,845** | **-** | **104,952,339** | **97,438,513** | **77,435,673** |

नोटः एसएपी लेखांकन साफ्टवेयर में कार्य प्रारंभ करने के कारण प्रणाली व वित्तीय विवरणों में आए अंतर के कारण वर्ष के दौरान समायोजन किया गया।

### नोट–2(ख)

(राशि रु. में)

| परिसम्पत्तियों का विवरण | अनुसूची II के अनुसार उपयोगी जीवन | इंड एएस 116 अपनाए जाने पर 01/04/2019 को | 2019–20 के दौरान जोड़े गए | 2019–20 के दौरान बेचे / डिस्काड 'किए गए | 2019–20 के दौरान किए गए समायोजन | 31.3.2020 को सकल ब्लॉक | इंड एएस 116 अपनाए जानेपर 1.4. 2019 को संचित मूल्यह्रास | वर्ष2019–20 के लिए मूल्यह्रास | 31.3.2020 को संचित मूल्यह्रास | 31.3.2019 निवल कैरिंग मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| संयत्र और उपस्कर | लीज़ अवधि पर आधारित | 21,319,980,569 | - | - | - | 21,319,980,569 | - | 2,266,648,744 | 2,266,648,744 | 19,053,331,825 |

## नोट सं. 03 अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां

(आंकड़े रु. में)

| विवरण | 31 मार्च, 2020 को | 31 मार्च, 2019 को |
|---|---|---|
| अनारक्षित खरे माने गए | | |
| जमा (12 महीने से अधिक परिपक्वता) | **81,53,20,710** | 1,09,37,74,522 |
| लीज़ के तहत एफडीआर सहित | | |
| आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम | | |
| –संदेहास्पदमाने गए | **3,06,24,585** | 3,06,24,585 |
| घटाकरः संदेहास्पद ऋण को क्षतिभत्ता | **(3,06,24,585)** | (3,06,24,585) |
| **कुल** | **81,53,20,710** | 1,09,37,74,522 |

## नोट सं. 04 आयकर परिसम्पत्तियां

(आंकड़े रु. में)

| विवरण | 31 मार्च, 2020 को | 31 मार्च, 2019 को |
|---|---|---|
| टीडीएस सहित आयकर का अग्रिम भुगतान | **41,37,16,731** | 20,54,91,790 |
| घटाः कराधान हेतु प्रावधान | **(1,64,40,335)** | (1,64,40,335) |
| **कुल** | **39,72,76,396** | 18,90,51,455 |

## नोट सं. 05 अन्य गैर चालू परिसम्पत्तियां

(आंकड़े रु. में)

| विवरण | 31 मार्च, 2020 को | 31 मार्च, 2019 को |
|---|---|---|
| आरक्षित व खरे माने गए | | |
| पूंजी अग्रिम से इतर अग्रिम | | |
| क) सुरक्षा जमा (अनुरक्षण आरक्षित) | **2,47,06,03,621** | 1,81,42,72,477 |
| **कुल** | **2,47,06,03,621** | 1,81,42,72,477 |

## नोट सं. 06 इनवेंटरी

(आंकड़े रु. में)

| विवरण | 31 मार्च, 2020 को | 31 मार्च, 2019 को |
|---|---|---|
| भंडार एवं हिस्से पूर्जे | **46,32,29,435** | 32,20,17,389 |
| खुले औजार | **22,92,523** | 19,28,528 |
| मार्गस्थ माल | **-** | 20,66,856 |
| घटाकरः अप्रचलन व कमी के लिए प्रावधान | **(16,85,55,573)** | (11,08,31,563) |
| **कुल** | **29,69,66,384** | 21,51,81,210 |

* मूल्यांकन हेतू महत्वपूर्ण लेखा नीतियों खंड 3(VI) (ख) का संदर्भ लें

## नोट सं. 07 व्यापार प्राप्य

(आंकड़े रु. में)

| विवरण | 31 मार्च, 2020 को | 31 मार्च, 2019 को |
|---|---|---|
| रक्षित, खरेमाने गए | - | - |
| अरक्षित व खरेमाने गए | **78,75,54,895** | 98,68,53,534 |
| व्यापारप्राप्य जिस में क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि | **-** | - |
| व्यापार प्राप्य–क्रेडिट क्षति | **2,64,60,571** | 5,02,00,151 |
| घटाकरः संदेहास्पद प्राप्य के लिए क्षतिभत्ता | **(2,64,60,571)** | (5,02,00,151) |
| **कुल** | **78,75,54,895** | 98,68,53,534 |

## नोटः सं.8 नकद और नकद समतुल्य

(आंकड़े रु. में)

| विवरण | 31 मार्च, 2020 को | 31 मार्च, 2019 को |
|---|---|---|
| बैंकों में शेष | | |
| चालू खातो में | **30,74,69,881** | 3,84,84,012 |
| हाथ में रोकड़ | **2,78,693** | 191 |
| **कुल** | **30,77,48,574** | 3,84,84,203 |

## नोट सं. 09 नकद समतुल्य के अलावा बैंकों में शेष

(आंकड़े रु. में)

| विवरण | 31 मार्च, 2020 को | 31 मार्च, 2019 को |
|---|---|---|
| बैंकों में शेष | | |
| मार्जिन मनी डिपॉज़िट में (3< मैचयोरिटी <12) | **1,43,55,707** | 21,98,24,920 |
| **कुल** | **1,43,55,707** | 21,98,24,920 |

## नोट सं. 10 चाल ऋण

(आंकड़े रु. में)

| विवरण | 31 मार्च, 2020 को | 31 मार्च, 2019 को |
|---|---|---|
| अरक्षित व खरे माने गए | | |
| सुरक्षा जमा | **44,39,58,607** | 17,53,79,282 |
| **कुल** | **44,39,58,607** | 17,53,79,282 |

## नोट सं. 11 अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां

(आंकड़े रु. में)

| विवरण | 31 मार्च, 2020 को | 31 मार्च, 2019 को |
|---|---|---|
| **अरक्षित व खरे माने गए** | | |
| आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम | **18,88,76,216** | 13,77,27,915 |
| कर्मचारियों को अग्रिम | **3,38,301** | 5,29,540 |
| **अरक्षित व संदेहास्पद माने गए** | | |
| कर्मचारियों को अग्रिम | **54,52,414** | 54,52,414 |
| घटाकरः संदेहास्पद स्टॉफ अग्रिम हेतु भत्ता | **(54,52,414)** | (54,52,414) |
| **कुल** | **18,92,14,517** | 13,82,57,454 |

## नोट सं. 12 अन्य चालू परिसम्पत्तियां

(आंकड़े रु. में)

| विवरण | 31 मार्च, 2020 को | 31 मार्च, 2019 को |
|---|---|---|
| **अरक्षित व खरे माने गए** | | |
| पूर्व प्रदत व्यय | **10,40,31,962** | 1,03,77,098 |
| संबंधित पार्टियों से प्राप्य | **4,54,98,135** | 6,21,45,172 |
| अन्य से प्राप्य | **2,50,21,638** | 1,29,375 |
| वसूली योग्य जीएसटी इनपुट कर | **62,97,66,679** | 32,51,75,203 |
| **अरक्षित व खरे माने गए** | | |
| उच्च न्यायालय में जमा' | **22,23,71,101** | 22,22,73,088 |
| संदेहास्पद अग्रिम के लिए प्रावधान–सुरक्षा जमा | **(22,22,73,088)** | (22,22,73,088) |
| **कुल** | **80,44,16,426** | 39,78,26,848 |

* इंड एएस वित्तीय विवरणियों के नोट सं. 49 के संदर्भमें।

## नोट सं. 13 इक्विटी शेयरपूंजी

| विवरण | 31 मार्च, 2020 को | 31 मार्च, 2019 को |
|---|---|---|
| प्राधिकृत शेयरपूंजी | | |
| 100 रु. प्रत्येक के 2000,00,000 इक्विटी शेयर | **2000,00,00,000** | 2000,00,00,000 |
| (पिछले वर्ष 100 रु. प्रत्येक के 2000,00,000 इक्विटी शेयर) | | |
| | **2000,00,00,000** | 2000,00,00,000 |
| जारी, अभिदत्त और पूर्ण प्रदत्त शेयरपूंजी | | |
| 100 रु. प्रत्येक के 402,25,000 पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर | **4,02,25,00,000** | 4,02,25,00,000 |
| (पिछले वर्ष 100 रु. प्रत्येक के 402,25,000 इक्विटी शेयर) | | |
| | **4,02,25,00,000** | 4,02,25,00,000 |

| 13 क) शेयरों की संख्या का समाधान | 31 मार्च, 2020 को | 31 मार्च, 2019 को |
|---|---|---|
| **वर्ष के प्रारंभ में इक्विटी शेयरों की संख्या** | **4,02,25,000** | 4,02,25,000 |
| जोड़करः जारी इक्विटी शेयर | | - |
| घटाकरः रीडिम किए इक्विटी शेयर | | - |
| वर्ष के अंत में इक्विटी शेयरों की संख्या | **4,02,25,000** | 4,02,25,000 |

### 13(ख) इक्विटी शेयरः इक्विटी शेयर के लिए संलग्न विनिमय एवं शर्तें/अधिकार

कम्पनी के पास एक ही श्रेणी के इक्विटी शेयर हैं जिसका अंकित मूल्य 100 रु. प्रति शेयर है। प्रत्येक शेयर धारक को प्रति शेयर एक वोट देने का अधिकार है। लाभांश के भुगतान की कोई बाध्यता नहीं है। कम्पनी के समापन पर इक्विटी शेयर धारक सभी प्रकार की प्राथमिक राशियों के भुगतान के पश्चात अपने स्वामित्व के शेयरों के अनुपात में कम्पनी की बाकी बची परिसम्पत्तियों को प्राप्त करने के हकदार होंगे।

### 13 (ग) होल्डिंग कम्पनी के नियंत्रण में इक्विटी शेयर

402,25,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 402,25,000 इक्विटी शेयर) होल्डिंग कम्पनी एअर इंडिया लिमिटेड और इसके नामितों के नियंत्रण में हैं (होल्डिंग कम्पनी की ओर से)

### 13(घ) 5% से अधिक इक्विटी शेयर रखनेवाले शेयरधारकों का ब्यौराः

| शेयरधारक का नाम | 31 मार्च, 2020 को | 31 मार्च, 2019 को |
|---|---|---|
| एअर इंडिया लिमिटेड, होल्डिंग कम्पनी और उसके नामिती (होल्डिंग कम्पनी की ओर से) | **4,02,25,000** | 4,02,25,000 |
| शेयरों की सं. | **4,02,25,000** | 4,02,25,000 |
| स्वामित्व का प्रतिशत | **100%** | 100% |

### नोट सं. 14 अन्य इक्विटी

| विवरण | 31 मार्च, 2020 को | 31 मार्च, 2019 को |
|---|---|---|
| 1. लाभ–हानि खाते में अधिशेष/(घाटा) | | |
| प्रारंभिक शेष | **(24,00,36,02,723)** | (21,07,88,22,929) |
| जोड़करः लाभ/(हानि) वर्ष के लिए | **(2,00,62,64,497)** | (2,92,39,54,394) |
| घटाकरः इंड एएस 116 का प्रभाव | **(59,37,42,973)** | - |
| जोड़ कर पूर्वावधि समायोजन | **-** | - |
| घटाकरःछुट्टी नकदीकरण हेतु ओसीआई के प्रारंभिक शेष का समायोजन | **1,10,31,486** | - |
| आरक्षित से स्थानांतरण | | (8,25,400) |
| **अंतशेष** | **(26,59,25,78,707)** | (24,00,36,02,723) |
| **2. अन्य व्यापक आय** | | |
| प्रारंभिक शेष | **1,83,16,166** | 1,75,96,051 |
| जोड़ करःछुट्टी नकदीकरण हेतु ओसीआई के प्रारंभिक शेष का समायोजन | **(1,10,31,486)** | - |
| जोड़करः वर्ष के लिए | **(37,41,023)** | 7,20,115 |
| **अंतशेष** | **35,43,657** | 1,83,16,166 |
| **कुल** | **(26,58,90,35,050)** | (23,98,52,86,557) |

## नोट सं. 15 लीज़ देयताएं

(आंकड़े रु. में)

| विवरण | 31 मार्च, 2020 को | 31 मार्च, 2019 को |
|---|---|---|
| लीज़ देयताएं | **21,68,56,89,883** | - |
| लीज़ देयता का चालूभाग (तुलन पत्र में चालू देयता के रुप में उल्लिखित) | **(3,45,12,311)** | - |
| गैर चालू लीज़ देयताएं | **21,65,11,77,572** | |
| **कुल** | **21,65,11,77,572** | - |

## नोट सं. 16 प्रावधान

(आंकड़े रु. में)

| विवरण | 31 मार्च, 2020 को | 31 मार्च, 2019 को |
|---|---|---|
| कर्मचारियों के लाभ के लिए प्रावधान | | |
| उपदान हेतु प्रावधान | **5,67,78,149** | 4,25,78,367 |
| घटाकरः उपदान का चालू भाग (नोट 20 में उल्लिखित) | **(13,75,036)** | (13,90,076) |
| छुट्टी नकदीकरण हेतु प्रावधान | **2,54,83,067** | 2,27,59,724 |
| घटाकरः छुट्टी नकदीकरण का चालू भाग (नोट 20 में उल्लिखित) | **(7,41,733)** | (7,91,039) |
| अन्य प्रावधान | | |
| विमानों की रि–डिलीवरी हेतु प्रावधान | **50,73,42,820** | 16,49,18,604 |
| **कुल** | **58,74,87,267** | 22,80,75,580 |

## नोट सं. 17 चालू उधार

(आंकड़े रु. में)

| विवरण | 31 मार्च, 2020 को | 31 मार्च, 2019 को |
|---|---|---|
| एअर इंडिया लि. (होल्डिंग कम्पनी) | **16,90,22,63,593** | 16,33,35,64,375 |
| **कुल** | **16,90,22,63,593** | 16,33,35,64,375 |

इंड एएस वित्तीय विवरणियों के नोट सं. 40 को देखें

## नोट सं. 18 व्यापार देय

(आंकड़े रु. में)

| विवरण | 31 मार्च, 2020 को | 31 मार्च, 2019 को |
|---|---|---|
| क) माइक्रो उद्यमों और लघु उद्यमों का कुल बकाया देय | **1,03,90,748** | 67,18,237 |
| ख) माइक्रो उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा क्रेडिटर के कुल बकाया देय | | |

| विवरण | 31 मार्च, 2020 को | 31 मार्च, 2019 को |
|---|---|---|
| व्यय हेतु प्रावधान | **65,18,94,093** | 1,23,07,43,151 |
| वेंडर भारत | **3,95,25,81,665** | 2,54,99,10,326 |
| वेंडर–विदेश | **1,08,70,74,013** | 86,61,49,481 |
| संबंधित पार्टी–देय | **2,24,04,87,569** | 91,12,25,576 |
| आपूर्तिकर्ता–एमआरओ–रैमको | **15,12,95,164** | 15,08,29,693 |
| कुल | **8,09,37,23,252** | 5,71,55,76,464 |

## नोट सं. 19 अन्य चालू वित्तीय देयताएं

(आंकड़े रु. में)

| विवरण | 31 मार्च, 2020 को | 31 मार्च, 2019 को |
|---|---|---|
| अर्नेस्ट धन जमा | **26,88,551** | 12,00,000 |
| सुरक्षा जमा | **30,98,17,524** | 31,01,44,724 |
| अन्य | **19,14,09,229** | 23,43,783,002 |
| कुल | **50,39,15,304** | 2,65,51,27,726 |

## नोट सं. 20 चालू प्रावधान

(आंकड़े रु. में)

| विवरण | 31 मार्च, 2020 को | 31 मार्च, 2019 को |
|---|---|---|
| उपदान देयता हेतु प्रावधान | **13,75,036** | 13,90,076 |
| छुट्टी नकदीकरण हेतु प्रावधान | **7,41,733** | 7,91,039 |
| रि–डिलीवरी हेतु प्रावधान | **-** | - |
| कुल | **21,16,769** | 21,81,115 |

## नोट सं. 21 अन्य चालू देयताएं

(आंकड़े रु. में)

| विवरण | 31 मार्च, 2020 को | 31 मार्च, 2019 को |
|---|---|---|
| ग्राहक से अग्रिम | **19,45,12,295** | 26,44,98,055 |
| देय सांविधिक भुगतान | | |
| –देय जीएसटी पर टीडीएस | **58,05,859** | 13,70,435 |
| –आयकर के अनुसार देय टीडीएस | **22,08,98,251** | 9,51,25,514 |
| –देय भविष्य निधि | **84,84,796** | - |
| –देय सेवाकर | **3,34,39,478** | 3,34,39,478 |
| –अन्य | **1,80,023** | 1,72,233 |
| कुल | **46,33,20,703** | 39,46,05,715 |

## नोट स. 22 प्रचालन से राजस्व

(आंकड़े रु. में)

| विवरण | 2019-20 | 2018-19 |
|---|---|---|
| 1. प्रचालन राजस्व | | |
| i)अनुसूचित यात्री सेवाएं | | |
| क) यात्री | **7,04,78,70,156** | 6,91,59,88,203 |
| ख) अतिरिक्त सामान | **7,66,17,338** | 4,88,432 |
| ग) डाक | **21,02,992** | 42,552 |
| घ) कार्गो | **94,48,781** | 28,21,845 |
| | **7,13,60,39,268** | 6,91,93,41,032 |
| ii) गैर अनुसूचित–यात्री सेवाएं | | |
| क) चार्टर | **3,07,99,500** | 2,05,83,626 |
| ख) सरकार से प्रचालन हेतु सहायता | **2,38,89,22,074** | 1,22,54,27,691 |
| | **2,41,97,21,574** | 1,24,60,11,317 |
| iii) अन्य प्रचालनात्मक राजस्व | | |
| क) हैंडलिंग सर्विसिंग | **5,625** | - |
| ख) उत्पादनकर्ता का क्रेडिट | **33,59,88,885** | - |
| ग) हैंडलिंग सर्विसिंग तथा प्रासंगिक राजस्व | **3,85,32,047** | 5,07,66,565 |
| | **37,45,26,556** | 5,07,66,565 |
| कुल | **9,93,02,87,398** | 8,21,61,18,914 |

## नोट सं. 23 अन्य आय

(आंकड़े रु. में)

| विवरण | 2019-20 | 2018-19 |
|---|---|---|
| i) सावधि जमा पर ब्याज–भारत | **8,02,54,203** | 9,37,00,779 |
| ii) अन्य | | |
| –प्रावधान जिसकी आवश्यकता नहीं रिर्टन बैक* | **1,80,09,97,551** | 5,29,63,148 |
| कुल | **1,88,12,51,753** | 14,66,63,927 |

## नोट सं. 24 अन्य प्रचालन व्यय

(आंकड़े रु. में)

| | 2019-20 | 2018-19 |
|---|---|---|
| i) विमान लीज़, हैंडलिंग एवं अनुरक्षण प्रभार | | |
| विमान इंजन की लीज़ | **7,56,43,834** | 2,12,24,95,103 |
| हैंडलिंग | **42,19,85,191** | 39,99,07,327 |
| अनुरक्षण | **1,55,64,05,018** | 2,11,92,58,685 |
| | **2,05,40,34,043** | 4,64,16,61,115 |
| ii) मार्ग निर्देशन, अवतरण, हाउसिंग एवं पार्किंग | | |
| अवतरण शुल्क–अनुसूचित एवं अन्य प्रचालन | **2,96,06,135** | 2,51,36,955 |
| हाउसिंग और पार्किंग शुल्क | **1,02,21,375** | 1,03,27,967 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | उड़ान वाणिज्य व मार्ग निर्देशन प्रभार | **22,29,58,170** | 22,10,03,553 |
| | | **26,27,85,680** | 25,64,68,476 |
| iii) | अन्य संचार प्रभार | | |
| | टेलीफोन उपकरण किराया | **26,318** | 68,250 |
| | आरक्षण प्रणाली पर व्यय | **47,37,36,385** | 35,74,04,659 |
| | पोस्टेज़ टेलीग्राम और कुरियर प्रभार | **1,60,851** | 1,26,974 |
| | टेलीफोन एवं ट्रंक कॉल प्रभार | **17,09,108** | 14,04,036 |
| | | **47,56,32,662** | 35,90,03,919 |
| iv) | यात्री सुविधाएं | | |
| | उड़ानगत एवं होटल उपभोज्य सामग्रियों की खपत | **-** | - |
| | पैक्स सुविधाएं–स्थल पर केटरिंग | **2,91,01,541** | 2,21,47,665 |
| | पैक्स सुविधाएं–विमान पर केटरिंग | **9,02,58,450** | 10,92,18,490 |
| | पैक्स सुविधाएं–होटल व्यय | **4,48,641** | 17,54,776 |
| | पैक्स सुविधाएं–उड़ानगत प्रोग्राम | **-** | - |
| | पैक्स कॉल सेंटर प्रभार | **1,72,64,971** | 2,50,47,704 |
| | पैक्स सुविधाएं–समाचार पत्र और पत्रिकाएं | **69,403** | 10,66,324 |
| | | **13,71,43,006** | 15,92,34,959 |
| v) | बीमा | | |
| | बीमा–विमान | **7,97,97,373** | 3,80,67,112 |
| | बीमा सामान्य | **11,947** | 22,384 |
| | | **7,98,09,320** | 3,80,89,496 |
| vi) | इनवेंटरी खपत | | |
| | उपभुक्त सामग्री–विमान | **13,65,15,799** | 3,27,84,952 |
| | अप्रचलन हेतु प्रावधान (निवल) | **5,77,24,010** | (1,99,43,630) |
| | | **19,42,39,809** | 1,28,41,322 |
| vii) | बुकिंग एजेंसी का कमीशन (निवल) | | |
| | टिकट विक्रय पर कमीशन | **8,74,82,813** | 16,47,03,103 |
| | | **8,74,82,813** | 16,47,03,103 |
| | कुल | **3,29,11,27,333** | 5,63,20,02,391 |

## नोट सं. 25 कर्मचारी लाभ व्यय

(आंकड़े रु. में)

| | 2019-20 | 2018-19 |
|---|---|---|
| 1.वेतन–मजदूरी और बोनस | | |
| वेतन–भारत में कर्मचारी | **86,73,06,077** | 7,543,37,281 |
| बोनस व्यय | **61,12,331** | 48,84,725 |
| | **87,34,18,408** | 75,92,22,006 |
| 2. क्रू भत्ते | | |
| प्रति घंटा भुगतान | **-** | - |
| विदेशी करार पायलट शुल्क एवं दावे | **73,63,70,542** | 65,26,91,026 |

| | 2019-20 | 2018-19 |
|---|---|---|
| | **73,63,70,542** | 65,26,91,026 |
| 3. भविष्य निधि व अन्य निधि में अंशदान | | |
| सीसी भविष्य निधि–भारत में कर्मचारी | **1,21,36,656** | 1,04,05,656 |
| | **1,21,36,656** | 1,04,05,656 |
| 4. स्टॉफ कल्याण व्यय (निवल) | | |
| अन्य स्टॉफ कल्याण व्यय | **2,02,88,346** | 3,40,89,683 |
| स्टॉफ प्रशिक्षण व्यय | **6,09,311** | 38,60,304 |
| | **2,08,97,657** | 3,79,49,987 |
| 5. उपदान | **1,02,11,425** | 79,81,063 |
| 6. छुट्टी नकदीकरण | **53,23,654** | 55,00,613 |
| **कुल** | **1,65,83,58,342** | 1,47,37,50,351 |

## नोट सं. 26 वित्तीय लागत

| | 2019-20 | 2018-19 |
|---|---|---|
| (i) ऋण पर ब्याज | | |
| –एअर इंडिया (होल्डिंग कम्पनी) ऋण पर ब्याज | **1,44,62,55,343** | 1,38,26,46,876 |
| (ii) लीज़ देयताओं पर ब्याज व्यय | **2,71,41,02,306** | - |
| (iii) बैंक प्रभार | **2,12,78,003** | 2,58,10,681 |
| (iv) ईंधन कम्पनियों को विलम्बित भुगतान प्रभार | **19,38,39,068** | 8,83,61,346 |
| (v) संबंधित पार्टियों द्वारा प्रभारित ब्याज | **16,66,76,637** | 9,96,20,512 |
| **कुल** | **4,54,21,51,356** | 1,59,64,39,414 |

* रु. 197,69,84,518/– के विनिमय अंतर सहित लीज़ देयताओं के ट्रांसेक्शन पर 00.00 रु.।

## नोट सं. 27 अन्य व्यय

(आंकड़े रु. में)

| | 2019-20 | 2018-19 |
|---|---|---|
| यात्रा व्यय | **8,49,82,733** | 8,81,92,564 |
| किराया | **2,85,05,976** | 3,27,43,272 |
| मरम्मत प्रभार | **-** | 20,69,502 |
| परिवहन का किराया | **3,17,06,447** | 4,24,89,107 |
| विद्युत/तापन एवं ईंधन प्रभार | **66,82,254** | 62,25,427 |
| जल प्रभार | **13,540** | 5,460 |
| मुद्रण एवं लेखन सामग्री | **38,47,414** | 28,75,328 |
| प्रचार और विक्रय संवर्धन | **7,76,105** | 8,05,452 |
| विधिक प्रभार | **8,19,370** | 10,58,359 |
| लेखा परीक्षा एवं अन्य शुल्क | | |
| –लेखा परीक्षा शुल्क | **6,50,000** | 6,50,000 |
| – खर्चों की प्रतिपूर्ति | **-** | - |

| | | |
|---|---|---|
| रि–डिलीवरी के लिए प्रावधान एवं अन्य प्रभार | **-** | 15,66,17,420 |
| अप्रचलन (निवल) हेतु प्रावधान | - | - |
| अनुपयुक्त व संदेहास्पद अग्रिम हेतु समाधान | **2,36,83,327** | 8,03,66,628 |
| मुद्रा विनिमय अंतर (निवल) | **(18,76,98,966)** | 3,24,21,724 |
| व्यावसायिक/परामर्श शुल्क व व्यय | **3,83,40,988** | 1,95,96,958 |
| डीजीसीए को शुल्क | **10,74,323** | 36,02,890 |
| कार्यालय सफाई हेतु व्यय | **1,02,025** | 59,939 |
| मनोरजंन व्यय–सामान्य | **4,07,912** | 4,49,606 |
| पुस्तकें व पत्रिकाएं–जेपसन/तकनीकी | **1,90,65,749** | 1,37,31,536 |
| बेचे गए/स्क्रेप की गई परिसम्पत्तियों पर अधिशेष/हानि | **-** | - |
| अन्य विविध खर्चे | **1,49,33,512** | 63,87,795 |
| टीडीएस का देरी से भुगतान करने पर ब्याज | **69,11,717** | 1,04,41,134 |
| सेवा कर का देरी से भुगतान करने पर ब्याज | | |
| कर/जीएसटी | **2,31,390** | 29,31,972 |
| **कुल** | **7,50,35,815** | 5,037,22,074 |

## नोट सं. 28 असाधारण मदें

(आंकड़े रु. में)

| | 31 मार्च, 2020 को | 31 मार्च, 2019 को |
|---|---|---|
| इनवेंटरी माइग्रेशन सरप्लस | | |
| विमान इनवेंटरी रिटन बैक | . | . |
| इनवेंटरी माइग्रेशन खाता–एमआरओ | . | . |
| इनवेंटरी समाधान के लिए प्रावधान (व्यय) | . | . |
| **कुल** | . | . |

## नोट सं. 29 प्रतिशेयर आय का प्रकटीकरण

(आंकड़े रु. में)

| | 31 मार्च, 2020 को | 31 मार्च, 2019 को |
|---|---|---|
| क) वर्ष के आरंभ में भारित औसत शेयरों की संख्या | **40,225,000** | 40,225,000 |
| ख) वर्ष के अंत में भारित औसत शेयरों की संख्या | **40,225,000** | 40,225,000 |
| ग) इक्विटी शेयर धारकों हेतु कर पश्चात निवल लाभ | **(2,006,264,497)** | (2,923,954,394) |
| घ) प्रति शेयर–बेसिक व डायल्यूटिड आय (रुपए) | **(49.88)** | (72.69) |
| ड़) शेयर का अंकित मूल्य (रुपए) | **100** | 100 |

## 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणियों के नोट

### 30 विनिवेश प्रकिया

(i) एअर इंडिया (AI) के विनिवेश पर नीति आयोग की सिफारिशों को देखते हुए और विनिवेश (CGD) पर सचिवों के कोर ग्रुप की सिफारिशों के बाद, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) ने 28 जून, 2017 को हुई अपनी बैठक में एअर इंडिया समूह के रणनीतिक विनिवेश पर विचार करने के लिए सैद्वांतिक तौर पर अनुमोदन दे दिया है। सीसीईए द्वारा रणनीतिक विनिवेश की प्रक्रिया का मार्गदर्शन करने के लिए एअर इंडिया स्पेसिफिक ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म (एआईएसएएम) समिति का भी गठन किया गया।

विनिवेश की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सरकार के मार्गदर्शन हेतु AISAM द्वारा लेन–देन सलाहकार, कानूनी सलाहकार और एसेट वैल्यूएटर नियुक्त किए गए हैं।

(ii) AISAM ने 21 सितंबर, 2017 और 05 अक्टूबर, 2017 को आयोजित अपनी बैठकों में निर्णय लिया कि:

क) एअर इंडिया की निम्नलिखित चार सहायक कंपनियों को अलग नए बनाए गए विशेष उद्देश्य वीहकल (SPV) में पृथक और पार्क किया गया है:

i) एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड, (एएएएल)

ii) एअर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेट, (एआईएएसएल)

iii) एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड (एआईईएसएल)

iv) होटल कॉरपोरशन ऑफ इंडिया (एचसीआई)

ख) चार सहायक कंपनियों एआईएटीएसएल, एएएएल, एआईईएसएल, एचसीआई, सहित गैर–प्रमुख परिसंपत्तियों, पेंटिंग और कलाकृतियां और अन्य गैर प्रचालन परिसंपत्तियों के साथ–साथ किसी भी परिसंपत्ति द्वारा समर्थित। संचित कार्यशील पूंजी ऋण के भंडारण हेतु एक विशेष उद्देश्य वीहकल (एसपीवी) बनाया जाएगा। इस इकाई को ''एअर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड'' नाम दिया गया है

(iii) एआईएसएएम के उपरोक्त निर्णय के अनुसार, एसपीवी एअर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल) का गठन किया गया था।

(iv) नागर विमानन मंत्रालय ने अपने दिनांक 03 नवंबर, 2017 के पत्र संख्या AV-17046 / 368 / 2017– एआई के द्वारा एअर इंडिया को उपरोक्त चार सहायक कंपनियों को एसपीवी में पार्क करने के लिए अलग निर्देश दिया। इसके साथ ही एयर इंडिया से एएएएल, एआईएएसएल, एआईईएसएल और एचसीआई के शेयरों में किए गए निवेश को बुक वैल्यू पर (31 मार्च, 2017 को तुलन पत्र में दिखाए गए मूल्य के अनुसार व वर्ष के दौरान इक्विटी में किसी भी प्रकार के जोड़ सहित) हस्तांतरित करने का निर्देश दिया।

(v) 17 नवंबर, 2017 को आयोजित अपनी 82वीं बोर्ड बैठक में एअर इंडिया के बोर्ड ने सहायक कंपनियों एआईएटीएसएल, एआईईएसएल, एएएएल और एचसीआई में से एअर इंडिया के हित को एसपीवी में हस्तांतरित करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 और कानूनी सलाहकार द्वारा अनुशंसित अन्य कानूनी औपचारिकताओं के तहत आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी।

(vi) हालांकि, 18 जून 2018 को आयोजित एआईएसएएम की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि अस्थिर क्रूड मूल्य व विनिमय दर में प्रतिकूल उतार–चढ़ाव के मद्देनजर वर्तमान वातावरण निकट भविष्य में एआई के रणनीतिक विनिवेश के लिए निवेशकों के बीच रुचि को बढ़ाने के लिए अनुकूल नहीं है। यह निर्णय लिया गया है कि तेल मूल्य और विदेशी मुद्रा सहित वैश्विक आर्थिक संकेतकों के स्थिर होने के बाद, भविष्य में की जाने वाली कार्रवाई एअर इंडिया के रणनीतिक विनिवेश के मुद्दे को एआईएसएएम के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

एमओसीए ने एलाइंस एअर के विनिवेश के लिए कोई निर्णय नहीं लिया है। MOCA सहायक कंपनियों से एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड पूर्व में एयरलाइन एलाइड सर्विसेस लिमिटेड के निपटान के लिए अलग से निर्णय लेगा।

## 31. आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक परिसम्पत्तियां

**क.** "प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्ति" पर इंड एएस 37 के अनुपालन में अपेक्षित सूचना निम्नानुसार है:

एएएएल के विरूद्ध दावों को, ऋणों के रूप में स्वीकृत नहीं किया गया है (ब्याज और दंड को छोड़कर (जिसके लिए कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया) जहां लागू हो) और सुनिश्चियन व परिणाम निर्धारित किए जाने तक प्रतिवादित किए जा रहे हैं।

**(रु. लाख में)**

| विवरण | 01.04.2019 को आरंभिक शेष | वर्ष के दौरान जोड़े गए | वर्ष के दौरान उपयोग किए गए | वर्ष के दौरान हटाए गए | 31 मार्च 2020 को शेष |
|---|---|---|---|---|---|
| *कंपनी को प्राप्त आय कर मांग नोटिस जो अपील के अधीन है | 392.80 | – | | 22.94 | 369.86 |
| **अन्य आकस्मिक देयताओं पर अन्य दावे | 2157.83 | 5394.95 | 1104.30 | – | 6448.48 |
| **सकल योग** | 2550.63 | 5394.95 | 1104.30 | 22.94 | 6818.34 |

* ऊपर दर्शाई गई विवादित मांगें, मांग पर ब्याज को छोड़कर हैं।

अपीलीय प्राधिकारियों के पास कंपनी की अपीलों के मद्देनजर 369.86 लाख रु. की आयकर राशि की विवादित मांग के संबंध में कोई प्रावधान आवश्यक नहीं माना गया है। (पिछले वर्ष के 392.80 लाख रु.) हालाँकि, इसे आकस्मिक देयताओं के तहत ऊपर दर्शाया गया है।

**ख. ''अन्य आकस्मिक देयताओं के संबंध में स्पष्टीकरण विवरण**

क) एटीआर प्रचालनों हेतु विमान लीज़ और अनुरक्षण सहायता करार के तहत **शून्य लाख रुपए** (1104.30 लाख रु.) स्टैंडबाई साख पत्र (एअर इंडिया लि., मूल कम्पनी, की गारंटी पर आधारित)

ख) विदेशी प्रेषण में देरी के कारण विक्रेता द्वारा अपेक्षित ब्याज देयता, 700.00 लाख रु. (पिछले वर्ष के 239.80 लाख रुपए) की राशि को ऋण के रूप में नहीं माना जाएगा। ब्याज दावा वापस लेने के लिए विक्रेता के साथ बातचीत चल रही है।

ग) विविध दावों 5748.48 लाख रु. (813.73 लाख रु.) में

- पीबीएच के आर्डर के लिए और एटीआर और अन्य विदेशी वेंडर द्वारा मरम्मत किए जाने के दावे 1333.08 लाख रु. एएएएल द्वारा स्वीकार नहीं किए गए।
- प्रभारित बिलों हेतु एआईएसएटीएस के 608.12 लाख रु. के दावे जो एमएसए के अनुसार नहीं है, अतः एएएएल द्वारा इसकी गणना नहीं की गई।
- चल रहे कानूनी मामलों के संबंध में 217.06 लाख रु. (149.90 लाख रु.) के अनिश्चित कानूनी दावे।
- एएएएल ने आरसीएस सेक्टर आबंटन के समय एएआई को 1664.22 लाख रु. की बैंक गारंटी जारी की है।
- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ समाधान की प्रक्रिया में 1926.00 लाख रु. के अंतर का पता चला।

### ग) रि–डिलीवरी हेतु प्रावधान

(आंकड़े लाख रु. में)

| विवरण | 31 मार्च, 2020 समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च, 2019 समाप्त वर्ष के लिए |
|---|---|---|
| वर्ष के प्रारंभ में शेष | 1649.18 | 3834.86 |
| वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान | 2441.80 | 756.02 |
| वर्ष के दौरान प्रावधानों पर ब्याज वृद्धि | 144.29 | 0.00 |
| वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि/समायोजन | 0.00 | 2941.69 |
| प्रारंभिक प्रावधान बहाल करने पर विनिमय हानि का प्रभाव | | |
| अंतशेष प्रावधान बहाल करने पर विनिमय हानि का प्रभाव | 419.07 | 0.00 |
| वर्ष के अंत में शेष | 4654.36 | 1649.19 |
| | | |
| वर्ष के अंत में शेष – गैर–चालू | 4654.36 | 1649.19 |
| वर्ष के अंत में शेष – चालू | 0.00 | 0.00 |

* रि–डिलीवरी दायित्व हेतू प्रावधानः कंपनी के बेड़े में, विमान लीज़ पर हैं। लीज़ अनुबंध के तहत संविदात्मक स्वीकृति के अनुसार विमानों को निर्धारित संविदात्मक वापसी शर्तों के तहत लीज़ की अवधि के अंत में रि–डिलीवरी किया जाना है। इंड एएस 116 लीज़ को अपनाने के बाद लीज़ के प्रारंभ होते ही रि–डिलीवरी दायित्वों को ऐतिहासिक रुझानों और डाटा के आधार पर प्रबंधन द्वारा निर्धारित किया जाता है, और जहां मुद्रा का समय मूल्य महत्वपूर्ण होता है वहां अपेक्षित आउटफ्लो के वर्तमान मूल्य पर परिसम्पत्ति के उपयोग के अधिकार पर पूंजीकृत किया जाता है।

## 32. इंड एएस 8 के अनुसार प्रकटीकरण ''लेखा नीति, लेखांकन अनुमान और त्रुटियों में परिवर्तन''

वर्ष के दौरान कंपनी ने प्रस्तुत अपनी तुलनात्मक अवधि यानि 2018–19 के शेष को लाभ और हानि के तुलनात्मक विवरण सहित पुनः घोषित करते हुए 424.32 लाख रु. (निवल) के पूर्वावधि त्रुटि को मान्य किया।

चूंकि त्रुटियां केवल प्रस्तुत की गई तुलनात्मक अवधि से संबंधित हैं, इसलिए इंड एएस 8 के अनुसार, पुनः विवरण केवल तुलनात्मक अवधि में किया गया है।

### क) पूर्वावधि त्रुटि की प्रकृति –

पूर्वावधि की त्रुटि कुछ प्रावधानों की प्रविष्टियों से संबंधित है, जिसे मूल (एयर इंडिया लिमिटेड) ने कंपनी को हस्तांतरित किया था और 2018–19 के लिए कंपनी की पुस्तकों में व्यय के रूप में डेबिट किया था। पार्टियों के साथ व्यापार आधार पर वर्ष 2018–19 में कंपनी द्वारा इन व्ययों को पहले ही डेबिट किया गया था। प्रावधानों के रुप में एअर इंडिया द्वारा स्थानांतरित अतिरिक्त व्यय को पूर्वावधि त्रुटि के रूप में माना जाता है और इंड एएस 8 के अनुसार समायोजन किया गया है।

### ख) शोधन राशि

(आंकड़े लाख रु. में)

| आय/व्यय का शीर्ष | 31.3.2019 को शेष | 31.3.2019 को पुनः कथित शेष | अंतर (पूर्वावधि त्रुटि) |
|---|---|---|---|
| किराया | 725.68 | 327.43 | (398.25) |
| अनुरक्षण | 21084.89 | 21192.59 | 107.69 |

| आय/व्यय का शीर्ष | 31.3.2019 को शेष | 31.3.2019 को पुनः कथित शेष | अंतर (पूर्वावधि त्रुटि) |
|---|---|---|---|
| उड़ान कमिशन और नेविगेशन प्रभार | 2242.85 | 2210.04 | (32.82) |
| आरक्षण प्रणाली पर व्यय | 4001.31 | 3574.05 | (427.26) |
| वेतन | 7247.35 | 7543.37 | 296.02 |
| अन्य कर्मचारी कल्याण | 310.60 | 340.90 | 30.29 |

**33. प्रतिबद्धताएं:**

**क. पूंजीगत एवं अन्य प्रतिबद्धताएं**

पूंजीगत लेखों पर निष्पादित की जाने वाली शेष संविदाओं की अनुमानित राशि का विवरण नीचे दिया गया है:

(आंकड़े लाख रु. में)

| विवरण | 31 मार्च 2020 को | 31 मार्च 2019 को |
|---|---|---|
| इंजन प्रापण प्रतिबद्धताएं | **2355.32** | शून्य |

**ख. अन्य दीर्घकालिक प्रतिबद्धताएं: शून्य**

**34. प्रतिपूर्ति/क्रेडिट**

**एएएएल द्वारा प्राप्त अनुदान**

i) एएएएल संबंधित सरकारी प्राधिकरणों के साथ वीजीएफ व्यवस्था के तहत निम्नलिखित सेक्टरों पर प्रचालन कर रही है :

| संख्या | निम्न के साथ वीजीएफ हस्ता. | सेक्टर |
|---|---|---|
| I | उत्तर–पूर्वी परिषद | उत्तर–पूर्व |
| II | संघशासित –लक्षद्वीप | अगाती |
| III | संघशासित –दमन एवं दीव | दीव |

ii) वीजीएफ मॉडल के आधार पर विमान प्रचालन सेवाएं उपलब्ध करवाने हेतु कम्पनी व संघशासित प्रदेश दमन व दीव के बीच एमओयू किया गया। संघ शासित प्रदेश दमन व दीव के साथ किया गया एमओयू 25.10.2017 तक वैध था। एएएएल द्वारा अभी भी विमान प्रचालन सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं व 25.10.2017 तक वैध एमओयू की शर्तों के अनुसार वीजीएफ राशि का दावा किया जा रहा है तथापि मार्च, 2020 तक उपलब्ध करवाई गई सेवाओं हेतु भुगतान प्राप्त हो चुका है। एमओयू की वैधता 2017–18 व 2018–19 तक बढ़ाने हेतु एएएएल द्वारा दिनांक 16/1/2019 का संघशासित प्रदेश दमन व दीव व दादर नगर हवेली को किया गया अनुरोध कियान्वयन की प्रक्रिया में है।

**35. प्रत्यक्ष सत्यापन व समाधान**

**क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई)**

कंपनी की नीति के अनुसार, संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के भौतिक सत्यापन की द्विवार्षिक प्रक्रिया जो वित्त वर्ष 2019–20 में पूरी होने वाली थी, कोविड–19 की वैश्विक महामारी के कारण पूरी नहीं हो सकी।

**ख) विमान इनवेंटरी का प्रत्यक्ष सत्यापन**

कंपनी की नीति के अनुसार, इनवेंटरी के भौतिक सत्यापन का कार्य जो वित्त वर्ष 2019–20 में पूरा होने वाला था,

कोविड–19 की वैश्विक महामारी के कारण, भौतिक सत्यापन कार्य बाह्य एजेंसियों द्वारा पूरा नहीं किया जा सका। जिसे 2020–21 में एंजेसी द्वारा पूरा कर लिया जाएगा।

ग) **पुष्टि / समाधान**

1) कंपनी ने प्रमुख प्राप्तियों, भुगतानों के लिए शेष राशि की पुष्टि मांगी है। जहां भी पार्टियों द्वारा पुष्टिकृत शेष राशि बहियों के अनुसार सही नहीं है वहां अंतर के समाधान की प्रक्रिया जारी है।

अपुष्टिकृत शेष का विवरण निम्नानुसार सारणीबद्ध है:

(आंकड़े लाख रु. में

| खाता शीर्ष | | | |
|---|---|---|---|
| व्यापार देय | 80937.23 | 9906.72 | 12.24% |
| व्यापार प्राप्य | 7875.55 | 967.86 | 12.00% |

2) टीडीएस और जीएसटी के समाधान को बाह्य व्यवसायिक फर्मों को आउटसोर्स कर दिया गया है और 31 मार्च 2020 को दिखाई गई राशि दाखिल किए गए रिटर्न के अनुकूल है।

3) 31 मार्च 2020 को शेष पुष्टिकरण प्रमाण पत्र सभी विक्रेताओं और ग्राहकों को भेज दिए गए हैं। विक्रेताओं के मामले में कुल राशि के मामले में 93% से पुष्टि प्राप्त हो गई है और ग्राहकों के मामले में सभी पार्टियां सरकारी विभाग / मंत्रालय हैं और 31 मार्च 2020 तक कुल देय राशि का 88% की पुष्टि है। 2020–21 में ग्राहक से कुल देय में से 95% राशि प्राप्त हुई है।

4) कुछ मिलान नहीं हुए प्राप्य और देय का जिसमें स्पेंस / कंट्रोल खाता और कर्मचारियों से संबंधित खाते शामिल हैं। सामंजस्य और मिलान की प्रक्रिया जारी है। प्रभाव यदि कोई हो या समाधान, के परिणाम स्वरुप अनुकूलन, चाहे महत्वहीन, यदि कोई हो को समाधान पूर्व होने के वर्ष में देखा जाएगा।

## 36. आंतरिक नियंत्रण

कंपनी द्वारा आंतरिक लेखा परीक्षा प्रक्रिया को सुदृढ़ करने हेतु कदम उठाए गए है ताकि न्यूनतम लेखा कार्यक्रम में निहित सभी क्षेत्रों को सम्मिलित करना सुनिश्चित किया जा सके तथा सभी स्टेशनों, क्षेत्रीय कार्यालयों, में प्रभावी आंतरिक नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके। इसके अनुपालन हेतु, यदि कोई आवश्यक हो, तो सिस्टम में सुधार हेतू सुझाव देने के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा करने के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की स्वतंत्र फर्म को नियुक्त किया गया है। आंतरिक लेखा परीक्षक के दायरे की समय–समय पर प्रबंधन द्वारा समीक्षा की जाती है ताकि स्टेशनों, क्षेत्रीय कार्यालयों और उपयोगकर्ता विभागों और एसएपी में लेनदेन की एक समान और समयबद्ध लेखा प्रविष्टियों के लिए प्रभावी आंतरिक नियंत्रण को सुनिश्चित किया जा सके।

कंपनी द्वारा 2019–20 में स्वतंत्र व्यवसायिक फर्म की भी नियुक्ति की है साथ ही कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को और मजबूत करने के लिए मौजूदा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (IFC) को मूल्यांकन हेतू वर्ष 2019–20 की रिपोर्ट भी कंपनी को सौंप दी गई है।

## 37. इनवेंटरी

1. इनवेंटरी में मुख्य रूप से विमान पुर्जे और उपभोग्य सामग्रियां और एटीआर विमानों के उपकरण शामिल हैं। एटीआर विमानों में विशेष उपयोग के लिए पुर्जों को एआईएल (एअर इंडिया लिमिटेड) एमएमडी विभाग के माध्यम से खरीदा जा रहा है और रैमको नामक इनवेंटरी प्रबंधन प्रणाली की मदद से रिकॉर्ड किया जाता है, जिसका उपयोग एआईएल द्वारा मेंनटेन की जाने वाली संपूर्ण एअर इंडिया समूह की कंपनियों की इनवेंटरी को खरीदने, नियंत्रित करने, जारी करने और प्रबंधित करने के लिए भी किया जाता है। उपभोग्य सामग्रियों सहित इनवेंटरी के लिए, जिसका उपयोग आमतौर पर एटीआर, एयरबस और बोईंग विमान के लिए किया जा सकता है एआईएल द्वारा या एएएएल द्वारा खरीदे

जा रहे हैं। उपभोग और अंतशेष स्टॉक का पता रैमको सिस्टम से तैयार रिपोर्ट के आधार पर लगाया जाता है और यह एअर इंडिया समूह की समस्त कंपनियों के लिए वैश्विक समाधान पर आधारित है। अगस्त 2018 में रैमको और सैप के बीच इंटरफेस स्थापित हुआ, जिससे संबंधित कंपनियों को इनवेंटरी का सही आबंटन सुनिश्चित किया गया, इस प्रकार, इनवेंटरी सिस्टम और अकाउंटिंग सिस्टम के बीच मैनुअल हस्तक्षेप के कारण होने वाली त्रुटियों को कम किया गया। एआईएल से प्राप्त एडवाइस और एसएपी में मैनुअल और एकीकृत प्रविष्टियों के समाधान के आधार पर, सैप की तुलना में विभिन्न इनवेंटरी समूहों के तहत समाधान अंतर, प्रक्रियाधीन है।

2. रैमको, सभी इंजीनियरिंग मदों के लिए व्यापक रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल प्रणाली है। यह प्रणाली मुख्य रूप से एमआरओ प्रचालन के लिए थी और इसलिए मूल डिजाइन प्रणाली के अनुसार इसे इस प्रकार कॉन्फ़िगर किया गया था कि सभी लेनदेन को एक ही प्रचालन इकाई (ओयू) अर्थात एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड में बुक व लेखांकित किया जाएगा। परंतु इस प्रणाली को लागू करने के पश्चात प्रबंधन ने सभी इनवेंटरी और संबंधित लेनदेन को संबंधित एयरलाइंस में बुक करने का निर्णय लिया। इसलिए संबंधित एयरलाइंस में एक ही ओयू (एआईईएसएल द्वारा प्रचालित) में होने वाले लेनदेन को अलग करना एक चुनौती थी।

आवश्यकतानुसार, संबंधित एयरलाइंस को हस्तांतरण के लिए एआईईएसएल में बुक किए गए लेन–देन का मैनुअल पृथक्करण शुरू किया गया। यह एयरलाइन वार लेन–देन के बेमेल की शुरुआत थी।

चूंकि लेन–देन एक ही ओयू में किया जाता है और उसे मैनुअल रूप से अलग–अलग किया जाता है, व बुक बैलेंस के साथ सिस्टम बैलेंस को मैच करने के लिए प्रति वर्ष के अंत में विश्व स्तर पर समाधान की आवश्यकता होती है।

उपरोक्त बेमेल से बचने के लिए, रैमको द्वारा उत्तम कार्यक्षमता लागू की गई है ताकि संबंधित एयरलाइंस में लेनदेन सही तरीके से बुक हो जाए। इसके अलावा, इस प्रयोजन के लिए संबंधित आंतरिक एयरलाइंस के लिए आवश्यक सभी इनवेंटरी आइटम की पहचान की गई है और उन्हें रैमको सिस्टम में संबंधित एयरलाइंस में स्थानांतरित कर दिया गया है। इस कार्यक्षमता को 2018–19 के दौरान लागू किया गया व इसके कार्यान्वयन हेतु रैमको द्वारा सभी आवश्यक परिवर्तन किए गए थे और सिस्टम को पुनः कॉन्फ़िगर करने के लिए रैमको द्वारा वर्ष के दौरान किए गए परिवर्तनों के कारण रैमको प्रणाली की तुलना में SAP में दिखने वाले मूल्यों में 1226 लाख रु. का अंतर हैं जिसमें से 628 लाख रु. को 2020–21 में समायोजित किया गया है। 598 लाख रु. शेष राशि को अग्रिम या स्टॉक में, लाभ और हानि खाते को प्रभावित किए बिना समायोजित किया जाना है।

वर्ष के दौरान, रैमको और एसएपी के बीच लंबे समय से लंबित इंटरफ़ेस को भी लागू किया गया ताकि रैमको में होने वाले सभी लेनदेन अब सीधे एसएपी में हों सकें। इनवेंटरी और अन्य खातों में उपरोक्तानुसार कुछ विसंगतियां हैं, जो एकल ओयू डिजाइन और एसएपी के साथ गैर इंटरफ़ेस के कारण रैमको के कार्यान्वयन के बाद से उत्पन्न हुई हैं। 2020–21 के दौरान ऐसी विसंगतियों के प्रभाव का पता लगाया जाएगा व आवश्यक रीग्रूपिंग की जाएगी।

3. **शून्य लाख रु.** (पिछले वर्ष 20.70 लाख रु.) की राशि के मार्गस्थ माल में हाई सी, सीमा शुल्क विभाग के पास तथा जांच के लिए लंबित मदें जिन्हें एअर इंडिया लि. के प्रमाणन के आधार पर लिया गया है।

4. रैमको में सीमा शुल्क, मालाभाड़ा और आकस्मिक व्यय को लेनदेन के स्तर के बजाय ब्लॉक स्तर पर किया जाता है। वर्ष के अंत में, मालभाड़ा शुल्क व बीमा को वर्ष के दौरान इनवेंटरी की खपत के लिए इनवेंटरी को बंद करने के अनुपात के आधार पर निकाला जाता है। विमान पूर्जों पर चुकाया गया अनाबंटित सीमा शुल्क इनवेंटरी के तहत दिखाया गया है।

## 38 एयरपोर्ट ऑपरेटरों के साथ समाधान की स्थिति

1) बीआईएएल, डीआईएएल, एचआईएएल और एमआईएएल के साथ खातों का समाधान 31.03.2020 तक कर लिया गया है।

2) अतिदेय राशि पर ब्याज दावे से संबंधित वस्तुस्थिति किसी भी निजी एयरपोर्ट ऑप्रेटरों से प्राप्त नहीं हुई है। चालू वर्ष के दौरान एअर इंडिया प्रबंधन ने इस मद पर उनके द्वारा खर्च की गई वास्तविक वित्त लागत के आधार पर, निजी ऑप्रेटर की ब्याज दर तय करने के लिए एक बाह्य व्यावसायिक फर्म की सेवाएं ली हैं और नीजी प्रचालन से समाधान व पुष्टि के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। एलाइंस एअर इस संबंध में एअर इंडिया द्वारा लिए गए निर्णय का पालन करेगी। स्वीकृति मिलने पर, एअर इंडिया, एलाइंस एअर द्वारा अतिदेय राशि पर ब्याज के खाते में दावा भी एअर इंडिया के अनुरूप पुस्तकों में स्वीकार करेगा।

3) अंतिम रूप देने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के साथ बकाया राशि का समाधान जारी है। तथापि वर्ष 2019–20 के दौरान वित्तीय वर्ष 2018–19 और वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ सामंजस्य पूर्ण हो गया है। वित्त वर्ष 2018–19 से पहले, पिछले वर्षों के लिए समाधान की समान प्रक्रिया भी प्रगति पर है।

4) एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड के खातों के अनुसार 31 मार्च 2020 को एएआई को 4345.50 लाख रु. (पिछले वर्ष 4295.40 लाख रु.) की राशि देय थी। लैंडिंग, पार्किंग और देय अन्य शुल्कों का लेखांकन प्राप्त बिलों के अनुसार किया गया है और तदन्तर प्राप्त बिल के आधार पर प्रावधान वास्तविक आधार पर किए गए हैं।

5) एएआई और एआईएल व सहायक कंपनियों के बीच 1 जनवरी, 2019 से प्रभावी होने वाले अम्बरैला समझौते पर हस्ताक्षर हो गए हैं, जिसमें एआईएल और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा अधिकृत स्थान व लागू किराए दर निर्दिष्ट होगें। चार स्टेशनों हेतु, अम्बरैला समझौते के अनुसार संशोधित दर की प्रयोज्यता के कारण होने वाला क्रेडिट नोट प्राप्त नहीं हुआ है (हालांकि राशि अग्रिम नहीं है), इसलिए इस पर विचार नहीं किया गया है

6) एएएएल ने अक्टूबर 2017 से शिरडी एयरपोर्ट पर प्रचालन आरंभ किया। शिरडी एयरपोर्ट महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (महाराष्ट्र सरकार का उपक्रम) द्वारा नियंत्रित एक छोटा एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट ऑपरेटर के साथ समझौते की प्रक्रिया जारी है। स्थान/बिजली और और पीएसएफ/एएसएफ के लिए प्राप्त बिल बुक कर लिए गए हैं, तथापि समझौते को अंतिम रूप देने के बाद, भुगतान प्रारंभ किया जाएगा।

## 39. सेगमेंट रिपोर्टिंगः

क. इंड एएस–108 के अनुसार, कंपनी एयरलाइन से संबंधित व्यवसाय में है, जो इसका प्राथमिक व्यवसाय सेगमेंट खंड है और इसलिए सेगमेंट के परिणाम अलग से प्रकट नहीं किए गए हैं। भौगोलिक क्षेत्रवार अर्जित सकल यात्री राजस्व का विवरण (जिस क्षेत्र से यात्री ने यात्रा प्रारंभ की है, उस क्षेत्र में राजस्व आवंटित करके व्युत्पन्न) निम्नानुसार हैं:

| विवरण | वित्तीय वर्ष 2019–20 | वित्तीय वर्ष 2018–19 |
|---|---|---|
| भारत | 99080.51 | 82161.19 |
| भारत से बाहर | 222.36 | 00.00 |
| कुल | **99302.87** | **82161.19** |

ख) कंपनी की प्रमुख राजस्व आय परिसंपत्ति, विमान बेड़ा है, जो कम्पनी के रूट नेटवर्क में लचीले और अनुकूलतम रूप से तैनात है। भौगोलिक सेगमेंट में परिसंपत्तियों और देयताओं के आवंटन के लिए कोई उपयुक्त आधार नहीं है, इसके परिणामस्वरूप, क्षेत्रवार संपत्तियों और देनदारियों का खुलासा नहीं किया गया है।

## 40. संबंधित पार्टी द्वारा किया गया लेनदेन

भारतीय लेखा मानक (इंड एएस –24) के अनुसार वर्ष 2019–20 के दौरान आवश्यक संबंधित पार्टियों के नाम और पदनामों का विवरण नीचे दिया गया है।

## 1. प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी और संबंधी

### प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ लेन–देन

i) प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों को पारिश्रमिक के अलावा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ कोई लेन–देन नहीं है।

ii) प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी और संबंधी

क. निदेशक मंडल, एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड (एएएएल) (पूर्व में एयरलाइन एलाइड सर्विसेस लिमिटेड) (वित्तीय वर्ष 2019–20 की अवधि से आज तक)

| क्र.सं. | पदनाम | पदनाम | नियुक्ति की तारीख | समापन की तिथि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री अश्विनी लोहानी<br>अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एअर इंडिया लि. | अध्यक्ष | 14/02/2019 | 14/02/2020 |
| 2 | श्री राजीव बंसल<br>अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एअर इंडिया लि. | अध्यक्ष | 14/02/2020 | आज तक |
| 3 | श्री विनोद एस. हेजमाड़ी<br>निदेशक (वित्त) एअर इंडिया लि. | निदेशक | 20/11/2015 | आज तक |
| 4 | श्री पंकज कुमार<br>क्षेत्रीय निदेशक (उत्तरी क्षेत्र), एअर इंडिया लि. | निदेशक | 30/08/2019 | 01/05/2019 |
| 5 | श्री प्रेम सिंह नेगी<br>क्षेत्रीय निदेशक (उत्तरी क्षेत्र) एअर इंडिया लि. | निदेशक | 07/10/2019 | आज तक |
| 6 | श्री अंशुमाली रस्तोगी<br>निदेशक (वित्त), नागर विमानन मंत्रालय | निदेशक | 12/05/2017 | 20/01/2020 |
| 7 | श्री प्रांजोल चन्द्रा<br>निदेशक, नागर विमानन मंत्रालय | निदेशक | 31/08/2018 | आज तक |
| 8 | श्रीमती कुसुमलता शर्मा<br>निदेशक (वित्त), नागर विमानन मंत्रालय | निदेशक | 20/01/2020 | आज तक |

### ख. प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी और संबंधी

| क्र.सं. | प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के नाम | पदनाम |
|---|---|---|
| 1. | श्री सी. एस. सुब्बैया | मुख्य कार्यपालक अधिकारी |
| 2. | श्री अम्बर कुमार मंडल | मुख्य वित्तीय अधिकारी |
| 3. | श्री कमल राउल | मुख्य वित्तीय अधिकारी |
| 4. | सुश्री मंजिरी एम. वझे | कम्पनी सचिव |

### ग. संबंधित पार्टियां:

i. इंड एएस 24 के संदर्भ में, निम्नलिखित संबंधित पार्टियां हैं जो पार्टियां (सरकार) हैं यानी महत्वपूर्ण रूप से नियंत्रित और प्रभावित संस्थाएं (भारत सरकार):

| नाम | संबंधों की प्रकृति | नियंत्रण प्रभाव |
|---|---|---|
| एअर इंडिया लिमिटेड | होल्डिंग कम्पनी | कंपनी पर नियंत्रण रखने वाली इकाई |
| एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड | एअर इंडिया के सहयोगी | इकाई का कम्पनी पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है। |
| एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट लिमिटेड | एअर इंडिया के सहयोगी | इकाई का कम्पनी पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है। |
| भारतीय होटल निगम | एअर इंडिया के सहयोगी | इकाई का कम्पनी पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है। |
| एअर इंडिया एक्सप्रैस लिमिटेड | एअर इंडिया के सहयोगी | इकाई का कम्पनी पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है। |

**ii) पार्टी (सरकार के अलावा)**

| एअर इंडिया सैट्स | एअर इंडिया के सहयोगी | इकाई का कम्पनी पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है। |
|---|---|---|

**घ. संबंधित पार्टी लेनदेन**

i. वर्ष 2018–19 के दौरान, एअर इंडिया लिमिटेड (होल्डिंग कंपनी) और एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड (एएएएल) (पूर्व में एयरलाइन एलाइड सर्विसेस लिमिटेड) के बीच दिनांक 19.11.2018 को मास्टर सेवा समझौते (MSA) पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते में दोनों पक्षों द्वारा एक–दूसरे को प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं की संपूर्ण सूची है। इस समझौते में इनवॉइस को प्रस्तुत करने का आधार भी विस्तृत रूप में दिया गया है।

एमएसए की शर्तों के अनुसार, मूल कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के इनवॉइस के साथ सहायक दस्तावेज़ होने चाहिए, तथापि एमएसए के अनुसार कुछ व्ययों को मूल/सहयोगी कंपनियों से प्राप्त एडवॉइस के आधार पर उपलब्ध किया गया है।

एएएएल और एआईएल/अन्य सहायक कंपनियों के बीच मास्टर सर्विस एग्रीमेंट (एमएसए) के कार्यान्वयन के लिए यह पहला वर्ष है, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जिनमें दोनों पक्षों द्वारा आगे सुधार/स्पष्टीकरण की आवश्यकता है (होल्डिंग कंपनी की स्वीकृति) जैसे जीएसटी/करों का लागू होना, ब्याज। एआईएल की ओर से नाबालिग और शिशु यात्रियों के संबंध में एएएएल द्वारा प्रदान की गई कोड शेयर सेवाओं के दावों की गणना एमएसए में बताई गई दरों के अलावा की जाती है। एमएसए में उल्लिखित राशि से एएएएल के यात्रियों से वसूल की गई अधिक राशि को एआईएल का राजस्व माना जाता है। कोड शेयर सेवाओं का दावे की गणना जीएसटी, ईबीटी विक्रय आदि को चार्ज किए बिना की जाती है, नो शो व रद्दकरण प्रभार इत्यादि कुछ अन्य मुद्दे हैं, जिनमें बेहतर प्रस्तुति और पारदर्शिता के लिए कम्पनियां एमएसए की शर्तों को स्पष्ट/संशोधित करने की प्रक्रिया में है। कंपनी के परिणाम पर इसके प्रभाव का आंकलन अभी नहीं किया जा सकता, इसलिए प्रावधान नहीं किया गया है।

एअर इंडिया लिमिटेड के खातों में एएएएल के प्रारंभिक और अंतिम शेष के औसत ब्याज की @ 9% गणना की गई है।

अतिरिक्त सामान विक्रय नो शो प्रभार, रद्दकरण के संबंध में एएएएल ने एआई और एएएएल के सक्षम प्राधिकारी की विशिष्ट स्वीकृति के आधार पर 766.17 लाख रु. व 1734.67 लाख रुपये के राजस्व की गणना की है।

ii वर्ष 2019–20 के दौरान, मुख्य कार्यपालक अधिकारी को 25.19 लाख रुपये एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी को 17.13 लाख रुपये से पारिश्रमिक और अनुलब्धियों को छोड़कर प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के साथ कोई लेनदेन नहीं है।

iii. एयरलाइन व्यवसाय के सामान्य क्रियाकलापों में एयरलाइन से संबंधित सेवाएं प्रदान करने जैसे लेनदेन उपरोक्त में शामिल नहीं हैं।

iv. वर्ष के अंत में कंपनी के निदेशकों या अधिकारियों या उनके रिश्तेदारों के साथ कोई ऋण या क्रेडिट लेनदेन बकाया नहीं था।

v. इंड एएस 24 के संबंध में, कुछ सरकारी संबंधित संस्थाओं यानी महत्वपूर्ण रूप से नियंत्रित और प्रभावित संस्थाएं (भारत सरकार) और गैर सरकारी संबंधित पार्टियों के साथ लेनदेन से संबंधित प्रकटीकरण आवश्यकताएं निम्नलिखित हैं।

## ड. लेनदेन विवरण – संबंधित पार्टी

### मूल कंपनी एअर इंडिया लिमिटेड

| क्र. सं. | संस्थाओं का नाम और लेनदेन की प्रकृति | | 2019–20 (राशि लाख रुपये में) | 2018–19 (राशि लाख रुपये में) |
|---|---|---|---|---|
| | **क) एअर इंडिया लि. प्रारंभिक शेष (क्रेडिट)** | **क** | **166819.67** | **154261.66** |
| | व्यय / डेबिट प्राप्त हुआ | | | |
| | **I दी गई सेवा के लिए डेबिट** | **ख** | **62606.82** | **71018.52** |
| | बैंक से निधि अंतरण | | 53236.40 | 58671.05 |
| | विदेशी वेंडरों को भुगतान | | 3709.39 | 8801.28 |
| | भारतीय वेंडरों को भुगतान | | 6325.50 | 4339.53 |
| | एआईएल द्वारा एएएएल हेतु भुगतान (प्रावधान के माध्यम से बुक व्यय) | | (300.23) | 2246.58 |
| | इनवेंटरी व्यय | | (13.45) | (3162.34) |
| | पूर्व अवधि | | (396.97) | 67.76 |
| | स्थायी परिसम्पत्तियां | | 0.00 | 3.05 |
| | एसएपी रखरखाव | | 46.18 | 51.61 |
| | **II सेवाएं प्रदान की गईं** | **ग** | **1259.12** | **1348.59** |
| | हैंडलिंग | | 770.52 | 828.10 |
| | एसओडी | | 248.88 | 299.99 |
| | कर्मचारी प्रशिक्षण व्यय (प्रावधान के माध्यम से बुक किए गए) | | 11.99 | 12.38 |
| | निगमित गारंटी प्रभार | | 227.72 | 208.13 |
| | **III एआईएल द्वारा प्रभारित ब्याज** | घ | **14462.55** | **13826.47** |
| | **IV मानवशक्ति बिलिंग** (एआईएल कार्मिकों का वेतन जो एएएएल में कार्यरत है) | ड. | **95.64** | **122.96** |
| | **जीएसटी और टीडीएस** | च | **972.22** | **724.14** |
| | **एअर इंडिया द्वारा वसूला गया जीएसटी** | | 1128.36 | 835.63 |
| | **एआईएल बिलिंग पर एएएएल द्वारा काटा गया टीडीएस** | | (156.14) | (111.48) |
| | **राजस्व/क्रेडिट प्राप्त** | | | |
| | **I राजस्व** | छ | **77094.61** | **74294.42** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | यातायात राजस्व | | 71269.97 | 69196.18 |
| | जेएन कर/जीएसटी | | 3014.50 | 3033.10 |
| | कमीशन | | (874.83) | (981.27) |
| | पीएसएफ/यूडीएफ (क्रेडिट) | | 3684.97 | 3046.40 |
| | **II बिलिंग** | **ज** | **88.46** | **188.25** |
| | मानव शक्ति बिलिंग<br>एएएएल कार्मिकों का वेतन जो एअर इंडिया लि. में कार्यरत है | | 47.69 | 124.80 |
| | एसओडी बिलिंग | | 34.69 | 39.60 |
| | एएएएल द्वारा वसूला गया जीएसटी | | 10.32 | 24.47 |
| | एएएएल बिलिंग पर एअर इंडिया द्वारा काटा गया टीडीएस | | (4.23) | (0.62) |
| | निवल ज= (ख+ग+घ+ड+च–छ–ज) | झ | **2213.29** | **12558.01** |
| | अंतशेष (क्रेडिट) ण= (क+झ) | ण | **169032.96** | **166819.67** |
| नोट | एएएएल की ओर से एआईएल द्वारा दी गई निगमित गारंटी। | | 45544.28 | 41625.78 |

| **ख) एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड (एआईईएसएल)** | **2019–20 (राशि लाख रुपये में)** | **2018–19 (राशि लाख रुपये में)** |
|---|---|---|
| **प्रारंभिक शेष (क्रेडिट)** | **2023.12** | **(4832.81)** |
| व्यय | 9848.46 | 6422.81 |
| मरम्मत अन्य | | |
| जीएसटी | 996.71 | 1156.23 |
| टीडीएस | (937.84) | (658.35) |
| एसओडी बिलिंग (राजस्व) | (197.91) | (65.26) |
| **अंतशेष (क्रेडिट)** | 11732.55 | **2023.12** |
| प्रावधानों के माध्यम से बुक किए गए बिल | **1369.82** | 5359.82 |
| प्राप्य | (0.00) | (94.22) |

| **ग) एअर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड (एआईएटीएसएल)** | **2019–20 (राशि लाख रुपये में)** | **2018–19 (राशि लाख रुपये में)** |
|---|---|---|
| **प्रारंभिक शेष (क्रेडिट)** | **5228.74** | **2302.36** |
| व्यय | 2036.06 | 2640.12 |
| हैंडलिंग प्रभार | | |
| जीएसटी | 427.94 | 449.65 |
| टीडीएस | (47.55) | (64.17) |
| भुगतान किया गया | - | - |

| | | |
|---|---|---|
| क्रेडिट प्राप्त हुआ | - | (89.35) |
| क्षति के लिए राशि का दावा | | |
| एसओडी बिलिंग | (11.25) | (9.87) |
| **अंतशेष** | **7633.94** | **5228.74** |
| प्रावधानों के माध्यम से बुक किए गए (बिलिंग एवं ब्याज) | 876.94 | 502.42 |
| प्राप्य के माध्यम से बुक किए गए | - | (518.05) |

| घ) एअर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड | 2019–20 (राशि लाख रुपये में) | 2018–19 (राशि लाख रुपये में) |
|---|---|---|
| **प्रारंभिक शेष** | **(1.44)** | **1.06** |
| इनवेंटरी का स्थानांतरण | 4.19 | 2.57 |
| एसओडी बिलिंग | 3.14 | (5.07) |
| अंतशेष (क्रेडिट) | **5.89** | **(1.44)** |

| ड.) एअर इंडिया सैट्स एयरपोर्ट सर्विसेस प्रा. लिमिटेड | 2019–20 (राशि लाख रुपये में) | 2018–19 (राशि लाख रुपये में) |
|---|---|---|
| **प्रारंभिक शेष (क्रेडिट)** | **1858.95** | **771.19** |
| **व्यय** | 987.84 | 937.72 |
| हैंडलिंग प्रभार | | |
| जीएसटी | 174.23 | 168.79 |
| टीडीएस | (19.36) | (18.75) |
| भुगतान किया गया | - | - |
| **अंतशेष (क्रेडिट) '** | **3001.66** | **1858.95** |
| **प्रावधानों के माध्यम से बुक किए गए बिल** | **-** | **20.24** |

*आकस्मिक देयताओं में 608.12 लाख रु. की राशि गैर समाधान राशि का प्रावधान किया गया है।

| च) होटल कारपोरेशन ऑफ इंडिया | 2019–20 (राशि लाख रुपये में) | 2018–19 (राशि लाख रुपये में) |
|---|---|---|
| **प्रारंभिक शेष (क्रेडिट)** | **16.26** | **0.31** |
| **व्यय** | 46.87 | 32.89 |
| जीएसटी | 6.21 | - |
| टीडीएस | (4.68) | - |
| भुगतान | (22.07) | (16.93) |
| **अंतशेष बकाया (क्रेडिट)** | **` 42.59** | **` 16.26** |

### (2) भविष्य निधि ट्रस्ट के साथ लेन–देन

| विवरण | 2019–20 | | 2018–19 | |
|---|---|---|---|---|
| | वर्ष के दौरान पीएफ योगदान | 31.3.2020 को देय | वर्ष के दौरान पीएफ योगदान | 31.3.2019 को बकाया |
| एएएसएल पीएफ ट्रस्ट | **121.37** | **84.85** | **104.00** | **शून्य** |

### (3) संबंधित सरकारी संस्थाओं से प्रमुख लेनदेन

संबंधित सरकारी संस्थाओं के साथ कंपनी के राजस्व और व्यय के प्रमुख लेनदेन का विवरण निम्नानुसार दिया गया है:

(राशि लाख रु. में)

| क्र.सं. | इकाई का नाम | 2019-20 | 2018-19 |
|---|---|---|---|
| | **व्यय** | | |
| i) | भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (स्थान सहित) | **2557.88** | 2516.70 |
| ii) | तेल कंपनियाँ | | |
| | इंडियन ऑयल कंपनी लिमिटेड | **11862.00** | 13682.40 |
| | हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड | **4113.52** | 4062.70 |
| | भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड | **3159.45** | 2575.10 |
| | **राजस्व** | | |
| i) | **सरकार से प्रचालन हेतु सब्सिडी** | | |
| | भारत सरकार | **23889.22** | 12254.28 |
| ii) | **चार्टर राजस्व – अन्य** | | |
| | भारत सरकार | **219.59** | **174.20** |

**नोट :** सरकार/सरकारी संबंधित संस्थाओं के साथ उपरोक्त लेन–देन में वे लेन–देन शामिल हैं जो व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। कंपनी ने, अन्य सरकार संबंधित संस्थाओं के साथ भी अन्य लेनदेन किया है। तथापि, ये लेनदेन व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से महत्वहीन हैं और इसलिए इसका उल्लेख नहीं किया गया है।

## 41. कर्मचारी लाभ

कंपनी भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा जारी इंड एएस 19 के अनुसार, स्वतंत्र एक्चूरीज़ द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर तुलन पत्र तिथि के अनुसार ग्रेच्यूटी और छुट्टी नकदीकरण के रूप में सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करती है।

क. सेवानिवृत्ति के समय अधिकतम 300 दिनों की प्राधिकार छुट्टी का नकदीकरण सभी योग्य कर्मचारियों को देय है। मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए नगदीकरण देयता **53.24 लाख रु.** (55.00 लाख रु. है।)

ख. परिभाषित लाभ योजना–

#### 1) भविष्य निधि (फंडेड)

कंपनी पूर्वनिर्धारित दरों पर एक अलग ट्रस्ट को भविष्य निधि में निश्चित योगदान का भुगतान करती है, जो अनुमत प्रतिभूतियों में धन का निवेश करती है। कंपनी का दायित्व है कि वह सदस्यों को भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम दर का भुगतान सुनिश्चित करे।

कंपनी ने 31.03.2020 तक ऐसे मामले में भविष्य निधि के मूल्यांकन के लिए एक्च्यूरी रिपोर्ट प्राप्त नहीं की है और आशा है कि इस तरह का मूल्यांकन अगले वर्ष यानी 2020–21 से किया जाएगा। वर्तमान में ऐसे ट्रस्ट को इस अंशदान को लाभ और हानि खाता में निम्नानुसार प्रभारित किया गया है जो इस प्रकार है:

भविष्य निधि **121.37 लाख रु.** (पिछला वर्ष 104.00 लाख रुपए)

### 2) ग्रेच्यूटी (अनफंडेड)

कंपनी की भारत में एक परिभाषित लाभ ग्रेच्यूटी योजना है (अनफंडेड)। कंपनी की परिभाषित लाभ ग्रेच्यूटी योजना कर्मचारियों के लिए अंतिम वेतन योजना है, जिसके लिए अलग से प्रशासित निधि में योगदान की आवश्यकता होती है। ग्रेच्यूटी का भुगतान कंपनी द्वारा देय होने पर और कम्पनी योजना के अनुसार किया जाता है। वर्ष के दौरान कोई योजना संशोधन, कटौती और समझौते नहीं थे।

### निवल परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/देयता में परिवर्तन

क) परिभाषित लाभ दायित्व के शेष का समाधान

**2.1 (क) दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन को सारणी में दर्शाया गया है।**

| अवधि | 01–04–2019 से 31–03–2020 | 01–04–2018 से 31–03–2019 |
|---|---|---|
| अवधि के आरंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य | 4,25,78,367 | 3,79,90,231 |
| ब्याज लागत | 29,80,486 | 29,44,243 |
| चालू सेवा लागत | 72,30,939 | 50,36,820 |
| पूर्व सेवा लागत | 0 | 0 |
| लाभ भुगतान (अन्य कोई) | (21,57,946) | (15,26,495) |
| एक्चूरियल (लाभ)/हानि | 61,46,303 | (18,66,432) |
| अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य | 5,67,78,149 | 4,25,78,367 |

**2.1 (ख) देयताओं पर कुल** एक्चूरियल (लाभ)/हानि का विभाजन

| अवधि | 01–04–2019 से 31–03–2020 | 01–04–2018 से 31–03–2019 |
|---|---|---|
| जनसांख्यिकी मान्यताओं में परिवर्तन (मृत्यु दर) से एक्चूरियल (लाभ)/हानि | **लागू नहीं** | **लागू नहीं** |
| वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से एक्चूरियल (लाभ)/हानि | 45,79,712 | 0 |
| योजना देयताएं हेतु अनुभव समायोजन (लाभ)/हानि | 15,66,591 | (18,66,432) |
| अन्य व्यापक आय में मान्य कुल राशि | 61,46,303 | (18,66,432) |

**2.2 प्रमुख परिणाम (तुलन पत्र में मान्य राशि)**

| अवधि | 31–03–2020 तक | 31–03–2019 तक |
|---|---|---|
| अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य | 5,67,78,149 | 4,25,78,367 |
| अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य | 0 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| कुल देयताएं/(परिसंपत्ति) तुलन पत्र में मान्य और संबंधित विश्लेषण | 5,67,78,149 | 4,25,78,367 |
| वित्तीय स्थिति – अधिशेष/(घाटा) | (5,67,78,149) | (4,25,78,367) |

### 2.3 (क) लाभ और हानि विवरणी में मान्य व्यय

| अवधि | 01–04–2019 से 31–03–2020 तक | 01–04–2018 से 31–03–2019 तक |
|---|---|---|
| ब्याज लागत | 29,80,486 | 29,44,243 |
| चालू सेवा लागत | 72,30,939 | 50,36,820 |
| पूर्व सेवा लागत | 0 | 0 |
| योजना परिसंपत्ति पर अपेक्षित रिर्टन | (0) | (0) |
| लाभ एवं हानि में व्ययों को मान्य करना | 1,02,11,425 | 79,81,063 |

### 2.3 (ख) अन्य व्यापक (आय)/व्यय (पुनःमापन)

| अवधि | 01–04–2019 से 31–03–2020 | 01–04–2018 से 31–03–2019 |
|---|---|---|
| संचित मान्य एक्चूरियल (लाभ)/हानि आरंभिक शेष अग्रेषित | (1,94,62,483) | (1,75,96,051) |
| एक्चूरियल (लाभ)/हानि – दायित्व | 61,46,303 | (18,66,432) |
| एक्चूरियल (लाभ)/हानि – योजना परिसम्पत्तियां | 0 | 0 |
| कुल एक्चूरियल (लाभ)/हानि | 61,46,303 | (18,66,432) |
| कुल संचित एक्चूरियल (लाभ)/हानि | (1,33,16,180) | (1,94,62,483) |

### 2.3 (ग) निवल ब्याज लागत

| अवधि | 01–04–2019 से 31–03–2020 | 01–04–2018 से 31–03–2019 |
|---|---|---|
| निर्धारित लाभ दायित्व पर ब्याज लागत | 29,80,486 | 29,44,243 |
| योजना परिसम्पत्तियों पर ब्याज आय | 0 | 0 |
| निवल ब्याज लागत (आय) | 29,80,486 | 29,44,243 |

### 2.4 अनुभव समायोजन

| अवधि | 01–04–2019 से 31–03–2020 | 01–04–2018 से 31–03–2019 |
|---|---|---|
| योजना देयताएं हेतु अनुभव समायोजन (लाभ)/हानि | 15,66,591 | (18,66,432) |
| योजना परिसम्पत्तियों हेतु अनुभव समायोजन लाभ/(हानि) | 0 | 0 |

### 3.1 मूल्यांकन की तिथि को सदस्यता डाटा और उसके आधार पर सांख्यिकी का सारांश

| अवधि | 31–03–2020 को | 31–03–2019 को |
|---|---|---|
| कर्मचारियों की संख्या | 738 | 556 |
| कुल मासिक वेतन | 1,24,79,119 | 93,84,094 |

| | | |
|---|---|---|
| औसतन विगत सेवाएं (वर्ष) | 6.4 | 7.5 |
| औसतन भावी सेवाएं (वर्ष) | 24.9 | 24.1 |
| औसत आयु (वर्ष) | 35.1 | 35.9 |
| वर्षों में भारित औसत अवधि (रियायती नकदी प्रवाह के आधार पर) | 17 | 17 |
| औसत मासिक वेतन | 16,909 | 16,878 |

**3.2 कंपनी द्वारा प्रदान की गई एक्च्यूरियल मान्यताएं और गणनाओं के लिए लागू निम्नानुसार हैं:**

| | | |
|---|---|---|
| डिस्काउंट दर | 7.00% प्रति वर्ष | 7.75% प्रति वर्ष |
| वेतन वृद्धि दर | 8.00% प्रति वर्ष | 8.00% प्रति वर्ष |
| मृत्यु दर | आइएएलएम 2012–14 | आइएएलएम 2006–08 अल्टीमेट |
| निकासी दर (प्रति वर्ष) | 5.00% प्र.व. (18 से 30 वर्ष ) | 5.00% प्र.व. (18 से 30 वर्ष ) |
| निकासी दर (प्रति वर्ष) | 3.00% प्र.व. (30 से 44 वर्ष ) | 3.00% प्र.व. (30 से 44 वर्ष ) |
| निकासी दर (प्रति वर्ष) | 2.00% प्र.व. (44 से 60 वर्ष ) | 2.00% प्र.व. (44 से 60 वर्ष ) |

**3.3 महत्वपूर्ण लाभः**

| | | |
|---|---|---|
| सामान्य सेवानिवृत्ति आयु | 60 वर्ष | 60 वर्ष |
| वेतन | अन्तिम क्वालिफाइंग वेतन | अन्तिम क्वालिफाइंग वेतन |
| निहित अवधि | 5 वर्ष की सेवा | 5 वर्ष की सेवा |
| सामान्य सेवानिवृत्ति पर लाभ | 15/26* वेतन* विगत सेवा (वर्ष) | 15/26* वेतन* विगत सेवा (वर्ष) |
| मृत्यु और विकलांगता के कारण जल्दी कार्यमुक्ति पर लाभ | उपर के अलावा कोई भी निहित स्थिति लागू नहीं होती है। | उपर के अलावा कोई भी निहित स्थिति लागू नहीं होती है। |
| सीमा | 2000000.00 | 2000000.00 |

**3.4 चालू देयताएं (*कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III के अनुसार अगले वर्ष में अपेक्षित भुगतान):**

| **अवधि** | **31–03–2020 को** | **31–03–2019 को** |
|---|---|---|
| चालू देयताएं (लघु अवधि)* | 13,75,036 | 13,90,076 |
| गैर चालू देयताएं (दीर्घावधि)* | 5,54,03,113 | 4,11,88,291 |
| कुल देयताएं | 5,67,78,149 | 4,25,78,367 |

**3.5 इकाई के भविष्य के नकदी प्रवाह पर योजना के प्रभाव**

**3.5 (क) वित्त प्रबंधन और वित्तीय पोषण नीति – लागू नहीं**

**3.5 (ख) आगामी वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के दौरान संभावित योगदान**

| | | |
|---|---|---|
| आगामी वर्ष के दौरान कंपनी के योगदान का सर्वोत्तम अनुमान | 81,05,463 | 55,82,910 |

### 3.5 (ग) परिभाषित लाभ दायित्व की मैच्यूरिटी प्रोफाइल–भारित औसत

| | | |
|---|---|---|
| भारित औसत अवधि वर्ष में (डिस्काउंटेड नकद प्रवाह पर आधारित) | 17 | 17 |

### 3.5 (घ) परिभाषित लाभ दायित्व की मैच्यूरिटी प्रोफाइलः लाभ दायित्वों का परिपक्वता विश्लेषण।

| | |
|---|---|
| 01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 | 13,75,036 |
| 01 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 | 6,88,393 |
| 01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 | 4,78,883 |
| 01 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 | 6,82,624 |
| 01 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 | 11,75,851 |
| 01 अप्रैल 2025 से आगे | 5,23,77,362 |

### 3.6 अगली अवधि के लिए प्रक्षेपणः

| | | |
|---|---|---|
| अगली अवधि के दौरान योगदान के लिए सर्वोत्तम अनुमान | 81,05,463 | |

3.7 **संवेदनशीलता विश्लेषणः परिभाषित लाभ दायित्व के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण बीमांकिक धारणाएं, छूट दर और अपेक्षित वेतन वृद्धि दर हैं। मृत्यु दर में परिवर्तन का प्रभाव नगण्य है। कृपया नोट करें, नीचे प्रस्तुत संवेदनशीलता विश्लेषण, परिभाषित लाभ दायित्व में वास्तविक परिवर्तन का द्योतक नहीं हो सकता है क्योंकि यह संभावना नहीं है कि धारणा में परिवर्तन एक दूसरे को प्रभावित किए बिना घटित होगा क्योंकि कुछ धारणाएं सहसंबद्ध हो सकती हैं। संवेदनशीलता विश्लेषण के परिणाम नीचे दिए गए हैं:**

| अवधि | 31–03–2020 को |
|---|---|
| परिभाषित लाभ दायित्व (आधार) | 5,67,78,149 @ वेतन वृद्धि दर : 8% और डिस्काउंट दर 7% |
| देयताएं – डिस्काउंट दर में X% वृद्धि सहित | 5,02,04,835; x=1.00% [परिवर्तन 12%] |
| देयताएं – डिस्काउंट दर में X% कमी सहित | 6,45,99,528; x=1.00% [परिवर्तन 14%] |
| देयताएं – वेतन वृद्धि दर में X% वृद्धि सहित | 6,44,43,649; x=1.00% [परिवर्तन 14%] |
| देयताएं – वेतन वृद्धि दर में X% कमी सहित | 5,02,04,835; x=1.00% [परिवर्तन (12)%] |
| देयताएं – निकासी दर में X% वृद्धि सहित | 5,60,02,066; x=1.00% [परिवर्तन (1)%] |
| देयताएं – निकासी दर में X% कमी सहित | 5,76,43,475; x=1.00% [परिवर्तन 2%] |

### 3.8 तुलन पत्र में देयता का समाधान

| अवधि | 01–04–2019 से 31–03–2020 | 01–04–2018 से 31–03–2019 |
|---|---|---|
| प्रारंभिक सकल परिभाषित लाभ देयताएं/(परिसम्पत्ति) | 4,25,78,367 | 3,79,90,231 |
| लाभ एवं हानि में मान्य किए जाने वाले व्यय | 1,02,11,425 | 79,81,063 |
| ओसीआई–एक्च्यूरियल (वृद्धि)/हानि– कुल वर्तमान अवधि | 61,46,303 | (18,66,432) |
| लाभ देय (यदि कोई हो) | (21,57,946) | (15,26,495) |
| अंतशेष सकल परिभाषित लाभ देयताएं/(परिसम्पत्ति) | 5,67,78,149 | 4,25,78,367 |

### 3) छुट्टी नकदीकरण (अनफंडेड/अनिधिबद्ध)

कंपनी की भारत में परिभाषित लाभ छुट्टी योजना (अनफंडेड) है जिसे अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों के रूप में माना जाता है। छुट्टी नकदीकरण के संबंध में कंपनी का निवल दायित्व भविष्य में तय किए जाने वाले लाभ की राशि है, जिसे कर्मचारियों ने वर्तमान और पिछले वर्षों में अपनी सेवा के बदले अर्जित किया है। इसका वर्तमान मूल्य निर्धारित करने के लिए लाभ में छूट दी गई है। दायित्व को अनुमानित इकाई क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मापा जाता है।

**2.1 (क) वर्तमान मूल्य दायित्व में परिवर्तन को सारणी में दर्शाया गया है।**

| अवधि | 01–04–2019 से 31–03–2020 | 01–04–2018 से 31–03–2019 |
|---|---|---|
| अवधि के आरंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य | 2,27,59,724 | 1,61,12,794 |
| ब्याज लागत | 15,93,181 | 12,48,741 |
| चालू सेवा लागत | 37,30,473 | 42,51,872 |
| लाभ भुगतान (अन्य कोई) | (1,95,031) | 0 |
| एक्चूरियल (लाभ)/हानि | (24,05,280) | 11,46,317 |
| अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य | 2,54,83,067 | 2,27,59,724 |

**2.1 (ख) देयताओं पर कुल एक्चूरियल (लाभ)/हानि का विभाजन**

| अवधि | 01–04–2019 से 31–03–2020 | 01–04–2018 से 31–03–2019 |
|---|---|---|
| जनसांख्यिकी मान्यताओं में परिवर्तन (मृत्यु दर) से एक्चूरियल (लाभ)/हानि | लागू नहीं | लागू नहीं |
| वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से एक्चूरियल (लाभ)/हानि | 21,35,626 | 0 |
| योजना देयताएं हेतु अनुभव समायोजन (लाभ)/हानि | (45,40,906) | 11,46,317 |
| अन्य व्यापक आय में मान्य कुल राशि | (24,05,280) | 11,46,317 |

**2.2 प्रमुख परिणाम (तुलन पत्र में मान्य राशि)**

| अवधि | 31–03–2020 तक | 31–03–2019 तक |
|---|---|---|
| अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य | 2,54,83,067 | 2,27,59,724 |
| अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य | 0 | 0 |
| कुल देयताएं/(परिसंपत्ति) तुलन पत्र में मान्य और संबंधित विश्लेषण | 2,54,83,067 | 2,27,59,724 |
| वित्तीय स्थिति – अधिशेष/(घाटा) | (2,54,83,067) | (2,27,59,724) |

**2.3 (क) लाभ और हानि की विवरणी में मान्य व्यय**

| अवधि | 01–04–2019 से 31–03–2020 | 01–04–2018 से 31–03–2019 |
|---|---|---|
| ब्याज लागत | 15,93,181 | 12,48,741 |
| चालू सेवा लागत | 37,30,473 | 42,51,872 |

| | | |
|---|---|---|
| नियोजित परिसंपत्ति पर अपेक्षित रिर्टन | (0) | (0) |
| लाभ एवं हानि में व्ययों को मान्य करना | 53,23,654 | 55,00,613 |

**2.3 (ख) अन्य व्यापक (आय)/व्यय (पुनःमापन)**

| अवधि | 01–04–2019 से 31–03–2020 | 01–04–2018 से 31–03–2019 |
|---|---|---|
| संचित मान्य एक्चूरियल (लाभ)/हानि आरंभिक शेष अग्रेषित | **1,21,77,803** | 1,10,31,486 |
| एक्चूरियल (लाभ)/हानि –दायित्व | **(24,05,280)** | 11,46,317 |
| एक्चूरियल (लाभ)/हानि – योजना परिसम्पत्तियां | **0** | 0 |
| कुल एक्चूरियल (लाभ)/हानि | **(24,05,280)** | 11,46,317 |
| कुल संचित एक्चूरियल (लाभ)/हानि | **97,72,523** | 1,21,77,803 |

**2.4 अनुभव समायोजन**

| अवधि | 01–04–2019 से 31–03–2020 | 01–04–2018 से 31–03–2019 |
|---|---|---|
| योजना देयताएं हेतु अनुभव समायोजन (लाभ)/हानि | (45,40,906) | 11,46,317 |
| योजना परिसम्पत्तियों हेतु अनुभव समायोजन लाभ/(हानि) | 0 | 0 |

**3.1 मूल्यांकन की तिथि को सदस्यता डाटा और उसके आधार पर सांख्यिकी का सारांश**

| अवधि | 31–03–2020 को | 31–03–2019 को |
|---|---|---|
| कर्मचारियों की संख्या | 738 | 556 |
| कुल मासिक वेतन | 1,24,79,119 | 93,84,094 |
| औसतन विगत सेवाएं (वर्ष) | 6.4 | 7.5 |
| औसतन भावी सेवाएं (वर्ष) | 24.9 | 24.1 |
| औसत आयु (वर्ष) | 35.1 | 35.9 |
| | 33,634/33,636 | 32,556/32,556 |
| | 2,49,58,238 / 3% | 1,87,68,188 / 3% |
| वर्षों में भारित औसत अवधि (रियायती नकदी प्रवाह के आधार पर) | 18 | 19 |
| औसत मासिक वेतन | 16,909 | 16,878 |

**3.2 कंपनी द्वारा प्रदान की गई बीमांकिक मान्यताओं और गणनाओं के लिए नियोजित किया गया।**

| | 31–03–2020 को | 31–03–2019 को |
|---|---|---|
| डिस्काउंट दर | 7.00% प्रति वर्ष | 7.75% प्रति वर्ष |
| वेतन वृद्धि दर | 8.00% प्रति वर्ष | 8.00% प्रति वर्ष |
| मृत्यु दर | आइएएलएम 2012–14 | आइएएलएम 2006–08 अल्टीमेट |
| निकासी दर (प्रति वर्ष) | 5.00% प्र.व. (18 से 30 वर्ष) | 5.00% प्र.व. (18 से 30 वर्ष) |

| | | |
|---|---|---|
| निकासी दर (प्रति वर्ष) | 3.00% प्र.व. (30 से 44 वर्ष) | 3.00% प्र.व. (30 से 44 वर्ष) |
| निकासी दर (प्रति वर्ष) | 2.00% प्र.व. (44 से 60 वर्ष) | 2.00% प्र.व. (44 से 60 वर्ष) |

**3.3 महत्वपूर्ण लाभः**

| | | |
|---|---|---|
| सामान्य सेवानिवृत्ति आयु | 60 वर्ष | 60 वर्ष |
| वेतन | कम्पनी के नियमानुसार | कम्पनी के नियमानुसार |
| सामान्य सेवानिवृत्ति पर लाभ | 1/30 *वेतन, 'छुट्टियों की संख्या | 1/30 *वेतन, *छुट्टियों की संख्या |
| जल्दी कार्यमुक्ति पर लाभ | उपरोक्तानुसार, कम्पनी के नियमानुसार | उपरोक्तानुसार, कम्पनी के नियमानुसार |
| मृत्यु पर लाभ | उपरोक्तानुसार, कम्पनी के नियमानुसार | उपरोक्तानुसार, कम्पनी के नियमानुसार |

**3.4 चालू देयताएं (*कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III के अनुसार अगले वर्ष में अपेक्षित भुगतान):**

| अवधि | 31–03–2020 को | 31–03–2019 को |
|---|---|---|
| चालू देयताएं (लघु अवधि)* | 7,41,733 | 7,91,039 |
| गैर चालू देयताएं (दीर्घावधि)* | 2,47,41,334 | 2,19,68,685 |
| कुल देयताएं | 2,54,83,067 | 2,27,59,724 |

**3.5 संवेदनशीलता विश्लेषणः परिभाषित लाभ दायित्व के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण बीमांकिक धारणाएं, छूट दर और अपेक्षित वेतन वृद्धि दर हैं। मृत्यु दर में परिवर्तन का प्रभाव नगण्य है। कृपया नोट करें, नीचे प्रस्तुत संवेदनशीलता विश्लेषण, परिभाषित लाभ दायित्व में वास्तविक परिवर्तन का द्योतक नहीं हो सकता है क्योंकि यह संभावना नहीं है कि धारणा में परिवर्तन एक दूसरे को प्रभावित किए बिना घटित होगा क्योंकि कुछ धारणाएं सहसंबद्ध हो सकती हैं। संवेदनशीलता विश्लेषण के परिणाम नीचे दिए गए हैं:**

| अवधि | 31–03–2020 को |
|---|---|
| परिभाषित लाभ दायित्व (आधार) | 2,54,83,067 |
| देयताएं – डिस्काउंट दर में X% वृद्धि सहित | 2,23,83,225; x=1.00% [परिवर्तन 12%] |
| देयताएं – डिस्काउंट दर में X% कमी सहित | 2,92,06,655; x=1.00% [परिवर्तन 15%] |
| देयताएं – वेतन वृद्धि दर में X % वृद्धि सहित | 2,91,32,058; x=1.00% [परिवर्तन 14%] |
| देयताएं – वेतन वृद्धि दर में X % कमी सहित | 2,23,83,225; x=1.00% [परिवर्तन (12)%] |
| देयताएं – निकासी दर में X% वृद्धि सहित | 2,52,15,379; x=1.00% [परिवर्तन (1)%] |
| देयताएं – निकासी दर में X% कमी सहित | 2,57,90,710; x=1.00% [परिवर्तन 1%] |

**3.6 तुलन पत्र में देयता का समाधान**

| अवधि | 01–04–2019 से 31–03–2020 | 01–04–2018 से 31–03–2019 |
|---|---|---|
| प्रारंभिक सकल परिभाषित लाभ देयताएं/(परिसम्पत्ति) | 2,27,59,724 | 1,61,12,794 |
| लाभ एवं हानि में मान्य किए जाने वाले व्यय | 53,23,654 | 55,00,613 |

| | | |
|---|---|---|
| ओसीआई–एक्च्यूरियल (वृद्धि) / हानि– कुल वर्तमान अवधि | (24,05,280) | 11,46,317 |
| लाभ देय (यदि कोई हो) | (1,95,031) | 0 |
| अंतशेष सकल परिभाषित लाभ देयताएं / (परिसम्पत्ति) | 2,54,83,067 | 2,27,59,724 |

## 42. आस्थगित कर परिसंपत्तियां / देयता

कंपनी घाटे में रही है, इसलिए इस बात के ठोस प्रमाण नहीं होने के कारण कि पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा, जिसके स्थान पर अप्रयुक्त कर नुकसान, कटौती योग्य समय के अंतर या अप्रयुक्त कर क्रेडिट का उपयोग यूनिट द्वारा निकट भविष्य में किया जा सकता है, वित्तीय विवरणीयों में आस्थगित कर परिसंपत्ति / देयताओं की गणना नहीं की गई है।

## 43. प्रति शेयर आय

(राशि लाख रुपये में)

| विवरण | 31 मार्च, 2020 को | 31 मार्च, 2019 को |
|---|---|---|
| कर पश्चात लाभ / (हानि) | **(20062.64)** | (29239.54) |
| भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या | **40225.00** | 40225.00 |
| **ईपीएस बेसिक और डायल्यूटिड (रुपये में)** | **(49.88)** | (72.69) |

## 44. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा 22 के संदर्भ में, इन उद्यमों के बकाया राशि का प्रकटीकरण किया जाना आवश्यक है। SAP प्रणाली में वेंडर मास्टर में एक क्षेत्र, माइनॉरिटी संकेतक होता है, जिसे विक्रेता को SSI के रूप में पहचानने के लिए अद्यतन किया जाता है। एसएसआई विक्रेताओं के अधिक विवरणों को रिकार्ड करने के लिए प्रणाली को विकसित किया जा रहा है, जैसे कि प्रमाण पत्र संख्या, जारी करने वाली एजेंसी, वैधता, आदि।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम (पहचानी गई सीमा तक) के तहत कवर किए गए अधिकतर उपक्रमों को आपूर्तिकर्ता के साथ निर्धारित समय सीमा / तिथि के भीतर भुगतान किया गया है। एमएसएमई को देरी से भुगतान करने पर कोई ब्याज देयता नहीं है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम) द्वारा अपेक्षित सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की 31 मार्च 2020 को सूचना

| विवरण | 31 मार्च 2020 (राशि लाख रुपये में) | 31 मार्च 2019 (राशि लाख रुपये में) |
|---|---|---|
| क) आपूर्तिकर्ता की शेष बकाया राशि | | |
| मूल राशि | 103.91 | 67.18 |
| उस पर ब्याज | | |
| ख) एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार भुगतान की गई राशि, नियत दिन से आगे आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान की गई राशि के साथ। | शून्य | शून्य |
| ग) भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए ब्याज की देय राशि और देय (जो भुगतान किया गया है लेकिन वर्ष के दौरान नियत दिन से आगे) लेकिन एमएसएमईडी अधिनियम के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना। | शून्य | शून्य |
| घ) उपार्जित ब्याज की राशि और भुगतान नहीं किया गया | शून्य | शून्य |

| | | |
|---|---|---|
| च) एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के रूप में छूट रोकने के प्रयोजन के लिए, आगे के वर्षों तक बकाया व देय ब्याज की राशि शेष राशि तब तक जब तक कि उपरोक्त ब्याज की राशि वास्तव में छोटे उद्यमों को भुगतान की जाती है। | शून्य | शून्य |

## 45. लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिकः

लेखापरीक्षा शुल्क और लेखा परीक्षकों के व्यय का विवरणः –

(राशि लाख रु. में)

| विवरण | 2019–20 | 2018–19 |
|---|---|---|
| लेखा परीक्षा शुल्क–वर्ष के लिए | 6.50 | 6.50 |
| **कुल** | 6.50 | 6.50 |

## 46. गोइंग कंर्सन

वर्ष 2018–19 में (14,734.59 लाख रुपए) के प्रचालन लाभ की तुलना में वर्ष 2019–20 में एएएएल को 6,508.94 लाख रुपये का प्रचालन लाभ हुआ।

वर्ष 2019–20 में राजस्व 1,18,115.39 लाख रु. रहा जबकि 2018–19 में यह 83,627.83 लाख रु. था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 41.24% की वृद्धि दर्शाता है।

2019–20 में कुल यात्री वहन संख्या रही, जबकि 2018–19 में वहन किए गए यात्रियों की संख्या थी, परिणाम स्वरूप पिछले वर्ष की तुलना में 2.65% की वृद्धि हुई।

2018–19 में 51758 घंटे की तुलना में 2019–20 में उड़ान के ब्लॉक घंटे 53476 हैं, जिसके परिणामस्वरूप 3.31% की वृद्धि हुई है।

इंड एएस 116 को अपनाने के कारण वर्ष 2019–20 के लिए लाभ और हानि के विवरण में अतिरिक्त प्रभाव इस प्रकार हैः

(राशि लाख रु. में)

| क्र.सं. | खाता शीर्ष पर प्रभाव | हानि में (वृद्धि)/कमी लाख रुपए में |
|---|---|---|
| i. | मूल्यह्रास में वृद्धि | (22,666.95) |
| ii. | वित्तीय लागत में वृद्धि | (7,371.18) |
| iii. | लीज़ किराए में कमी | 25,997.12 |
| iv. | लीज़ देयताओं की बहाली के कारण विनिमय लाभ/ हानि | (19,769.85) |
| v. | हानि में निवल वृद्धि | **(23,810.85)** |

USD मुद्रा में ROE की वृद्धि के कारण, विदेशी वैण्डर को व्यय में गत वर्ष की तुलना में 9.40% तक की वृद्धि।

वर्ष 2018–19 में (29,232.34 लाख रु.) की तुलना में, 2019–20 में दिखाए गए लाभ/ हानि (20,100.06 लाख रु.) कंपनी की प्रचालन क्षमता में वृद्धि को दर्शाता है।

एअर इंडिया लिमिटेड द्वारा अपने परिचालन और वित्तीय प्रदर्शन में सुधार के लिए अपनी समूह कंपनियों के लिए लागू, टर्न एराउंड प्लान (टीएपी) तैयार किया गया है। भारत सरकार द्वारा, एअर इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों के टर्न अराउंड हेतु फरवरी 2012 में टर्न एराउंड प्लान (टीएपी) को मंजूरी दे दी थी।

टीएपी के अनुपालन में, 2018–19 में 04 नए एटीआर–72–600 विमानों को शामिल करने के साथ इंडक्शन जारी रहा। वर्ष के अंत में बेड़े में 19 विमान (01 एटीआर–42 320 और 18 एटीआर–72 600) शामिल थे। एएएएल 15 विमानों को शामिल करने पर विचार कर रहा है, जिनमें से 02 एटीआर–42 320 के प्रतिस्थापन के लिए हैं। दो विमान एटीआर–72 600 हैं और एएएएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर दिए गए हैं। कोरोलरी के रूप में, वित्त वर्ष 2020–21 में पहले चरण में कम से कम 08 विमान शामिल करने हेतु आवश्यक अनुमोदन और प्रक्रियाएं की जा रही हैं। एएएएल को आबंटित आरसीएस मार्ग प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए इंडक्शन की आवश्यकता है।

2018–19 के दौरान 1.60 मिलियन यात्रियों के मुकाबले एएएएल ने 2019–20 के दौरान 1.64 मिलियन यात्रियों का वहन किया। वर्ष 2019–20 में यात्री कैरीज में 2.65% की वृद्धि देखी गई। इसी प्रकार, नेटवर्क का 55 गंतव्यों से 61 गंतव्यों तक विस्तार हुआ, प्रतिदिन 109 प्रस्थान से 126 प्रस्थान और प्रति सप्ताह 607 उड़ानें से प्रति सप्ताह 735 उड़ानें प्रचालित की जा रही है। वित्त वर्ष 2018–19 की तुलना में वित्त वर्ष 2019–20 में 3.32% की वृद्धि के साथ 51758 ब्लॉक घंटे से विमान उपयोग बढ़कर 53477 ब्लॉक घंटे हो गया है।

एलाइंस एअर द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 में अर्जित 99,302.87 लाख रुपए के प्रचालन राजस्व की तुलना में वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु प्रक्षिप्त राजस्व लगभग 85,000.00 लाख रुपए है। सिद्धान्तः यह वृद्धि एएसकेएम में वृद्धि के अलावा एटीआर 72–600 विमान के औसत दैनिक 8.78 घंटे से बढ़कर 9.20 घंटे दैनिक वृद्धि के फलस्वरूप एटीआर 72–600 विमान के प्रभावी उपयोग में वृद्धि के कारण है।

कंपनी द्वारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र जैसे असम में गुवाहाटी, लीलाबाड़ी, तेजपुर, मेघालय में शिलांग और अगाती और दीव हेतु वायबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) व्यवस्था के तहत एनईसी और एमएचए के अनुरोध पर प्रचालन जारी रखा गया। ये मार्ग परिचालनात्मक दृष्टि से लाभप्रद हैं।

कंपनी भारत सरकार की योजना 'उड़ान' में एक प्रमुख प्रतिभागी के रूप में उभरी है, जो गैर–सेवित/अल्पसेवित एयरपोर्टों के विकास के साथ विभिन्न टायर II और टायर III शहरों को जोड़ती है। टायर II और टायर III शहरों में वृद्धि अभी भी काफी हद तक अप्रयुक्त है और एलाइंस एअर के इन छोटे हवाई अड्डों पर प्रचालन के लिए उपयुक्त नवीन एटीआर 72–600 बेड़े के साथ सबसे बड़े खिलाड़ी के रूप में उभरने की संभावना है।

कंपनी ने भारत सरकार की 'उड़ान' योजना में प्रमुख संसाधनों का निवेश करने के लिए रणनीतिक योजना बनाई है। 'उड़ान' के तहत एयरलाइन का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा है, जिसमें कंपनी का प्रचालन सकारात्मक रहा है। कंपनी 31 मार्च 2019 तक 29 'उड़ान' मार्गों पर प्रचालन कर रही थी, जो वर्तमान में 31 मार्च 2020 तक बढ़कर 61 मार्गों पर पहुंच गई है। एलाइंस एअर वित्त वर्ष 2019–20 से 10% की वृद्धि पर 58% उड़ान मार्गों पर प्रचालन कर रही है। एलाइंस एअर उड़ान सेक्टरों पर अधिक संसाधन तैयार कर रही है। कम्पनी द्वारा उड़ान–4 में सक्रिय रूप से भाग लिया गया व अंतिम आबंटन प्रतीक्षित है। कंपनी को अभी तक 95 ''उड़ान'' मार्ग प्राप्त हुए। 'उड़ान' क्षेत्रों पर अधिक संसाधनों को तैनात करके एलाइंस एअर लाभप्रदत्ता की ओर अग्रसर हो रही है।

कंपनी लगातार हानिप्रद मार्गों का मूल्यांकन भी कर रही है, और सोच विचार कर इन मार्गों से प्रचालन को, उच्च राजस्व आय वाले मार्गों में स्थानांतरित कर दिया है। उल्लेखनीय है कि कंपनी ने उड़ान राउंड 3 और 3.1 में भाग लिया है व परिणामतः कम्पनी को 52 और मार्ग आबंटित किए गए हैं। ऐसे मार्गों पर कंपनी की कुल दावेदारी अब 95 पर है।

एयरलाइन यील्ड बढ़ा रही है और साल के अंत में औसत यील्ड 4,132 रु. प्रति यात्री था। इसके अलावा कंपनी ने लागत में कमी के लिए लागत बचत उपायों को लागू किया है।

विमान पट्टे पर लेना, आरक्षण प्रणाली, सूची प्रबंधन, एसएपी इत्यादि के लिए कॉर्पोरेट गारंटी प्रदान करने और कंपनी की प्रचालन और वित्तीय गतिविधियों में सुधार के लिए किए गए अन्य विभिन्न उपायों के लिए एअर इंडिया लिमिटेड के सहयोग से यह स्पष्ट है कि कंपनी ने वर्ष 2019–20 में प्रचालन लाभ अर्जित किया है व कंपनी की वित्तीय स्थिति में भविष्य में सुधार होने की अपेक्षा है।

एलाइंस एअर टर्नअराउंड की दहलीज पर है और अगले दशक में भारत में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी का नेतृत्व करने और एशिया का एक प्रमुख क्षेत्रीय वाहक बनने की ओर अग्रसर है। एलाइंस एअर ने इस वित्तीय वर्ष 2020–21 में प्रतिकूल वित्तीय मापदंडों की प्रवृत्ति को उलटने की योजना बनाई और इसके बाद लाभ को और मजबूत किया।

**47. राजस्वः**

(i) कंपनी, यात्री, कार्गो, बैगेज और अन्य राजस्व से संबंधित डाटा के प्रसंस्करण के लिए एक बाहरी एजेंसी की सेवाओं का लाभ उठा रही है। टिकटों की बुकिंग आदि के लिए एआईएल की प्रणाली का उपयोग किया गया है। समूह से संबंधित राजस्व डाटा, एआईएल द्वारा आउट सोर्स एजेंसी को उपलब्ध करवाया जाता है और संसाधित डाटा उनके द्वारा प्राप्त किया जाता है। एएएएल से संबंधित राजस्व को एएएएल को सौंपे गए कोड के आधार पर अलग किया गया है, और एफटीपी सर्वर पर अपलोड की गई रिपोर्टों के आधार पर लेखांकित किया गया है। एआईएल द्वारा एएएएल के राजस्व को मान्य करने के लिए रिपोर्ट के प्रसंस्करण और उत्पादन के लिए डाटा, जो एएएएल राजस्व की मान्यता के लिए आधार है, का रखरखाव किया जाता है। इंडस्ट्री प्रैक्टिस के अनुसार, मूल कंपनी द्वारा आउटसोर्स एजेंसी द्वारा संसाधित डाटा की प्रामाणिकता और सटीकता का पता लगाने के लिए सभी आवश्यक मानदंडों का अनुपालन किया जा रहा है।

(ii) कार्गो राजस्व 94.48 लाख रु., कार्गो कमीशन 4.55 लाख रुपये, पैक्स कमीशन 870.28 लाख रुपये, पीजीपी को एमएसएफ कमीशन 195.79 लाख रुपये, क्रेडिट कार्ड पर बैंक प्रभार 835.55 लाख रु. की राशि को एआईएल द्वारा आबंटित राशि के आधार पर लेखांकित किया गया है जो आउटसोर्स एजेंसी द्वारा जारी रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई। उपरोक्त में से जीएसटी को रिकॉर्ड किए बिना और टीडीएस की कटौती के बिना पैक्स कमीशन और कार्गो कमीशन को लेखों में लिया गया है।

**48. क्षेत्रीय सम्पर्क योजना**

31.3.2020 तक आरसीएस के तहत एएएएल को (बोली प्रक्रिया के माध्यम से) 95 मार्ग आंबटित किए गए, जिनमें से 61 परिचालन में हैं। आने वाले महीनों में शेष मार्गों का शुभारंभ किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें आबंटन के दूसरे दौर में प्रदान किए गए 10 मार्ग शामिल हैं, आबंटन के तीसरे दौर में दिए गए 16 मार्ग और आबंटन के 3.1 दौर में 08 रूट दिए गए, जो 31.03.2020 तक परिचालन में नहीं हैं, हालांकि एलओआई की शर्तों के अनुसार वर्ष 2019–20 के दौरान इन्हें चालू करना आवश्यक है। प्रबंधन का विचार है कि मार्गों को परिचालनात्मक करने में विलम्ब विभिन्न कारकों पर आधारित है। एएएएल की ओर से विलम्ब नहीं हुआ है, इसलिए एएएएल मार्ग प्रचालनात्मक करने में उपर्युक्त विलम्ब का उत्तरदायी नहीं है।

**49. मैसर्स गति**

एअर इंडिया लि. व मैसर्स गति के बीच मालवाहक चार्टर प्रचालन (एएएएल द्वारा किए जा रहे) हेतु करार गति द्वारा मार्च, 2009 में समाप्त कर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप गति के पास जमा करवाए गए 3000 लाख रु. की बैंक गारंटी एअर इंडिया द्वारा इन्वोक की गई। मध्यस्थता अभिकरण द्वारा अधिनिर्णय दिया गया जिसके विरूद्ध एअर इंडिया द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली में अपील दायर की गई है जिन्होंने मध्यस्थता अभिकरण के निर्णय को मान्य ठहराया। दिल्ली उच्च न्यायालय (डबल बेंच) में इस आदेश के विरोध में अपील फाइल करने हेतु एअर इंडिया लि. द्वारा 17/11/2015 को माननीय उच्च न्यायालय में डिपॉजिट मनी के रूप में 2200 लाख रु. जमा करवाए गए हैं। मामला न्यायाधीन है तथापि इस जमा के विरुद्ध आवश्यकतानुसार संदिग्ध रक्षा जमा के रुप में 2200 लाख रु. का प्रावधान किया गया है। अंतिम सुनवाई 18.02.2020 को हुई थी, हालांकि मामले को स्थगित कर दिया गया है क्योंकि दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय ने कोविड –19 महामारी के कारण सभी मामलों को नहीं लिया है। सुनवाई की अगली तिथि जिरह के लिए 02.11.2020 है।

**50. प्रावधान व्यय पर टीडीएस**

2020–21 के दौरान वैंण्डर से प्राप्त बिलों के लिए प्रावधान किया गया है, लेकिन 2019–20 में सेवा का लाभ लिया है। अपनाई गई प्रणालीनुसार 2019–20 के लिए बनाए गए प्रावधानों को 2020–21 में रिवर्स कर दिया गया है और 2020–21 में

प्राप्त वास्तविक बिलों को 2020–21 में लागू टीडीएस में कटौती के बाद वैंण्डर के बहीखातों में बुक किया गया है। जीएसटी परिदृश्य के कारण, 2020–21 में प्राप्त बिल को 2019–20 में बुक नहीं किया जा सकता है जिसके लिए प्रावधान किया गया है और प्रावधानों पर कोई आयकर नहीं काटा जाता है।

## 51. लीज़ देयताएं

**क)** कंपनी द्वारा 18 एटीआर 72–600 एयरक्राफ्ट लीज़ पर लिए गए हैं। लीज़ के संबंध में भविष्य के न्यूनतम लीज़ किराये के आधार पर देयताएं निम्नानुसार हैं: –

(राशि लाखों में)

| विवरण | 31 मार्च, 2020 तक (रु.) | 31 मार्च, 2019 तक (रु.) | | |
|---|---|---|---|---|
| | गैर–चालू | चालू | गैर–चालू | चालू |
| लीज देयताएं | **216511.77** | **345.12** | **00.00** | **00.00** |

**ख) इंड एएस 116 में ट्रांजिशन –**

**लीज़**

**ट्रांजिशन प्रावधान**

कंपनी द्वारा 1 अप्रैल 2019 से इंड एस 116 लीज़ को अपनाया है। इंड एएस 116 ने लीज़कर्ता के लिए एक एकल तुलन पत्र लेखा मॉडल पेश किया है। नतीजतन, कंपनी, एक लीज़कर्ता के रूप में, निम्न परिसंम्पतियों पर अपने अधिकारों का प्रतिनिधित्व करने वाली राइट–ऑफ–यूज परिसंपत्तियों व लीज भुगतान करने के लिए अपने दायित्व का प्रतिनिधित्व करने वाली अंतर्निहित देयताओं को, मान्य कर दिया है।

प्रारंभ में लागू करने पर, कंपनी ने तुलनात्मक सूचना को बहाल किए बिना, 1 अप्रैल, 2019 को प्रारंभिक शेष के समायोजन के रूप में नए मानक को लागू करने के लिए संशोधित पूर्वव्यापी प्रभाव को अपनाने के लिए चयन किया।

कंपनी ने इंड एस 116 को केवल उन अनुबंधों पर लागू किया जो पहले लीज़ के रूप में पहचाने जाते थे। एएस 17 के तहत लीज़ के रूप में नहीं माने जाने वाले अनुबंधों पर फिर से पूर्नमूल्यांकन / विचार नहीं किया गया। अतः इंड एस 116 के तहत लीज़ की परिभाषा केवल 1 अप्रैल 2019 को या उसके बाद दर्ज किए गए या बदले गए अनुबंधों पर लागू की गई है।

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लाभ और हानि के स्टैंडअलोन विवरण पर इंड एएस 116 के रूप में अपनाए जाने का प्रमुख प्रभाव इस प्रकार है:

| क्र.सं. | खाता शीर्ष पर प्रभाव | लाख रुपए में |
|---|---|---|
| क. | **2019–20 के लिए लाभ एवं हानि** | |
| i. | मूल्यह्रास में वृद्धि | **22666.49** |
| ii. | वित्तीय लागत में वृद्धि | **7371.18** |
| iii. | लीज़ किराए में कमी | 25997.12 |
| iv. | लीज़ देयताओं की बहाली के कारण विनिमय लाभ / हानि | **19769.85** |
| v. | लाभ और हानि पर निवल प्रभाव | 23810.39 |
| ख. | **01.04.2019 तक तुलन पत्र पर प्रभाव** | |

| | | |
|---|---|---|
| i. | परिसम्पत्तियों का उपयोग का अधिकार–वृद्धि | **213199.81** |
| ii. | प्रतिधारित आय में कमी | **5937.43** |
| iii. | लीज़ देयताओं में वृद्धि | **2191.37** |

**ट्रांजिशन पर शेष लीज़ देयता को वर्तमान मूल्य की गणनाः**

समझौते के अनुसार, लीज़ किराया का भुगतान अग्रिम रूप से किया जाना है। तथापि, वित्तीय और लिक्विडिटी की समस्या के कारण कंपनी द्वारा महीने के अंत में इसका भुगतान किया जाता है, इसलिए, लीज देयताओं के वर्तमान मूल्य की गणना के उद्देश्य से, लीज़ रेंटल को हर महीने के प्रारंभ के बजाय महीने के अंत में भुगतान किया गया माना जाता है।

**व्यावहारिक प्रणाली प्रयोग**

कंपनी ने प्रारंभिक लागू करण पर इंड एएस 116 पर ट्रांजिशन करने पर निम्न अन्य व्यावहारिक प्रणाली लागू की हैः

क) अंतिम तिथि के लिए, समान शर्तों के साथ, समान आर्थिक वातावरण में, समान परिसंपत्तियों के लीज़ के पोर्टफोलियो के लिए एकल औसत छूट दर का उपयोग।

ख) लीज़ देयता को आरंभ में, भविष्य के लीज़ भुगतान के वर्तमान मूल्य पर परिशोधित लागत पर मापा जाता है। लीज़ के भुगतान को स्वैप दरों के औसत का उपयोग करके डिस्कांउट किया जाता है जो कंपनी की वृद्धिशील उधार दर है।

ग) प्रारंभिक आवेदन की तारीख (यानी 1 अप्रैल 2019) से, लीज़ के आधार, पर लीज़ पर कम मूल्य की परिसंपत्तियों की लीज़ से परिसंपत्तियों की श्रेणी से शेष लीज़ अवधि के साथ, लीज़ के लिए राइट ऑफ यूज परिसंपत्तियों और लीज़ देयताओं के अधिकार को मान्यता नहीं देना।

घ) प्रारंभिक आवेदन की तारीख को, राइट ऑफ यूज परिसंपत्ति को मापने से प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत को छोड़कर।

ड.) लीज़ की अवधि निर्धारित करते समय निर्णय क्षमता का उपयोग किया जाता है, यदि अनुबंध में लीज़ का विस्तार या समाप्त करने का विकल्प होता है।

कंपनी की लीज़ परिसंपत्तियों में मुख्य रूप से विमान और इंजन के लीज़ शामिल हैं।

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने लघु अवधि हेतु लीज़ 756.44 लाख रु. के व्यय को मान्य किया और तुलन पत्र की तिथि को 12 माह से कम लीज़ अवधि के लीज़बद्ध इंजनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अन्य अल्पकालिक लीज़ का पोर्टफोलियो, जिसके लिए कंपनी रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रतिबद्ध है, अन्य लघु–अवधि के लीज़ के पोर्टफोलियो से महत्वपूर्ण रूप से भिन्न नहीं है, जिसके लिए 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान व्यय को मान्यता दी गई है।

**इंड एएस 116 के तहत वर्गीकृत लीज़**

प्रारंभिक आवेदन की तारीख में कंपनी के लिए लागू वृद्धिशील उधार दर का उपयोग करते हुए शेष लीज़ भुगतान का वर्तमान मूल्य होने के नाते 216695.43 लाख रुपये की लीज़ देयताओं को मान्यता दी गई है। 213199.81 लाख रुपए राइट ऑफ यूज परिसंपत्ति को व 216695.43 लाख रु. की लीज़ देयताओं को मानक को लागू करके संचयी प्रभाव के साथ 5937.43 लाख रु. पर मान्य किया गया है।

**(राशि लाख रुपये में)**

| लीज़ देयताओं का परिपक्वता विश्लेषण | |
|---|---|
| विवरण | **(राशि लाख रुपये में)** |
| एक वर्ष से कम | 29433.92 |

| | |
|---|---|
| एक से 5 वर्ष | 117735.68 |
| 5 वर्ष से अधिक | 101655.21 |
| 31 मार्च 2020 को कुल गैर छूट प्राप्त लीज़ देयताएं | **248824.80** |
| 31 मार्च 2020 को वित्तीय स्थिति विवरणी में शामिल लीज़ देयताएं | **217275.97** |

| लाभ एवं हानि में मान्य राशि | |
|---|---|
| **विवरण** | **(राशि लाख रुपये में)** |
| आरओयू परिसंपत्ति पर मूल्यह्रास व्यय | 22666.49 |
| लीज़ देयताओं पर ब्याज | 7226.88 |
| लीज़ देयताओं की माप में शामिल नहीं वैरिएबल लीज़ भुगतान | 0 |
| राइट ऑफ यूज परिसंपत्ति को उप लीज़ पर देने से आय | 0 |
| अल्पावधि लीज़ से संबंधित व्यय* | 756.44 |
| कम मूल्य की परिसंपत्तियों के अल्पावधि लीज़ को छोड़कर, कम मूल्य की परिसंपत्तियों के लीज़ से संबंधित व्यय | 0 |
| *लीज़ पर लिए गए इंजनों को अल्पावधि लीज़ के रूप में वर्गीकृत किया गया है क्योंकि लीज़ अवधि 12 महीने से कम है। इसके कारण प्रबंधन ने व्यावहारिक प्रणाली का लाभ उठाया है। | |

| नकदी प्रवाह विवरणी में मान्य की गई राशि | |
|---|---|
| विवरण | **(राशि लाख रुपये में)** |
| देयताओं के लिए कुल नकद आउटफ्लो | 25997.12 |

## 52. अनुरक्षण आरक्षित का समाधान

वर्ष 2014–15 के दौरान वैण्डरों के साथ किए गए मूल लीज़ करार के अनुसार, एमआर का मूल्य, वास्तविक उड़ान घंटों के स्थान पर स्थिर उड़ान घंटों पर आधारित था। वास्तविक उड़ान घंटे के बावजूद। इसलिए, एमआर का लेखा–जोखा स्थिर उड़ान घंटों के आधार पर, वर्ष दर वर्ष आधार पर किया जा रहा था। लिक्विटीडी की समस्या के कारण कंपनी के प्रबंधन ने प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में, एसबीएलसी के प्रावधान सहित, करार की शर्तों पर पुनः चर्चा करने का फैसला किया। 2019–20 में वैण्डरों के साथ किए गए संशोधित करार के अनुसार, एमआर, वास्तविक उड़ान के आधार पर देय है और एमआर में कमी को पूर्वव्यापी प्रभाव से वर्ष 2014–15 से प्रभावी किया गया है, अतः लेसर द्वारा दिए गए मासिक बिलों के आधार पर एमआर राशि का भुगतान नकद रूप में किया जाएगा।

### 31.03.2020 को लेसर का एमआर पोट शेष

| | | | |
|---|---|---|---|
| **लेसर का नाम** | **लेसर द्वारा पुष्टिकृत 31.03.2020 को एमआर पोट शेष (यूएसडी)** | **31.03.2020 को एमआर पोट शेष की पुष्टि (यूएसडी)** | **अंतशेष (भारतीय मुद्रा में)** |
| ऐलिक्स एस्सैट्स 7 लिमिटेड | $6,684,966.09 | $6,684,966.09 | 505,817,959.20 |
| एवीएपी लीजिंग एशिया लि. | $4,550,682.43 | $4,550,682.43 | 344,327,386.07 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| डीएई | $21,416,219.84 | $21,416,219.84 | 1,620,458,274.19 |
| **सकल योग** | **$32,651,868.36** | **$32,651,868.36** | **2,470,603,619.46** |

उपरोक्तानुसार संशोधित समझौते के आधार पर, गत वर्षों में किए गए अधिक प्रावधान के 18009.98 लाख रुपये को बहियों में चालू वर्ष की आय के रूप में चार्टरित लेखापाल की स्वतंत्र फर्म से ली गई राय के अनुसार, विविध आय पर आधारित ''प्रावधान की आवश्यकता नहीं है'' के तहत लिया गया है।

## 53. प्रोडक्ट सपोर्ट क्रेडिट का ट्रीटमेंट

लीज करार और तदन्तर संशोधित करारों में परिभाषित किए गए नियम और शर्तों के आधार पर प्रोडक्ट सपोर्ट क्रेडिट को लीज़कताओं द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। कंपनी ने ग्राहक सहायता क्रेडिट के संबंध में लीज़कर्ता के साथ अपने लीज़ करारों को संशोधित किया है, जिसके अनुसार इस तरह के क्रेडिट का प्रयोग लीज़ किराए के लिए लीज़कर्ता के भुगतान न किए गए इनवाइस के लिए किया जा सकता है। वर्ष के दौरान कंपनी ने **3359.89 लाख रु.** उत्पाद समर्थन क्रेडिट के रूप में प्राप्त किए जिसकी गणना चालू वर्ष में आय के रूप में की गई है।

**54.** कंपनी अधिनियम 2013 के कंपनियों के अनुच्छेद 77 के अनुसार रजिस्ट्रार के साथ कम्पनी के **28050.35 लाख रु.** (पिछले वर्ष 26830.30 मिलियन रु.) के पंजीकृत प्रभार हैं। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 82 के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन कर कंपनी इन प्रभारों को चुकाने की प्रक्रिया में है।

## 55. पूंजी प्रबंधनः

कंपनी का उद्देश्य एक इष्टतम पूंजी संरचना बनाए रखते हुए शेयर धारकों के लिए मूल्य को अधिकतम करना है। प्रबंधन, पूंजी पर रिटर्न तथा ऋण इक्विटी अनुपात को मॉनीटर करती है तथा व्यापार के विकास के लिए पूंजीगत संरचना में आवश्यक समायोजन करता है।

31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान कंपनी की पूंजीगत संरचना के प्रबंधन से संबंधित उद्देश्यों, नीतियों अथवा प्रक्रियाओं में कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किए गए।

### ऋण इक्विटी अनुपातः

**(राशि लाख रु. में)**

| विवरण | 31 मार्च, 2020 को | 31 मार्च, 2019 को |
|---|---|---|
| उधार | 169022.64 | 163335.64 |
| **कुल ऋण (क)** | **169022.64** | 163335.64 |
| इक्विटी शेयर पूंजी | **40225.00** | 40225.00 |
| अन्य इक्विटी | (265890.35) | (239852.86) |
| **कुल इक्विटी (ख)** | **(225665.35)** | (199627.87) |
| **ऋण इक्विटी अनुपात (क/ख)** | **(0.75)** | (0.82) |

इक्विटी पर रिर्टनः

**(राशि लाख रु. में)**

| विवरण | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए |
|---|---|---|
| **वर्ष के लिए लाभ/(हानि)** | **(20062.64)** | **(29239.54)** |

| | | |
|---|---|---|
| इक्विटी शेयर पूंजी | 40225.00 | 40225.00 |
| अन्य इक्विटी | (265890.35) | (239852.87) |
| **कम्पनी के स्वामित्व वाली इक्विटी** | **(225665.35)** | **(199627.87)** |
| **इक्विटी अनुपात (%) पर रिर्टन** | **(8.89%)** | **(14.65%)** |

## 56. फेयर वेल्यू मैजरमेंट तथा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट

### फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट – श्रेणी तथा उचित मापन क्रम के अनुसार

नीचे दी गई तालिका कैरिंग राशि तथा वित्तीय परिसंपत्तियों तथा वित्तीय देयताओं के उचित मूल्य, जिसमें निष्पक्ष बाज़ार मूल्य क्रम के अनुसार उनके स्तर शामिल है, दर्शाती है:–

**i) 31 मार्च, 2020 को**

(राशि लाख रु. में)

| विवरण | कैरिंग मूल्य | | | | उचित मापन मूल्य | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | एफवीटीपीएल | एफवीटीओसीआई | अमार्टराइज़्ड लागत | कुल | लेवल 1 | लेवल 2 | लेवल 3 |
| वित्तीय परिसंपत्ति | | | | | | | |
| गैर चालू | | | | | | | |
| अन्य ** | | | 8153.21 | 8153.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| चालू | | | | | | | |
| व्यापार प्राप्य* | | | 7875.55 | 7875.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| नकद और नकद समकक्ष* | | | 3077.49 | 3077.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| उपरोक्त (ख) के अलावा* बैंक शेष | | | 143.56 | 143.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ऋण* | | | 4439.59 | 4439.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| अन्य | | | 1892.14 | 1892.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **वित्तीय देयताएं** | | | | | | | |
| **गैरचालू** | | | | | | | |
| **अन्य** | | | | | | | |
| **चालू** | | | | | | | |
| उधारी | | | 169022.63 | 169022.63 | 0.00 | 0.00 | 169022.63 |
| व्यापार देय | | | 80937.23 | 80937.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| अन्य | | | 5039.15 | 5039.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ii) **31 मार्च, 2019 को**

(राशि लाख रु. में)

| विवरण | कैरिंग मूल्य | | | | उचित मापन मूल्य | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | एफवीटीपीएल | एफवीटीओसीआई | अमार्टराइज्ड लागत | कुल | लेवल 1 | लेवल 2 | लेवल 3 |
| वित्तीय परिसंपत्ति | | | | | | | |
| गैर चालू | | | | | | | |
| अन्य | | | 10937.74 | 10937.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| चालू | | | | | | | |
| व्यापार प्राप्य * | | | 9868.53 | 9868.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| नकद और नकद समकक्ष* (ख) | | | 384.84 | 384.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| उपरोक्त (बी) के अलावा बैंक शेष | | | 2198.25 | 2198.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ऋण* | | | 1753.79 | 1753.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| अन्य | | | 1382.57 | 1382.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| वित्तीय देयताएं | | | | | | | |
| गैर चालू | | | | | | | |
| अन्य | | | | | | | |
| चालू | | | | | | | |
| उधार | | | 163335.64 | 163335.64 | 0.00 | 0.00 | 163335.64 |
| व्यापार देय | | | 57155.76 | 57155.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| अन्य | | | 26551.28 | 26551.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

*व्यापार प्राप्यों, व्यापार देयों, नकदी एवं नकदी तुल्यों, नकदी एवं नकदी समकक्ष को छोड़कर बैंक शेष तथा अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं की कैरिंग राशि अपनी अल्पावधि प्रकृति के कारण उचित मूल्य के लगभग बराबर होती है।

** अन्य गैर–चालू वित्तीय परिसंपत्ति रिपोर्टिंग तिथि से 12 महीने के बाद परिपक्वता बैंक जमा व अर्जित ब्याज पर वित्तीय साधनों पर देय नहीं है को दर्शाता है। रिपोर्टिंग तिथि पर इसका कैरिंग मूल्य उचित मूल्यों को अनुमानित करता है।

## 57. वित्तीय जोखिम प्रबंधन उद्देश्य और नीतियां:

कंपनी वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट्स से उत्पन्न होने वाले निम्नलिखित जोखिमों से प्रभावित होती है:–

i क्रेडिट जोखिम

ii लिक्विडिटी जोखिम

iii बाज़ार जोखिम

क) ब्याज दर जोखिम

ख) मुद्रा जोखिम

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देनदारियों में ऋण और उधार, व्यापार और अन्य भुगतान और डेरिवेटिव शामिल हैं। इन वित्तीय देनदारियों का मुख्य उद्देश्य प्राप्य, और नकद और नकद समकक्षों को वित्त उपलब्ध करवाना है जो सीधे इनके परिचालन से प्राप्त होते हैं।

कंपनी क्रेडिट जोखिम, लिक्विडिटी जोखिम और बाज़ार जोखिम से प्रभावित है। कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन इन जोखिमों का प्रबंधन देखता है जिसकी सहायता एक ट्रेजरी (सरकारी) टीम द्वारा की जाती है। यह ट्रेजरी टीम कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन को यह आश्वासन देती है कि कंपनी की वित्तीय जोखिम गतिविधियां उपयुक्त नीतियों और प्रक्रियाओं द्वारा नियंत्रित हैं और उन वित्तीय जोखिमों की पहचान, माप और प्रबंध कंपनी की नीतियों और जोखिम उद्देश्य के अनुसार किया जाता है। जोखिम प्रबंधन उद्देश्यों के लिए समस्त डेरिवेटिव गतिविधियां विशेषज्ञ टीमों द्वारा कराई जाती है जिनके पास उपयुक्त कौशल, अनुभव और पर्यवेक्षण होता है। यह कंपनी की नीति है कि सट्टेबाजी के उद्देश्य के लिए डेरिवेटिव में कोई ट्रेडिंग नहीं की जा सकती। निदेशक मंडल इनमें से प्रत्येक जोखिम का प्रबंध करने के लिए नीतियों की समीक्षा और अनुमोदन करते हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है :

### (i) क्रेडिट जोखिम

किसी वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट का कोई ग्राहक अथवा प्रतिपक्ष अपने कॉन्ट्रेक्ट के दायित्व को पूरा करने में असफल रहता है तो कंपनी की वित्तीय हानि का जोखिम, क्रेडिट जोखिम कहलाता है।

कंपनी अपनी प्रचालन गतिविधियों (मुख्यतः व्यापार प्राप्यों) और बैंकों व वित्तीय संस्थाओं में जमा विदेशी विनिमय लेन–देनों एवं अन्य वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट्स सहित, निवेश गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले क्रेडिट जोखिम से प्रभावित है।

रिपोर्टिंग तिथि को क्रेडिट में अधिकतम एक्सपोज़र मुख्यतः व्यापार प्राप्यों से होता है। व्यापार प्राप्य आरक्षित हैं व ग्राहकों से अर्जित राजस्व से प्राप्त किए जाते हैं। कंपनी उस आर्थिक वातावरण को मॉनीटर करती है जिसमें यह प्रचालन करती है। कंपनी अपने क्रेडिट जोखिम का प्रबंधन क्रेडिट अनुमोदनों के माध्यम से, क्रेडिट सीमाएं निर्धारित कर तथा उन ग्राहकों, जिन पर कंपनी व्यवसाय की सामान्य स्थिति में क्रेडिट शर्तें लगाती है, की क्रेडिट योग्यता को निरंतर मॉनीटर करके करती है।

कंपनी अपनी अधिकांश यात्री सेवाओं को एजेंटों (ग्राहकों) को जमा योग्यता द्वारा ऑन लाइन माध्यमों से बेचती है।

इंड एएस 109 को स्वीकार करने पर, कंपनी लाभ या हानि की क्षति का निर्धारण करने के लिए प्रत्याशित क्रेडिट हानि मॉडल का उपयोग करती है। व्यापार प्राप्य के लिए प्रत्याशित क्रेडिट हानि भत्ते की गणना करने के लिए कंपनी एक प्रोविजन मैट्रिक्स का उपयोग करती है। प्रोविजन मैट्रिक्स उपलब्ध आंतरिक क्रेडिट जोखिम घटक (फैक्टर), जैसे ग्राहकों के लिए कंपनी का ऐतिहासिक अनुभव, पर विचार करती है। जिस व्यावसायिक वातावरण में कंपनी प्रचालन करती है उसके आधार पर प्रबंधन यह मान लेता है कि यदि भुगतान 36 महीनों से अधिक समय से देय हैं तो व्यापार प्राप्य (सरकारी विभागों से प्राप्त प्राप्यों को छोड़कर) डिफाल्ट में है।

वर्षान्त में व्यापार प्राप्य में यात्री सेवाओं से उत्पन्न राजस्व के **7875.55 लाख रु.** (9868.53 लाख रु.) शामिल है।

व्यापार प्राप्य के लिए कंपनी का क्रेडिट जोखिम निम्नानुसार है:

**(राशि लाख रु. में)**

| विवरण | 31/03/2020 तक | | 31/03/2019 तक | |
|---|---|---|---|---|
| | सकल कैरिंग राशि | हानि भत्ता | सकल कैरिंग राशि | हानि भत्ता |
| अदेय ऋण | | | | |
| अतिदेय ऋण | 7875.55 | (26.46) | 9868.54 | (50.20) |

व्यापार प्राप्यों के संबंध में क्षति हेतु भत्तों में परिवर्तन :

(राशि लाख रु. में)

| विवरण | वर्ष 31 मार्च, 2020 की समाप्ति के लिए | वर्ष 31 मार्च, 2019 की समाप्ति के लिए |
|---|---|---|
| वर्ष के आरंभ में शेष | 502.00 | 27.31 |
| वर्ष के दौरान जोड़े गए | 236.83 | 474.69 |
| वर्ष के दौरान बट्टे खाते/समायोजन | (474.23) | 0.00 |
| वर्ष के अंत में शेष | 264.61 | 502.00 |

### (ii) लिक्विडिटी जोखिम

लिक्विडिटी जोखिम वह जोखिम है जिसमें कंपनी को अपनी उन वित्तीय देयताओं से जुड़े दायित्वों को पूरा करने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिन्हें नकदी अथवा अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों को डिलीवर करके निपटाया जाता है।

लिक्विडिटी का प्रबंध करने के लिए कंपनी की पद्धति यह है कि अस्वीकार्य हानियों अथवा कंपनी की प्रतिष्ठा को क्षति का जोखिम उठाए बिना सामान्य और दबाव वाली दोनों प्रकार की परिस्थितियों में उचित समय पर अपनी देयताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त लिक्विडिटी रखी जाए।

कम्पनी यह मानती है कि इसकी लिक्विटी की स्थिति जिसमें (अभारित बैंक जमा प्रोद्भूत परंतु देय नहीं ब्याज को छोड़कर) नकदी, प्रत्याशित भविष्य में प्रचालनों से आंतरिक रूप से सृजित निधियों तथा इसकी पूर्णतः उपलब्ध रिवॉल्विंग अन–आहरित **शून्य रु.** (31 मार्च 2019: शून्य रुपए) की क्रेडिट सुविधा इससे व्यवसाय की सामान्य स्थितियों में इसके भविष्य के निर्धारित दायित्वों को पूरा करने में समर्थ बनाएगी तथापि यदि लिक्विटी को बढ़ाने की आवश्यकता पड़ी हो तो, कम्पनी यह मानती है कि उसके पास मूल कम्पनी के साथ वित्त पोषण, व्यवस्था करने का मार्ग है जिससे वह इसकी वर्तमान ऑनगोईंग पूंजीगत, प्रचालनात्मक और लिक्विटी आवश्यकता को पूरा करने में समर्थ होगी। कम्पनी जरूरत के अनुसार लिक्विटी को बढ़ाने और नकदी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विभिन्न उधारियों अथवा लिज़िग विकल्पों पर विचार करना जारी रखेगी।

प्रबंध वर्ग द्वारा किए गए मॉनीटरिंग के अनुसार कंपनी की लिक्विडिटी प्रबंधन प्रक्रिया में निम्नलिखित सम्मिलित है :–

- भावी नकदी प्रवाह की मॉनीटरिंग द्वारा दिन प्रतिदिन की फंडिंग का प्रबंध किया जाता है जिससे आवश्यकता की पूर्ति सुनिश्चित की जा सकती हो।
- अनुमानित नकदी प्रवाह के आधार पर कंपनी की लिक्विडिटी की स्थिति के रोलिंग (अनवरत) पूर्वानुमान को मेंटेन करना।
- विविध क्रेडिट लाइनों को मेंटेन करना।

### लिक्विडिटी जोखिम में एक्सपोज़र

रिपोर्टिंग डाटा में वित्तीय देयताओं की बकाया संविदात्मक परिपक्वताएं निम्नानुसार है। संविदात्मक नगदी प्रवाह राशि समग्र हैं एवं छूट प्राप्त नहीं है और इनमें उपार्जित ब्याज सम्मिलित है।

(राशि लाख रु. में)

| 31 मार्च, 2020 तक | कैरिंग राशि | संविदात्मक नकद फ्लो | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 वर्ष तक | 1–5 वर्ष | 5 साल से अधिक | कुल |
| होल्डिंग कंपनी को देय | 169022.63 | 169022.63 | | | 169022.63 |
| व्यापार देय | 80937.23 | 80937.23 | | | 80937.23 |
| अन्य वित्तीय देयताएं | 5039.15 | 5039.15 | | | 5039.15 |
| विमान लीज़ | 217275.97 | 29433.92 | 117735.68 | 101655.21 | 248824.81 |
| जीएमएसए | 1237.12 | 3562.34 | 0.00 | 0.00 | 3562.34 |
| **कुल** | **473512.10** | **287995.27** | **117735.68** | **101655.21** | **507386.16** |

| 31 मार्च, 2019 तक | कैरिंग राशि | संविदात्मक नकद फ्लो | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 वर्ष तक | 1–5 वर्ष | 5 साल से अधिक | कुल |
| होल्डिंग कंपनी को देय | 163335.64 | 163335.64 | 0.00 | 0.00 | 163335.64 |
| व्यापार देय | 57155.76 | 57155.76 | 0.00 | 0.00 | 57155.76 |
| अन्य वित्तीय देयताएं | 26551.28 | 26551.28 | 0.00 | 0.00 | 26551.28 |
| जीएमएसए | 3957.58 | 3255.80 | 0.00 | 0.00 | 3255.80 |
| **कुल** | **251000.26** | **250298.48** | **0.00** | **0.00** | **250298.48** |

### (iii) बाज़ार जोखिम

बाज़ार जोखिम वह है जिसमें बाज़ार मूल्यों में परिवर्तन के कारण वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट के उचित मूल्य और भावी नगदी प्रवाहों में उतार–चढ़ाव होता है। बाज़ार जोखिम में दो प्रकार के जोखिम सम्मिलित हैं, जिनके नाम हैः मुद्रा (करेंसी) जोखिम और ब्याज दर जोखिम। बाज़ार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य लाभ को इष्टतम बनाते हुए स्वीकार्य मापदंडों के भीतर बाज़ार जोखिम का प्रबंध एवं नियंत्रण करना है।

### क. ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जिसमें बाज़ार ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण किसी वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट के भावी नगदी प्रवाहों में उतार–चढ़ाव होता है। बाज़ार ब्याज दरों में परिवर्तनों के जोखिम का संबंध मुख्य रूप से कंपनी की फ्लोटिंग ब्याज दरों वाली उधारियों से होता है।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रबंध वर्ग को रिपोर्ट किए गए के अनुसार ब्याज दर परिवर्तनों के लिए कंपनी की उधारियों से संबंधित एक्सपोज़र निम्नानुसार हैः–

(राशि लाख रु. में)

| परिवर्तनशील दर इन्स्ट्रूमेंट | 31 मार्च, 2020 तक | 31 मार्च, 2019 तक |
|---|---|---|
| होल्डिंग कम्पनी को देय | 169022.64 | 163335.64 |
| **कुल** | **169022.64** | **163335.64** |

### ब्याज दर संवेदनशीलता विश्लेषण

रिपोर्टिंग तिथि को ब्याज दरों में तार्किक रूप से संभव 0.50 प्रतिशत का परिवर्तन लाभ एवं हानि को नीचे दर्शाई गई राशि

तक प्रभावित करेगा। विश्लेषण के अनुसार अन्य सभी परिवर्तनशील दरें (वेरियेबल्स), विशेष रूप से विदेशी मुद्रा विनिमय दरें, अपरिवर्तनीय रहती हैं।

(राशि लाख रु. में)

| विवरण | लाभ और हानि का विवरण | |
|---|---|---|
| दूसरों से लिए गए विदेशी मुद्रा आवधिक ऋण पर तथा वित्त लीज़ देयता पर ब्याज में वृद्धि / (कमी) | .50% तक बढ़ाए | .50% तक कमी |
| 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए | 84.51 | (84.51) |
| 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए | 81.67 | (81.67) |

### ख) मुद्रा जोखिम

मुद्रा जोखिम वह जोखिम होता है जिसमें विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के कारण किसी वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट के भावी नगदी प्रवाह में उतार–चढ़ाव होता है। कंपनी अपनी वित्तीय स्थिति और नगदी प्रवाहों पर प्रचलित विदेशी मुद्रा दरों में उतार–चढ़ाव के प्रभावों से प्रभावित है। एक्सपोज़र मुख्य रूप से कार्यात्मक मुद्रा और कंपनी की प्रचालन, निवेश और वित्त पोषण गतिविधियों से प्राप्त अन्य मुद्राओं के बीच विनिमय दर में उतार–चढ़ाव के कारण होता है।

## 58. इंड एएस 115 के अनुसार प्रकटन, ग्राहकों के साथ कॉन्ट्रैक्ट से प्राप्त राजस्व :

राजस्व को इस सीमा तक मान्य किया जाता है कि आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होने की संभावना हो और राजस्व का मापन विश्वसनीयता से किया जा सके भले ही भुगतान कभी भी किया जाए।

कंपनी का प्रमुख राजस्व सेवाओं (यात्री और कार्गो) से प्राप्त होता है। प्रमुख गतिविधि का विवरण निम्नानुसार है।

### प्रकृति, कार्य निष्पादन दायित्व की पूर्ति का समय और महत्वपूर्ण भुगतान शर्तें

यात्री राजस्व को यात्रा करने वाले यात्रियों के आधार पर अर्थात् सेवाएं प्रदान करने पर, यात्रियों को दी गई छूट के पश्चात् निवल मान्यता प्राप्त राजस्व, लागू करों और यात्री सेवा शुल्क, प्रयोक्ता विकास शुल्क इत्यादि जैसे एयरपोर्ट करों के आधार पर मान्य किया जाता है।

कार्गो राजस्व को वस्तुओं के परिवहन, एयरपोर्ट करों व लागू करों के निवल जैसी सेवाएं प्रदान करने पर मान्य किया जाता है ।

कॉन्ट्रक्ट की शर्तों के अनुसार संबंधित राशि के बिल तैयार किए जाते हैं एअर इंडिया के साथ मास्टर सर्विस समझौते के तहत संविदात्मक आधार पर सहमत क्रेडिट अवधि के दौरान इनका भुगतान किया जाता है।

### राजस्व का विभाजन

राजस्व मान्यता सेवाओं की प्रकृति व प्रकार के आधार पर राजस्व का विभाजन किया जाता है।

### सेवाओं का प्रतिपादन

(राशि लाख रुपए में)

| क्र.सं. | विवरण | 31 मार्च 2020 | 31 मार्च 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | यात्री | 70478.70 | 69159.88 |
| 2 | अतिरिक्त सामान | 766.17 | 4.88 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | डाक | 21.03 | 0.43 |
| 4 | कार्गो | 94.49 | 28.22 |
| 5 | चार्टर | 307.99 | 205.83 |
| 6 | सरकार से प्रचालन हेतु अनुदान | 23889.22 | 12254.28 |
| 7 | हैंडलिंग सेवाएं एवं आकस्मिक राजस्व | 3745.27 | 507.67 |
| | **कुल** | **99302.87** | **82161.19** |

निम्नलिखित सारणी में व्यापार प्राप्य के प्रारंभिक शेष एवं अंतशेष की सूचना प्रदान की गई है:

**(राशि लाख रुपए में)**

| विवरण | 31 मार्च 2019 | 31 मार्च 2019 |
|---|---|---|
| व्यापार प्राप्य | **7875.55** | 9868.53 |

31 मार्च 2020 तक कंपनी 61 मार्गों में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना (आरसीएस) के तहत प्रचालन कर रही है, यह मार्ग बोली प्रक्रिया के माध्यम से 3 साल की वैधता के लिए दो राउंड में कंपनी को प्रदान किए गए हैं। आरसीएस समझौते के अन्तर्गत, कंपनी को करों के समावेशी रियायती किरायों पर निर्दिष्ट सीटें बेचनी आवश्यक होती है। समझौते की शर्तों के अनुपालन पर, कंपनी वीजीएफ दावा राशि के लिए पात्र है।

चूंकि आरसीएस मार्ग 3 साल की अवधि के लिए बोली प्रक्रिया के माध्यम से आबंटित किए जाते हैं, इसलिए यह मार्ग स्लॉट की उपलब्धता और अन्य आवश्यकताओं के अधीन इस अवधि के बाद सभी वाहकों के लिए खुले हैं।

**इंड एएस 115 के अनुसार लागू व्यावहारिक प्रणाली:**

क. कंपनी ने शेष कार्यनिष्पादन दायित्वों के बारे में सूचना का प्रकटीकरण नहीं किया है जिनकी मूल अपेक्षित अवधि एक वर्ष या उससे कम है।

ख. कंपनी को ऐसे किसी अनुबंध की अपेक्षा नहीं है जिसके लिए राजस्व को उस वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त है जहां ग्राहक को दिए गए माल या सेवाओं के हस्तांतरण और ग्राहक द्वारा भुगतान के बीच की अवधि एक वर्ष से अधिक हो। परिणामतः कंपनी ने धन के समय मूल्य के लिए लेनदेन की कीमतों को समायोजित नहीं किया है।

**59.** नोट सं. 41 के अलावा आंकड़े पूर्णांकों में दिए गए हैं जिसमें पूर्ण सापेक्षता में राशि ली गई है।

**60. कोविड–19 (कोविड–19) से वैश्विक स्वास्थ्य महामारी से संबंधित अनिश्चितताओं का अनुमान:**

हमारे प्रचालन कोविड –19 महामारी के कारण गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। भारत सरकार ने 24 मार्च 2020 से राष्ट्रीय लॉकडाउन की घोषणा की। परिणामस्वरूप, 24 मार्च 2020 और 24 मई 2020 के बीच कोई भी अनुसूची यात्री उड़ानों का प्रचालन नहीं किया गया। इस अवधि के दौरान हवाई यातायात बंद होने से हमारे राजस्व पर इसका प्रभाव पड़ा। इसी अवधि के दौरान, कर्मचारियों, विमान संबंधी व्यय जैसे लीज़ किराया और अन्य व्यय कंपनी द्वारा निरन्तर रुप से किए जाते रहें, इसमें हमारी लाभप्रदता प्रभावित हुई।

कंपनी ने संभावित प्रभावों पर भी विचार किया है, जो प्राप्तियों की वहन राशि पर कोविड–19 से संबंधित महामारी से उत्पन्न हो सकते हैं। इस महामारी के कारण वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों में संभावित भविष्य की अनिश्चितताओं से संबंधित मान्यताओं को विकसित करने में, कंपनी ने इन वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तारीख में क्रेडिट रिपोर्ट और संबंधित जानकारी, आर्थिक पूर्वानुमान सहित सूचना के आंतरिक और बाहरी स्रोतों का उपयोग किया है। कंपनी ने उपयोग की गई धारणाओं पर संवेदनशीलता का विश्लेषण किया है और वर्तमान अनुमानों के आधार पर इन परिसंपत्तियों की वहन राशि की वसूली की

उम्मीद है। रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार महामारी की अभूतपूर्व प्रकृति भविष्य के कारोबार के माहौल को अनिश्चित बना देती है, हालांकि, हम अपनी परिसंपत्तियों पर इसके प्रभाव के आकलन को जारी रखेंगे और भविष्य की आर्थिक परिस्थितियों में किसी भी सामग्री परिवर्तन की बारीकी से निगरानी करेंगे।

**61.** पिछले वर्ष के आंकड़े इंड–एएस की अपेक्षाओं के अनुसार पुनः प्रस्तुत/पुनः व्यवस्थित किए गए हैं।

तुलन पत्र और लाभ एवं हानि विवरणी को भाग के रूप में शेड्यूल्स तथा उपर्युक्त टिप्पणियों के लिए हस्ताक्षर।

हमारी संलग्न समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

**कृते एस. के. कपूर एंड कम्पनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
**फर्म पंजीकरण सं एफआरएन नं. 000745सी**
हस्ता/–
**वी.बी. सिंह**
पार्टनर
सदस्यता सं.: 073124
**यूडीआईएनः 20073124एएएएडीएफ8843**

स्थान :नई दिल्ली
दिनांक : 20/10/2020

**एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड के निदेशक मण्डल के लिए तथा उनकी ओर से**

हस्ता/–
**(राजीव बंसल)**
अध्यक्ष
डीआईएन सं. 00245460

हस्ता/–
**(विनोद हेजमाड़ी)**
निदेशक
डीआईएन सं. 07346490

हस्ता/–
**(सी. एस सुब्बैया)**
मुख्य कार्यपालक अधिकारी,

हस्ता/–
**(मंजिरी एम. वझे)**
कम्पनी सचिव
सदस्यता सं.: एसीएस16028

हस्ता/–
**(अम्बर कुमार मंडल)**
मुख्य वित्तीय अधिकारी

स्थान :नई दिल्ली
दिनांक : 20/10/2020